दृष्टि The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

नवंबर भाग-1

2020

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम 7

- झारखंड का प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाला 7
- टेली-लॉ कार्यक्रम 8
- सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना पर केंद्र का पक्ष 9
- गुज़ारे भत्ते के निर्धारण हेतु दिशा-निर्देश 11
- टेलीकॉम क्षेत्र के लिये लाइसेंसिंग प्रणाली 12
- भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता 14
- 'वन रैंक, वन पेंशन' योजना 16
- राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 18
- स्थानीय लोगों के लिये नौकरियों की बढ़ती प्रवृत्ति 19
- COVID-19 और टिनिटस 21
- जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय 22
- राष्ट्रीय कृषि शिक्षा नीति 23
- विदेशी अंशदान से संबंधित नियमों में परिवर्तन 25

आर्थिक घटनाक्रम 27

- जीएसटी संग्रहण में बढ़ोतरी 27
- रुपए का अवमूल्यन 28
- भीम-UPI के माध्यम से डिजिटल लेन-देन में वृद्धि 28
- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 29

नोट :

➢ औद्योगिक विनिर्माण में बढ़ोतरी 31

➢ 'प्लेटफॉर्म वर्क' 32

➢ वर्चुअल ग्लोबल इनवेस्टर राउंडटेबल 33

➢ मेट्रो-नियो परियोजना 35

➢ विमुद्रीकरण: समग्र विश्लेषण 36

➢ गूगल के विरुद्ध अविश्वास की जाँच 38

➢ व्हाट्सएप द्वारा भारत में UPI सेवा प्रारंभ 39

➢ पूर्वोत्तर में केसर की खेती 40

➢ व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना 42

➢ आत्मनिर्भर भारत 3.0 44

➢ भारत में तकनीकी मंदी की आशंका 46

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **48**

➢ अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान 48

➢ पाकिस्तान का गिलगित-बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा 48

➢ भारत और खाड़ी देश 49

➢ भारत और यूएई के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक 52

➢ करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का प्रबंधन 53

➢ आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का वार्षिक प्रस्ताव 54

➢ एससीओ का 20वाँ सम्मेलन 56

➢ आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच शांति समझौता 57

➢ भारत की वित्तीय प्रणाली का डिजिटलीकरण 58

➢ भारत-मालदीव संबंध 60

➢ 17वाँ आसियान-भारत शिखर सम्मेलन 62

नोट :

दृष्टि The Vision

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **64**

- 16 साइकी: एक रहस्यमयी क्षुद्रग्रह 64
- विदेशज जानवरों के स्वैच्छिक प्रकटन संबंधी योजना 65
- आकाशगंगा में पृथ्वी जैसे अन्य ग्रह 66
- ओवर द टॉप' प्लेटफॉर्म और सरकारी हस्तक्षेप 68
- स्वर्ण जयंती फैलोशिप योजना 70

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण **71**

- रेलवे स्टेशन और प्रदूषण 71
- भविष्य की महामारियाँ और उनकी रोकथाम 72
- आर्कटिक क्षेत्र में मीथेन रिसाव 73
- विदेशज जीव 74
- गंगा नदी की जैव विविधता 75
- ESA असंवैधानिक घोषित करने के लिये याचिका 76

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन **78**

- राष्ट्रीय मानसून मिशन का मूल्यांकन 78
- शीत लहर 79
- धारचूला क्षेत्र में भूकंपीय सांद्रता 80

सामाजिक न्याय **81**

- चावल के फोर्टिफिकेशन पर केंद्र प्रायोजित योजना 81
- SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम संबंधी दिशा-निर्देश 82
- भारतीयों का न्यूनतम बॉडी मास इंडेक्स 84
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की कवरेज 85

दृष्टि The Vision

नोट :

आंतरिक सुरक्षा 87

- राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 87
- गोरखा राइफल्स में गैर-गोरखाओं की भर्ती 88

चर्चा में 90

- श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती 90
- काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिज़र्व 91
- टाइफून गोनी 92
- गंगा उत्सव-2020 92
- एयरो इंडिया 2021 93
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2020 94
- प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 95
- COVID-19 श्री शक्ति चैलेंज 95
- हरिकेन एटा 96
- लुहरी जल विद्युत परियोजना 97
- पिनाका रॉकेट प्रणाली 98
- नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज 98
- प्रो. ए. एन. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड-2020 99
- अंतर्राष्ट्रीय 'सतावधानम' 100
- गांधीवादी युवा तकनीकी पुरस्कार 101
- तीव्र रेडियो प्रस्फोट 101
- असम के मियास 102
- भारत-इटली वर्चुअल शिखर सम्मेलन 103
- पक्के टाइगर रिज़र्व 104
- हिमालय के वातावरण में 'टारबॉल' 104

नोट :

दृष्टि The Vision

- राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 105
- डोबरा चांठी पुल 106
- मार्सुपियल्स की दो नई प्रजातियाँ 106
- एच1एन2 वायरस 107
- दक्षिण जॉर्जिया की ओर खिसकता विशाल हिमखंड A68a 107
- बिंगो और बोगोरिया झील 108
- पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 108
- द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार 109
- थर्टी मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट 109
- राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कार्यक्रम 110
- समुद्री क्लस्टर परियोजना 110
- PLI योजना को मंज़ूरी 111
- महाबली/ मावेली मेंढक 113
- पन्ना बायोस्फियर रिज़र्व 113
- आईएनएस वागीर 114
- स्ट्रिप्ड बबल-नेस्ट फ्रॉग 114
- फ्लाई ऐश से जियो-पॉलिमर एग्रीगेट का निर्माण 114

विविध **116**

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

झारखंड का प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाला

चर्चा में क्यों ?

'द इंडियन एक्सप्रेस' समाचार पत्र द्वारा की गई एक जाँच में पता चला है कि झारखंड में केंद्र द्वारा वित्तपोषित छात्रवृत्ति योजना के तहत गरीब छात्रों को वितरित की जाने वाली छात्रवृत्ति में बैंक कर्मचारियों, बिचौलियों, विद्यालय एवं सरकारी कर्मचारियों द्वारा पैसे की उगाही की जा रही है।

प्रमुख बिंदु:

- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (Pre-matric Scholarship Scheme) अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार के छात्र शामिल हैं, की मदद करने के लिये है।
  - छात्रवृत्ति के लिये वही छात्र पात्र हैं जो अपनी कक्षा की परीक्षा में कम-से-कम 50% अंक हासिल करते हैं।
- यह छात्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष दो चरणों में प्रदान की जाती है:
  - कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को प्रतिवर्ष 1000 रुपए मिलते हैं।
  - कक्षा 6 से 10 के छात्रों को प्रतिवर्ष 10700 रुपए मिलते हैं। (यदि वह हॉस्टल में रहता है) या घर से स्कूल आने वाले को प्रतिवर्ष 5700 रुपए मिलते हैं।
- हालाँकि बिचौलिये, स्कूल-मालिक, बैंकिंग संप्रेषक और सरकारी अधिकारी एक-दूसरे की मिलीभगत से छात्रवृत्ति के अधिकांश पैसों का घोटाला करते हैं।

  छात्रवृत्ति के लिये आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है और खाते में पैसा कब जमा किया जाता है ?
- इस छात्रवृत्ति योजना के तहत योग्य छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarship Portal- NSP) पर पंजीकरण करने और अन्य दस्तावेज़ों के साथ शैक्षिक दस्तावेज़, बैंक खाता विवरण और आधार संख्या जमा करने की आवश्यकता होती है।
- अल्पसंख्यक छात्रों के लिये यह छात्रवृत्ति योजना प्रत्येक वर्ष अगस्त से नवंबर तक खुली रहती है अर्थात् इसे प्रत्येक वर्ष लागू किया जाता है। इस वर्ष यह 30 नवंबर तक खुली रहेगी।
- इस योजना के तहत लाभ लेने की प्रक्रिया केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध है और कोई भी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर या NSP के मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नए सिरे से या नवीकरण छात्रवृत्ति के लिये आवेदन कर सकता है। छात्रवृत्ति का संवितरण वर्ष में एक बार होता है, आमतौर पर अप्रैल या मई में।
- कोई भी छात्र अपने बैंक खाता नंबर या एप्लीकेशन आईडी के माध्यम से लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर के माध्यम से भुगतान को ट्रैक कर सकता है।
- चूँकि अधिकांश छात्र ऑनलाइन प्रक्रिया से अनजान हैं, इसलिये विद्यालय उनके आवेदन को भरता है और कुछ मामलों में बिचौलिये भी इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarship Portal- NSP):

- NSP एक 'वन-स्टॉप' समाधान है जिसके माध्यम से विभिन्न सेवाओं जैसे- छात्र आवेदन, आवेदन रसीद, सत्यापन आदि द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति के वितरण की सुविधा प्रदान की जाती है।
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल को डिजिटल इंडिया के तहत मिशन मोड प्रोजेक्ट (MMP) के रूप में शुरू किया गया है।

नोट :

- इसका उद्देश्य बगैर किसी अनियमितता के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer- DBT) के माध्यम से पात्र आवेदकों को सीधे उनके खाते में छात्रवृत्ति के प्रभावी वितरण के लिये एक 'स्मार्ट' (SMART) [सरलीकृत (Simplified), मिशन-उन्मुख (Mission-oriented), जवाबदेह (Accountable), उत्तरदायी (Responsive) एवं पारदर्शी (Transparent)] प्रणाली प्रदान करना है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में अनियमितता: (Direct Benefit Transfer)

- बिचौलिये, बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर छात्रों की उंगलियों के निशान के माध्यम से खाते की आधार-सक्षम लेन-देन की प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं किंतु छात्र अपने खातों में आने वाली वास्तविक राशि के बारे में भी नहीं जानते हैं। उन्हें सिर्फ नकद राशि का एक अंश सौंप दिया जाता है।

आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली की कमज़ोरियाँ:

- यह घोटाला आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली की कमज़ोरियों का एक और उदाहरण है। किसी-न-किसी तरीके से गरीब लोगों का फिंगरप्रिंट लेकर भ्रष्ट व्यावसायिक संप्रेषकों द्वारा उनकी नियमित मज़दूरी, पेंशन एवं छात्रवृत्ति लूट ली जाती है।

सत्यापन के लिये कोई अन्य विकल्प:

- पात्र लाभार्थियों के सत्यापन के लिये कई चरण हैं। छात्र को छात्रवृत्ति के लिये आवेदन करने में सक्षम बनाने के लिये संस्थान/विद्यालय को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिये जो NSP पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराए।
- आवेदन को विद्यालय/संस्थान स्तर पर और फिर गृह ज़िला या निवास राज्य स्तर पर सत्यापित किया जाना चाहिये।
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय छात्रवृत्ति राशि तभी जारी करेगा जब आवेदन की जाँच एवं सत्यापन सभी अधिकारियों द्वारा अनुमोदित हो।
- यदि आवेदन को किसी भी कारण से संबंधित अधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो आवेदन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।

क्या केवल छात्रों के पैसों के साथ अनियमितता की जाती है?

- छात्रों की छात्रवृत्ति के अलावा जो पैसा परिवार के किसी सदस्य द्वारा खाड़ी देशों में काम करते हुए अपने परिवारों को भेजा जाता है उसमें भी अनियमितता पाई गई है। अर्थात् आधा पैसा बिचौलियों के पास जाता है।

झारखंड में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा कितने पैसे का वितरण किया जाता है?

- वर्ष 2019-20 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने बताया कि उसने प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत झारखंड को 61 करोड़ रुपए का भुगतान किया।
- मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, लगभग 203,628 छात्रों ने आवेदन किया और 84,133 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई।
- वर्ष 2018-19 में झारखंड को 34.61 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया किंतु इसी वर्ष 166,423 छात्रों ने आवेदन किया और केवल 50,466 छात्रों को छात्रवृत्ति मिली।

गौरतलब है कि पूरे भारत में शैक्षणिक वर्ष 2019-20 हेतु प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिये 1423.89 करोड़ रुपए का वितरण किया गया था।

टेली-लॉ कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा शुरू किये गए 'टेली-लॉ कार्यक्रम' ने 30 अक्तूबर, 2020 तक 4 लाख लाभार्थियों को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से कानूनी सलाह प्रदान करने का नया रिकॉर्ड स्थापित किया है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2017 में कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद से अप्रैल 2020 तक जहाँ कुल 1.95 लाख लोगों को सलाह दी गई वहीं मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले सात महीनों के दौरान 2.05 लाख लोगों को कानूनी सलाह प्रदान की गई, जिसका अर्थ है कि देशव्यापी लॉकडाउन अवधि के दौरान लोगों ने इस कार्यक्रम का काफी उपयोग किया है।

नोट :

टेली-लॉ कार्यक्रम

- विशेषता: वर्ष 2017 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों और नागरिकों हेतु कानूनी सहायता को सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है।
  - इस कार्यक्रम के तहत कानूनी जानकारी और सलाह के वितरण के लिये संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की परिकल्पना की गई है।
  - इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर लोग टेली-लॉ नामक पोर्टल के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये वकीलों से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
  - इस तरह यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीफोन के माध्यम से वकीलों और नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं।
  - यह सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटरों के पास मौजूद अवसंरचना का उपयोग कर ग्रामीण लोगों को उनके घर पर ही कानूनी सेवा प्रदान करने का प्रयास करती है।
  - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा सभी राज्यों की राजधानियों में वकीलों का एक पैनल उपलब्ध कराएगा, जो आवेदकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये कानूनी सलाह और परामर्श प्रदान करेंगे।
- उद्देश्य: भारत सरकार के 'डिजिटल इंडिया विज़न' (Digital India Vision) के माध्यम से 'स्वदेशी' डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग कर 'सभी के लिये न्याय' को वास्तविकता प्रदान करना और सभी की न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- महत्त्व: टेली लॉ सेवा किसी भी व्यक्ति को कीमती समय और धन बर्बाद किये बिना कानूनी सलाह लेने में सक्षम बनाती है।
  - यह सेवा वंचित वर्ग के समूह के लिये पूर्णत: मुफ्त है, जबकि अन्य लोगों को इस सेवा का लाभ प्राप्त करने के लिये 30 रुपए प्रदान करने होंगे।

संबंधित कानूनी प्रावधान

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 (A) के अनुसार, 'राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायतंत्र इस प्रकार से काम करें कि सभी को न्याय का समान अवसर मिले एवं आर्थिक या किसी अन्य कारण से कोई नागरिक न्याय प्राप्ति से वंचित न रह जाए। इसके लिये राज्य नि:शुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।'
- अनुच्छेद 14 और 22 (1) भी विधि के समक्ष समता सुनिश्चित करने का प्रावधान करते हैं।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा (National Legal Services Authority-NALSA) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत समाज के कमज़ोर वर्गों को नि:शुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिये और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिये लोक अदालतों का आयोजन करने के उद्देश्य से किया गया है।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यों में कानूनी साक्षरता प्रदान करना, जागरूकता फैलाना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना शामिल हैं।
- भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका मुख्य संरक्षक होता है है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है।

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना पर केंद्र का पक्ष

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 'सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना' के तहत एक नए संसद भवन के निर्माण के अपने निर्णय को सही ठहराने के पक्ष में दलीलें पेश की गईं।

प्रमुख बिंदु:

- याचिकाकर्त्ताओं द्वारा नवीन संसद भवन के निर्माण के केंद्र सरकार के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
- याचिका में उठाए गए मुद्दों में से एक यह भी था कि क्या संसद के मौजूदा भवन का नवीनीकरण और उपयोग संभव है?

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना (Central Vista Redevelopment Project):

- वर्ष 2019 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 'सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना' की परिकल्पना की गई थी।
- परियोजना की परिकल्पना:
  - इस पुनर्विकास परियोजना में एक नए संसद भवन का निर्माण प्रस्तावित है। इसके साथ ही एक केंद्रीय सचिवालय का भी निर्माण किया जाएगा।
  - इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक 3 किमी. लंबे 'राजपथ' में भी परिवर्तन प्रस्तावित है।
  - सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में नॉर्थ व साउथ ब्लॉक को संग्रहालय में बदल दिया जाएगा और इनके स्थान पर नए भवनों का निर्माण किया जाएगा।
  - इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में स्थित 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र' (Indira Gandhi National Centre for the Arts) को भी स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
  - इस क्षेत्र में विभिन्न मंत्रालयों व उनके विभागों के लिये कार्यालयों का भी निर्माण किया जाएगा।
- परियोजना लागत:
  - इस पुनर्विकास परियोजना में लगभग 20,000 करोड़ रुपए व्यय होने की संभावना है।
- सेंट्रल विस्टा:
  - वर्तमान में नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक, इंडिया गेट, राष्ट्रीय अभिलेखागार शामिल हैं।
  - दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। इसके उपरांत ही राजपथ के आस-पास के क्षेत्र में इन भवनों का निर्माण किया गया।
  - इन भवनों के निर्माण का उत्तरदायित्व एडविन लुटियंस (Edwin Lutyens) व हर्बर्ट बेकर (Herbert Baker) को दिया गया।

केंद्र का पक्ष:

- प्रस्तावित परियोजना की लागत और बुनियादी ढाँचे के लाभों को रेखांकित करते हुए केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि नए संसद भवन के बारे में नीतिगत निर्णय लेने के लिये केंद्र सरकार हकदार है।
- भारत सरकार ने संसद परिसर और केंद्रीय सचिवालय के निर्माण संबंधी निर्णय मौजूदा व्यवस्था में व्याप्त दबाव को ध्यान में रखकर किया है। इसके अलावा वर्तमान परियोजना को नोएडा या अन्य जगहों पर नहीं बल्कि सेंट्रल विस्टा में ही स्थापित किया जा सकता है।

नए संसद भवन की आवश्यकता पर केंद्र के तर्क:

- स्वतंत्रता पूर्व की इमारत:
  - वर्तमान संसद भवन का निर्माण वर्ष 1927 में हुआ था, जिसका निर्माण वर्तमान द्विसदनीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं किया गया था।
- स्थान की कमी:
  - भविष्य में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि किये जाने की संभावना है, जिससे संसद में सदस्यों के बैठने के लिये पर्याप्त स्थान नहीं होगा। वर्तमान सदन संसद की संयुक्त बैठक के अनुकूल नहीं है। संयुक्त बैठक के दौरान अनेक सदस्यों को प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठना पड़ता है।
- सुरक्षा चिंताएँ:
  - मौजूदा इमारत अग्नि सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप नहीं है। पानी और सीवर लाइनें भी बेतरतीब हैं और यह अपनी विरासत की प्रकृति को नुकसान पहुँचा रही है।

- वर्ष 2001 के संसद पर हमले के मद्देनज़र सुरक्षा की चिंता इसकी कमज़ोर प्रकृति को दर्शाती है।
- यह भवन भूकंप-रोधी भी नहीं है।

- लागत लाभ:
  - कई केंद्रीय मंत्रालयों के भवनों के लिये किराये का भुगतान करना पड़ता है। नया भवन तथा एक नया केंद्रीय सचिवालय बनने से इस लागत में कमी आएगी।
- पर्यावरणीय लाभ:
  - विभिन्न मंत्रालयों तक आने-जाने के लिये लोगों और अधिकारियों को शहर के विभिन्न हिस्सों का चक्कर लगाना पड़ता है, इससे यातायात और प्रदूषण भी बढ़ता है।
  - इस परियोजना में मेट्रो स्टेशनों के इंटरलिंकिंग का भी प्रस्ताव है जो वाहनों के उपयोग को कम करेगा।

आलोचना:

- इस पुनर्विकास परियोजना में बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। वैश्विक महामारी के दौरान इतनी बड़ी राशि व्यय करना उचित निर्णय नहीं है। इससे परियोजना में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया जा रहा है।
- अनेक पर्यावरणविदों ने परियोजना की आवश्यकता और पर्यावरण, यातायात तथा प्रदूषण पर इसके प्रभाव का पता लगाने के लिये अध्ययन की कमी को लेकर सवाल उठाया है। व्यापक पैमाने पर भवन निर्माण से क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने की संभावना है।
- मंत्रालयों व विभागों के कार्यालय स्थापित होने से इस क्षेत्र को आम जनता के लिये प्रतिबंधित किया जा सकता है।

गुज़ारे भत्ते के निर्धारण हेतु दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों?

एक ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक मामलों में गुज़ारे भत्ते के भुगतान से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- जस्टिस 0इंदु मल्होत्रा और आर. सुभाष रेड्डी की दो सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि सभी मामलों में गुज़ारे भत्ते का निर्धारण आवेदन दाखिल करने की तारीख के आधार पर किया जाएगा।

न्यायालय के दिशा-निर्देश

- खंडपीठ ने गुज़ारे भत्ते की मात्रा निर्धारित करने के लिये निम्नलिखित मापदंड सूचीबद्ध किये हैं-

अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र का मुद्दे

- यदि किसी एक पक्ष द्वारा अलग-अलग कानूनों के तहत गुज़ारे भत्ते के भुगतान का दावा किया गया हो तो न्यायालय सर्वप्रथम पिछली कार्यवाही में दिये गए निर्णय और राशि पर विचार करेगा, साथ ही इसी आधार पर यह तय किया जाएगा कि और राशि दी जानी चाहिये अथवा नहीं।
- न्यायालय में आवेदकों को पिछली कार्यवाही और उसके बाद पारित किये गए आदेशों का खुलासा करना अनिवार्य है।
- यदि पिछली कार्यवाही/आदेश में किसी संशोधन या भिन्नता की आवश्यकता है, तो इसे उसी कार्यवाही में किया जाना आवश्यक है।

गुज़ारे भत्ते का निर्धारण

- दोनों पक्षों की आयु और रोज़गार
  - ऐसे मामले में जहाँ दोनों पक्ष काफी समय से एक साथ रह रहे हों, विवाह के समय को भत्ते का निर्धारण करने का एक महत्त्वपूर्ण कारक होगा।
  - दोनों पक्षों के मध्य संबंधों की समाप्ति के मामले में यदि महिला शिक्षित और पेशेवर रूप से योग्य हो, फिर भी उसे अपनी पारिवारिक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए रोज़गार के अवसरों का त्याग करने पड़े तो इस कारक को भी भत्ते का निर्धारण करते समय न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाएगा।

- महिला की आय
    - खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पत्नी की आय, पति द्वारा दिये जाने वाले गुज़ारे भत्ते के भुगतान के बीच एक अवरोध के रूप में कार्य नहीं कर सकती है।
- नाबालिग बच्चों का गुज़ारा भत्ता
    - न्यायालय ने कहा कि नाबालिग बच्चों पर होने वाले खर्च में भोजन, कपड़े, निवास, चिकित्सा व्यय और बच्चों की शिक्षा के लिये किये जाने वाला खर्च शामिल होगा। इसके अलावा बच्चों के समग्र विकास के लिये अतिरिक्त कोचिंग क्लासेस या किसी भी अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का खर्च भी भत्ते के भुगतान के निर्धारण में एक महत्त्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करेगा।
    - हालाँकि न्यायालय ने कहा कि बच्चों की शिक्षा का खर्च सामान्यत: पिता द्वारा वहन किया जाना चाहिये, किंतु यदि पत्नी भी कार्य कर रही है, तो खर्च को दोनों पक्षों के बीच आनुपातिक रूप से साझा किया जा सकता है।
- गंभीर विकलांगता अथवा बीमारी
    - जीवनसाथी, बच्चों अथवा आश्रित रिश्तेदारों की गंभीर विकलांगता अथवा बीमारी, जिसके कारण उन्हें निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है, को भी भत्ते का निर्धारण करते समय एक प्रासंगिक कारक माना जाएगा।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये मानदंड स्वयं में संपूर्ण नहीं हैं और संबंधित न्यायालय अपने विवेक का उपयोग कर किसी अन्य ऐसे कारक पर भी विचार कर सकते हैं, जो किसी मामले के संबंध में प्रासंगिक हो।

इन दिशा-निर्देशों की आवश्यकता

- प्राय: आश्रित पत्नी और बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सहारा देने हेतु सामाजिक न्याय के उपाय के रूप में कानूनी तौर पर गुज़ारा भत्ता प्रदान किया जाना आवश्यक है, ताकि उन्हें किसी भी संकट की स्थिति से बचाया जा सके।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन दिशा-निर्देशों को जारी करने का एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी को एक निश्चित समय-सीमा में न्याय मिल सके।
    - गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में जिस मामले की सुनवाई करते हुए ये दिशा-निर्देश जारी किये हैं, वह मामला बीते सात वर्षों से लंबित था।
- इसके अलावा न्यायालय के लिये अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को संबोधित करना भी काफी आवश्यक है। नियमों के अनुसार, एक वैवाहिक संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा अलग-अलग कानूनों जैसे- विशेष विवाह अधिनियम (1954), हिंदू विवाह अधिनियम (1955) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 आदि के तहत संबंध को समाप्त करने और गुज़ारे भत्ते के भुगतान के लिये अर्ज़ी दी जा सकती है।
    - यद्यपि कानूनी रूप से यह प्रक्रिया पूर्णत: वैध है, किंतु यह न्यायालय के आदेशों के बीच असंगतता को बढ़ावा देती है, जिससे अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उत्पन्न होता है।
- इसलिये इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किये जाने की आवश्यकता थी, ताकि किसी एक पक्ष को अलग-अलग कानूनों के तहत पारित किये गए आदेशों का पालन करने के लिये बाध्य न किया जा सके।
- सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालतों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि गुज़ारे भत्ते के निर्धारण से संबंधित मामलों का जल्द-से-जल्द निपटान किया जाए।

टेलीकॉम क्षेत्र के लिये लाइसेंसिंग प्रणाली

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कई टेलीकॉम ऑपरेटरों ने सामूहिक रूप से विभिन्न श्रेणियों जैसे- बुनियादी संरचना, नेटवर्क, सेवा आदि के लिये अलग-अलग लाइसेंस व्यवस्था शुरू करने के कदम का विरोध किया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications) ने बताया कि राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 के अंतर्गत शुरू किये गए 'प्रोपेल इंडिया (Propel India)' मिशन में निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' को बढ़ावा देने के लिये लाइसेंसिंग और नियामक व्यवस्था में सुधार की परिकल्पना की गई है।
- विभिन्न श्रेणियों के लिये अलग-अलग लाइसेंस व्यवस्था की शुरुआत इस रणनीति को पूरा करने के लिये बनाए गए एक्शन प्लान में से एक है।
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India) ने टेलीकॉम ऑपरेटरों से अनुरोध किया कि वे संभावित लाभ और उपायों पर जानकारी दें।

वर्तमान लाइसेंसिंग नियम:

- भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मुख्य रूप से भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम, 1933 के तहत प्रदान किया जाता है।
- ये अधिनियम केंद्र सरकार को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं जिससे टेलीग्राफ और वायरलेस टेलीग्राफ संबंधित उपकरण की स्थापना, रखरखाव और काम करने तथा इससे जुड़ी गतिविधियों के लिये लाइसेंस प्रदान किया जाता है।
  - वर्ष 1885 का अधिनियम "टेलीग्राफ" को किसी भी उपकरण, यंत्र, सामग्री के रूप में परिभाषित करता है। "टेलीग्राफ" किसी भी प्रकार के चिह्नों, संकेतों, लेखन, चित्र और ध्वनियों के प्रसारण के लिये रेडियो तरंगों, हर्ट्ज़ियन तरंगों, गैल्वेनिक, विद्युत या चुंबकीय तारों का उपयोग करने में सक्षम है।
- नवंबर 2003 में यूनीफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस (Unified Access Service License) शासन के समक्ष पेश किया गया था जो एक एक्सेस सेवा प्रदाता (Access Service Provider) को किसी भी तकनीक का उपयोग करके एक ही लाइसेंस के तहत फिक्स्ड (Fixed) या मोबाइल से संबंधित या दोनों सेवाओं के उपयोग की अनुमति देता है। यह वर्ष 2013 में अस्तित्व में आया।
- जून 2012 में लाइसेंसिंग ढाँचे को सरल बनाने और सेवाओं तथा सेवा क्षेत्रों में 'न नेशन-वन लाइसेंस' के निर्माण के प्रयास के उद्देश्य से राष्ट्रीय दूरसंचार नीति जारी की गई थी।

चयनित मुद्दे:

- नेटवर्क लाइसेंस को अलग करने से लाइसेंसिंग शासन में अनिश्चितता आएगी और नेटवर्क क्षेत्र में भविष्य में होने वाले निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
  - नेटवर्क और सेवा के लिये लाइसेंस मिलना, नेटवर्क में निवेश करने वाले ऑपरेटर को स्पष्टता और निश्चितता प्रदान करता है।
- इस तरह के किसी भी बदलाव के लिये व्यावसायिक मॉडलों को फिर से संगठित करना होगा जो कि प्रतिकूल होगा।
- मौजूदा लाइसेंसिंग व्यवस्था के तहत एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाना बाकी है।

लागू करने से संबंधित सुझाव:

- मौजूदा लाइसेंस की वैधता तक लाइसेंस का कोई अनिवार्य स्थानांतरण नहीं होना चाहिये।
- विशेष रूप से पिछले 10 वर्षों में किये गए निवेश के लिये एक स्पष्ट मुआवज़े से संबंधित कार्यप्रणाली की गणना की जानी चाहिये।
- दूरसंचार क्षेत्र के खराब वित्तीय स्वास्थ्य के अंतर्निहित मुद्दे का समाधान किया जाना चाहिये।
  - टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करना जिसके लिये भारी फंड जुटाने की आवश्यकता होगी। अगले 2-3 वर्षों में अनुमानित रूप से ₹2,00,000 करोड़।
- सरकार द्वारा प्रोत्साहन प्रदान करने, नियामक लागत को कम करने, मौजूदा सेवा प्रदाताओं को उचित नीति और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है।

आगे की राह

- दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा असमूहीकरण (Unbundling) को 'न तो आवश्यक और न ही वांछनीय' कहा गया है।
- ऐसे बदलावों की आवश्यकता है, जिनके लिये व्यावसायिक मॉडल को उस समय फिर से आकार देना पड़ता है जब मौजूदा निवेश पहले से पूरी तरह से पुनर्प्राप्त नहीं होते हैं।
- इसलिये एक अन्य लाइसेंसिंग ढाँचे की सिफारिश या इसे लागू करने के बजाय इस क्षेत्र में मौजूद अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है ताकि अस्पष्टता और अतिरिक्त चुनौतियों का सामना किया जा सके।

दूरसंचार आयोग

- भारत सरकार ने दूरसंचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं के समाधान के लिये भारत सरकार की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों सहित दूरसंचार आयोग की स्थापना 11 अप्रैल, 1989 की अधिसूचना द्वारा की।
- आयोग एक अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्य,जो कि दूरसंचार विभाग में भारत सरकार के पदेन सचिव हैं और चार अंशकालिक सदस्य, जो कि संबंधित विभागों में भारत सरकार के सचिव हैं,से मिलकर बना है।

भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता

चर्चा में क्यों?

'अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक' (International Academic Freedom Index) में भारत ने 0.352 स्कोर के साथ बहुत खराब प्रदर्शन किया है।

प्रमुख बिंदु

- 'शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक' ग्लोबल टाइम-सीरीज़ डेटासेट (वर्ष 1900 से वर्ष 2019 तक) के एक भाग के रूप में यह 'ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट' (Global Public Policy Institute) द्वारा जारी किया गया है।
- फ्रेडरिक-अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी एर्लांगेन-नार्नबर्ग, स्कॉलर्स एट रिस्क और वी-डेम इंस्टीट्यूट भी इस कार्य में निकट सहयोगी रहे हैं।

शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक:

- शैक्षणिक स्वतंत्रता का मतलब है कि संकाय के सदस्यों और छात्रों द्वारा आधिकारिक हस्तक्षेप या प्रतिशोध के डर के बिना बौद्धिक विचार व्यक्त किये जाते हों।
- यह सूचकांक दुनिया भर में शैक्षणिक स्वतंत्रता के स्तर की तुलना करता है और साथ ही शैक्षणिक स्वतंत्रता में की गई कमी की समझ को बढ़ाता है।
- शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक का मूल्यांकन निम्नलिखित आठ घटकों के आधार पर किया जाता है।
  - शोध और शिक्षा की स्वतंत्रता;
  - अकादमिक विनिमय और प्रसार की स्वतंत्रता;
  - संस्थागत स्वायत्तता, परिसर अखंडता;
  - शैक्षणिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता;
  - शैक्षणिक स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा;
  - शैक्षणिक स्वतंत्रता के तहत अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रतिबद्धता;
  - आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते;
  - विश्वविद्यालयों का अस्तित्व।
- सूचकांक में 0-1 के बीच स्कोर दिया गया है और 1 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को बताता है।

शीर्ष प्रदर्शक:

- 0.971 के स्कोर के साथ उरुग्वे और पुर्तगाल शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक (एएफआई) में शीर्ष पर हैं, इसके बाद लातविया (0.964) और जर्मनी (0.960) हैं।
- सूचकांक में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित 35 देशों के डेटा की रिपोर्ट नहीं थी।

सूचकांक पर भारत का प्रदर्शन:

- 0.352 के स्कोर के साथ भारत, सऊदी अरब (0.278) और लीबिया (0.238) के निकट है। पिछले पाँच वर्षों में भारत के एएफआई स्कोर में 0.1 अंक की गिरावट दर्ज की गई है।
- मलेशिया (0.582), पाकिस्तान (0.554), ब्राज़ील (0.466), सोमालिया (0.436) और यूक्रेन (0.422) जैसे देशों ने भारत से बेहतर स्कोर किया है।

भारत के खराब प्रदर्शन का कारण:

- भारत ने संस्थागत स्वायत्तता, परिसर की अखंडता, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शैक्षणिक स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा जैसे घटकों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है।
- एएफआई ने 'फ्री टू थिंक (Free to Think): स्कॉलर्स एट रिस्क अकादमिक फ्रीडम मॉनीटरिंग प्रोजेक्ट' का हवाला देते हुए सुझाव दिया है कि भारत में राजनीतिक तनाव के कारण 'शैक्षणिक स्वतंत्रता' में गिरावट हो सकती है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में राजनीतिक तनाव के कारण छात्रों, सुरक्षा बलों और शैक्षणिक परिसर के छात्र समूहों के बीच हिंसक टकराव हुए हैं तथा शैक्षिक संस्थानों में मौजूद विद्यार्थियों (scholars) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और अनुशासनात्मक उपाय किये गए हैं।

भारत के लिये चुनौतियाँ

विद्वानों को स्वतंत्रता:

- भारत विद्वानों को राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से विवादास्पद विषयों पर अपने जीवन, अध्ययन या पेशे के डर के बिना चर्चा करने के लिये वांछित स्वतंत्रता प्रदान करने में विफल रहा है।

राजनीतिक हस्तक्षेप:

- देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक दोनों ही मुद्दों पर सरकारों के अवांछित हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है।
- अधिकांश नियुक्तियों में विशेष रूप से शीर्ष पदों के लिये जैसे- कुलपति और कुलसचिव का अत्यधिक राजनीतिकरण किया गया है।

भ्रष्ट आचरण:

- राजनीतिक नियुक्तियाँ न केवल शैक्षणिक तथा रचनात्मक स्वतंत्रता को बढ़ावा देती हैं, बल्कि लाइसेंसिंग और मान्यता सहित भ्रष्ट प्रथाओं को भी जन्म देती है।

विश्वविद्यालयों की नौकरशाही:

- वर्तमान में कई शैक्षणिक संस्थान और नियामक संस्थाएँ, केंद्रीय और राज्य स्तरों पर नौकरशाहों के नेतृत्व में हैं।

भाई-भतीजावाद:

- स्टाफ की नियुक्तियों और छात्रों के प्रवेश में पक्षपात तथा भाई-भतीजावाद का बोलबाला है। यह शैक्षणिक परिसर के भीतर 'किराया प्राप्त करने संस्कृति' (Rent-Seeking Culture) को दर्शाता है।
- किराये पर लेने की मांग एक आर्थिक अवधारणा है जो तब होती है जब कोई संस्था उत्पादकता के किसी भी पारस्परिक योगदान के बिना अतिरिक्त धन प्राप्त करना चाहता है। आमतौर पर यह सरकार द्वारा वित्तपोषित सामाजिक सेवाओं और सामाजिक सेवा कार्यक्रमों के चारों ओर घूमती है।

समाधान:

'नई शिक्षा नीति' (New Education Policy) को लागू करना 2020:

- नई शिक्षा नीति, 2020 का दावा है कि यह रचनात्मकता और महत्त्वपूर्ण सोच के सिद्धांतों पर आधारित है तथा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को लागू करती है जो राजनीतिक या बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त है।
- इस नीति में कहा गया है कि संकाय (faculty) को 'पाठ्यपुस्तक और पठन सामग्री चयन, कार्य और आकलन सहित' अनुमोदित ढाँचे के भीतर अपने स्वयं के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक दृष्टिकोण को डिज़ाइन करने की स्वतंत्रता दी जाएगी।
- यह एक 'राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन' (National Research Foundation), एक मेरिट-आधारित और 'सहकर्मी-समीक्षा शोध निधि' का गठन करने का भी सुझाव देता है, जिसे "सरकार से स्वतंत्र एक रोटेशनल बोर्ड (Rotating Board) द्वारा शासित किया जाएगा।
- इसके अलावा शिक्षाविदों को शासन की शक्तियाँ देकर शिक्षा प्रणाली का वि-नौकरशाहीकरण (De-Bureaucratise) करना है। यह उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने प्रशासन को बोर्ड को सौंपने के लिये शिक्षाविदों को शामिल करके स्वायत्तता देने की बात करता है।

विनियामक और शासन सुधार:

- प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न उच्च शिक्षा नियामकों (UGC, AICTE, NCTE आदि) का पुनर्गठन या विलय किया जा सकता है। विनियामक संरचना को विधायी समर्थन देने के लिये यूजीसी अधिनियम, 1956 में संशोधन किया जाए।
- पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया के माध्यम से विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का चयन किया जाना चाहिये।
- विश्वविद्यालयों को प्रदर्शन के आधार पर अनुदान दिया जाना चाहिये।

आगे की राह:

- विश्वविद्यालयों को विश्वस्तरीय बनाने के लिये उन्हें राजनीति से दूर रखकर स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिये। उच्च राजनीतिक स्वायत्तता वाले संस्थान जैसे- IIT, IIM or IISc अधिक सफल हैं।
- उच्च शिक्षा नीति-निर्माताओं को एएफआई स्कोर में गिरावट के प्रति जवाबदेह बनाना चाहिये। संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य-4 के साथ गठबंधन करते हुए 'भारत को आगे बढ़ना चाहिये इससे भारत को एक 'वैश्विक ज्ञान आधारित महाशक्ति' बनाने में मदद मिलेगी।
- शैक्षणिक स्वतंत्रता एक प्राथमिकता है। विश्वविद्यालय सवाल पूछने की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। उत्कृष्टता की तलाश में विचारों की खोज करना, मुद्दों पर बहस करना और स्वतंत्र रूप से सोचना आवश्यक है।

'वन रैंक, वन पेंशन' योजना

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने 'वन रैंक, वन पेंशन' (OROP) योजना के तहत बीते पाँच वर्षों में 20.6 लाख से अधिक सेवानिवृत्त रक्षाकर्मियों को 42,700 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्र सरकार ने 7 नवंबर, 2015 को 'वन रैंक, वन पेंशन' (OROP) योजना की अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि यह योजना 1 जुलाई, 2014 से प्रभावी मानी जाएगी।
- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश (2.28 लाख) और पंजाब (2.12 लाख) में 'वन रैंक, वन पेंशन' (OROP) के लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई।
  - हालाँकि इन आँकड़ों में नेपाल के पेंशनधारकों का विवरण शामिल नहीं किया गया है।

क्या है 'वन रैंक, वन पेंशन'?

- 'वन रैंक, वन पेंशन' (OROP) का अर्थ है कि सेवानिवृत्त होने की तारीख से इतर समान सेवा अवधि और समान रैंक पर सेवानिवृत्त हो रहे सशस्त्र सैन्यकर्मियों को एक समान पेंशन दी जाएगी। इस तरह से 'वन रैंक, वन पेंशन' (OROP) का मतलब आवधिक अंतरालों पर वर्तमान और पिछले सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों की पेंशन की दर के बीच के अंतर को कम करना है।

नोट :

- जबकि इससे पूर्व की व्यवस्था में जो सैनिक जितनी देरी से सेवानिवृत्त होता था, उसे पहले सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों की तुलना में अधिक पेंशन प्राप्त होती थी, क्योंकि सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन कर्मचारी के अंतिम वेतन पर निर्भर करता है और समय-समय पर वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होती रहती है।
  - इस तरह वर्ष 1995 में सेवानिवृत्त होने वाले एक लेफ्टिनेंट जनरल को वर्ष 2006 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले एक कर्नल की तुलना में कम पेंशन प्राप्त होती थी।

पृष्ठभूमि

- असल में वर्ष 1973 से पूर्व 'वन रैंक, वन पेंशन' को लेकर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था, पर वर्ष 1973 में तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशन के साथ ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 'वन रैंक, वन पेंशन' के तत्कालीन स्वरूप को समाप्त कर दिया।
- वर्ष 1973 में तीसरे वेतन आयोग से पूर्व सशस्त्र बलों के सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को उनके अंतिम वेतन का 75 प्रतिशत हिस्सा पेंशन के रूप में भुगतान किया जाता था। साथ ही उस समय तक ऐसे सेवानिवृत्त रक्षाकर्मियों को पेंशन का भुगतान नहीं किया जाता था, जिन्होंने पाँच वर्ष से कम अवधि के लिये अपनी सेवाएँ दी हों।
- तीसरा वेतन आयोग
  - अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह इसने रक्षाकर्मियों को भी तीसरे वेतन आयोग के दायरे में ला दिया, आयोग ने पेंशन के तौर पर सभी पूर्व कर्मचारियों (जिसमें रक्षाकर्मी भी शामिल हैं) के लिये केवल 50 प्रतिशत वेतन की सिफारिश की, जिसके कारण सिविल कर्मियों की पेंशन तो 33 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गई, किंतु रक्षाकर्मियों की पेंशन 75 प्रतिशत से घटकर 50 प्रतिशत पर पहुँच गई।
- इसके बाद वर्ष 1979 में तत्कालीन वित्त मंत्री एच.एन. बहुगुणा ने मूल वेतन के एक हिस्से को महंगाई भत्ते में विलय करके सेवारत सैनिकों के वेतन में वृद्धि कर दी, जिससे वर्ष 1979 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सैन्यकर्मियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी हो गई और यहीं से सेवानिवृत्त सैनिकों की पेंशन के बीच अंतर आना शुरू हो गया।

'वन रैंक, वन पेंशन' की आवश्यकता क्यों?

- छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने तक 'वन रैंक, वन पेंशन' के मुद्दे को लगभग भुलाया जा चुका था, पर जब इस आयोग की सिफारिशें लागू की गईं तो पूर्व सैनिकों के बीच पेंशन का अंतर और भी ज़्यादा बढ़ गया।
  - इस आयोग की सिफारिशों के लागू होने से वर्ष 2006 में सेवानिवृत्त होने वाले एक मेजर जनरल को वर्ष 2014 में सेवानिवृत्त होने वाले अपने समकक्ष से 30,000 रुपए कम पेंशन मिलने लगी, जो कि एक काफी बड़ी राशि थी।
  - पेंशन में इतनी अधिक असमानता के कारण पूर्व-सैनिकों के बीच 'वन रैंक, वन पेंशन' को लेकर एक आंदोलन शुरू हो गया और सभी स्तरों पर एक समान पेंशन की मांग की जाने लगी।
- 'वन रैंक, वन पेंशन' के अधिकांश समर्थकों का मानना है कि 'सशस्त्र बल' के रक्षाकर्मियों और सिविल कर्मचारियों को पेंशन के मामले में एक समान रूप से नहीं देखा जाना चाहिये, क्योंकि अधिकांश रक्षाकर्मी 33 से 35 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि सिविल कर्मियों की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष होती है। इसी वजह से सेवा की कम अवधि के कारण कम वेतन मिलने से रक्षाकर्मियों का मनोबल प्रभावित होता है।

रक्षा पेंशन और 'वन रैंक, वन पेंशन' की आलोचना

- केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में रक्षा पेंशन के लिये 1,33,825 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं, जबकि वित्तीय वर्ष 2005-06 में यह राशि केवल 12,715 करोड़ रुपए थी।
- 1,33,826 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र सरकार के कुल व्यय का 4.4 प्रतिशत या देश की कुल GDP का 0.6 प्रतिशत है। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय को कुल बजट आवंटन का 28.4 प्रतिशत हिस्सा केवल रक्षा पेंशन में ही जाता है।
- इस लिहाज़ से भारत का रक्षा पेंशन बजट, रक्षा मंत्रालय के कुल पूंजीगत व्यय से काफी अधिक हो गया है, जिसका अर्थ है कि रक्षा मंत्रालय सेना के आधुनिकीकरण पर कम और पूर्व-सैनिकों की पेंशन पर अधिक खर्च कर रहा है।

- कई बार 'वन रैंक, वन पेंशन' योजना की आलोचना सरकार पर इसके वित्तीय बोझ के कारण की जाती है। दरअसल भारत में हर साल औसतन 50-60 हज़ार सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं, क्योंकि सेना के अधिकांश जवान 33 से 35 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
    - इसकी वजह से प्रत्येक वर्ष रक्षा पेंशन बजट में बढ़ोतरी होती रहती है। इसके अलावा चूँकि रक्षाकर्मी काफी कम उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं, जिसके कारण वे लंबे समय तक पेंशन प्राप्त करते हैं, जबकि सिविल कर्मचारी प्राय: 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, जिसके कारण वे रक्षाकर्मियों की अपेक्षा कम समय तक पेंशन प्राप्त करते हैं।

राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस

चर्चा में क्यों?

देश में प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस (National Cancer Awareness Day) मनाया जाता है ताकि जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिये शुरुआती कैंसर का पता लगाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके।

प्रमुख बिंदु:

- कैंसर (Cancer): यह बीमारियों का एक बड़ा समूह है जिसमें असामान्य कोशिकाएँ अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं तथा शरीर में अपने आस-पास के हिस्सों पर आक्रमण करने या अन्य अंगों में फैलने के लिये अपनी सामान्य सीमाओं को पार कर जाती हैं। यह शरीर के किसी भी अंग या ऊतक में शुरू हो सकती है। इस बीमारी में अंतिम अवस्था को मेटास्टेसाइज़िंग (Metastasizing) कहा जाता है और यह कैंसर से मृत्यु का एक प्रमुख कारण है।
    - कैंसर के अन्य सामान्य नाम नियोप्लाज़्म (Neoplasm) और मैलिग्नेंट ट्यूमर (Malignant Tumor) हैं।
    - फेफड़े, प्रोस्टेट (Prostate), कोलोरेक्टल (Colorectal), पेट एवं यकृत का कैंसर पुरुषों में सबसे आम हैं, जबकि स्तन, कोलोरेक्टल, फेफड़े, ग्रीवा एवं थायरॉयड का कैंसर महिलाओं में सबसे आम हैं।
- कैंसर भारत सहित दुनिया भर में जीर्ण एवं गैर-संचारी रोगों (Non-Communicable Diseases- NCD) की वजह से होने वाली बीमारियों एवं मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, वैश्विक स्तर पर कैंसर मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है और वर्ष 2018 में विश्व स्तर पर लगभग 18 मिलियन मामले कैंसर से संबंधित थे जिनमें से 1.5 मिलियन मामले अकेले भारत से थे।
- वर्ष 2018 में वैश्विक स्तर पर 9.58 मिलियन के मुकाबले भारत में लगभग 0.8 मिलियन मौतें कैंसर से हुईं। वर्ष 2040 तक भारत में नए मामलों की संख्या दोगुनी होने का अनुमान जताया गया है।
- कैंसर के कारण होने वाली मौतों को रोका जा सकता है: मुख्य जोखिम कारकों को छोड़कर कैंसर से होने वाली 30-50% मौतों को रोका जा सकता है। प्रमुख जोखिम वाले कारकों में तंबाकू का उपयोग, शराब का उपयोग, असंतुलित आहार, पराबैंगनी विकिरण का संपर्क, प्रदूषण, पुराने संक्रमण आदि शामिल हैं।
- कैंसर का उपचार: कैंसर के उपचार के विकल्प के रूप में सर्जरी, कैंसर की दवाएँ या रेडियोथेरेपी शामिल हैं।
    - उपशामक देखभाल (Palliative Care) जो रोगियों एवं उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित है, कैंसर देखभाल का एक अनिवार्य घटक है।
- कैंसर से निपटने हेतु वैश्विक पहल: वर्ष 1965 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक विशेष कैंसर एजेंसी के रूप में 'इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर' (International Agency for Research on Cancer- IARC) का गठन विश्व स्वास्थ्य सभा के एक संकल्प द्वारा किया गया था।
    - प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस (World Cancer Day) मनाया जाता है।
- भारत द्वारा शुरू की गई पहलें: भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission- NHM) के तहत कैंसर, मधुमेह, हृदय रोगों एवं स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke- NPCDCS) को ज़िला स्तर पर लागू किया जा रहा है।

- आयुष्मान भारत के दायरे में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) को गरीब एवं कमज़ोर समूहों के स्वास्थ्य संबंधी वित्तीय बोझ को कम करने हेतु लागू किया जा रहा है, जो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्रदान करेगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है।
- राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड (National Cancer Grid- NCG): NCG देश भर में प्रमुख कैंसर केंद्रों, अनुसंधान संस्थानों, रोगी समूहों एवं धर्मार्थ संस्थानों का एक नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य कैंसर की रोकथाम, निदान एवं उपचार के लिये रोगियों की देखभाल के समान मानकों की स्थापना के साथ ऑन्कोलॉजी (Oncology) [कैंसर का अध्ययन] में विशेष प्रशिक्षण एवं शिक्षा तथा कैंसर में नैदानिक अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना है।
    - राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड (NCG) का गठन अगस्त 2012 में किया गया था।
- राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority- NPPA) ने कैंसर पीड़ित मरीज़ों के लिये स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक किफायती बनाने अर्थात् कैंसर-रोधी दवाओं की कीमतों को कम करने के लिये फरवरी 2019 में 42 एंटी कैंसर दवाओं के लिये व्यापार मार्जिन युक्तिकरण (Trade Margin Rationalisation) पर एक पायलट परियोजना लॉन्च की थी। इससे दवाओं की कीमतों में कमी आई है।

स्थानीय लोगों के लिये नौकरियों की बढ़ती प्रवृत्ति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा विधानसभा ने राज्य के 75% निजी क्षेत्र की नौकरियों को स्थानीय निवासियों के लिये आरक्षित करने हेतु हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोज़गार विधेयक, 2020 (Haryana State Employment of Local Candidates Bill, 2020) पारित किया है।

- इसने स्थानीय लोगों के लिये नौकरियों के बढ़ते चलन और इससे जुड़ी चिंताओं पर एक नई बहस छेड़ दी है।

प्रमुख बिंदु

- विधेयक के प्रावधान:
    - प्रत्येक नियोक्ता ऐसे पदों पर 75% स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त करेगा जिनका सकल मासिक वेतन या मज़दूरी 50,000 रुपए अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित वेतन से अधिक न हो।
    - स्थानीय उम्मीदवार राज्य के किसी भी ज़िले से हो सकते हैं, लेकिन नियोक्ता किसी भी ज़िले के स्थानीय उम्मीदवार के रोज़गार को स्थानीय उम्मीदवारों की कुल संख्या के 10% तक सीमित कर सकता है।
    - एक नामित पोर्टल (A Designated Portal) बनाया जाएगा, जिस पर स्थानीय उम्मीदवारों और नियोक्ता को पंजीकरण करना होगा तथा स्थानीय उम्मीदवार तब तक लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं होंगे जब तक कि वे नामित पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं करते।
- कानून बन जाने के बाद यह राज्य भर में स्थित कंपनियों, ट्रस्टों, सीमित देयता भागीदारी फर्मों, साझेदारी फर्मों आदि पर लागू होगा।
- उद्योगों के हित में न होने के कारण इसकी आलोचना की गई है क्योंकि इससे उद्योगों की प्रतिस्पर्द्धा प्रभावित होगी और हरियाणा में निवेश को नुकसान होगा।

स्थानीय लोगों के लिये नौकरियाँ

- स्थानीय लोगों के लिये नौकरी में आरक्षण:
    - देशीयतावाद (Nativism), भारत में स्थानीय लोगों की नौकरी की सुरक्षा का मुद्दा हाल ही में बढ़ा है।
    - विभिन्न राज्यों ने स्थानीय लोगों के आरक्षण (Job Reservation For Locals-JRFL) के लिये नौकरी में आरक्षण के संबंध में समान कदम उठाए हैं, जिसमें प्रस्तावित आरक्षण 30% से 70-80% अधिक है।
    - यह कदम सरकारी और/या निजी दोनों क्षेत्रों पर लागू है।

- हाल के प्रयास:
  - महाराष्ट्र (वर्ष 1968 और 2008), हिमाचल प्रदेश (वर्ष 2004), ओडिशा (वर्ष 2008), कर्नाटक (वर्ष 2014, 2016 और 2019), आंध्र प्रदेश (वर्ष 2019), , मध्य प्रदेश (वर्ष 2019) जैसे राज्यों में कई दलों (सत्तारूढ़ या विपक्षी नेताओं) द्वारा भी इस पर विचार किया गया है।
  - हालाँकि इनमें से किसी को भी लागू नहीं किया गया है और यह कार्यान्वयन तंत्र की कमी तथा उद्योगों, निकायों के अनिच्छुक दृष्टिकोण के कारण केवल कागज़ों तक ही सीमित रह गया है।
- भारत का संविधान अपने कई प्रावधानों के माध्यम से आवागमन की स्वतंत्रता और इसके परिणामस्वरूप भारत में रोज़गार की गारंटी देता है।
  - अनुच्छेद-14 भारत के प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्रदान करता है।
  - अनुच्छेद- 15 जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध है।
  - अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोज़गार में जन्म-आधारित भेदभाव नहीं होने की गारंटी देता है।
  - अनुच्छेद 19 यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं।
- ऐसे विधानों के पीछे का कारण:
  - वोट बैंक की राजनीति: अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों (Inter-State Migrant Workers) का वृहत स्तर पर एक ऐसा समूह होता है जो प्राय: अपने मतों का उपयोग नहीं करता। यदि इन श्रमिकों और संभावित प्रवासियों को JRFL के माध्यम से बनाए रखा जा सकता है तथा नौकरी प्रदान की जा सकती है जिससे चुनावी लाभों की पूर्ति होती है।
  - आर्थिक सुस्ती: स्थानीय बेरोज़गारी का मुद्दा प्रासंगिक है क्योंकि सरकारी रोज़गार कम होने से बेरोज़गारी बढ़ गई है।
  - बढ़ी हुई आय और प्रतिभा: JRFL न केवल प्रतिभा बल्कि आय को बनाए रखेगा जो अन्यथा 'अन्य क्षेत्रों' में जाएगा।
  - भूमि अधिग्रहण के लिये पूर्व शर्त: किसान और ग्रामीण जो कि उद्योगों के लिये भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में अपनी ज़मीन खो देते हैं, ऐसी पूर्व शर्त रखते हैं जिसमें उद्योगों को स्थानीय युवाओं को रोज़गार प्रदान करना होता है।
- प्रभाव:
  - ऐसे प्रतिबंधों वाले राज्य में उद्योगों के अवरोध के कारण रोज़गार सृजन कम हो गया। यह वास्तव में लाभान्वित करने की तुलना में मूल निवासियों को अधिक नुकसान पहुँचाएगा।
  - इस तरह के प्रतिबंध व्यापार को प्रभावित करके संबंधित राज्य और देश के विकास तथा उसकी संभावनाओं को बाधित कर सकते हैं।
  - श्रम गतिशीलता पर प्रतिबंध, विविध प्रकार के श्रम से होने वाले ऐसे लाभ की उपेक्षा करेगा जो भारतीय अर्थव्यवस्था की एक ज़रूरत है।
  - यह आक्रामक क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे सकता है और इस प्रकार भारत की एकता तथा अखंडता के लिये खतरा है।
  - श्रम की कमी के कारण जोखिम में वृद्धि, बेरोज़गारी में वृद्धि, बढ़ती मज़दूरी, मुद्रास्फीति और बढ़ती क्षेत्रीय असमानता आदि कुछ इसके अन्य संभावित प्रभाव हो सकते हैं।

आगे की राह

- JRLF का विचार एक देश के भीतर एक अलग देश बनाने या फिर किसी एक क्षेत्र विशिष्ट के भीतर एक अलग क्षेत्र बनाने जैसा है, जो कि पूर्णत: इस संदिग्ध अवधारणा पर आधारित है कि स्थानीय बाज़ार में कौशल की कोई कमी नहीं है।
- इससे बाहर बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका आर्थिक सुधार सुनिश्चित करना और कौशल प्रशिक्षण तथा फोकस किये गए क्षेत्रों में उचित शिक्षा के साथ युवाओं के लिये पर्याप्त रोज़गार के अवसर प्रदान करना है, ताकि जनता को मुक्त बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम बनाया जा सके।
- राज्यों को एक ऐसा ढाँचा बनाने की ज़रूरत है, जहाँ काम के लिये सुरक्षित अंतर्राज्यीय प्रवास की सुविधा हो और सामाजिक सुरक्षा लाभों की सुगम पहुँच को सक्षम करने के लिये राजकोषीय समन्वय किया जाए। यदि ऐसा किया जाता है तो अंतर्राज्यीय प्रवास बढ़ जाएगा और यह क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के अधिक अवसर प्रदान करेगा।

COVID-19 और टिनिटस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक नए शोध में पाया गया है कि COVID-19 और इस संक्रमण से लड़ने के लिये किये जा रहे उपायों द्वारा टिनिटस को खत्म किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- ब्रिटेन में एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी (Anglia Ruskin University) द्वारा ब्रिटिश टिनिटस एसोसिएशन और अमेरिकन टिनिटस एसोसिएशन (British Tinnitus Association and the American Tinnitus Association) के समर्थन से अनुसंधान का नेतृत्व किया गया था।
- शोध में 48 देशों के टिनिटस से ग्रसित 3,103 लोगों को शामिल किया गया, जिनमें से अधिकांश UK और USA से संबंधित थे।
- टिनिटस एक सामान्य स्थिति है जिससे कान और सिर में शोर या बजने की आवाज होती है।
- इस शोध में यह पाया गया कि COVID-19 के लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले 40% लोग एक साथ टिनिटस से प्रभावित हुए।
- यद्यपि अध्ययन में पहले से मौजूद टिनिटस वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, प्रतिभागियों की एक छोटी संख्या से यह भी ज्ञात हुआ कि उनकी स्थिति शुरू में COVID-19 लक्षणों के विकसित होने से शुरू हुई थी। इससे पता चलता है कि कुछ मामलों में टिनिटस COVID-19 का एक लक्षण हो सकता है।
- अध्ययन में यह भी पाया गया है कि लोगों का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि सामाजिक दूरी के उपायों से उनके टिनिटस को बदतर बनाया जा रहा है।
  - ब्रिटेन के 46% उत्तरदाताओं (Respondents) ने कहा कि जीवनशैली में बदलाव ने उत्तरी अमेरिका के 29% लोगों की तुलना में उनके टिनिटस को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
- BMJ Case Reports नामक रिपोर्ट में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में, शोधकर्त्ताओं ने वो संभावित तरीके बताए, जिनके माध्यम से COVID-19 श्रवण क्षमता को प्रभावित कर सकता है।
  - SARE-CoV-2 के साथ ACE-2 मानव संग्राहक (Receptor) की उपस्थिति।
    - Receptor को हाल ही में चूहों (MICE) के मध्य कान में Epithelial कोशिकाओं में व्यक्त किया गया था।
  - एक और तरीका जो श्रवण क्षमता को प्रभावित कर सकता है वह संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया के माध्यम से है। इस मामले में, प्रतिक्रियाएँ और संक्रमण के कारण साइटोकिन्स (Cytokines) में वृद्धि के मामले में सुनने की दक्षता में हानि हो सकती है, जिससे सूजन और कोशिका तनाव होता है।
    - साइटोकाइन्स तीव्र प्रतिरक्षा विज्ञानी (Inflammatory Immunological) प्रोटीन होते हैं जो संक्रमण से लड़ने और कैंसर को दूर करने के लिये होते हैं।
- इससे पहले, कान, नाक और गले (ENT) के विशेषज्ञों ने एनोस्मिया/Anosmia (गंध की अचानक हानि) और उम्र के साथ रोगियों की बढ़ती संख्या (स्वाद की भावना का नुकसान) जैसे लक्षणों की पहचान की थी। एनोस्मिया और अस्वाद (Ageusia) दोनों ही लोगों में COVID-19 के लक्षण हो सकते हैं जो अच्छी तरह से दिखाई देते हैं।

टिनिटस (Tinnitus)

- मरीज़ द्वारा कान में गुंजन या किसी अतिरिक्त ध्वनि के अनुभव करने को टिनिटस कहते हैं।
- टिनिटस एक या दोनों कानों को प्रभावित कर सकता है।
- टिनिटस के कारण प्रत्यक्ष रूप से श्रवण हानि नहीं होती लेकिन यह ध्यान देने व सुनने की क्षमताओं को निश्चित ही बाधित कर सकता है।
- टिनिटस होने के कई कारण हैं जैसे-कान का इन्फेक्शन, साइनस इनफेक्श, मैल जमा होने के कारण कानों का बंद होना, मैनीएरेज़ रोग (Meniere's disease), वृद्धावस्था, शोर भरी आवाजों के लगातार संपर्क में आना आदि।
- धुम्रपान छोड़ना, धीमे संगीत सुनना, अपने कानों को किसी चोट से बचाए रखना आदि टिनिटस से बचाव के उपाय हैं।

नोट :

जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय की एक तीन सदस्यीय पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय की एक समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करते हुए यह स्पष्ट किया कि पूर्व सांसदों और विधायकों के विरुद्ध विभिन्न आपराधिक मामलों की तेज़ी से सुनवाई करने हेतु विशेष अदालतों की स्थापना का उद्देश्य लोगों के हितों की रक्षा और न्यायप्रणाली के प्रति लोगों के विश्वास को मज़बूत करना है।

प्रमुख बिंदु:

- उच्चतम न्यायालय की पीठ द्वारा विशेष अदालतों की स्थापना के उद्देश्य से मद्रास उच्च न्यायालय की एक समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा था, जिसमें समिति ने विभिन्न मामलों में आरोपी नेताओं के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिये विशेष अदालतों की स्थापना पर अनिच्छा दिखाई थी।

पृष्ठभूमि:

- गौरतलब है कि वर्ष 2017 में उच्चतम न्यायालय ने देश में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिये देश के विभिन्न हिस्सों में विशेष अदालतों की स्थापना का आदेश दिया था।
- उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद देश के 11 राज्यों में 12 विशेष न्यायालयों को स्थापना की गई थी।
  - इसके तहत दिल्ली में 2, जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 1-1 विशेष न्यायालय की स्थापना की गई।
- सितंबर 2020 में उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्याय मित्र अथवा एमिकस क्यूरी (Amicus Curiae) वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि देश में विशेष अदालतों की स्थापना के प्रयासों के बावजूद वर्तमान में देश में लगभग 4,442 नेताओं के विरूद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें 2,556 ऐसे मामले हैं जो संसद सदस्य (सांसद) और विधानसभाओं (विधायकों) के सदस्यों पर हैं।
  - इस रिपोर्ट में उन्होंने नेताओं के विरुद्ध मामलों के अधिक समय तक लंबित रहने के निम्नलिखित कारण बताए हैं:

1. विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा मामलों पर लागू स्थगन।
2. मुकदमे चलाने के लिये विशेष न्यायालयों की अपर्याप्त संख्या।
3. अभियोजकों की कमी।
4. जाँच प्रक्रिया में देरी।

- इस रिपोर्ट के मिलने के बाद उच्चतम न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को संसद और विधानसभा सदस्यों (वर्तमान और पूर्व दोनों) के विरुद्ध लंबित मामलों की सूची तैयार करने का आदेश दिया।
- उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों की एक विशेष बेंच द्वारा ऐसे सभी मामलों की जाँच करने का आदेश दिया जिनमें नेताओं के मामलों की सुनवाई के खिलाफ स्थगन या स्टे प्रदान किया गया है, साथ ही विशेष बेंच द्वारा इस स्थगन को जारी रखने या रद्द करने के संदर्भ में दो माह के अंदर निर्णय लेने का भी आदेश दिया गया।
  - उच्चतम न्यायालय की पीठ ने स्पष्ट किया कि COVID-19 को मामलों की सुनवाई रोकने के एक कारण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिये क्योंकि सुनवाई की प्रक्रिया को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है।

समिति का तर्क:

- समिति ने संसद और विधानसभा सदस्यों के खिलाफ मामलों की सुनवाई हेतु विशेष अदालतों के गठन की संवैधानिक मान्यता पर प्रश्न उठाया।
- समिति के अनुसार, विशेष अदालतों की स्थापना केवल एक कानून के माध्यम से ही की जा सकती है, कार्यपालिका या न्यायपालिका के आदेश से नहीं।
- समिति ने कहा कि विशेष न्यायालयों की स्थापना अपराध केंद्रित/आधारित (Offence-Centric) होनी चाहिये अपराधी आधारित नहीं।

- उदाहरण के लिये यदि किसी संसद या विधानसभा सदस्य को पॉक्सो अधिनियम से जुड़े अपराध में पकड़ा जाता है तो ऐसे मामलों की सुनवाई केवल पॉक्सो के तहत स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है।
- इसके साथ ही समिति ने ऐसे विशेष न्यायालयों में पहुँचने के लिये गवाहों को होने वाली यातायात से संबंधित समस्याओं और मामलों को राजनीतिक दलों द्वारा प्रभावित करने जैसी समस्याओं को भी रेखांकित किया।

राजनीति का अपराधीकरण:

- भारत में राजनीति के अपराधीकरण के प्रमुख कारणों में पुलिस पर राजनीतिक नियंत्रण, भ्रष्टाचार, कमज़ोर कानून, नैतिकता की कमी, वोट बैंक की राजनीति और चुनाव आयोग के कार्य में व्याप्त कमियाँ आदि शामिल हैं।
- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (Association of Democratic Reforms) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में लोकसभा के लिये निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या में से लगभग आधे के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे जो वर्ष 2014 के निर्वाचित सदस्यों की तुलना में 26% अधिक हैं।

कानूनी प्रावधान:

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत दोषी नेताओं (कुछ अपराधों के लिये) को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया है। हालाँकि मुकदमे का सामना करने वाले (चाहे कितने भी गंभीर आरोप क्यों न हों) नेता चुनाव लड़ने के लिये स्वतंत्र हैं।

संबंधित पूर्व मामले:

- फरवरी 2020 में उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को विधानसभा और लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र अपने उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने का आदेश दिया, साथ ही उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को सभ्य लोगों के स्थान पर ऐसे संदिग्ध अपराधियों को चुने जाने के कारणों को स्पष्ट करने के लिये भी कहा।

निर्वाचन आयोग का मत:

- निर्वाचन आयोग ने आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की याचिका का समर्थन किया था।
- निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव दिया गया था जो किसी ऐसे अपराध के आरोपी हैं जिसमें कम-से-कम पाँच साल के लिये कैद की सज़ा हो सकती है और उन पर किसी अदालत द्वारा आरोप भी तय किये जा चुके हों। हालाँकि कई राजनीतिक दलों द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध किया गया।
  - राजनीतिक दलों के अनुसार, सत्ताधारी दल द्वारा अपने विरोधियों को दबाने के लिये इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जा सकता है, साथ ही भारतीय कानून व्यवस्था में अपराध सिद्ध न होने तक सभी को निर्दोष माना जाता है, ऐसे में इस प्रावधान से नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।

आगे की राह:

- देश की राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की सक्रियता को नियंत्रित करने के लिये विशेष अदालतों की स्थापना करना एक सकारात्मक पहल होगी।
- इसके साथ ही ऐसे मामलों के संदर्भ में निर्वाचन आयोग की शक्तियों में वृद्धि के साथ, जन प्रतिनिधियों के उत्तरदायित्व के निर्धारण हेतु आवश्यक विधायी सुधार किये जाने चाहिये।

राष्ट्रीय कृषि शिक्षा नीति

चर्चा में क्यों?

पहली राष्ट्रीय कृषि शिक्षा नीति फसल विज्ञान, मत्स्य पालन, पशु चिकित्सा और डेयरी प्रशिक्षण और अनुसंधान पर केंद्रित 74 विश्वविद्यालयों के लिये कई प्रवेश और निकास विकल्पों के साथ शैक्षणिक ऋण बैंकों और डिग्री कार्यक्रमों को प्रभाव में ला रही है।

मुख्य बिंदु:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy-NEP), 2020 के जारी होने के बाद, राष्ट्रीय कृषि शिक्षा नीति तैयार करने की प्रक्रिया लगभग दो महीने पहले शुरू की गई थी।
- इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने कृषि शिक्षा को माध्यमिक विद्यालय स्तर तक ले जाने के लिये कहा था, NEP, 2020 में इस संबंध में आवश्यक सुधार किये गए हैं।

कृषि शिक्षा नीति को NEP, 2020 के साथ जोड़ा जाना है:

- शैक्षणिक क्रेडिट बैंक (Academic Credit Banks):
    - यह बैंक बहु प्रवेश और बहु निकास के सिद्धांत पर कार्य करेगा। इसके साथ ही यह विद्यार्थी को कभी भी, कहीं भी और किसी भी स्तर पर पढ़ाई की स्वतंत्रता देगा।
    - यह बैंक राष्ट्रीय शैक्षणिक संग्रह स्थान (National Academic Depository) के साथ मिलकर कार्य करेगा।
    - यहाँ पर विद्यार्थी अपने क्रेडिट को जमा और ज़रूरत पड़ने पर उनको हस्तांतरित या भुना भी सकेंगे।
    - NAC बैंक में खाता खुलवाना अनिवार्य नहीं होगा। यह पूरी तरह से विद्यार्थी के ऊपर निर्भर है कि वह खाता खुलवाए या नहीं।
- प्रयोगात्मक शिक्षा (Experiential Education):
    - भारत में, कृषि शिक्षा अपने समय से पहले ही आगे है जिसे पहले से ही NEP में समाहित किया गया है। NEP में प्रायोगिक शिक्षा का उल्लेख है जबकि कृषि शिक्षा में वर्ष 2016 से ही यह अनिवार्य है।
        - प्रायोगिक शिक्षा, एक शिक्षण दर्शन है जो बहुआयामी कार्यप्रणाली को सूचित करता है जिसमें शिक्षक ज्ञान को बढ़ाने, कौशल विकसित करने, मूल्यों को स्पष्ट करने और अपने समुदायों में योगदान करने की लोगों की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य शामिल हैं।
        - ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता विकास योजना (Rural Entrepreneurship Awareness Development Yojana- READY) कार्यक्रम में सभी छात्रों को छह महीने की इंटर्नशिप करने की आवश्यकता होती है, जो आमतौर पर अपने चौथे वर्ष में प्रशिक्षण, ग्रामीण जागरूकता, उद्योग के अनुभव, अनुसंधान विशेषज्ञता और उद्यमिता कौशल हासिल करने के लिये की जाती है।
    - एक बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि अगर हम बहु प्रवेश-निकास प्रणाली को लागू करते हैं तो प्रायोगिक ज्ञान सभी छात्रों के लिये कैसे सुनिश्चित करेंगे।
        - प्रवेश और निकास का विकल्प छात्रों को डिप्लोमा अर्जित करने का अवसर प्रदान करता है, जिस समय उन्हें अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने और एक पूर्ण कॉलेज की डिग्री अर्जित करने में सक्षम होने का विकल्प दिया जाता है।

मुद्दे:

- बहुविषयकता की चुनौती (Challenge of Multidisciplinarity):
    - कृषि विश्वविद्यालयों को भूमि अनुदान पैटर्न पर तैयार किया गया है, जिसमें अनुसंधान और विस्तार तथा गहरे सामुदायिक संपर्क पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो इस दर्शन से प्रेरित है कि किसानों को उनकी समस्याओं के समग्र समाधान की आवश्यकता है।
    - हालाँकि, हाल के वर्षों में, बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान और मत्स्य विज्ञान में कई क्षेत्र के विशिष्ट विश्वविद्यालय (Domain Specific Universities) सामने आए हैं। इन हालत में मानविकी और सामाजिक विज्ञान को शामिल करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबंध:
    - कृषि शिक्षा राज्य सूची का विषय है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय) देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता के लिये ज़िम्मेदार है और उम्मीद करता है कि NEP द्वारा प्रस्तावित उच्च शिक्षा विनियमन (Higher Education Regulation) की नई प्रणाली के तहत एक मानक-व्यवस्था (Standards-Setting) जारी रहने की उम्मीद है।

विदेशी अंशदान से संबंधित नियमों में परिवर्तन

चर्चा में क्यों?

गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान से संबंधित नियमों को और कठोर बनाने के उद्देश्य से विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत नए नियम अधिसूचित किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- नए नियम
  - गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए नियमों के अनुसार, किसी भी संगठन के लिये विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के तहत स्वयं को पंजीकृत कराने हेतु कम-से-कम तीन वर्ष के लिये अस्तित्त्व में होना आवश्यक है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि उस संगठन ने समाज के लाभ के लिये गत तीन वर्षों के दौरान अपनी मुख्य गतिविधियों पर न्यूनतम 15 लाख रुपए खर्च किये हों।
    - हालाँकि असाधारण मामलों में केंद्र सरकार को किसी संगठन को इन शर्तों से छूट देने का अधिकार है।
  - विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के तहत पंजीकरण कराने वाले संगठनों के पदाधिकारियों को विदेशी योगदान की राशि और जिस उद्देश्य हेतु वह राशि दी गई है, के लिये दानकर्त्ता से एक विशिष्ट प्रतिबद्धता पत्र जमा कराना होगा।
  - यदि भारतीय प्राप्तकर्त्ता संगठन और विदेशी दानकर्त्ता संगठन में कार्यरत लोग एक ही हैं तो भारतीय संस्था को अंशदान प्राप्त करने के लिये पूर्व अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब-
    - प्राप्तकर्त्ता संगठन का मुख्य अधिकारी दानकर्त्ता संगठन का हिस्सा नहीं है।
    - प्राप्तकर्त्ता संगठन के पदाधिकारी अथवा शासी निकाय के सदस्यों में से 75 प्रतिशत लोग विदेशी दाता संगठन के सदस्य या कर्मचारी नहीं हैं।
  - यदि विदेशी दानकर्त्ता एकल व्यक्ति है तो यह आवश्यक है कि-
    - वह व्यक्ति प्राप्तकर्त्ता संगठन का पदाधिकारी न हो।
    - प्राप्तकर्त्ता संगठन के पदाधिकारी अथवा शासी निकाय के सदस्यों में से 75 प्रतिशत लोग विदेशी दानकर्त्ता के रिश्तेदार न हों।
  - विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के तहत पंजीकरण के लिये आवेदन शुल्क 3,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है।
  - इसके अलावा संशोधन के माध्यम से FCRA नियम, 2011 में एक नया खंड शामिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नियम के खंड V और VI में उल्लिखित समूह यदि किसी भी तरह से सक्रिय राजनीति में भाग लेते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक समूह माना जाएगा।
    - राजनीतिक संगठनों अथवा 'सक्रिय राजनीति' में हिस्सा लेने वाले संगठनों पर विदेशी अंशदान प्राप्त करने से रोक लगाई गई है।

ध्यातव्य है कि FCRA नियम, 2011 के नियम 3 के खंड V और खंड VI किसानों, श्रमिकों, छात्रों, युवाओं तथा जाति, समुदाय, धर्म अथवा भाषा के आधार पर बनने वाले ऐसे संगठनों से संबंधित है, जो प्रत्यक्ष तौर पर किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, किंतु वे अपनी गतिविधियों के माध्यम से अपने हितों को बढ़ावा दे रहे हैं और साथ ही ऐसे समूह भी जो अपने हित के लिये राजनीतिक गतिविधियों जैसे कि बंद, हड़ताल और रास्ता रोको आदि में संलग्न होते हैं।

प्रभाव

- सरकार के इस निर्णय से गैर-सरकारी संगठनों के लिये विदेशों से अंशदान प्राप्त करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।
- ध्यातव्य है कि इससे पूर्व सितंबर माह में जब संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया था, तब न्यायविदों के अंतर्राष्ट्रीय आयोग (ICJ) समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने सरकार के इस कदम की आलोचना की थी।
- कई आलोचक मानते हैं कि सरकार द्वारा इन संशोधनों का उपयोग ऐसे संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये किया जा रहा है, जो सरकार के विरुद्ध बोल रहे हैं।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 में संशोधन

- संशोधन के माध्यम से गैर-सरकारी संगठन (NGOs) या विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले लोगों और संगठनों के सभी पदाधिकारियों, निदेशकों एवं अन्य प्रमुख अधिकारियों के लिये आधार (Aadhaar) को एक अनिवार्य पहचान दस्तावेज़ बना दिया गया था।
- संशोधन के बाद अब कोई भी व्यक्ति, संगठन या रजिस्टर्ड कंपनी विदेशी अंशदान प्राप्त करने के पश्चात् किसी अन्य संगठन को उस विदेशी योगदान का ट्रांसफर नहीं कर सकती है।
- विदेशी अंशदान केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), नई दिल्ली की उस शाखा में ही प्राप्त किया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी।
- अब कोई भी गैर-सरकारी संगठन (NGO) विदेशी अंशदान की 20 प्रतिशत से अधिक राशि का इस्तेमाल प्रशासनिक खर्च पर नहीं कर सकता है।
- ध्यातव्य है कि सरकार द्वारा किये गए इन संशोधनों की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना की गई थी।

पृष्ठभूमि

- विदेशी अंशदान को नियंत्रित करने के उद्देश्य से विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम को सर्वप्रथम वर्ष 1976 में अधिनियमित किया गया, जिसके बाद वर्ष 2010 में विदेशी अंशदान को नियंत्रित करने से संबंधित नए उपाय अपनाए गए और विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम को संशोधित किया गया।
  - इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अंशदान के कारण भारत की आंतरिक सुरक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- यह अधिनियम उन सभी संघों, समूहों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) पर लागू होता है जो किसी भी उद्देश्य के लिये विदेशों से अनुदान प्राप्त करते हैं।
- इस अधिनियम के तहत विधायिका और राजनीतिक दलों के सदस्य, सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश तथा मीडियाकर्मी आदि को किसी भी प्रकार के विदेशी अंशदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है।

आर्थिक घटनाक्रम

जीएसटी संग्रहण में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों?

वित्त मंत्रालय के आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, अक्तूबर 2020 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रहण 1.05 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है, जो कि फरवरी 2020 के बाद इस वर्ष सबसे अधिक कर राजस्व है।

प्रमुख बिंदु

- अक्तूबर 2020 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के रूप में एकत्र किया गया कुल कर राजस्व अक्तूबर 2019 में एकत्र किये गए कुल राजस्व से 10 प्रतिशत अधिक है।
- केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अक्तूबर माह में अर्जित कुल राजस्व क्रमश: 44,285 करोड़ रुपए और 44,839 करोड़ रुपए है।
- राज्यों में आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने इस वर्ष अक्तूबर माह में बीते वर्ष इसी अवधि की तुलना में जीएसटी संग्रह में सबसे अधिक 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जिसके बाद झारखंड (23 प्रतिशत) और राजस्थान (22 प्रतिशत) का स्थान है।
- जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी का पैटर्न औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों में काफी मिश्रित रूप में देखने को मिला और जहाँ गुजरात तथा तमिलनाडु में क्रमश: 15 प्रतिशत और 13 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं महाराष्ट्र में यह बढ़ोतरी केवल 5 प्रतिशत रही।
- अक्तूबर 2019 की तुलना में अक्तूबर 2020 में राजधानी दिल्ली में जीएसटी संग्रह में 8 प्रतिशत की कमी देखने को मिली है।

कारण

- कई अर्थशास्त्रियों ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह के इस मौजूदा पैटर्न की स्थिरता को लेकर चिंता ज़ाहिर की है, क्योंकि उनका मानना है कि राजस्व में हो रही बढ़ोतरी का मुख्य कारण त्योहार का सीज़न है और उन्होंने इस बात को लेकर आशंका जताई है कि जब यह सीज़न समाप्त होगा तो राजस्व कर संग्रह के मामले में पहले जैसी स्थिति में आ सकती है।

निहितार्थ

- सरकार द्वारा मौजूदा वित्तीय वर्ष (वर्ष 2020-21) में पहली बार वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह का आँकड़ों का 1 लाख रुपए के पार जाने को अर्थव्यवस्था में सुधार के एक संकेत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि इससे पूर्व पहली तिमाही (अप्रैल से जून) में भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में रिकॉर्ड 23.9 प्रतिशत का संकुचन दर्ज किया गया था।
- यदि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कर संग्रहण में वृद्धि इसी प्रकार जारी रहती है तो राज्यों के लिये वस्तु एवं सेवा कर (GST) मुआवज़े में अपेक्षित कमी 2.35 लाख करोड़ रुपए के मौजूदा अनुमान से कम हो सकती है।

जीएसटी (GST) उपकर संग्रह

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) अपनाने के लिये राज्यों को क्षतिपूर्ति दिये जाने हेतु प्रयोग होने वाला जीएसटी (GST) उपकर संग्रह 8,011 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है, जिसमें माल के आयात पर एकत्रित किये गए 932 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।
- यह बीते वर्ष अक्तूबर माह की तुलना में 5 प्रतिशत और बीते माह की तुलना में 12.5 प्रतिशत अधिक है।

क्षतिपूर्ति उपकर

नियम के अनुसार, वर्ष 2022 यानी GST कार्यान्वयन शुरू होने के बाद पहले पाँच वर्षों तक GST कर संग्रह में 14 प्रतिशत से कम वृद्धि (आधार वर्ष 2015-16) दर्शाने वाले राज्यों के लिये क्षतिपूर्ति की गारंटी दी गई है। केंद्र द्वारा राज्यों को प्रत्येक दो महीने में क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है।

- क्षतिपूर्ति उपकर एक ऐसा उपकर है जिसे 1 जुलाई, 2022 तक चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं पर संग्रहीत किया जाएगा, ताकि राज्यों को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा सके।
- संग्रहण के बाद केंद्र सरकार इसे राज्यों को वितरित कर देती है।

नोट :

आगे की राह

- सरकार द्वारा जीएसटी संग्रहण से संबंधित इन आँकड़ों को आर्थिक सुधार के एक संकेतक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, हालाँकि कई जानकार यह मान रहे हैं कि इस संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पूर्व सरकार को आगामी महीनों के आँकड़ों का भी इंतज़ार कर लेना चाहिये।

रुपए का अवमूल्यन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का एक्सचेंज रेट गिरकर 74 के स्तर पर पहुँच गया।

प्रमुख बिंदु:

- अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 16 पैसे की गिरावट के साथ एक महीने के सबसे निचले स्तर (73.87) पर पहुँच गया है।
- इस अवमूल्यन का प्रमुख कारण निवेशकों द्वारा अमेरिकी डॉलर में निवेश को प्राथमिकता देना है।
    - जोखिम से बचने के लिये निवेशक अज्ञात जोखिमों के साथ उच्च रिटर्न की जगह ज्ञात जोखिमों के साथ कम रिटर्न को पसंद करता है।
- COVID-19 मामलों में वृद्धि के कारण अधिकांश देशों ने लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है, जिससे अमेरिकी डॉलर न केवल रुपए के मुकाबले बल्कि अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले भी मज़बूत हुआ है।
- यूरोप में बढ़ रहे COVID-19 मामलों ने बाज़ारों में इन आशंकाओं को जन्म दिया है कि लॉकडाउन पहले से ही कमज़ोर आर्थिक सुधार को और प्रभावित करेगा।

मुद्रा का अभिमूल्यन और अवमूल्यन (Appreciation and Depreciation of Currency)

- लचीली विनिमय दर प्रणाली (Floating Exchange Rate System) में बाज़ार की ताकतें (मुद्रा की मांग और आपूर्ति) मुद्रा का मूल्य निर्धारित करती हैं।
- मुद्रा अभिमूल्यन : यह किसी अन्य मुद्रा की तुलना में एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि है।
    - सरकार की नीति, ब्याज दरों, व्यापार संतुलन और व्यापार चक्र सहित कई कारणों से मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है।
    - मुद्रा अभिमूल्यन किसी देश की निर्यात गतिविधि को हतोत्साहित करता है क्योंकि विदेशों से वस्तुएँ खरीदना सस्ता हो जाता है, जबकि विदेशी व्यापारियों द्वारा देश की वस्तुएँ खरीदना महँगा हो जाता है।
- मुद्रा अवमूल्यन: यह एक लचीली विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा के मूल्य में गिरावट है।
    - आर्थिक बुनियादी संरचना, राजनीतिक अस्थिरता, या जोखिम से बचने के कारण मुद्रा अवमूल्यन हो सकता है।
    - मुद्रा अवमूल्यन किसी देश की निर्यात गतिविधि को प्रोत्साहित करता है क्योंकि विदेशों से वस्तुएँ खरीदना महँगा हो जाता है, जबकि विदेशी व्यापारियों द्वारा संबंधित देश की वस्तुएँ खरीदना सस्ता हो जाता है।

भीम-UPI के माध्यम से डिजिटल लेन-देन में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली (National Payment Corporation of India- NPCI) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, भीम-UPI के माध्यम से किया गया लेन-देन अक्तूबर महीने में 2 बिलियन के आँकड़े को पार कर गया जो कुल 3.8 ट्रिलियन रुपए का था जो कि सितंबर 2020 में 3.2 ट्रिलियन रुपए का था।

प्रमुख बिंदु:

- अक्तूबर 2020 तक 189 बैंक NPCI द्वारा विकसित UPI प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे थे, जबकि अक्तूबर 2019 में 141 बैंक NPCI द्वारा विकसित UPI प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे थे।

- पिछले आठ महीनों में UPI प्लेटफॉर्म में तीव्र वृद्धि हुई है क्योंकि नकदी के सीमित उपयोग ने उपयोगकर्त्ताओं और व्यवसायों को तेज़ी से ऑनलाइन भुगतान की ओर स्थानांतरित होने के लिये बाध्य किया है।
- मई 2020 में पूर्ण लॉकडाउन के दौरान UPI के माध्यम से किये गए लेन-देन की संख्या 1234.5 मिलियन थी, जबकि जून 2020 और जुलाई 2020 में जब लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी गई तब लेन-देन की संख्या क्रमशः 1336.9 मिलियन और 1497.3 मिलियन थी।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली (National Payment Corporation of India- NPCI):

- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली (NPCI) देश में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिये एक समग्र संगठन है।
- इसे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (The Payment and Settlement Systems Act, 2007) के प्रावधानों के तहत एक मज़बूत भुगतान और निपटान अवसंरचना के विकास हेतु स्थापित किया गया है।
- इसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के प्रावधानों के तहत 'गैर-लाभकारी संगठन' के रूप में शामिल किया गया है।
- NPCI की कुछ प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:
- एकीकृत भुगतान प्रणाली (United Payments Interface-UPI): यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कई बैंक खातों का संचालन, विभिन्न बैंकों की विशेषताओं का समायोजन, निधियों का निर्बाध आवागमन एवं व्यापारिक भुगतान किया जा सकता है।
    - भीम एप (BHIM App): इसके ज़रिये लोग डिजिटल तरीके से पैसे भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। यह UPI आधारित भुगतान प्रणाली पर कार्य करता है।
        - अन्य मोबाइल एप से इतर 'भीम' एप में भुगतान करने वाले व्यक्ति के मित्र, रिश्तेदार या किसी व्यापारी- जिसे भुगतान किया जाना है, को भुगतान प्राप्त करने के लिये भीम एप्लीकेशन पर होना अनिवार्य नहीं है। इसके माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिये उन्हें सिर्फ एक बैंक खाते की ज़रूरत होगी। साथ ही आवश्यकता होने पर यह एप बिना इंटरनेट के भी काम करने में सक्षम है।
- भीम एप (BHIM App) की विशेषता:
- तत्काल भुगतान सेवा (Immediate Payment Service-IMPS): IMPS का इस्तेमाल 24*7 किया जा सकता है। यह सेवा ग्राहकों को बैंकों और RBI द्वारा अधिकृत प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) जारीकर्त्ताओं के माध्यम से तुरंत पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा देती है।
- भारत बिल भुगतान प्रणाली (Bharat Bill Payment System-BBPS): BBPS भारतीय रिज़र्व बैंक की एक अवधारणात्मक प्रणाली है, जिसका संचालन NPCI द्वारा किया जाता है। यह प्रणाली सभी प्रकार के बिलों के लिये एक अंतिम भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार यह देश भर के ग्राहकों को भुगतान अंतरण, विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ-साथ एक बेहतर एवं सुलभ बिल भुगतान सेवा उपलब्ध कराती है।
- चेक ट्रंकेशन सिस्टम (Cheque Truncation System-CTS): CTS या ऑनलाइन इमेज-आधारित चेक क्लियरिंग सिस्टम, चेकों के तेज़ी से क्लियरिंग के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा शुरू किया गया एक चेक क्लियरिंग सिस्टम है। यह चेक के प्रत्यक्ष संचालन से संबद्ध लागत को समाप्त करता है।
- नेशनल फाइनेंशियल स्विच (National Financial Switch-NFS)- NFS बैंकों के ATMs के इंटर-कनेक्टेड नेटवर्क द्वारा नागरिकों को किसी भी बैंक के ATM के माध्यम से लेन-देन की सुविधा उपलब्ध कराता है।

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) को 30 नवंबर तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है, क्योंकि इस योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को अब तक पूरा नहीं किया जा सका है।

प्रमुख बिंदु

- वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) को 30 नवंबर, 2020 तक या इस योजना के तहत तीन लाख करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत होने के समय तक (इनमें जो भी पहले हो) बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

कारण

- केंद्र सरकार द्वारा किये गए इस विस्तार का प्राथमिक उद्देश्य योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना है। इसके अलावा त्योहार के मौजूदा सीज़न के दौरान मांग में बढ़ोतरी के मद्देनज़र भी इस प्रकार का निर्णय लिया गया है।

लाभ

- इस विस्तार के कारण ऋण लेने वाले ऐसे लोगों को भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने का एक अन्य अवसर उपलब्ध होगा जो अब तक इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सके हैं।

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS)

- पृष्ठभूमि: आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मई 2020 में कोरोना वायरस महामारी तथा देशव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्पन्न संकट को कम करने के लिये विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को क्रेडिट प्रदान करने हेतु आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया था, जो कि देशव्यापी लॉकडाउन के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुए थे।
- उद्देश्य: वित्त मंत्री द्वारा घोषित इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), व्यावसायिक उद्यमों, तथा मुद्रा योजना (MUDRA Yojana) के उधारकर्त्ताओं को पूरी तरह से गारंटी एवं संपार्श्विक (Collateral) मुक्त अतिरिक्त ऋण प्रदान करना है।
  - इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि 29 फरवरी, 2020 तक उनकी कुल बकाया राशि की 20 फीसदी होगी।
  - इस योजना के तहत 100 प्रतिशत संपार्श्विक (Collateral) मुक्त ऋण की गारंटी राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा प्रदान की जा रही है, जबकि बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs) योजना के तहत ऋण प्रदान करती हैं।
- योग्यता: इस योजना के तहत वे उधारकर्त्ता ऋण प्राप्त करने के लिये पात्र होंगे जिनकी-
  - बकाया राशि 29 फरवरी, 2020 तक 50 करोड़ रुपए तक है।
  - वार्षिक कारोबार 250 करोड़ रुपए तक है।
- अवधि: योजना के तहत प्रदत्त ऋण की अवधि चार वर्ष है, जिसमें मूलधन को चुकाने के लिये एक वर्ष की स्थगन अवधि दी गई है।
- ब्याज दर: इस योजना के तहत बैंकों द्वारा जारी किये गए ऋण पर 9.25% ब्याज और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies- NBFCs) द्वारा जारी ऋण पर 14% ब्याज लागू होगा।
- मौजूदा स्थिति: इस योजना के तहत अभी तक 60.67 लाख लोगों के लिये 2.03 लाख करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 1.48 लाख करोड़ रुपए की राशि वितरित कर दी गई है।

राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC)

- राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 28 मार्च, 2014 को 10 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी के साथ भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में की गई थी।
- इस कंपनी के गठन का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न क्रेडिट गारंटी फंडों के लिये एक सामान्य ट्रस्टी कंपनी के रूप में कार्य करना है।
  - ऋण गारंटी कार्यक्रम उधारदाताओं के उधार जोखिम को साझा करने के लिये डिज़ाइन किये जाते हैं और इसके बदले संभावित उधारकर्त्ताओं को वित्त तक पहुँच की सुविधा प्रदान की जाती है।

औद्योगिक विनिर्माण में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों?

आईएचएस मार्किट इंडिया (IHS Markit India) द्वारा जारी मासिक सर्वेक्षण के अनुसार, अक्तूबर 2020 में विनिर्माण क्षेत्र के 'क्रय प्रबंधक सूचकांक' (Purchasing Manager's Index- PMI) में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

प्रमुख बिंदु

- सूचकांक के मुताबिक, भारत में विनिर्माण उत्पादन गत 13 वर्षों के अपने सबसे उच्च स्तर पर पहुँच गया है और इसमें नाटकीय रूप से सुधार देखा गया है।
- भारत ने औद्योगिक उत्पादन में वर्ष 2007 के बाद से अब तक सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ोतरी दर्ज की है, जबकि बिक्री में वर्ष 2008 के बाद से सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है।
- ध्यातव्य है कि लगातार 32 महीने तक विस्तार के पश्चात् अप्रैल माह में सूचकांक में संकुचन की स्थिति शुरू हो गई थी, इसके बाद मई माह में यह सूचकांक 30.8 अंक पर पहुँच गया। हालाँकि बीते तीन महीनों में सूचकांक पुनः विस्तार की स्थिति में आ गया है।
    - क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) में 50 से अधिक अंक विस्तार का संकेत देते हैं, जबकि 50 से कम अंक संकुचन का संकेत देते हैं।

कारण

- कोरोना वायरस संबंधी प्रतिबंधों में निरंतर छूट, बेहतर बाज़ार स्थिति और मांग में बढ़ोतरी से निर्माताओं को अक्तूबर माह में नया काम प्राप्त करने में मदद मिली है, जिससे उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है।
- कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तेज़ी के संकेत मुख्य तौर पर त्योहार के सीज़न के कारण दिखाई दे रहे हैं, जिसका अर्थ है कि यह बढ़ोतरी अस्थायी भी हो सकती है।

निहितार्थ

- अक्तूबर माह के क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) संबंधी आँकड़े इस ओर इशारा करते हैं कि भारत के औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन मौजूदा वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीनों में कोरोना वायरस महामारी के कारण दर्ज किये गए संकुचन के प्रभाव से उभर रहा है।
- यह तथ्य इस धारणा को प्रबल करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था महामारी के प्रभाव से पहले की तुलना में और अधिक तेज़ी से उभर सकती है।

चिंताएँ

- जहाँ एक ओर औद्योगिक क्षेत्रों के उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर रोज़गार के क्षेत्र में अभी भी कोई सुधार देखने को नहीं मिला है।

क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI)

- क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) विनिर्माण और सेवा क्षेत्र से संबंधित व्यावसायिक गतिविधि का एक प्रमुख संकेतक है। इसे सामान्यतः प्रत्येक माह की शुरुआत में पिछले माह के लिये जारी किया जाता है, इसलिये इसे देश की आर्थिक गतिविधियों का एक प्रमुख संकेतक माना जाता है।
    - इस सूचकांक का निर्धारण एक सर्वेक्षण आधारित प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।
- इसकी गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिये अलग-अलग की जाती है, जिसके बाद एक समग्र सूचकांक का निर्माण किया जाता है।
- क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) में 0 से 100 तक अंक होते हैं और 50 से ऊपर के अंक व्यावसायिक गतिविधि में विस्तार या विकास को प्रदर्शित करते हैं, जबकि 50 से नीचे के अंक संकुचन (गिरावट) को दर्शाते हैं।

क्रय प्रबंधक सूचकांक का महत्त्व

- विभिन्न अर्थशास्त्री क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) द्वारा मापी गई विनिर्माण वृद्धि को औद्योगिक उत्पादन का एक अच्छा संकेतक मानते हैं, जिसके लिये आधिकारिक आँकड़े बाद में सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं।
- कई देशों के केंद्रीय बैंक भी अपनी ब्याज दरों के निर्धारण और नीति निर्माण से संबंधित निर्णय लेने के लिये इस सूचकांक का प्रयोग करते हैं।

'प्लेटफॉर्म वर्क'

चर्चा में क्यों?

भारतीय कानून में पहली बार सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2020 में प्लेटफॉर्म वर्क (Platform Work) को पारंपरिक रोजगार श्रेणी से पृथक परिभाषित करने का प्रयास किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- पृष्ठभूमि:
  - श्रम को संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। देश के पुराने श्रम कानूनों को सरलीकृत करने एवं श्रमिकों के हितों के साथ समझौता किये बिना आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिये हाल ही में, संसद द्वारा औद्योगिक संबंधों पर व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य करने की स्थिति के संदर्भ में तीन श्रम संहिताओं/कोड को पारित किया गया।
  - ये श्रम कोड भारत में श्रम संबंधों पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव डाल सकते हैं। कोड ऑन वेजेस एक्ट- 2019 (Code on Wages Act- 2019) के साथ श्रम पर ये संहिता केंद्रीय और राज्य कानूनों को एकसाथ कर व्यवसाय के संचालन को आसान बना सकती हैं।
- प्लेटफॉर्म वर्क:
  - प्लेटफॉर्म वर्क के माध्यम से एक ऐसी कार्य व्यवस्था को इंगित किया जाता है जसमें कर्मचारी-नियोक्ता के पारंपरिक संबंध (Traditional Employer-Employee Relationship) से हटकर संगठन या व्यक्ति विशिष्ट की समस्याओं को हल करने या विशिष्ट सेवाओं या किसी अन्य ऐसी गतिविधियों को संपन्न करने के लिये अन्य संगठनों या व्यक्तियों का उपयोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है जिन्हें भुगतान के बदले, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
- प्लेटफॉर्म वर्क का महत्व:
  - प्लेटफॉर्म वर्क श्रमिकों को सुगमता से कार्य की पहुँच तक स्वामित्व प्रदान करता है।
  - महामारी के दौरान आवश्यक सेवाओं के वितरण में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
  - यह एक रोज़गार गहन क्षेत्र है।
  - शहरीकरण की तेज़ गति के कारण विकास के लिये यह एक संभावित क्षेत्र है।
- वैश्विक प्रयास:

  प्लेटफॉर्म श्रमिकों के अधिकारों के लिये चल रही वैश्विक बातचीत प्लेटफॉर्म श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार के आसपास ही केंद्रित रही है।
  - ओंटारियो और कैलिफोर्निया के श्रम कानूनों में किये गए संशोधन और अन्य नए संशोधन प्लेटफार्म वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है, जिनमें श्रमिकों को न्यूनतम मज़दूरी और कल्याणकारी लाभों की गारंटी देने का प्रयास किया गया है।

इस क्षेत्र से संबंधित मुद्दे:

- प्लेटफॉर्म वर्क को लेकर रोज़गार की स्थिति के संदर्भ में असंवेदनशीलता इस कारण से देखी जाती है क्योंकि जब प्लेटफॉर्म वर्क, श्रमिकों को कार्य की डिलीवरी के लिये लचीलापन और स्वामित्व प्रदान करता है, तब भी इन कार्यों को नियंत्रित वायर्ड (Control Wired) तंत्र द्वारा बड़े पैमाने पर नियंत्रित किया जाता है।
  - यह कार्य का प्रति इकाई मूल्य निर्धारण, कार्य आवंटन एवं कार्य के घंटों को प्रभावित करता है।

नोट :

- इसके अलावा, राइड शेयरिंग और फूड डिलीवरी जैसे ऑन-डिमांड प्लेटफॉर्म कार्य वाहनों की मौजूदा पहुँच पर निर्भर करते हैं।

- प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने के लिये श्रमिक गहन ऋण योजनाओं (Intensive Loan Schemes) पर निर्भर होते हैं, जिन्हें अक्सर प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर कंपनियों (Platform Aggregator Companies) द्वारा यह सुविधा प्रदान की जाती है।
  - इसके परिणामस्वरूप वित्तीय दायित्वों से संचालित प्लेटफॉर्म कंपनियों पर निर्भरता कम होती जाती है, जिससे मध्यम-अवधि के निवेश चक्र में लचीलेपन और स्वामित्व में कमी देखने को मिलती है।
- हालाँकि इसके विपरीत यह भी देखने को मिलता है कि पूंजी तक बुनियादी पहुँच वाले श्रमिकों की विशिष्ट श्रेणियों के लिये, मंच का लचीलापन एक महत्त्वपूर्ण आकर्षण/बिंदु के रूप में कार्य करता है।
- संहिता में केंद्र सरकार, प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स और श्रमिकों की संयुक्त ज़िम्मेदारी के रूप में बुनियादी कल्याण उपायों का प्रावधान किया गया है।
  - हालाँकि संहिता में इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया कि कल्याण के किस हिस्से/भाग को वितरित करने के लिये कौन-सा हितधारक (Stakeholder) ज़िम्मेदार है।
  - कल्याणकारी सेवाओं को उपलब्ध कराए जाने के दौरान उनके तारतम्यता क्रम को बनाए रखने के लिये राज्य, कंपनियों और श्रमिकों द्वारा एक त्रिपक्षीय प्रयास, यह पहचानने के लिये कि श्रमिक कहाँ लचीलेपन के स्पेक्ट्रम पर आते हैं, प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से कंपनियों पर निर्भर करता है।
- कार्यबल में संकुचन गिग अर्थव्यवस्था (Gig Economy) को बढ़ावा देता है।
  - गिग अर्थव्यवस्था: गिग इकोनॉमी एक मुक्त बाज़ार प्रणाली का समर्थन करती है जिसमें सामान्यत: कोई भी पद स्थायी नहीं होता है एवं संगठन द्वारा अल्पकालिक प्रतिबद्धताओं पर स्वतंत्र श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है।

गिग कार्य और इसकी जटिल शर्तें:

- महामारी के दौरान प्लेटफॉर्म श्रमिकों की भूमिका ने प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर कंपनियों और राज्य को अधिक मज़बूत ज़िम्मेदारी देने के संदर्भ में एक मज़बूत उदाहरण प्रस्तुत किया है।
- प्लेटफॉर्म श्रमिकों द्वारा महामारी के दौरान आवश्यक सेवाओं के वितरण का कार्य व्यक्तिगत जोखिम पर किया गया।
- महामारी से प्रेरित वित्तीय संकट के बावजूद प्लेटफॉर्म कंपनियों को बचाए रखने के लिये प्लेटफॉर्म श्रमिक ज़िम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करते रहे।
- इनके द्वारा पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (Public Infrastructures) के रूप में मांग-संचालित एग्रीगेटर्स (Demand-Driven Aggregators) को बनाए रखने में अपनी भूमिका को पूर्ण रूप से सार्थक किया गया।
- प्लेटफॉर्म श्रमिकों पर कंपनियों की निर्भरता कल्याणकारी उपायों को वितरित करने के लिये सार्वजनिक और निजी संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से ग्रहण की गई ज़िम्मेदारी को पूरा करती है।

आगे की राह:

गिग इकॉनमी (Gig Economy) में कार्य की विषमता (Heterogeneity) सामाजिक-कानूनी स्वीकार्यता के माध्यम से प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिये आगे का मार्ग प्रशस्त करती है जो सामाजिक सेवाओं के वितरण के लिये राज्य और प्लेटफॉर्म कंपनियों के लिये एक संयुक्त जवाबदेही का निर्धारण करती है।

वर्चुअल ग्लोबल इनवेस्टर राउंडटेबल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने देश में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से 'वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंडटेबल' (Virtual Global Investor Roundtable- VGIR) की अध्यक्षता की।

प्रमुख बिंदु:

- VGIR प्रमुख वैश्विक संस्थागत निवेशकों, भारतीय उद्योगपतियों और भारत सरकार एवं वित्तीय बाज़ार नियामकों के शीर्ष नीति निर्धारकों के बीच एक विशेष वार्ता प्रक्रिया है।
- इसका आयोजन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (National Investment and Infrastructure Fund- NIIF) ने संयुक्त रूप से किया था।
- इस वार्ता प्रक्रिया में भारत में आर्थिक एवं निवेश के दृष्टिकोण से संरचनात्मक सुधारों को गति देने और वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के भारत सरकार के दृष्टिकोण के बारे में चर्चा की गई।

विशेषताएँ:

- आत्मनिर्भर भारत विज़न (Aatmanirbhar Vision): यह एक सुनियोजित आर्थिक रणनीति है जिसका उद्देश्य भारत की व्यावसायिक एवं श्रमिक कौशल का उपयोग करके इसे एक वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति में बदलना है।
- ईएसजी स्कोर (ESG Score): भारत में पर्यावरण (Environmental), सामाजिक (Social) एवं शासन (Governance) अर्थात् ESG स्कोर पर उच्च रैंकिंग वाली कंपनियाँ विद्यमान हैं।
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline): यह भारत में विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में 1.5 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की महत्त्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य देश में तीव्र गति से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और गरीबी कम करना है।
- विनिर्माण क्षमताओं में सुधार और 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' के लिये शुरू की गई पहल:
  - वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) के रूप में एक राष्ट्र-एक कर प्रणाली (One Nation-One Tax System), कॉर्पोरेट कर की सबसे कम दरें और आयकर मूल्यांकन एवं अपील के लिये फेसलेस व्यवस्था।
  - एक नई श्रम कानून व्यवस्था श्रमिकों के कल्याण और नियोक्ताओं के लिये 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' एवं विशिष्ट क्षेत्रों में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाओं (Production Linked Incentive Schemes) के मध्य संतुलन बनाए रखती है।
- वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिये भारत सरकार की पहल:
  - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के लिये एकीकृत प्राधिकरण, उदार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) व्यवस्था, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (Infrastructure Investment Trust) और रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (Real Estate Investment Trust) जैसे निवेश साधनों के लिये उपयुक्त नीति व्यवस्था।
  - इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) का कार्यान्वयन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से वित्तीय सशक्तीकरण और Ru-Pay कार्ड एवं BHIM-UPI जैसी फिनटेक आधारित भुगतान प्रणालियाँ।
- इस वार्ता प्रक्रिया में भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों की स्थापना हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (National Education Policy-2020) के प्रमुख बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला गया।

राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (National Investment and Infrastructure Fund- NIIF):

- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) देश में अवसंरचना क्षेत्र की वित्तीय समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाला और वित्तपोषण सुनिश्चित करने वाला भारत सरकार द्वारा निर्मित एक कोष है।
- NIIF की स्थापना 40,000 करोड़ रुपए की मूल राशि के साथ की गई थी, जिसमें आंशिक वित्तपोषण निजी निवेशकों द्वारा किया गया था।
- इसका उद्देश्य अवसंरचना परियोजनाओं का वित्तपोषण करना है, जिसमें अटकी हुई परियोजनाएँ शामिल हैं।
- NIIF में 49% हिस्सेदारी भारत सरकार की है तथा शेष हिस्सेदारी विदेशी और घरेलू निवेशकों की है।
- केंद्र की अति महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी के साथ NIIF को भारत का अर्द्ध-संप्रभु धन कोष माना जाता है।

नोट :

- अपने तीन फंडों- मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स और स्ट्रैटेजिक फंड से परे यह 3 बिलियन डॉलर से अधिक की पूंजी का प्रबंधन करता है।
- इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है।

मेट्रो-नियो परियोजना

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार टियर-2 और टियर-3 नगरों हेतु कम लागत वाली रेल पारगमन प्रणाली 'मेट्रो-नियो परियोजना' के मानक विनिर्देशों को मंज़ूरी देने की योजना बना रही है।

प्रमुख बिंदु:

- मेट्रो-नियो सिस्टम, परिवहन की एक अद्वितीय अवधारणा है जिसे भारत में पहली बार अपनाया जा रहा है।
- यह एक कुशल 'मास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम' (MRTS) है, जो भारत के टियर- 2 और टियर 3 नगरों के साथ-साथ उपनगरीय यातायात की ज़रूरत को पूरा करने के लिये आदर्श रूप से उपयुक्त है।
- यह अत्याधुनिक, आरामदायक, ऊर्जा कुशल, न्यूनतम ध्वनि प्रदूषण और पर्यावरण के अनुकूल मेट्रो प्रणाली है। परंपरागत मेट्रो की तुलना में यह काफी हल्की तथा छोटी होगी। इसकी लागत परंपरागत परिवहन प्रणाली का लगभग 25% है।
- मेट्रो-नियो रेल ट्रैक के स्थान पर सड़क पर चलेगी परंतु ऊर्जा ओवरहेड वायर्स से प्राप्त करेगी। इसे इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि यह तीव्र ढाल में भी आसानी से चलाई जा सकती है। भविष्य में ट्रैफिक डिमांड के अनुसार सिस्टम को इंक्रीमेंटल कॉस्ट इनपुट के साथ 'लाइट मेट्रो' में अपग्रेड किया जा सकता है।

भारत में मेट्रो-नियो के प्रोजेक्ट:

- महाराष्ट्र के नासिक और तेलंगाना के वारंगल ज़िलों के लिये मेट्रो-नियो प्रणाली पर योजना बनाई जा रही है।वारंगल के लिये योजना अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं है, जबकि महाराष्ट्र सरकार द्वारा नासिक के लिये 30 स्टेशनों के साथ 33 किलोमीटर की लंबाई के प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दी जा चुकी है।

नगरीय गतिशीलता के अन्य नए साधन/मोड:

हाइपरलूप परिवहन प्रणाली:

- यह एक ऐसी परिवहन प्रणाली है जहाँ एक पॉड जैसे वाहन को विमान की गति से शहरों को जोड़ने वाली एक वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से चलाया जाता है। इस तकनीक को हाइपरलूप इसलिये कहा गया क्योंकि इसमें परिवहन एक लूप के माध्यम से किया जाता है।
- परिवहन के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट 'एलन मस्क' ने दिया और इसे 'परिवहन का पाँचवाँ मोड' भी बताया।
- इसके अंतर्गत हाइपरलूप वाहन में यात्रियों के पॉड्स को एक कम दबाव वाली ट्यूब के अंदर उत्तरोत्तर विद्युत प्रणोदन (Electric Propulsion) के माध्यम से उच्च गति प्रदान की जाती है।

पोड टैक्सी:

- पॉड टैक्सी सेवा एक आधुनिक और उन्नत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। इसे 'पर्सनल रैपिड ट्रांज़िट' (PRT) भी कहा जाता है।
- इसमें सामान्य टैक्सी सेवाओं की तरह ही यात्रियों के छोटे समूहों को मांग आधारित फीडर एवं शटल सेवाएँ प्रदान कराई जाती हैं, किंतु इसमें स्वचालित इलेक्ट्रिक पॉड का इस्तेमाल किया जाता है। यह परिवहन का एक स्वच्छ एवं हरित विकल्प है
- यह चालक रहित वाहन है, जिसमें दो से लेकर छह लोग तक सफर कर सकते हैं। यह पूर्व निर्धारित मार्ग पर 80-130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है।

नोट :

मेट्रो ट्रेन:

- वर्तमान में विकसित की जा रही मेट्रो रेल प्रणाली उच्च क्षमता की है जो बड़े नगरों की 'पीक आवर पीक डायरेक्शन ट्रैफिक' (PHPDT) की मांग के अनुकूल है।

मेट्रोलाइट (Metrolite):

- देश में मेट्रो रेल की सफलता को देखते हुए कई अन्य शहरों में भी रेल आधारित मास रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम के लिये 'लाइट अर्बन रेल ट्रांज़िट सिस्टम' पर कार्य किया जा रहा है जिसे 'मेट्रोलाइट' नाम से जाना जाता है।

आगे की राह:

- नगर आर्थिक विकास के इंजन हैं। हमें सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये वाहनों की आवाजाही के बजाय लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अत: मेट्रो-नियो के समान ईंधन कुशल 'मास रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम' की आवश्यकता है।
- महिलाओं, बच्चों तथा वृद्धजनों तक गतिशील सेवाओं की सार्वजनिक और सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक वैधानिक प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है।

विमुद्रीकरण: समग्र विश्लेषण

चर्चा में क्यों?

8 नवंबर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित नोटबंदी या विमुद्रीकरण (Demonetisation) के चार वर्ष पूरे हो गए हैं। काले धन को समाप्त करने के उद्देश्य से उठाए गए इस कदम के कारण उस समय प्रचलित तकरीबन 86 प्रतिशत मुद्रा अमान्य हो गई थी यानी उसका कोई मूल्य नहीं रह गया था।

प्रमुख बिंदु

- चार वर्ष बाद भी सरकार के इस निर्णय को लेकर आम लोगों की राय काफी बँटी हुई है, कुछ लोगों का मानना है कि सरकार के इस कदम से काले धन को कम करने, कर अनुपालन बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में काफी मदद की है।
  - वहीं आलोचकों का मत है कि नोटबंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी गहरे तक प्रभावित किया है और इससे नकदी पर निर्भर रहने वाले अधिकांश छोटे व्यवसायों को कठिनाई का सामना करना पड़ा था।
- विमुद्रीकरण को लागू किये जाने के पीछे मुख्यत: तीन उद्देश्य थे-
  - काले धन को समाप्त करना।
  - नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करना।
  - डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देकर कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाना।

क्या होता है विमुद्रीकरण?

- विमुद्रीकरण का अभिप्राय एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया से है, जिसमें देश की सरकार द्वारा देश की मुद्रा प्रणाली में हस्तक्षेप करते हुए किसी विशेष प्रकार की मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त कर दी जाती है।
- विमुद्रीकरण को प्राय: कर प्रशासन के एक उपाय के रूप में देखा जाता है, जहाँ काला धन छिपाने वाले लोगों को न चाहते हुए भी अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है और उस पर कर भी देता पड़ता है।

काला धन

- सरकार की मानें तो काले धन को समाप्त करना विमुद्रीकरण का प्राथमिक लक्ष्य था, हालाँकि कई लोगों ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आँकड़ों के आधार पर नोटबंदी के इस उद्देश्य पर प्रश्नचिह्न लगाया है।
  - काला धन असल में वह आय है जिसे कर अधिकारियों से छुपाने का प्रयास किया जाता है यानी इस प्रकार की नकदी का देश की बैंकिंग प्रणाली में कोई हिसाब नहीं होता है और न ही इस पर किसी प्रकार का कर दिया जाता है।

नोट :

- वर्ष 2018 में भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाया गया था कि विमुद्रीकरण के दौरान अवैद्य घोषित किये गए कुल नोटों का तकरीबन 99.3 प्रतिशत यानी लगभग पूरा हिस्सा बैंकों के पास वापस आ गया था।
  - आँकड़ों के मुताबिक, अमान्य घोषित किये गए 15.41 लाख करोड़ रुपए में से 15.31 लाख करोड़ रुपए के नोट वापस आ गए थे।
- फरवरी 2019 में तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने संसद को बताया था कि विमुद्रीकरण समेत सभी प्रकार के काले धन को समाप्त करने के लिये उठाए गए विभिन्न उपायों के कारण 1.3 लाख करोड़ रुपए का काला धन बरामद किया गया था, जबकि सरकार ने विमुद्रीकरण की घोषणा करते हुए इस संबंध में तकरीबन 3-4 लाख करोड़ रुपए बरामद करने की बात कही थी।
  - अत: आँकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी भारतीय अर्थव्यवस्था से काले की समस्या को समाप्त करने में कुछ हद तक विफल रही है।

नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करना

- नकली नोट या नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करना सरकार द्वारा लागू किये गए विमुद्रीकरण का दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य था।
- आँकड़ों के अनुसार, जहाँ एक ओर वित्तीय वर्ष 2015-16 में 6.32 लाख नकली नोट ज़ब्त किये गए थे, वहीं दूसरी ओर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7.62 लाख नकली नोट ज़ब्त किये गए थे। नोटबंदी लागू होने के चार वर्ष बाद अब तक 18. 87 लाख नकली नोट ज़ब्त किये गए थे।
- रिज़र्व बैंक की वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट की मानें तो विमुद्रीकरण के बाद के वर्ष में ज़ब्त किये गए अधिकांश नोटों में 100 रुपए मूल्यवर्ग की संख्या सबसे अधिक है।
  - वर्ष 2019-20 में 1.7 लाख नकली नोट, वर्ष 2018-19 में 2.2 लाख नकली नोट और वर्ष 2017-18 में 2.4 लाख नकली नोट ज़ब्त किये गए थे।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में 10, 50, 200 और 500 रुपए मूल्यवर्ग में ज़ब्त किये गए नकली नोटों की संख्या में क्रमशः 144.6 प्रतिशत, 28.7 प्रतिशत, 151.2 प्रतिशत और 37.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
  - इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि विमुद्रीकरण जैसे कठोर कदम के बावजूद अभी भी अर्थव्यवस्था में नकली नोटों का प्रसार हो रहा है।

कैशलेस अर्थव्यवस्था का निर्माण करना

- सरकार द्वारा नोटबंदी को दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने के एक उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया था। हालाँकि रिज़र्व बैंक के आँकड़ों की मानें तो नोटबंदी लागू होने से अब तक अर्थव्यवस्था में प्रचलित नोटों के कुल मूल्य और मात्रा में वृद्धि दर्ज की गई है।
- आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 में अर्थव्यवस्था में प्रचलित कुल नोटों की संख्या तकरीबन 16.4 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में बढ़कर 24.2 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में प्रचलित नोटों के मूल्य में तुलनात्मक रूप से वृद्धि देखने को मिली है।
- इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नोटबंदी लागू किये जाने के बाद भी अर्थव्यवस्था में प्रचलित नोटों की संख्या और मात्रा में वृद्धि हुई है, हालाँकि नोटों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ डिजिटल लेन-देन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
  - कोरोना वायरस महामारी ने भी लोगों के बीच नकदी के प्रचलन को और बढ़ावा दिया है। जब मार्च माह में सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी तो आम लोगों ने किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिये नकदी को एकत्र करना शुरू कर दिया, जिसके कारण हाल के कुछ दिनों में अर्थव्यवस्था में नकदी के प्रचलन में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है।

डिजिटल लेनदेन में बढ़ोतरी

- इसी वर्ष अक्तूबर माह में प्रकाशित रिज़र्व बैंक के आँकड़ों से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत में डिजिटल भुगतान की मात्रा में 3,434.56 करोड़ की भारी वृद्धि हुई है।
- आँकड़ों के अनुसार, बीते पाँच वर्षों में डिजिटल भुगतान की मात्रा में 55.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है, वहीं डिजिटल भुगतान के मूल्य के मामले में 15.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।
- अक्टूबर 2020 में एकीकृत भुगतान प्रणाली (UPI) आधारित भुगतान ने 207 करोड़ लेन-देन के साथ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

विमुद्रीकरण: दीर्घकाल के लिये लाभदायक

- कई जानकार मानते हैं कि विमुद्रीकरण का अल्प काल में अर्थव्यवस्था पर काफी गहरा प्रभाव हो सकता है, किंतु दीर्घकाल में यह भारत और संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये काफी महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है।
- चूँकि विमुद्रीकरण के निर्णय ने कुछ हद तक भारत में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिये भारत डिजिटल आधार पर होने वाली चौथी औद्योगिक क्रांति में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित कर सकता है।
- इसके अलावा विमुद्रीकरण के कारण प्रत्यक्ष कर में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिये अच्छा संकेतक है।

निष्कर्ष

समग्र विश्लेषण से ज्ञात होता है कि नोटबंदी के निर्णय ने देश में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने और वित्तीय प्रणाली के औपचारिकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि विमुद्रीकरण अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने में पूर्णत: विफल रहा है और काले धन को समाप्त करने का इसका प्राथमिक लक्ष्य अब तक प्राप्त नहीं किया जा सका है।

गूगल के विरुद्ध अविश्वास की जाँच

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) ने दिग्गज इंटरनेट कंपनी गूगल के विरुद्ध भारत में अपने मोबाइल भुगतान एप 'गूगल पे' को गलत तरीके से बढ़ावा देने के लिये बाज़ार में अपनी मज़बूत स्थिति का दुरुपयोग करने को लेकर जाँच का आदेश दिया है।

प्रमुख बिंदु

- इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि आयोग प्रथम दृष्टया मानता है कि गूगल ने प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया है, इसलिये इसकी जाँच करना अनिवार्य है।
  - ध्यातव्य है कि प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4 किसी भी कंपनी द्वारा बाज़ार में अपनी मज़बूत स्थिति का दुरुपयोग करने से संबंधित है।
- भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) ने महानिदेशक को 60 दिनों के भीतर जाँच समाप्त करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
- कारण
  - भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) द्वारा यह आदेश किसी सूचनादाता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर जारी किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गूगल द्वारा अलग-अलग अवसरों पर अपने मोबाइल भुगतान एप को बढ़ावा देने के लिये बाज़ार में अपनी मज़बूत स्थिति का दुरुपयोग किया गया है।
    - भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) द्वारा ऐसी दो स्थितियों की जाँच की जाएगी, जिसमें पहला है एंड्राइड ओएस स्मार्ट फोन में 'गूगल पे' का पहले से इंस्टॉल होना और दूसरा है एप डेवलपर्स द्वारा भुगतान के लिये प्रयोग किये जाने वाला गूगल प्ले स्टोर का इन-एप बिलिंग फीचर।
  - यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब पेटीएम (Paytm) समेत कई अन्य भारतीय स्टार्ट-अप्स एक साथ मिलकर दिग्गज कंपनी गूगल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि गूगल की नीति के मुताबिक 'गूगल प्ले स्टोर' पर जो भी एप 'इन-एप पर्चेज़' (In-App Purchases) फीचर के माध्यम से अपना डिजिटल कंटेंट बेचेंगे उन्हें अनिवार्य रूप से गूगल प्ले का बिलिंग सिस्टम प्रयोग करना होगा, साथ ही उन्हें 30% शुल्क भी देना होगा।
  - इस तरह अत्यधिक शुल्क प्रदान करने से गूगल के प्रतिस्पर्द्धियों की लागत स्वयं ही बढ़ जाती है।

गूगल पे?

- गूगल पे, प्रसिद्ध टेक कंपनी गूगल द्वारा निर्मित एक मोबाइल भुगतान एप (Mobile Payment App) है, जो कि उपयोगकर्त्ताओं को एक बैंक से दूसरे बैंक में धनराशि भेजने और बिल जमा करने जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है।
- भारतीय डिजिटल पेमेंट बाज़ार में इसका मुकाबला सॉफ्टबैंक समर्थित पेटीएम (Paytm) और वॉलमार्ट के फोन पे (PhonePe) जैसे एप से है।

गूगल प्ले ?

- गूगल प्ले, एंड्रॉइड संचालित स्मार्टफोन, टैबलेट, टीवी और इसी तरह के उपकरणों पर उपयोग किये जाने वाले एप्स, किताबों, फिल्मों तथा अन्य डिजिटल कंटेंट को खरीदने एवं डाउनलोड करने के लिये एक प्रकार का ऑनलाइन स्टोर या एंड्राइड बाज़ार है, जिसे गूगल द्वारा बनाया गया है।

गूगल के विरुद्ध अविश्वास के अन्य मामले

- ध्यातव्य है कि इससे पूर्व मई माह में भी गूगल पर अपने मोबाइल भुगतान एप का अनुचित उपयोग करने का आरोप लगाया गया था, जिस मामले में भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) ने गूगल के विरुद्ध फैसला दिया था। हालाँकि वर्तमान जाँच में गूगल के मोबाइल भुगतान एप के साथ-साथ गूगल प्ले के बिलिंग सिस्टम की भी जाँच की जाएगी।
- पिछले वर्ष CCI ने गूगल पर एक अन्य मामले में जाँच प्रारंभ की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गूगल मोबाइल निर्माता कंपनियों द्वारा एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम (Android Mobile Operating System) के वैकल्पिक संस्करणों को चुनने की क्षमता को कम करने के लिये बाज़ार में अपनी मज़बूत स्थिति का प्रयोग करता है।
- वर्ष 2018 में CCI ने गूगल पर 'ऑनलाइन सर्च में पक्षपात' करने के मामले में 136 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, हालाँकि यह मामला अभी भी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित है।
- विदित हो कि गूगल एकमात्र कंपनी नहीं है, जिसे अविश्वास के मामलों की जाँच का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ एक ओर गूगल को अपने प्रतिस्पर्द्धात्मक व्यवहार के लिये यूरोपीय संघ में जाँच का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका में भी कई बार गूगल के विरुद्ध अविश्वास को लेकर जाँच की गई है।

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI)

- यह भारत सरकार के तहत सांविधिक निकाय है, जिसका गठन मुख्य तौर पर प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को सही ढंग से लागू करने के लिये 14 अक्तूबर, 2003 को किया गया था।
- इसका मुख्य कार्य ऐसी प्रथाओं को समाप्त करना है, जिनका बाज़ार की प्रतिस्पर्द्धा और संवर्द्धन शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। इस तरह यह आयोग उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और भारतीय बाज़ार में व्यापार की स्वतंत्रता बनाए रखने की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है।
- भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग के सदस्यों की कुल संख्या 7 (एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य) निर्धारित की गई है, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

व्हाट्सएप द्वारा भारत में UPI सेवा प्रारंभ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में व्हाट्सएप (फेसबुक की एक इकाई) ने 'भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम' (National Payments Corporation of India- NPCI) द्वारा अनुमोदन के बाद भुगतान सेवाओं की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु ?

- NPCI ने 'थर्ड पार्टी एप प्रोवाइडर' (TPA) द्वारा संसाधित एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) लेनदेन की कुल मात्रा पर 30% कैप लगाई है, जिसे जनवरी 2021 से लागू किया गया है। व्हाट्सएप को भी इस नवीन व्यवस्था का पालन करना होगा।
- यह एक ऐसी प्रणाली है जो एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कई बैंक खातों का संचालन, विभिन्न बैंकों की विशेषताओं का समायोजन, निधियों का निर्बाध आवागमन और एक ही अंब्रेला प्रणाली के अंतर्गत व्यापरियों का भुगतान किया जा सकता है।

भारत में व्हाट्सएप UPI:

- लोग UPI समर्थित एप का उपयोग करके किसी को भी व्हाट्सएप पर पैसे भेज सकते हैं।

- यह भारत में पाँच अग्रणी बैंकों आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।
- हालांकि, भारत में सभी उपयोगकर्त्ता भुगतान सुविधाओं तक पहुँच स्थापित नहीं कर पाएंगे क्योंकि NPCI ने व्हाट्सएप के UPI उपयोगकर्त्ताओं के आधार का विस्तार क्रमबद्ध तरीके से अधिकतम 20 मिलियन पंजीकृत उपयोगकर्त्ताओं के साथ शुरू करने के निर्देश दिये हैं।
- भारत व्हाट्सएप के सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है, जिसने सबसे पहले वर्ष 2018 में अपनी UPI- आधारित भुगतान प्रणाली का परीक्षण शुरू किया और अब वह मौजूदा कंपनियों जैसे कि Paytm, Google Pay, Amazon Pay और PhonePe से प्रतिस्पर्द्धा करेगा।

30% कैप का प्रभाव:

- ये दिशा-निर्देश किसी भी इकाई को संचालन में होने के लिये कुल लेन-देन की मात्रा का 30% से अधिक कैप निर्धारित करते हैं। हालांकि, उक्त बाज़ार हिस्सेदारी से अधिक का पालन करने के लिये संस्थाओं को वर्ष 2023 तक का समय दिया गया है।
- कैप की गणना रोलिंग के आधार पर पूर्ववर्ती तीन महीनों के दौरान UPI में संसाधित लेन-देन की कुल मात्रा के आधार पर की जाएगी।
- UPI लेन-देन की मात्रा में हालिया वृद्धि को देखते हुए, NPCI ने UPI पारिस्थितिकी तंत्र में जोखिमों का विश्लेषण किया और कैप पेश किया।
- UPI ट्रांज़ेक्शन वॉल्यूम पर 30% कैप का विचार पहली बार वर्ष 2019 में NPCI की संचालन समिति की बैठक में लाया गया था, जिसके बाद गैर-बैंकिंग तृतीय-पक्ष एप प्रदाताओं के साथ बढ़ते प्रभुत्त्व की चिंताओं को उठाया गया था।
- अक्तूबर 2019 तक, गूगल पे और फोनपे ने अपने प्लेटफार्मों पर UPI में लगभग 80% लेन-देन की मात्रा का अनुमान लगाया था।
- NPCI को अभी तक UPI इकोसिस्टम के जोखिम का आकलन जारी करना बाकी है, जिसके आधार पर नए मानदंड लाए गए थे और लेन-देन की मात्रा पर नए शुरू किये गए प्रतिबंधों के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लाई गई है।
- व्हाट्सएप UPI की शुरुआत के बाद एक अन्य कारण लेन-देन की मात्रा में अचानक वृद्धि से बैंकिंग सुविधाओं पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

- यह भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिये एक अंब्रेला संगठन है।
- यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) के मार्गदर्शन और समर्थन के साथ स्थापित किया गया था।

उद्देश्य:

- सभी खुदरा भुगतान की कई मौजूदा प्रणालियों को एक राष्ट्रव्यापी नीति और मानक व्यापार प्रक्रिया में समेकित और एकीकृत करने हेतु।
- देश भर में आम आदमी को लाभान्वित करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिये एक सस्ती भुगतान प्रणाली की सुविधा हेतु।

आगे का राह

- भारत में डिजिटल भुगतान अभी भी अपने विकास के चरण में है और इस बिंदु पर किसी भी हस्तक्षेप को उपभोक्ता की पसंद और नवाचार में तेज़ी लाने के लिये बनाया जाना चाहिये। यह विकल्प आधारित और खुला मॉडल इस गति से संचालित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- 30% कैप का उन सैकड़ों लाखों उपयोगकर्ताओं के लिये निहितार्थ है जो अपने दैनिक भुगतान के लिये UPI का उपयोग करते हैं।

पूर्वोत्तर में केसर की खेती

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सिक्किम के दक्षिणी भाग यांगयांग में केसर के पौधों में पुष्पों का विकास प्रारंभ हो गया है। यहाँ केसर की खेती केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में केसर की खेती की अनुकूलता का पता लगाने के लिये शुरु की गयी एक परियोजना के अंतर्गत हो रही है।

प्रमुख बिंदु

- केसर:
  - केसर एक पौधा है जिसके सूखे वर्तिकाग्र (फूल के धागे जैसे भाग) का उपयोग केसर का मसाला बनाने के लिये किया जाता है।
  - माना जाता है कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आस पास मध्य एशियाई प्रवासियों द्वारा कश्मीर में केसर की खेती शुरू की गई थी।
  - यह पारंपरिक कश्मीरी व्यंजनों के साथ जुड़ा हुआ है और क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है।
  - यह बहुत कीमती और महंगा उत्पाद है।
  - प्राचीन संस्कृत साहित्य में केसर को 'बहुकम (Bahukam)' कहा गया है।
  - केसर की खेती विशेष प्रकार की 'करेवा' (Karewa)' मिट्टी में की जाती है।
- महत्त्व:
  - यह स्वास्थ्य, सौंदर्य प्रसाधन और औषधीय प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जाता है।
  - यह पारंपरिक कश्मीरी व्यंजनों के साथ जुड़ा हुआ है और क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है।
- मौसम:
  - भारत में, केसर की खेती जून और जुलाई के महीनों के दौरान और अगस्त और सितंबर में कुछ स्थानों पर की जाती है।
  - यह अक्तूबर में पुष्प पल्लवित होना शुरू करता है।
- केसर की कृषि हेतु आवश्यक दशाएँ:
  - समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊँचाई केसर की खेती के लिये अनुकूल होती है।
  - मृदा: यह कई अलग-अलग मृदा के प्रकारों में बढ़ता है लेकिन यह Calcareous (वह मिट्टी जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट होता है), मिट्टी में 6 और 8 pH मान वाली और अच्छी तरह से सूखी मिट्टी में केसर सबसे अच्छा पनपता है।
  - जलवायु: केसर की खेती के लिये एक स्पष्ट गर्मी और सर्दियों वाली जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसमें गर्मियों में तापमान 35 या 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता हो तथा सर्दियों में लगभग 15 डिग्री सेल्सियस होता हो।
  - वर्षा: इसके लिये पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है जो प्रतिवर्ष 1000-1500 मिमी. होती है।
- भारत में केसर उत्पादन क्षेत्र:
  - केसर उत्पादन लंबे समय तक जम्मू और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित रहा है।
  - पंपोर क्षेत्र, जिसे आमतौर पर कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है, केसर उत्पादन में मुख्य योगदानकर्त्ता है।
    - कश्मीर का पंपोर केसर, भारत में विश्व स्तर पर महत्त्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों (Globally Important Agricultural Heritage systems) की मान्यता प्राप्त साइटों में से एक है।
  - केसर का उत्पादन करने वाले अन्य ज़िले बडगाम, श्रीनगर और किश्तवाड़ हैं।
  - हाल ही में कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग का दर्जा मिला।
- भारत में उत्पादन और मांग:
  - भारत में लगभग 6 से 7 टन केसर की खेती होती है जबकि मांग 100 टन की है।
  - विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology) के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology) केसर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये अब पूर्वोत्तर (सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश) के कुछ राज्यों में इसकी खेती को प्रोत्साहित कर रहा है। कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों के बीच जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों में एक बड़ी समानता है। इस परियोजना को सिक्किम के 'बॉटनी और हॉर्टिकल्चर विभाग' के सहयोग से लागू किया गया है।
- लाभ
  - केसर उत्पादन के विस्तार से भारत में वार्षिक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।
  - यह आयात कम करने में मदद करेगा।
  - यह कृषि में विविधता भी लाएगा और किसानों को पूर्वोत्तर में नए अवसर प्रदान करेगा।

- अन्य पहल:
  - केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2010 में नलकूपों और फव्वारा सिंचाई सुविधाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय केसर मिशन को मंज़ूरी दी गई थी, जो केसर उत्पादन के क्षेत्र में बेहतर फसलों के उत्पादन में मदद करेगा।
  - हाल ही में, हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान (CSIR-Institute of Himalayan Bioresource Technology) और हिमाचल प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से दो मसालों (केसर और हींग) के उत्पादन में वृद्धि करने का फैसला किया है।
    - इस योजना के तहत, IHBT निर्यातक देशों से केसर की नई किस्मों को लाएगा तथा भारतीय परिस्थितियों के अनुसार इसको मानकीकृत (Standardized) करेगा।

आगे की राह:

- राष्ट्रीय केसर मिशन और पूर्वोत्तर के लिये केसर उत्पादन के विस्तार जैसे प्रयासों से कृषि क्षेत्र में विविधता लाने में मदद मिलेगी। यह कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी लागू करेगा।

करेवा (Karewa):

- करेवा कश्मीर घाटी में पाए जाने वाली झील निक्षेप (मृदा) है।
- यह जम्मू-कश्मीर में पीरपंजाल श्रेणियों की ढालों में 1,500 से 1,850 मीटर की ऊँचाई पर मिलता है।

हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान (IHBT):

- इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा सितंबर, 1942 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।
- हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा संपूर्ण भारत में CSIR की मौजूदगी में 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, 39 दूरस्थ केंद्रों, 3 नवोन्मेषी कॉम्प्लेक्सों और 5 यूनिटों के सक्रिय नेटवर्क का संचालन किया जा रहा है।

व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 'आधारभूत व्यवहार्यता अंतराल अनुदान' (Infrastructure Viability Gap Funding- VGF) योजना में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) हेतु वित्तीय सहायता के लिये इसे जारी रखने और इसके पुनर्गठन को मंज़ूरी दी है। इसकी समयावधि वर्ष 2024-25 तक है और इसकी कुल लागत 8100 करोड़ रुपए है।

प्रमुख बिंदु:

- व्यवहार्यता अंतराल अनुदान (VGF):
  - यह एक ऐसा अनुदान होता है जो सरकार द्वारा ऐसे आधारभूत ढाँचा परियोजना को प्रदान किया जाता है जो आर्थिक रूप से उचित हो लेकिन उनकी वित्तीय व्यवहार्यता कम हो (Economically Justified but not Financially Viable) ऐसा अनुदान दीर्घकालीन परिपक्वता अवधि वाली परियोजना को प्रदान किया जाता है।
- पृष्ठभूमि:
  - केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने वर्ष 2006 में 'आधारभूत ढाँचे में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) को वित्तीय समर्थन देने के लिये योजना' (व्यवहार्यता अंतराल अनुदान योजना) की शुरुआत उन परियोजनाओं के लिये की थी जो आर्थिक रूप से न्यायोचित है किंतु वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक नहीं है। जिसका मुख्य कारण अधिक पूंजी लागत आवश्यकताएँ, लंबी अवधि और व्यावसायिक स्तर पर उपयोगकर्त्ता शुल्क बढ़ाने में असमर्थता शामिल है।
  - मौजूदा योजना में कुल परियोजना की 40% VGF हिस्सेदारी केंद्र सरकार और परियोजना की शुरुआत की स्थिति में पूंजी अनुदान (20% + 20%) के रूप में प्रायोजक प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध कराई जाती है।

- इस संशोधित योजना में सामाजिक आधारभूत ढाँचे में निजी क्षेत्र की सहभागिता को मुख्यधारा में लाने के लिये दो उप-योजनाओं की शुरुआत की गई है।

1. उप योजना-1 (Sub Scheme -1):

- यह योजना सामाजिक क्षेत्रों जैसे अपशिष्ट जल शोधन, जलापूर्ति, ठोस कचरा प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करेगी।
- इस तरह की परियोजनाओं में पूंजी लागत को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिये बैंक संबंधी सामर्थ्य एवं कम राजस्व जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इस श्रेणी के तहत पात्र परियोजनाओं में कम-से-कम 100% परिचालन लागत पुनः प्राप्त होनी चाहिये।
- इसमें केंद्र सरकार VGF के तहत कुल परियोजना लागत का अधिकतम 30% उपलब्ध कराएगी और राज्य सरकार/प्रायोजक केंद्रीय मंत्रालय/वैधानिक निकाय कुल परियोजना लागत की अतिरिक्त 30% सहायता उपलब्ध करा सकते हैं।

2. उप योजना-2 (Sub Scheme-2):

- यह उप-योजना प्राथमिक सामाजिक क्षेत्रों की परियोजनाओं को सहायता देगी और ये परियोजनाएँ स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्रों से संबंधित हो सकती है जहाँ कम-से-कम 50% परिचालन लागत की पुनः प्राप्ति संभव है।
- इन परियोजनाओं में केंद्र एवं राज्य सरकारें मिलकर पहले पाँच वर्षों के लिये पूंजीगत व्यय का 80% तक मुहैया कराएंगी और परिचालन एवं रखरखाव (O & M) लागत का 50% तक खर्च करेंगी।
- केंद्र सरकार इस परियोजना में कुल परियोजना लागत का अधिकतम 40% उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा, यह वाणिज्यिक परिचालन के पहले पाँच वर्षों में परियोजना के परिचालन लागत का अधिकतम 25% प्रदान कर सकती है।

इस योजना के तहत परियोजनाओं का दायरा:

- इस योजना की शुरुआत के बाद से 64 परियोजनाओं को अंतिम अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है और इनकी कुल परियोजना लागत 34228 करोड़ रुपए तथा VGF 5639 करोड़ रुपए है।
- वित्त वर्ष 2019-20 के अंत तक 4375 करोड़ रुपए की VGF राशि को वितरित किया जा चुका है।

क्रियान्वयन रणनीति:

- नई योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद एक माह की अवधि में लागू किया जाएगा और नई VGF योजना में प्रस्तावित संशोधनों को इसके दिशा-निर्देशों में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा।

शामिल व्यय:

वित्त वर्ष	आर्थिक आधारभूत ढाँचा क्षेत्र में सार्वजनिक निजी सहभागिता को वित्तीय समर्थन देने की योजना (करोड़ रुपए)	सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी आधारभूत अवसंरचना को वित्तीय समर्थन देने की योजना (करोड़ रुपए)
2020-21	1000	400
2021-22	1100	400
2022-23	1200	400
2023-24	1300	400
2024-25	1400	500
कुल	6000	2100

नोट :

लाभ:

- इस परियोजना का लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत ढाँचे में सार्वजनिक निजी सहभागिता (PPP) को बढ़ावा देना है ताकि परिसंपत्तियों का बेहतर सृजन हो और इनके उपयुक्त संचालन एवं रखरखाव को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही आर्थिक एवं सामाजिक रूप से आवश्यक परियोजनाओं को वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिकता में लाया जा सके।
  - ये परियोजनाएँ देश में आधारभूत ढाँचे के विकास में मदद करेंगी।
- प्रस्तावित VGF योजना को नए रूप में लागू करने से सार्वजनिक निजी क्षेत्र की अधिक से अधिक परियोजनाओं को आकर्षित किया जा सकेगा और सामाजिक क्षेत्रों (स्वास्थ्य, शिक्षा, अपशिष्ट जल, ठोस कचरा प्रबंधन, जल आपूर्ति आदि) के लिये निजी निवेश में सहायता मिलेगी।
  - नए अस्पतालों एवं स्कूलों के बनने से रोज़गार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

आत्मनिर्भर भारत 3.0

चर्चा में क्यों?

12 नवंबर, 2020 केंद्रीय वित्त मंत्री ने नए आत्मनिर्भर भारत 3.0 (AtmaNirbhar Bharat 3.0) के तहत 12 नए उपायों की घोषणा की, जो मौजूदा COVID-19 महामारी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये 2.65 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज के रूप में हैं।

प्रमुख बिंदु:

- भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति:
  - वर्ष-दर-वर्ष की तरह अक्तूबर 2020 में ऊर्जा खपत में 12% की वृद्धि हुई है।
  - बैंक ऋण की वृद्धि दर 5.1 प्रतिशत है और शेयर बाज़ार रिकॉर्ड ऊँचाई पर है।
  - RBI ने तीसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था के सकारात्मक वृद्धि पर लौटने की संभावना का अनुमान लगाया।
  - मूडीज द्वारा वर्ष 2021 के लिये भारत के जीडीपी पूर्वानुमान को संशोधित कर 8.1% से 8.6% कर दिया गया है।
- आत्मनिर्भर भारत 1.0 (Aatmanirbhar Bharat 1.0) के बारे में बताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि 28 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) को 1 सितंबर, 2020 से राशन कार्डों की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के तहत लाया गया है।
  - स्ट्रीट वेंडर्स के लिये पीएम स्वनिधि (PM SVANIDI) योजना के तहत 26.2 लाख ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं।
- केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को ऋण प्रोत्साहन दिया गया है और 1.4 लाख करोड़ रुपए किसानों को वितरित किये गए हैं। अलग से 1700 करोड़ रुपए की लागत वाली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana) के लिये 21 राज्यों के प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई है।
- 'इमरजेंसी क्रेडिट लिक्विडिटी गारंटी स्कीम' (Emergency Credit Liquidity Guarantee Scheme) के तहत 61 लाख उधारकर्त्ताओं के लिये 2.05 लाख करोड़ रुपए की राशि मंज़ूर की गई है, जिसमें से 1.52 लाख करोड़ रुपए का वितरण किया गया है।
  - 17 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के डिस्कॉम के लिये 1.18 लाख करोड़ रुपए मंज़ूर किये गए हैं।

'आत्मनिर्भर भारत 3.0' के तहत 12 नई घोषणाएँ:

1. 'आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना' (Aatmanirbhar Bharat Rozgar Yojana):
   1. यह योजना नई नौकरियों के सृजन के लिये प्रोत्साहित करेगी।
   2. EPFO-पंजीकृत संगठनों द्वारा नियुक्त नए कर्मचारियों को COVID-19 महामारी के दौरान लाभ मिलेगा।
   3. 'आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना' 1 अक्तूबर, 2020 से लागू होगी।

4. EPFO-पंजीकृत संगठन, यदि नए कर्मचारियों की भर्ती करते हैं या जो पहले नौकरी खो चुके हैं वे कर्मचारी कुछ लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। यदि 1 अक्तूबर, 2020 से 30 जून, 2021 तक नए कर्मचारियों की भर्ती की जाती है, तो अगले दो वर्षों के लिये प्रतिष्ठानों को कवर किया जाएगा।

2. MSMEs, व्यवसायों, MUDRA उधारकर्त्ताओं और व्यक्तियों (व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये ऋण) के लिये आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme- ECLGS) को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया गया है। कामथ समिति द्वारा 50 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया ऋण और 500 करोड़ रुपए तक के दायरे में आने वाले 26 संकटग्रस्त क्षेत्रों और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के निकायों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
3. 10 क्षेत्रों को 1.46 लाख करोड़ रुपए की 'उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (Production Linked Incentive- PLI) योजना' प्रदान की जा रही है। इससे घरेलू विनिर्माण की प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अगले पाँच वर्षों के लिये लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की कुल राशि को इन क्षेत्रों के लिये आवंटित किया गया है।
4. वित्त मंत्री ने पीएम आवास योजना (शहरी) के लिये 18,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय की घोषणा की जिसके तहत 12 लाख घरों को स्थापित किया जाएगा और 18 लाख घरों के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। इससे 78 लाख अतिरिक्त नौकरियाँ पैदा होंगी और इस्पात व सीमेंट के उत्पादन एवं बिक्री में सुधार होगा।
5. निर्माण/अवसंरचना क्षेत्र में सरकार द्वारा अनुबंधों पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को 5-10% से घटाकर 3% कर दिया गया है। इससे बिड टेंडरों (Bid Tenders) के लिये बयाना राशि (Earnest Money Deposit-EMD) की आवश्यकता नहीं होगी और इसे बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन (Bid Security Declaration) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। यह छूट 31 दिसंबर, 2021 तक लागू रहेगी।
6. भारत सरकार ने डेवलपर्स एवं घर खरीदारों के लिये 2 करोड़ रुपए तक की कर राहत की घोषणा की। आवासीय इकाइयों की प्राथमिक बिक्री के लिये 2 करोड़ रुपए तक के दायरे में 12 नवंबर, 2020 से 30 जून, 2021 तक सर्कल रेट और रियल एस्टेट इनकम टैक्स में एग्रीमेंट वैल्यू के बीच अंतर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया।
7. भारत सरकार राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (National Investment and Infrastructure Fund- NIIF) में 6,000 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश करेगी, जो बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये वर्ष 2025 तक 1.1 लाख करोड़ रुपए जुटाने में NIIF की मदद करेगा।
8. किसानों को 65,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
9. आगामी वित्त वर्ष 2021 में पीएम गरीब कल्याण रोज़गार योजना (PM Garib Kalyan Rozgar Yojana) के लिये 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था की जाएगी।
10. वित्त मंत्री द्वारा 3,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त घोषणा की गई जिसे भारतीय विकास सहायता योजना (Indian Development Assistance Scheme- IDEAS Scheme) के माध्यम से निर्यात परियोजनाओं के लिये एक्जिम बैंक को जारी किया जाएगा।
    1. भारतीय विकास सहायता योजना (IDEAS), परियोजनाओं के लिये रियायती वित्तपोषण प्रदान करती है और प्राप्तकर्त्ता विकासशील देशों में बुनियादी ढाँचे के विकास और क्षमता निर्माण में योगदान देती है।
11. रक्षा उपकरणों, औद्योगिक बुनियादी ढाँचे और हरित ऊर्जा पर पूंजी एवं औद्योगिक व्यय के लिये 10,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट प्रोत्साहन दिया जाएगा।
12. वित्त मंत्री ने COVID-19 के टीका विकास के लिये 900 करोड़ रुपए के R&D अनुदान की घोषणा की। इसमें वैक्सीन वितरण के लिये वैक्सीन या लॉजिस्टिक्स की लागत शामिल नहीं है।

निष्कर्ष:

- इस प्रकार 'आत्मनिर्भर भारत 3.0' में भारत सरकार द्वारा किया जाने वाला कुल खर्च 2.65 लाख करोड़ रुपए है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा COVID-19 महामारी के लिये प्रोत्साहन उपायों पर किया जाने वाला कुल खर्च लगभग 17.16 लाख करोड़ रुपए है, जबकि भारत सरकार एवं RBI द्वारा कुल प्रोत्साहन राशि 29.87 लाख करोड़ रुपए है, जो कि भारत की जीडीपी का 15% है।

नोट :

- गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा ये घोषणाएँ कैबिनेट द्वारा एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी उत्पादों, ऑटोमोबाइल एवं ऑटो घटकों के विनिर्माण सहित 10 क्षेत्रों के लिये उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन [Production-Linked Incentive (PLI)] योजना को मंज़ूरी देने के एक दिन बाद की गई हैं। इन 10 क्षेत्रों हेतु PLI योजना पाँच वर्षों के लिये क्रियान्वित होगी, जिसका कुल अनुमानित परिव्यय 1.46 लाख करोड़ रुपए होगा।

भारत में तकनीकी मंदी की आशंका

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा नवंबर माह के लिये जारी हालिया मासिक बुलेटिन के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 8.6 प्रतिशत का संकुचन दर्ज किया जा सकता है।

- इस आधार पर रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन में कहा है कि भारत मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में तकनीकी मंदी (Technical Recession) में प्रवेश कर सकता है।

प्रमुख बिंदु

- रिज़र्व बैंक ने नवंबर माह के अपने मासिक बुलेटिन में पहली बार 'नाउकास्ट' (Nowcast) जारी किया है, जिसके अनुमान के मुताबिक मौजूद वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में भी अर्थव्यवस्था में संकुचन हो सकता है।
    - प्राय: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और इसी तरह के अन्य संस्थानों द्वारा पूर्वानुमान अथवा 'फोरकास्ट' (Forecast) जारी किया जाता है, किंतु रिज़र्व बैंक ने पहली बार आधुनिक प्रणाली का उपयोग कर 'नाउकास्ट' (Nowcast) जारी किया है, जिसमें एकदम निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था की स्थिति की बात की गई है। इस तरह नाउकास्ट में एक प्रकार से वर्तमन की ही बात की जाती है।
- ध्यातव्य है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) में भी भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में रिकॉर्ड 23.9 प्रतिशत का संकुचन दर्ज किया गया था, जो कि बीते एक दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे खराब प्रदर्शन था।

क्या होती है 'तकनीकी मंदी'?

- सरल शब्दों में 'तकनीकी मंदी' का अर्थ ऐसी स्थिति से होता है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में लगातार दो तिमाहियों तक संकुचन देखने को मिलता है।
- किसी भी अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं और सेवाओं का समग्र उत्पादन, जिसे आमतौर पर GDP के रूप में मापा जाता है- एक तिमाही से दूसरी तिमाही तक बढ़ता है, तो इसे अर्थव्यवस्था के विस्तार की अवधि (Expansionary Phase) कहा जाता है।
    - वहीं इसके विपरीत जब वस्तुओं और सेवाओं का समग्र उत्पादन एक तिमाही से दूसरी तिमाही में कम हो जाता है तो इसे अर्थव्यवस्था में मंदी की अवधि (Recessionary Phase) कहा जाता है।
    - इस तरह ये दोनों स्थितियाँ एक साथ मिलकर किसी अर्थव्यवस्था में 'व्यापार चक्र' (Business Cycle) का निर्माण करती हैं।
- यदि किसी अर्थव्यवस्था में मंदी की अवधि (Recessionary Phase) लंबे समय तक रहती है तो यह कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था में मंदी (Recession) की स्थिति आ गई है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में GDP एक लंबी अवधि तक संकुचित होती रहती है, तो माना जाता है कि अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में पहुँच गई है।
    - हालाँकि मंदी की अवधि की कोई सार्वभौमिक स्वीकृत समयावधि नहीं है, यानी यह तय नहीं है कि कितने समय तक अर्थव्यवस्था में संकुचन को मंदी कहा जाएगा।
    - साथ ही यहाँ यह भी तय नहीं है कि क्या GDP को मंदी का निर्धारण करने का एकमात्र कारक माना जा सकता है।
    - कई जानकार मानते हैं कि मंदी का निर्धारण करते समय अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के समग्र उत्पादन के साथ-साथ अन्य कारकों जैसे- बेरोज़गारी और निजी खपत आदि का ध्यान रखा जाना चाहिये।
- इन्हीं कुछ समस्याओं से बचने के लिये अर्थशास्त्री प्राय: लगातार दो तिमाहियों में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (Real GDP) में गिरावट आने को 'तकनीकी मंदी' के रूप में संबोधित करते हैं।

कितनी लंबी होती है मंदी की अवधि?

- आमतौर पर मंदी कुछ तिमाहियों तक ही रहती है और यदि इसकी अवधि एक वर्ष या उससे अधिक हो जाती है तो इसे अवसाद अथवा महामंदी (Depression) कहा जाता है।
- हालाँकि अवसाद अथवा महामंदी की स्थिति किसी भी अर्थव्यवस्था में काफी दुर्लभ होती है और कम ही देखी जाती है। ज्ञात हो कि आखिरी बार अमेरिका में 1930 के दशक में महामंदी (Depression) की स्थिति देखी गई।
- वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि यदि भारतीय अर्थव्यवस्था को अवसाद अथवा महामंदी (Depression) की स्थिति में जाने से बचना है और मंदी की स्थिति से बाहर निकलना है तो जल्द-से-जल्द महामारी के प्रयास को रोकना होगा।

भारत के संदर्भ

- रिज़र्व बैंक के अनुमान के अनुसार, मौजूदा वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में भी अर्थव्यवस्था में संकुचन देखने को मिल सकता है, जबकि वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड 23.9 प्रतिशत का संकुचन दर्ज किया गया था।
- इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत अब आधिकारिक तौर पर 'तकनीकी मंदी' की स्थिति में प्रवेश करने वाला है, हालाँकि इस मंदी को अप्रत्याशित नहीं माना जाना चाहिये, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण भारत आर्थिक मोर्चे पर काफी प्रभावित हुआ है।
- मार्च माह में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही कई अर्थशास्त्रियों ने यह घोषणा कर दी थी कि भारत मंदी की चपेट में आ सकता है, हालाँकि यहाँ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि महामारी की शुरुआत से पूर्व भी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन कुछ संतोषजनक नहीं रहा था।
- अधिकांश अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी अधिक संकुचन देखने को मिल सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान (International Press Institute-IPI) ने इस बात को उजागर किया है कि पत्रकारों के खिलाफ होने वाले अपराधों में वृद्धि जारी है क्योंकि सरकारें इन मामलों की जाँच करने में विफल रही हैं।

प्रमुख बिंदु:

- प्रत्येक वर्ष 2 नवंबर को 'पत्रकारों के खिलाफ अपराधों की समाप्ति के लिये अंतर्राष्ट्रीय दिवस' (International Day to End Impunity for Crimes against Journalists) मनाया जाता है।
  - संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2013 के महासभा प्रस्ताव में इस दिन की घोषणा की थी।
  - इसने सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे असुरक्षा की संस्कृति का सामना करने के लिये निश्चित उपायों को लागू करें।
  - 2 नवंबर, 2013 को माली में दो फ्राँसीसी पत्रकारों की हत्या की याद में इस तारीख को चुना गया था।
- IPI संपादकों, मीडिया अधिकारियों और अग्रणी पत्रकारों का एक वियना-आधारित वैश्विक नेटवर्क है जो गुणवत्ता, स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिये प्रयास करता है।

गठन:

- वर्ष 1950 में प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने तथा पत्रकारिता की प्रथा को सुधारने हेतु 15 देशों के 34 संपादकों ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में एकत्रित होकर इस वैश्विक संगठन का गठन किया।
  - वर्ष 2020 में इसकी 70वीं वर्षगाँठ है।
- मूल सचिवालय वर्ष 1951 में ज़्यूरिख़ (स्विट्ज़रलैंड) में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1976 में लंदन और फिर वर्ष 1992 में वियना में स्थानांतरित कर दिया गया।

उद्देश्य:

- उन स्थितियों को बढ़ावा देना जो पत्रकारिता को अपने सार्वजनिक कार्य को पूरा करने की अनुमति देती हैं, जिनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है मीडिया के हस्तक्षेप से मुक्त और प्रतिशोध के डर के बिना इसकी संचालन क्षमता को बनाए रखना।
- जहाँ कहीं भी उन्हें धमकी दी जाती हो, वहाँ उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना और खबरों का मुक्त प्रवाह बनाए रखना।

पाकिस्तान का गिलगित-बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा

चर्चा में क्यों?

गिलगित-बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के निर्णय को भारत ने दृढ़ता से खारिज कर दिया।

प्रमुख बिंदु:

- गिलगित-बाल्टिस्तान भारत के विवादित क्षेत्रों में से एक है।
- गिलगित-बाल्टिस्तान
  - यह केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के उत्तर-पश्चिम में उच्च भूमि पर स्थित क्षेत्र है।

- यह रणनीतिक रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की सीमाओं पर स्थित है।
- यद्यपि गिलगित-बाल्टिस्तान जम्मू-कश्मीर के पूर्ववर्ती रियासत का हिस्सा था, किंतु वर्ष 1947 में पाकिस्तान द्वारा समर्थित कबाइली सेना के आक्रमण के बाद 4 नवंबर, 1947 से यह क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में है।
  - जम्मू-कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्तूबर, 1947 को भारत के साथ 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन' (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर किये।
  - भारत ने 1 जनवरी, 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तानी आक्रमण का मुद्दा उठाया।
  - जम्मू-कश्मीर से पाकिस्तान सेना को वापस हटाने तथा इस क्षेत्र में भारतीय सेना की संख्या को न्यूनतम करने के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके बाद वहाँ के लोगों की इच्छा जानने के लिये जनमत संग्रह आयोजन किया जाना था।
  - हालाँकि पाकिस्तान की सेनाएँ कभी वापस नहीं हुईं और यह दो देशों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है।

- पृष्ठभूमि:
  - हाल ही में पाकिस्तान के एक प्रमुख सहयोगी देश, सऊदी अरब ने अपने नए बैंक नोट से पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से हटा दिया, क्योंकि भारत ने अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के गलत प्रदर्शन पर सऊदी अरब को सुधारात्मक कदम उठाने के लिये कहा।
  - जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति वापस लेने की पहली वर्षगाँठ पर पाकिस्तान सरकार ने एक नया "राजनीतिक मानचित्र" जारी किया जिसमें जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा पश्चिमी गुजरात के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया था।
    - भारत सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि पाकिस्तान का तथाकथित नया राजनीतिक मानचित्र, "राजनीतिक गैर-बराबरी" की एक कवायद है, जो गुजरात, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर लगातार दावा कर रहा है।
    - भारत ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि हास्यापद बयानों की न तो कानूनी वैधता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता। भारत ने यह कहते हुए कदम पीछे खींच लिये कि पाकिस्तान का नया प्रयास केवल सीमा पार आतंकवाद द्वारा समर्थित क्षेत्रीय आंदोलन के साथ पाकिस्तान के दुस्साहस की वास्तविकता की पुष्टि करता है।
  - गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की आधारभूत संरचना विकास योजना के केंद्र में है।
- भारत का रुख:
  - भारत ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू- कश्मीर और लद्दाख जिसमें गिलगित- बाल्टिस्तान भी शामिल है, पूरी तरह से कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के तहत भारत का अभिन्न अंग है।
  - गिलगित-बाल्टिस्तान को अपने पाँचवें प्रांत के रूप में शामिल करने के लिये पाकिस्तान द्वारा उठाया गया यह कदम सात दशकों से यहाँ रहने वाले लोगों के "मानव अधिकारों के उल्लंघन, शोषण और स्वतंत्रता पर पाबंदी को छुपा नहीं सकता है।

भारत और खाड़ी देश

चर्चा में क्यों?

भारत ने खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council-GCC) के सदस्य देशों से उन भारतीयों को वापसी की सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया है, जो महामारी से संबंधित प्रतिबंधों में छूट मिलने के पश्चात् अब पुन: कार्य शुरू करना चाहते हैं।

प्रमुख बिंदु

- खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के सदस्य देशों के साथ आयोजित एक रणनीतिक वार्ता को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने उल्लेख किया कि बड़ी संख्या में भारतीय कामगार और पेशेवर अपना कार्य पुन: शुरू करने के लिये खाड़ी देशों में लौटने के इच्छुक हैं।
- इस दौरान भारत ने खाड़ी देशों को खाद्य पदार्थों, दवाओं और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रखने का आश्वासन भी दिया।
  - कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के बाद से बीते कुछ महीनों में कई भारतीय नागरिक खाड़ी देशों से वापस भारत लौट आए हैं।

खाड़ी देश और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)

- सामान्यत: जिन देशों की सीमा फारस की खाड़ी के साथ मिलती है, उन्हें खाड़ी देश के रूप में संबोधित किया जाता है। जब खाड़ी देशों की बात की जाती है तो इसमें मुख्यत: कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन को शामिल किया जाता है।
- ज्ञात हो कि ये 6 देश खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के संस्थापक सदस्य हैं।
- यद्यपि ईरान व इराक भी फारस की खाड़ी के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, किंतु वे इस परिषद के सदस्य देश नहीं बन पाए हैं।

खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासी

- आँकड़ों की मानें तो भारत, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की उत्पत्ति का सबसे बड़ा स्रोत है, साथ ही भारत द्वारा प्रेषण (Remittances) के माध्यम से भी सबसे अधिक धनराशि प्राप्त की जाती है।
- विदेश मंत्रालय के मुताबिक, लगभग आठ मिलियन से अधिक भारतीय पश्चिम एशिया में रहते और कार्य करते हैं, जिनमें से अधिकांश भारतीय, खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के सदस्य देशों जैसे-, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई में रहते हैं, और 40 बिलियन डॉलर से अधिक की धनराशि प्रेषण के माध्यम से भारत को भेजते हैं।
- खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था में भारतीय कामगारों की महत्ता का अंदाज़ा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इन देशों में प्रवासी कामगारों का 30 प्रतिशत हिस्सा अकेले भारतीय कामगारों का है। इस तरह ये प्रवासी कामगार न केवल प्रेषण के माध्यम से भारत के लिये आय के एक महत्त्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि ये खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारतीय प्रवासियों से संबंधित चिंता

- यद्यपि खाड़ी देश भारतीय कामगारों और पेशेवरों के लिये एक प्रमुख स्थान है, किंतु इन देशों की रोज़गार प्रणाली के कारण यहाँ प्रवासी श्रमिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वे शोषण के प्रति काफी संवेदनशील हो जाते हैं।
  - खाड़ी देशों में प्रचलित 'कफाला प्रणाली' (Kafala System) के तहत प्रवासी श्रमिकों के आव्रजन और रोज़गार की स्थिति के संबंध में पूरा अधिकार निजी नियोक्ता को दिया गया है, जिसके कारण कई बार निजी नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों के शोषण की खबरें सामने आती हैं।
- कई खाड़ी देशों ने अपने यहाँ रोज़गार की स्थिति में सुधार करने के लिये महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें वर्ष 2019 में मज़दूरी संरक्षण प्रणाली को लागू करना और विभिन्न भेदभाव-रोधी नियमों को जारी करना शामिल है।

भारत के लिये खाड़ी क्षेत्र का महत्त्व

- भारत के लिये सदैव ही खाड़ी क्षेत्र का एक विशिष्ट राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक महत्त्व रहा है। खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के सदस्य देश अपने आर्थिक एकीकरण प्रयासों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे भारत के लिये व्यापार, निवेश, ऊर्जा, श्रमशक्ति जैसे क्षेत्रों में सहयोग के महत्त्वपूर्ण अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।
- खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के सदस्य देशों के साथ भारत के संबंध पिछले कुछ वर्षों में काफी मज़बूत हुए हैं। भारत ने वर्ष 2019 में सऊदी अरब के साथ एक रणनीतिक परिषद के गठन हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये थे।
  - भारतीय कंपनियों की प्रौद्योगिकी, निर्माण, आतिथ्य और वित्त समेत विभिन्न क्षेत्रों में खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के सदस्य देशों में सक्रिय उपस्थिति है।
- खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) वित्तीय वर्ष 2018-19 में लगभग 121 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है, जिसमें तेल आयात की हिस्सेदारी काफी अधिक है।
  - GCC के सदस्य देश, भारत की तेल संबंधी आवश्यकताओं के लगभग 34 प्रतिशत हिस्से की पूर्ति करते हैं, हालाँकि बीते कुछ वर्षों में भारत की तेल संबंधी आवश्यकताओं के लिये खाड़ी देशों पर निर्भरता काफी कम हुई है, क्योंकि भारत ने नाइजीरिया, अमेरिका और इराक जैसे अन्य आपूर्तिकर्त्ताओं का ओर रुख किया है।
- खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के सदस्य देशों में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और सऊदी अरब भारत के दो प्रमुख व्यापारिक भागीदार देश हैं, जिनका वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार क्रमशः 60 बिलियन डॉलर और 34 बिलियन डॉलर के आस-पास है।

नोट :

- इसके अलावा खाड़ी क्षेत्र भारत के विकास की अहम ज़रूरतों जैसे- ऊर्जा संसाधन, कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिये निवेश के मौके और लाखों लोगों को नौकरी के भरपूर अवसर देता है।
- जहाँ एक ओर ईरान भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप तक पहुँचने का रास्ता उपलब्ध कराता है, तो वहीं ओमान पश्चिम हिंद महासागर तक पहुँचने का मार्ग प्रदान करता है।

महामारी और भारत-खाड़ी देशों के संबंध

- भारत के लिये खाड़ी देशों की महत्ता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इन देशों में कोरोना वायरस महामारी का प्रसार भारत के लिये एक गंभीर चिंता का विषय है।
- इस वर्ष की शुरुआत से ही खाड़ी देश कोरोना वायरस महामारी और तेल की कीमतों में गिरावट की दोहरी मार झेल रहे हैं तथा कुछ ही समय पहले अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमत बीते 17 वर्ष के अपने निचले स्तर पर पहुँच गई थी। इससे उन खाड़ी देशों की राजकोषीय स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ा है, जो अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिये मुख्यत: तेल राजस्व पर निर्भर हैं।
- ऐसी स्थिति में कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस महामारी के कारण खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित हो सकती है और यहाँ मंदी जैसी स्थिति देखी जा सकती है तथा यदि ऐसा होता है तो इससे इन देशों में कार्य कर रहे प्रवासी श्रमिकों पर काफी अधिक प्रभाव पड़ेगा।
  - इस परिस्थिति में भारतीय प्रवासी श्रमिक कोरोना वायरस से संक्रमित होने के जोखिम के अलावा अपने रोज़गार को लेकर भी खतरे का सामना कर रहे हैं।
- महामारी और आर्थिक मंदी के कारण भारत वापस लौटने वाले लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था में समाहित करना सरकार के लिये एक बड़ी चुनौती होगी।
  - जो लोग वापस भारत लौट रहे हैं उनसे संक्रमण की दर में बढ़ोतरी की संभावना भी काफी बढ़ गई है, जिसका मुख्य उदाहरण केरल में देखा जा सकता है, जहाँ महामारी के शुरुआती दौर में संक्रमण को रोकने में काफी सफलता मिली थी, किंतु जब प्रवासी श्रमिक केरल वापस लौटने लगे, तो संक्रमण की दर में भी बढ़ोतरी होने लगी।
- भारत विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता है और वर्ष 2018 में भारत ने प्रेषण के रूप में तकरीबन 79 बिलियन डॉलर की राशि प्राप्त थी, जिसमें आधे से अधिक धन खाड़ी देशों से आया था। इस तरह इन देशों में आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने से भारत को प्रेषण से मिलने वाली आय में भी कमी आएगी।
- यदि महामारी की स्थिति लंबे समय तक जारी रहती है तो यह खाड़ी देशों को अपने कार्यबल की राष्ट्रीयकरण की नीति को सख्ती से लागू करने के लिये प्रेरित करेगा और भविष्य में भारतीय श्रमिकों के लिये इन देशों में काम खोजना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।
- वैश्विक महामारी के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति भी बाधित हो सकती है तथा इसका सबसे बड़ा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि भारत सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का आयात सऊदी अरब से ही करता है।

आगे की राह

- खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों के रोज़गार के खतरे को देखते हुए भारत को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये अपने उपायों के समर्थन में खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के सदस्य देशों को पूर्ण सहयोग का आश्वासन देना होगा।
- विदेशों में खासतौर पर खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय प्रवासी श्रमिकों की सहायता और स्वच्छता, भोजन एवं स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं जैसे- प्रवासी भारतीय बीमा योजना और भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष आदि का उपयोग किया जा सकता है।
- भारत को इस संकट से बाहर निकलने के बाद अपनी 'एक्ट वेस्ट नीति' को विस्तार देना चाहिये।

नोट :

भारत और यूएई के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत द्वारा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ निवेश बढ़ाने के लिये 8वीं उच्च स्तरीय बैठक (संयुक्त कार्यदल) आयोजित की गई। COVID-19 महामारी के मद्देनज़र यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आयोजित की गई।

प्रमुख बिंदु:

- संयुक्त कार्यदल (Joint Task Force):
  - दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मज़बूत करने के लिये संयुक्त कार्यदल का गठन वर्ष 2012 में किया गया था।
  - इस कार्यदल की सफलता का ही परिणाम था कि जनवरी 2017 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने समग्र रणनीतिक साझेदारी समझौता (Comprehensive Strategic Partnership Agreement) किया था।
- इस अवसर पर भारत और यूएई ने व्यापार एवं आर्थिक समझौतों को विस्तार देने के बीच आ रही बाधाओं पर भी चर्चा की। इसके तहत एंटी डंपिंग शुल्क, टैरिफ और नियामक प्रतिबंध जैसी बाधाओं पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने भी बातचीत की।
- संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने उन क्षेत्रों की पहचान की है जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण साबित होंगे।
  - नागरिक उड्डयन क्षेत्र को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानते हुए दोनों देशों ने आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ाने पर सहमति जताई है।
  - दोनों देशों के नागरिक उड्डयन नियामक (Civil Aviation Authorities) इस दिशा में प्राथमिकता के साथ कार्य करेंगे। इसके जरिये दोनों देशों के बीच 'एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन' (Air Transport Operations) सुलभ करना एक अहम उद्देश्य होगा।
- 'यूएई स्पेशल डेस्क' [UAE special desk ('Plus UAE')] और 'फॉस्ट ट्रैक मैकेनिज़्म' (Fast Track Mechanism):
  - दोनों देशों ने वर्ष 2018 में बनाई गई 'यूएई स्पेशल डेस्क' और 'फॉस्ट ट्रैक मैकेनिज़्म' की भी समीक्षा की है। जिसका उद्देश्य भारत में यूएई द्वारा निवेश बढ़ाने और निवेशकों की समस्याओं को दूर करना है।

प्लस यूएई (Plus UAE):

- 'प्लस यूएई' (Plus UAE) एक व्यापारिक परामर्शदाता है जो अबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात) में स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निवेशकों के लिये नए व्यापारिक उपक्रम स्थापित करने में मदद करता है। इसके साथ प्लस यूएई (Plus UAE) दुबई में व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान करता है।
- गौरतलब है कि भारत ने यूएई के अतिरिक्त इटली के साथ भी निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने के लिये दोनों देशों की कंपनियों एवं निवेशकों के लिये एक फास्ट-ट्रैक प्रणाली (Fast-track System) स्थापित की है।
- यूएई द्वारा गठित निधि कोष:
  - इस बैठक में भारत में निवेश के लिये यूएई द्वारा गठित किये गए निधि कोष के बारे में भी चर्चा की गई। जिसकी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) द्वारा बनाए गए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक नियम- 2019 (Foreign Portfolio Investor Regulations 2019) के आधार पर समीक्षा भी की गई।
  - भारतीय पक्ष यूएई-आधारित निधियों के भारत में सीधे निवेश की सुविधा और उस संबंध में पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधानों की मांग करने के उद्देश्य से इन मुद्दों पर ध्यान देने के लिये सहमत हुआ।
- अन्य क्षेत्रों में भागीदारी:
  - दोनों देशों ने स्वास्थ्य सेवाओं, फॉर्मास्युटिकल, मोबिलिटी और लॉज़िस्टिक, खाद्य एवं कृषि, ऊर्जा, उपयोगी सेवाएँ सहित दूसरे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है।

नोट :

भारत-यूएई संबंधों पर एक नज़र:

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने वर्ष 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित किये। UAE ने वर्ष 1972 में दिल्ली में अपना दूतावास खोला और भारत ने वर्ष 1973 में अबू धाबी में अपना दूतावास खोला।
- 1970 के दशक में भारत-यूएई का व्यापार 180 मिलियन यूएस डॉलर प्रति वर्ष था वर्तमान में यह $60 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है, वर्ष 2018-19 में यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था।
- इसके अलावा यूएई वर्ष 2018-19 में 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य था।
- वर्ष 2018 के दौरान भारत-यूएई के मध्य गैर-तेल व्यापार $36 बिलियन के साथ यूएई, भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था।
- भारत में यूएई का निवेश लगभग 13-14 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, यह भारत के लिये 10वाँ सबसे बड़ा FDI निवेशक है।
- संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय निवेश का अनुमान लगभग 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

निष्कर्ष:

- उल्लेखनीय है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच साझेदारी बढ़ाने में संयुक्त कार्यदल एक अहम भूमिका निभा रहा है। पिछले 8 वर्षों में संयुक्त कार्यदल के प्रयासों का ही परिणाम है कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध इतने मज़बूत हुए हैं।
- तेज़ी से विकास करते भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ विकास की असीम संभावनाएँ मौजूद हैं। यूएई, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार निवेश कर रहा है और भारत के विकास का अहम भागीदार भी है। भारत हमेशा से यूएई के निवेश को उच्च प्राथमिकता देता है और वहाँ के निवेशकों के लिये अनुकूल माहौल बनाने के अहम कदम उठाता है।

करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का प्रबंधन

चर्चा में क्यों?

भारत ने गुरुद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर (GADSK) का प्रबंधन एक गैर-सिख समुदाय के ट्रस्ट को स्थानांतरित करने के पाकिस्तान के निर्णय की निंदा करते हुए कहा है कि यह निर्णय पूर्णत: सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध है।

प्रमुख बिंदु

- पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक, 'हिजरती ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड' (Evacuee Trust Property Board-ETPB) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत गुरुद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर के प्रबंधन और रखरखाव के लिये 'प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट' (PMU) नाम से एक स्व-वित्तपोषित निकाय का गठन किया गया है।
    - इस तरह पाकिस्तान सरकार ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के प्रबंधन और रखरखाव की ज़िम्मेदारी को पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से लेकर हिजरती ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड को स्थानांतरित कर दी है, जो कि एक गैर-सिख निकाय है।

'हिजरती ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड' (ETPB)

- 'हिजरती ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड' (ETPB) पाकिस्तान सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है, जिसका गठन वर्ष 1960 में किया गया था।
- इस बोर्ड का मुख्य कार्य पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों और ऐसे शैक्षिक, धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट की संपत्ति का प्रबंधन करना है, जिन्हें विभाजन के बाद भारत में पलायन करने वाले हिंदू और सिख समुदाय के लोगों द्वारा छोड़ दिया गया था।

चिंताएँ

- कई सिख नेताओं ने चिंता ज़ाहिर करते हुए कहा है कि पाकिस्तान सरकार का यह निर्णय सिख तीर्थस्थलों से जुड़ी 'मर्यादा' (Maryada) अथवा 'आचार संहिता' के विरुद्ध है।
- पाकिस्तान सरकार के इस निर्णय को एक धर्म विशेष के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध भी देखा जा सकता है। ध्यातव्य है कि पाकिस्तान के करतारपुर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब दुनिया भर के लाखों लोगों के लिये एक पूजनीय स्थल है और प्रत्येक वर्ष हज़ारों की संख्या में सिख तीर्थयात्री यहाँ आते हैं।

- कई लोगों ने इस बात को लेकर भी चिंता व्यक्त की है कि पाकिस्तान सरकार द्वारा गठित नई प्रबंधन इकाई में सिख समुदाय के प्रतिनिधित्व का अभाव है।
  - हालाँकि पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने स्पष्ट किया है कि गुरुद्वारे के बाहर निर्माण, रखरखाव और सुरक्षा की व्यवस्था हिजरती ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ETPB) द्वारा की जाएगी, जबकि सिख गुरुद्वारे के अंदर अनुष्ठानों से संबंधित संपूर्ण व्यवस्था अभी भी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नियंत्रण में ही है।

गुरुद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर (GADSK)

- गुरुद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के नरोवाल ज़िले में स्थित है और पाकिस्तान में भारत-पाकिस्तान सीमा से लगभग 3-4 किमी. दूर है।
- सिख धर्म का यह महत्त्वपूर्ण स्थल भारत के गुरदासपुर ज़िले में डेरा बाबा नानक से लगभग 4 किमी. दूर और पाकिस्तान के लाहौर से लगभग 120 किमी. उत्तर-पूर्व में स्थित है।
- इस धर्मस्थल का निर्माण उस स्थान की याद में किया गया था जहाँ सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी ने अपनी मृत्यु (वर्ष 1539) से पूर्व 18 वर्ष बिताए थे। यही कारण है कि यह स्थान सिख धर्म के अनुयायियों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण माना जाता है।
  - गुरुद्वारा दरबार साहिब को गुरुद्वारा ननकाना साहिब (गुरुद्वारा जन्म स्थान) के बाद सिख धर्म का दूसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है।
  - गुरुद्वारा ननकाना साहिब भी पाकिस्तान में ही स्थित है और इससे सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है।
- करतारपुर में मौजूद वर्तमान गुरुद्वारे को 19वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बनवाया गया था, क्योंकि वर्ष 1515 में गुरु नानक द्वारा स्थापित मूल निवास स्थान (गुरुद्वारा) रावी नदी में आई एक बाढ़ के कारण बह गया था।

करतारपुर गलियारा

- बीते वर्ष नवंबर माह में एक ऐतिहासिक पहल के तहत गुरदासपुर ज़िले में डेरा बाबा नानक को पाकिस्तान के गुरुद्वारा करतारपुर साहिब से जोड़ने वाले एक गलियारे की शुरुआत की गई थी।
- अधिकांश जानकार इस गलियारे को भारत-पाकिस्तान के मध्य सांस्कृतिक रिश्ते को मज़बूत करने के एक नए अवसर के तौर पर देख रहे थे।
- उम्मीद के मुताबिक यह गलियारा दोनों देशों के नागरिकों के मध्य संपर्क को बढ़ाएगा, जिससे दोनों देशों के लोगों को प्रेम, सहानुभूति और आध्यात्मिक विरासत के अदृश्य धागों के माध्यम से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
- हालाँकि इसी वर्ष मार्च माह में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए करतारपुर गलियारा को बंद कर दिया गया था।

महत्त्व

- सिख समुदाय खासतौर पर भारत में रहने वाले सिख समुदाय के लोगों द्वारा लंबे समय से गुरुद्वारा दरबार साहिब के लिये गलियारे की शुरुआत करने की मांग की जा रही थी, ताकि भारत से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिये करतारपुर साहिब पहुँचना आसान और तुलनात्मक रूप से सस्ता हो जाए।

आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का वार्षिक प्रस्ताव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) की पहली समिति में सर्वसम्मति से आतंकवाद-रोधी मुद्दे पर भारत के वार्षिक प्रस्ताव को अपनाया गया।

मुख्य बिंदु

- 75 से अधिक देशों ने प्रस्ताव को समर्थन दिया तथा इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से (एक वोट के बिना) अपनाया गया।
    - भारत, राज्य प्रायोजित सीमा-पार आतंकवाद से पीड़ित रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिये इस गंभीर खतरे को उजागर करने और आतंकवादी समूहों द्वारा बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियारों के अधिग्रहण को लेकर चिंता ज़ाहिर करने में सबसे आगे रहा है।
- भारत ने महासभा में इस मुद्दे पर चर्चा करने और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1540 को अपनाने का आह्वान किया है।
    - सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 1540 को वर्ष 2004 में अपनाया था।
    - इस प्रस्ताव के अनुसार, सभी सभी देश गैर-राज्य प्राधिकारी (Non-State Actors) विशेष रूप से आतंकवादी उद्देश्यों से प्रेरित व्यक्तियों या संगठनों को परमाणु, रासायनिक या जैविक हथियारों और उनके वितरण के साधनों को विकसित करने, अधिग्रहण, निर्माण, परिवहन, हस्तांतरण या उपयोग करने आदि के संबंध में किसी भी प्रकार का समर्थन प्रदान करने से बचेंगे।
- यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि संयुक्त राष्ट्र, 'अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक कन्वेंशन' (Comprehensive Convention on International Terrorism) पर अभी तक सहमत नहीं हुआ है।
    - वर्ष 1996 में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये एक व्यापक कानूनी ढाँचा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत ने UNGA को "अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन " (CCIT) को अपनाने का प्रस्ताव दिया।

सामूहिक विनाश के हथियार (Weapon of Mass Destruction):

- WMD ऐसे हथियार को संदर्भित करता है जिसमें बड़े पैमाने पर मौत और विध्वंस को उकसाने की क्षमता है। शत्रु के हाथों में इसकी उपस्थिति को एक गंभीर खतरा माना जा सकता है।
- सामूहिक विनाश के आधुनिक हथियार परमाणु, जैविक या रासायनिक रूप में हैं, जिनको प्राय: सामूहिक रूप से NBC हथियारों के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- WMD के प्रसार को नियंत्रित करने के प्रयासों में वर्ष 1968 की परमाणु अप्रसार संधि, वर्ष 1972 का जैविक हथियार सम्मेलन और वर्ष 1993 का रासायनिक हथियार सम्मेलन शामिल हैं।
    - भारत वर्ष 1968 की परमाणु अप्रसार संधि का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
- भारत ने सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण प्रणालियों के संबंध में गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिये एक अधिनियम बनाया है, जिसे जनसंहारक हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधि निषेध) अधिनियम, 2005/The Weapons of Mass Destruction and Their Delivery Systems (Prohibition of unlawful activities) Act, 2005 के रूप में जाना जाता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly)

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर (UN Charter) के तहत वर्ष 1945 में इसकी स्थापना की गई।
- यह महासभा संयुक्त राष्ट्र में विचार-विमर्श और नीति निर्माण जैसे मुद्दों पर प्रतिनिधि संस्था के रूप में काम करती है।
- 192 सदस्यों से बनी संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने चार्टर के तहत कवर किये गए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुआयामी और बहुपक्षीय चर्चा के लिये एक बेहतरीन मंच प्रदान करती है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति

- प्रथम समिति (निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा) निरस्त्रीकरण, वैश्विक चुनौतियों और शांति के लिये खतरों से संबंधित है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित करती है तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में चुनौतियों के समाधान का प्रयास करती है।
- समिति संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग और निरस्त्रीकरण पर जिनेवा-आधारित सम्मेलन के साथ घनिष्ठ सहयोग से काम करती है।

एससीओ का 20वाँ सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

10 नवंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों के प्रमुखों का 20वाँ सम्मेलन आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की।

प्रमुख बिंदु:

- इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्त्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
- इसके अतिरिक्त SCO सचिवालय के महासचिव, एससीओ क्षेत्रीय आतंकरोधी तंत्र के कार्यकारी निदेशक के साथ-साथ 4 पर्यवेक्षक देशों- अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया के राष्ट्रपतियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।
- वर्चुअल माध्यम से यह पहला SCO सम्मेलन है और वर्ष 2017 में भारत के इस संगठन के पूर्णकालिक सदस्य बनने के बाद तीसरा सम्मेलन है।

भारत का पक्ष:

- COVID-19 और बहुपक्षीय सुधार: प्रधानमंत्री ने COVID-19 महामारी के बाद विश्व में सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं से निपटने के लिये तत्काल प्रभाव से बहुपक्षीय सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया।
    - भारत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के अस्थायी सदस्य के रूप में 1 जनवरी, 2021 से वैश्विक प्रशासन व्यवस्था में अपेक्षित बदलाव के लिये 'बहुपक्षीय सुधार' (Reformed Multilateralism) की थीम पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा।
- क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा: प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा एवं विकास के प्रति भारत की दृढ़ता को पुन: दोहराया और आतंकवाद, हथियारों तथा नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी तथा मनी लॉन्ड्रिंग की चुनौतियों का उल्लेख किया।
    - गौरतलब है कि भारत के सैनिक संयुक्त राष्ट्र संघ के लगभग 50 शांति मिशनों में शामिल हो चुके हैं।
    - भारत का औषधि उद्योग COVID-19 के दौरान 150 से अधिक देशों को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति कर रहा है।
- सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संबंध: प्रधानमंत्री ने SCO के अंतर्गत आने वाले भौगोलिक क्षेत्र में भारत के मज़बूत सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित किया और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, चाबहार बंदरगाह तथा अश्गाबात समझौते जैसे क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने वाले समझौतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।
    - क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने SCO के सदस्यों से 'क्षेत्रीय अखंडता' एवं 'संप्रभुता' का सम्मान करने का आग्रह किया।
    - SCO से संबंधित सांस्कृतिक पहल: SCO को लेकर भारत में शुरू की गयी पहलों में भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा साझी बौद्ध विरासत पर पहली प्रदर्शनी का आयोजन, वर्ष 2021 में भारत में 'SCO फूड फेस्टिवल' का आयोजन और साहित्यिक प्रयास के क्रम में 10 क्षेत्रीय भाषाओं का रूसी एवं चीनी भाषा में अनुवाद शामिल है।
- इस सम्मेलन में भारत ने सदस्य देशों के समक्ष नवाचार एवं स्टार्टअप्स के लिये 'विशिष्ट कार्य समूह' (Special Working Group) के गठन तथा पारंपरिक दवाओं पर एक उप-समूह के गठन का भी प्रस्ताव रखा।

उल्लेखनीय है कि SCO समिट की अगली नियमित बैठक 30 नवंबर, 2020 को वर्चुअल प्रारूप में होनी है जिसकी मेज़बानी भारत करेगा।

चीन का पक्ष:

- इस सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों को आपसी विश्वास को और अधिक मज़बूत करना चाहिये तथा बातचीत एवं परामर्श के माध्यम से विवादों व मतभेदों को हल करना चाहिये, साथ ही आतंकवादी, अलगाववादी और चरमपंथी ताकतों से दृढ़ता से निपटना चाहिये।
    - गौरतलब है कि चीनी राष्ट्रपति के इस वक्तव्य को विश्लेषक पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच छह महीने से अधिक समय से सीमा गतिरोध की पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं।

नोट :

- SCO के देशों को किसी भी तरीके से अपने आंतरिक मामलों में बाहरी शक्तियों के दखल का पूरी तरह विरोध करना चाहिये।
  - चीन के इस वक्तव्य को अक्तूबर 2020 में जापान के टोक्यो में संपन्न हुई क्वाड (Quad) विदेश मंत्रियों की बैठक के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है, जो 'मुक्त, खुले और समृद्ध' भारत-प्रशांत क्षेत्र के लिये समर्थन हेतु भारत-अमेरिका-जापान-ऑस्ट्रेलिया देशों को एक मंच पर लाता है।
    - 'चतुर्भुज सुरक्षा संवाद' (Quadrilateral Security Dialogue) अर्थात् क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है।

आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच शांति समझौता

चर्चा में क्यों?

आर्मेनिया, अज़रबैजान और रूस ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो-काराबाख (Nagorno-Karabakh) में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिये एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शुरू हुए इस विवाद के कारण अब तक हज़ारों लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ी है और इसके कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं, इसी कारण इस विवाद को बीते कुछ वर्षों का सबसे गंभीर विवाद माना जाता है।
- आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से किये गए इस समझौते पर आर्मेनिया, अज़रबैजान और रूस (तीनों देशों) के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये हैं।
  - हालाँकि सितंबर माह में संघर्ष की शुरुआत के बाद से दोनों देशों के बीच युद्धविराम को लेकर कई समझौते किये गए हैं, किंतु इनमें से कोई भी सफल नहीं हो पाया है।

नया शांति समझौता

- शांति समझौते के मुताबिक दोनों देश सीमा पर अपनी यथास्थिति बनाए रखेंगे यानी वे उस क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ेंगे, जहाँ उनकी सेनाएँ अभी मौजूद हैं।
  - समझौते के इस प्रावधान से अज़रबैजान को काफी लाभ होगा, क्योंकि उसने सितंबर माह (जब संघर्ष की शुरुआत हुई थी) की तुलना में 15-20 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र प्राप्त कर लिया है।
- सभी प्रकार के सैन्य अभियानों को निलंबित कर दिया गया है और रूस की शांति सेना को विवादित क्षेत्र नागोर्नो-काराबाख तथा इस क्षेत्र को आर्मेनिया से जोड़ने वाले लाचिन कॉरिडोर में तैनात किया जाएगा। लगभग 2000 सैनिकों वाली यह शांति सेना पाँच वर्ष की अवधि के लिये इस क्षेत्र में तैनात की जाएगी।
- शरणार्थी और आंतरिक रूप से विस्थापित लोग इस क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में वापस लौट सकेंगे तथा दोनों पक्ष युद्धबंदियों का भी आदान-प्रदान करेंगे।
  - इस कार्य के लिये नखचिवन (Nakhchivan) से अज़रबैजान तक एक नया कॉरिडोर शुरू किया जाएगा, जो कि रूस के नियंत्रण में होगा।

समझौते की आलोचना

- इस नए शांति समझौते के प्रावधान के कारण आर्मेनिया को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, यही कारण है कि इस शांति समझौते को लेकर आर्मेनिया की संसद में विरोध भी प्रकट किया जा रहा है।
- कई जानकार इस शांति समझौते को आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच शुरू हुए सैन्य संघर्ष में अज़रबैजान की जीत के रूप में देख रहे हैं।

रूस का पक्ष

- आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच लंबे समय से चल रहे इस विवाद में रूस की भूमिका अस्पष्ट है, क्योंकि रूस ने दोनों ही देशों के साथ संबंध स्थापित किये हुए हैं और वह दोनों देशों को हथियारों की आपूर्ति भी करता है।

- आर्मेनिया में रूस का एक सैन्य अड्डा है, साथ ही आर्मेनिया, रूस के नेतृत्व वाले 'सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन' (CSTO) का सदस्य भी है।
    - इस संधि के मुताबिक, यदि आर्मेनिया पर किसी भी देश द्वारा हमला किया जाता है तो रूस, आर्मेनिया को सैन्य सहायता प्रदान करेगा, हालाँकि इस संधि के तहत विवादित क्षेत्र नागोर्नो-काराबाख को शामिल नहीं किया गया है।
- इस तरह रूस के हित दोनों ही देशों के साथ जुड़े हुए हैं, इस दृष्टि से रूस के लिये यह शांति समझौता काफी महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है।

आर्मेनिया-अज़रबैजान विवाद और जातीयता की भूमिका

- वर्ष 1918 में आर्मेनिया और अज़रबैजान रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र हुए और वर्ष 1921 में वे सोवियत गणराज्य का हिस्सा बन गए।
- 1920 के दशक के प्रारंभ में दक्षिण काकेशस में सोवियत शासन लागू किया गया और तत्कालीन सोवियत सरकार ने तकरीबन 95 प्रतिशत अर्मेनियाई आबादी वाले नागोर्नो-करबाख क्षेत्र को अज़रबैजान के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र बना दिया।
- यद्यपि स्वायत्त क्षेत्र बनने के बाद भी इस क्षेत्र को लेकर दोनों देशों (आर्मेनिया और अज़रबैजान) के बीच संघर्ष जारी रहा, हालाँकि सोवियत शासन के दौरान दोनों देशों के बीच संघर्ष रोक दिया गया।
- लेकिन जैसे ही सोवियत संघ के पतन की शुरुअत हुई,आर्मेनिया और अज़रबैजान पर उसकी पकड़ भी कमज़ोर होती गई। इसी दौरान वर्ष 1988 में अज़रबैजान की सीमा के भीतर होने के बावजूद नागोर्नो-काराबाख की विधायिका ने आर्मेनिया में शामिल होने का प्रस्ताव पारित किया।
- वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और नागोर्नो-काराबाख स्वायत्त क्षेत्र ने एक जनमत संग्रह के माध्यम से स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, वहीं अज़रबैजान ने इस जनमत संग्रह को मानने से इनकार कर दिया।
- सोवियत संघ के विघटन के साथ ही रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण इस क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच भी युद्ध की शुरुआत हो गई।
    - उल्लेखनीय है कि आर्मेनिया और अज़रबैजान दोनों ही समय-समय पर एक-दूसरे के ऊपर नागोर्नो-काराबाख स्वायत्त क्षेत्र में जातीय नरसंहार का आरोप लगाते रहे हैं।
- अधिकतर जानकार जातीय तनाव को आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच इस संघर्ष का मुख्य कारण मानते हैं। जहाँ एक ओर अज़रबैजान का दावा है कि विवादित नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र इतिहास में उसके नियंत्रण में था, वहीं आर्मेनियाई लोगों का मानना है कि यह क्षेत्र पूर्व में आर्मेनियाई साम्राज्य का एक हिस्सा था।
- वर्तमान में इस क्षेत्र के जातीय तनाव को इस बात से समझा जा सकता है कि यह क्षेत्र मुस्लिम-बहुल अज़रबैजान का हिस्सा है और यहाँ बहुसंख्यक आर्मेनियाई ईसाई आबादी निवास करती है।

नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र

- पश्चिमी एशिया और पूर्वी यूरोप में फैले हुए नागोर्नो-काराबाख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अज़रबैजान के एक हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु इस क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा आर्मेनियाई अलगाववादियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- यह दक्षिण-पश्चिमी अज़रबैजान में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है, जो कि तकरीबन 4,400 वर्ग किलोमीटर (1,700 वर्ग मील) तक फैला हुआ है।
- आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच विवादित नागोर्नो-काराबाख स्वायत्त क्षेत्र आर्मेनिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 50 किलोमीटर (30 मील) दूर स्थित है।

भारत की वित्तीय प्रणाली का डिजिटलीकरण

चर्चा में क्यों:

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने 'भारतीय बैंक संघ' (Indian Banks' Association- IBA) की 73वीं सामान्य वार्षिक बैठक में कहा कि बैंकों को ऋण देने से नहीं बचना चाहिये, खासकर जब अर्थव्यवस्था बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।

प्रमुख बिंदु:

- केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि ऋणदाता संस्थानों को सभी भारतीय ग्राहकों के लिये सबसे पहले रुपे कार्ड (Rupay Card) की पेशकश करनी चाहिये, गैर-डिजिटल भुगतान को हतोत्साहित करना चाहिये और 31 मार्च, 2021 तक ग्राहक के आधार नंबर के साथ प्रत्येक बैंक खाते को जोड़ना चाहिये।
  - RuPay भारत में अपनी तरह का पहला घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान नेटवर्क है।
  - यह नाम रुपे (Rupee) और पेमेंट (Payment) दो शब्दों से मिलकर बना है जो इस बात पर ज़ोर देता है कि यह डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतानों के लिये भारत की स्वयं की पहल है।
  - इस कार्ड का उपयोग सिंगापुर, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन और सऊदी अरब में लेन-देन के लिये भी किया जा सकता है।
  - जनवरी 2020 तक 600 मिलियन से अधिक RuPay कार्ड धारक थे।
- भारतीय बैंकों को केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के तहत प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि वे तीन 'C' [केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC), केंद्रीय जाँच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India)] के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकें। यह उन्हें विवेकपूर्ण जोखिम लेने और बिना किसी डर के उधार देने में सक्षम बनाएगा।

क्रेडिट विस्तार और वित्तीय प्रणाली में अधिक बैंकों का प्रवेश:

- हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम ने वित्तीय प्रणाली में अधिक-से-अधिक प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करने के साथ-साथ क्रेडिट प्रसार के लिये अधिक बैंकों के प्रवेश की ज़रूरत का उल्लेख किया था।
  - भारत में लगभग 500-600 बैंक हैं जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास भारत की एक-चौथाई जनसंख्या होने के बावजूद कुल 26,000 बैंक हैं।
  - यद्यपि केवल आधा दर्जन बड़े बैंक ही अमेरिकी वित्तीय प्रणाली पर हावी हैं, छोटे बैंक अधिकतर MSME के ऋणदाता के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार ये बैंक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - उल्लेखनीय है कि विश्व के शीर्ष 100 में केवल एक भारतीय बैंक (SBI) शामिल है, जबकि चीन के 18 बैंक हैं।

वित्तीय समावेशन:

- भारत में वित्तीय समावेशन में हाल के वर्षों में तेज़ी से प्रगति देखी गई है किंतु इसे और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है।
- वित्तीय समावेशन कम आय वाले लोग और समाज के वंचित वर्ग को वहनीय कीमत पर भुगतान, बचत, ऋण आदि सहित वित्तीय सेवाएँ पहुँचाने का प्रयास है। इसे 'समावेशी वित्तपोषण' भी कहा जाता है।
- वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य उन प्रतिबंधों को दूर करना है जो वित्तीय क्षेत्र में भाग लेने से लोगों को बाहर रखते हैं और बिना किसी भेदभाव के उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराना है।

वित्तीय समावेशन से संबंधित भारत सरकार की पहल:

- जैम (JAM) ट्रिनिटी: [जनधन-आधार-मोबाइल]
  - आधार, प्रधानमंत्री जनधन योजना और मोबाइल संचार में वृद्धि ने नागरिकों तक सरकारी सेवाओं के पहुँचने का तरीका बदल दिया है।
    - एक अनुमान के अनुसार, अब तक लगभग 42 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले जा चुके हैं।
  - व्यक्तिगत पहचान की अवधारणा में महत्त्वपूर्ण बदलाव के साथ आधार न केवल एक सुरक्षित और आसानी से सत्यापन योग्य प्रणाली है, बल्कि वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में यह एक महत्त्वपूर्ण टूल है।
- ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार:
  - भारतीय रिज़र्व बैंक और नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया है।

- डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा:
  - भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India-NPCI) द्वारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को मज़बूत करने के साथ ही पूर्व की तुलना में डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाया गया है।
  - आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, आधार सक्षम बैंक खाते किसी भी समय या स्थान पर माइक्रो एटीएम का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं।
  - ऑफलाइन लेन-देन में सक्षम बनाने वाले प्लेटफॉर्म 'अवसंरचनात्मक पूरक सेवा डेटा' (Unstructured Supplementary Service Data-USSD) के कारण भुगतान प्रणाली को और अधिक सुलभ बनाया गया है , जिससे सामान्य मोबाइल हैंडसेट पर भी इंटरनेट के बिना मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना संभव हो जाता है।
- वित्तीय साक्षरता:
  - भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'वित्तीय साक्षरता' नामक एक परियोजना शुरू की है जिसका उद्देश्य केंद्रीय बैंक और सामान्य बैंकिंग अवधारणाओं के बारे में विभिन्न लक्षित समूहों जिनमें स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे, महिलाएँ, ग्रामीण और शहरी गरीब और वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं, को वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराना है।
  - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India-SEBI) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट्स (National Institute of Securities Markets-NISM's) ने 'पॉकेट मनी' नामक एक प्रमुख कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य स्कूली छात्रों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाना है।

भारतीय बैंक संघ (Indian Banks' Association):

- इसका गठन वर्ष 1946 में हुआ था।
- यह भारत में कार्यरत बैंकिंग प्रबंधन का एक प्रतिनिधि निकाय है अर्थात् भारतीय बैंकों और मुंबई में स्थित वित्तीय संस्थानों का एक संघ है।
- IBA का गठन भारतीय बैंकिंग के विकास, समन्वय एवं मज़बूती के लिये किया गया था।
- यह नई प्रणालियों के कार्यान्वयन एवं सदस्यों के बीच मानकों को अपनाने सहित विभिन्न तरीकों से सदस्य बैंकों की सहायता करता है।
- वर्ष 1946 में प्रारंभिक तौर पर भारत में 22 बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निकाय के रूप में वर्तमान में IBA, भारत में कार्यरत 237 बैंकिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है।

भारत-मालदीव संबंध

चर्चा में क्यों?

9 नवंबर, 2020 को भारत के विदेश सचिव ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से मुलाकात की और भारत की सहायता से वहाँ शुरू हो रही बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में हुई प्रगति की गति पर चर्चा की।

प्रमुख बिंदु:

- भारतीय विदेश सचिव की दो दिवसीय माले (मालदीव की राजधानी) यात्रा 'भारत से मालदीव की इस वर्ष की पहली उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्रा है।

बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में भागीदारी:

- गौरतलब है कि इस अवसर पर दिसंबर 2018 और जून 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री और मालदीव के राष्ट्रपति के बीच आयोजित उच्च स्तरीय बातचीत के दौरान लिये गए निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई।
  - भारतीय विदेश सचिव ने भारत की तरफ से 'लाइन्स ऑफ क्रेडिट' के तहत मालदीव में आठ बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर हुई प्रगति पर विस्तार से जानकारी दी।
  - उम्मीद जताई गई है कि इनमें से पाँच बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ अगले दो महीनों में शुरू हो जाएंगी।

- इस यात्रा के दौरान भारतीय विदेश सचिव ने मालदीव के विदेश मंत्री के साथ ग्रेटर माले की कनेक्टिविटी परियोजना (Greater Male Connectivity Project) के वित्तपोषण हेतु मालदीव को $100 मिलियन का अनुदान देने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
    - ध्यातव्य है कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP) मालदीव में सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढाँचा परियोजना होगी, जिसके माध्यम से मालदीव की राजधानी माले (Malé) को पड़ोस के तीन द्वीपों विलिंगिली (Villingili), गुल्हीफाहू (Gulhifalhu) और थिलाफूसी (Thilafushi) से जोड़ा जाएगा।
- मालदीव के अड्डू शहर (Addu City) में एक ड्रग-डिटॉक्स सेंटर (Drug-Detox Centre) की स्थापना और हनीमाधू (Hanimaadhoo) में कृषि अनुसंधान केंद्र (Agricultural Research Centre) को अपग्रेड करने को लेकर भी दोनों देशों के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।
- COVID-19 के दौरान मालदीव को भारत की मदद:
    - मालदीव के राष्ट्रपति ने COVID-19 महामारी से निपटने में भारत से प्राप्त समर्थन के लिये आभार व्यक्त किया विशेष रूप से $250 मिलियन की वित्तीय सहायता जो सितंबर, 2020 में बजट समर्थन के रूप में प्रदान की गई थी।
- भारतीय विदेश सचिव ने वर्ष 2021-22 के लिये 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष पद के लिये मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की उम्मीदवारी का समर्थन करने के भारत के निर्णय से अवगत कराया।
- मालदीव के स्पीकर मोहम्मद नशीद के साथ अपनी बैठक के दौरान भारतीय विदेश सचिव ने भारत-मालदीव के द्विपक्षीय मज़बूत संबंधों की चर्चा की। मालदीव के स्पीकर ने भारत की संसद द्वारा 'पीपुल्स मजलिस' (People's Majlis) को प्रदान की जा रही क्षमता निर्माण सहायता के बारे में अवगत कराया।
- रक्षा क्षेत्र में सहयोग: भारतीय विदेश सचिव ने मालदीव के रक्षा मंत्री से मिलकर उन्हें संयुक्त ईईजेड निगरानी (Joint EEZ Surveillance), संयुक्त सैन्य अभ्यास और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (Humanitarian Assistance and Disaster Relief- HADR) सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की स्थिति के बारे में जानकारी दी।
    - दोनों पक्षों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में अपने साझा हितों पर प्रकाश डाला।
    - विदेश सचिव ने क्षेत्र की सुरक्षा एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये मालदीव के साथ मिलकर कार्य करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
- पर्यटन क्षेत्र: मार्च 2019 में हस्ताक्षरित वीज़ा मुक्त समझौते और अगस्त, 2020 में स्थापित द्विपक्षीय 'एयर ट्रैवल बबल' (Air Travel Bubble) के कामकाज पर भी दोनों देशों ने संतोष व्यक्त किया। जो अब 13 साप्ताहिक उड़ानों के माध्यम से पाँच भारतीय शहरों को माले से जोड़ता है।
    - भारत से आने वाले पर्यटकों की संख्या में अक्तूबर, 2020 के बाद से वृद्धि देखी गई है।

आगे की राह:

- ध्यातव्य है कि मालदीव, भारत द्वारा अपने पड़ोसी देशों को दी गई आर्थिक सहायता का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है, जब वैश्विक स्तर पर महामारी ने आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया था तो भारत ने मई माह में 580 टन खाद्य पदार्थ समेत मालदीव को आवश्यक खाद्य और निर्माण सामग्री की आपूर्ति की थी। इससे दोनों देशों के बीच संबंधों में और मज़बूती आई थी।
- ध्यातव्य है कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के कार्यकाल के दौरान भारत-मालदीव संबंधों में कुछ गिरावट दर्ज की गई थी और मालदीव चीन के काफी करीब जाता दिखाई दे रहा था, हालाँकि मालदीव के नए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह का कार्यकाल शुरू होने के बाद से ही दोनों देशों के संबंधों में सुधार आया है।
- मालदीव रणनीतिक रूप से भारत के नज़दीक और हिंद महासागर में महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर स्थित है। मालदीव में चीन जैसी किसी प्रतिस्पर्द्धी शक्ति की मौजूदगी भारत के सुरक्षा हितों के संदर्भ में उचित नहीं है, इसलिये ऐसे निर्णय काफी महत्त्वपूर्ण हैं।
- चीन वैश्विक व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के माध्यम से मालदीव जैसे देशों में तेज़ी से अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। ऐसे में मालदीव के ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP) में निवेश करके मालदीव में चीन के वर्चस्व को कम करने में मदद मिल सकती है।

17वाँ आसियान-भारत शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 17वाँ आसियान-भारत शिखर सम्मेलन आभासी रूप से आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा भागीदारी की गई।

प्रमुख बिंदु:

- वियतनाम की अध्यक्षता में सभी दस आसियान सदस्य देशों द्वारा शिखर सम्मेलन में भागीदारी की गई।
- सम्मेलन के दौरान दक्षिण चीन सागर और आतंकवाद सहित सामान्य हित एवं चिंता के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई।

पृष्ठभूमि:

- आसियान के साथ भारत का संबंध हमारी विदेश नीति की एक प्रमुख आधारशिला के रूप में उभरा है, जिसका विकास 1990 के दशक की शुरुआत में भारत द्वारा प्रारंभ 'लुक ईस्ट पॉलिसी' से माना जा सकता है।
- वर्ष 1992 में भारत को आसियान का क्षेत्रीय भागीदार/सेक्टर पार्टनर तथा वर्ष 1996 में एक डायलॉग पार्टनर बनाया गया।
- वर्ष 2002 में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। 16वाँ भारत-आसियान शिखर सम्मेलन बैंकॉक, थाईलैंड में 03 नवंबर, 2019 को आयोजित किया गया था।

शिखर सम्मेलन में चर्चा के प्रमुख विषय:

भारत-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific Region):

- दोनों पक्षों द्वारा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, विशेषकर 'संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि' (UNCLOS) के पालन के साथ-साथ इस क्षेत्र में एक नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने के महत्त्व को उजागर किया गया।
- दोनों पक्षों के नेताओं द्वारा दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये नेविगेशन तथा ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।
- सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तरदायीपूर्ण, संवेदनशील तथा समृद्ध आसियान, भारत के 'इंडो-पैसिफिक विज़न' तथा हिंद महासागर के लिये रणनीतिक विज़न 'सागर' (Security and Growth for All in the Region -SAGAR) के केंद्र में है।

आसियान केंद्रित 'एक्ट ईस्ट' नीति:

- शिखर सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री द्वारा भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' में आसियान की केंद्रीयता को रेखांकित किया गया।
- आसियान देशों द्वारा भी भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में भारत के योगदान को स्वीकार किया और आसियान केंद्रीयता आधारित भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' का स्वागत किया गया।

भारत-आसियान कनेक्टिविटी:

- प्रधानमंत्री द्वारा आसियान देशों और भारत के बीच अधिक-से-अधिक भौतिक एवं डिजिटल कनेक्टिविटी के महत्त्व को भी रेखांकित किया गया।
- सम्मेलन में भारत-आसियान कनेक्टिविटी का समर्थन करने के लिये 1 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन के भारत के प्रस्ताव को दोहराया गया।

'आसियान-भारत कार्ययोजना':

- सम्मेलन के भागीदार देशों द्वारा वर्ष 2021-2025 के लिये नवीन 'आसियान-भारत कार्ययोजना' (ASEAN-India Action Plan) को अपनाए जाने का भी स्वागत किया गया।
- आसियान-भारत कार्ययोजना शांति, प्रगति और साझा समृद्धि के लिये आसियान-भारत सामरिक भागीदारी के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन करती है।

नोट :

COVID-19 आसियान रिस्पांस फंड:

- प्रधानमंत्री द्वारा COVID-19 महामारी के प्रति आसियान देशों द्वारा व्यक्त की गई प्रतिक्रिया की सराहना की गई तथा 'COVID-19 आसियान रिस्पांस फंड' में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा भी की गई।

RCEP का मुद्दा:

- भारत के 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी' (RCEP) समझौते से बाहर होने के बावजूद आसियान-भारत द्वारा व्यापार बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई है।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि भारत सरकार द्वारा विगत वर्ष RCEP समूह में शामिल न होने का निर्णय लिया गया।
  - RCEP एक ' मुक्त व्यापार समझौता' है जिस पर चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और दस आसियान देशों द्वारा 15 नवंबर, 2020 को हस्ताक्षर किये जाने की उम्मीद है।

आगे की राह:

- आसियान के साथ भारत का 23.88 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा है। 'आसियान-भारत वस्तु माल समझौते' (ASEAN-India Trade in Goods Agreement- AITGA) की फिर से समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है ताकि भारत अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण और लचीलेपन को बढ़ावा दे सके।
- दोनों पक्षों को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापक सहयोग के लिये' हिंद-प्रशांत महासागरीय पहल' (Indo-Pacific Oceans Initiative-IPOI) और 'आसियान आउटलुक ऑन इंडो-पैसिफिक' (ASEAN Outlook on Indo-Pacific) के बीच अभिसरण को मज़बूत करने की आवश्यकता है।

दृष्टि The Vision

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

16 साइकी: एक रहस्यमयी क्षुद्रग्रह

चर्चा में क्यों?

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) द्वारा किये गए एक हालिया अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद क्षुद्रग्रह '16 साइकी' (16 Psyche) पूरी तरह से धातु (Metal) से बना हो सकता है और इसकी अनुमानित कीमत पृथ्वी की समग्र अर्थव्यवस्था से भी कई गुना अधिक है।

प्रमुख बिंदु

- नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप (HST) से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इस रहस्यमय क्षुद्रग्रह की सतह पर पृथ्वी के कोर के समान लोहा और निकेल (Nickel) की मौजूदगी हो सकती है।

'16 साइकी' के बारे में

- पृथ्वी से लगभग 370 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित '16 साइकी' हमारे सौरमंडल की क्षुद्रग्रह बेल्ट (Asteroid Belt) में सबसे बड़े खगोलीय निकायों में से एक है।
- नासा के मुताबिक, आलू के जैसे दिखने वाला इस क्षुद्रग्रह का व्यास लगभग 140 मील है।
- खोज
  - इस रहस्यमयी क्षुद्रग्रह की खोज इतालवी खगोलशास्त्री एनीबेल डी गैस्पारिस द्वारा 17 मार्च, 1852 को की गई थी और इसका नाम ग्रीक की प्राचीन आत्मा की देवी साइकी (Psyche) के नाम पर रखा गया था। चूँकि यह वैज्ञानिकों द्वारा खोजा जाने वाला 16वाँ क्षुद्रग्रह है, इसलिये इसके नाम के आगे 16 जोड़ा गया है।
- अधिकांश क्षुद्रग्रहों (Asteroids) के विपरीत, जो कि चट्टानों या बर्फ से बने होते हैं, वैज्ञानिकों का मानना है कि '16 साइकी' क्षुद्रग्रह एक बहुत बड़ा धातु निकाय है जिसे पूर्व के किसी ग्रह का कोर माना जा रहा है, जो कि पूर्णत: ग्रह के रूप में परिवर्तित होने में सफल नहीं हो पाया था।

'16 साइकी' का हालिया अध्ययन

- नवीनतम अध्ययन में साउथवेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्त्ताओं ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से क्षुद्रग्रह '16 साइकी' के रोटेशन के दौरान इसके दो विशिष्ट बिंदुओं का अध्ययन किया ताकि इसका समग्र रूप से मूल्यांकन किया जा सके।
- इस अध्ययन में पहली बार '16 साइकी' क्षुद्रग्रह का पराबैंगनी अवलोकन (Ultraviolet Observation) भी किया गया है, जिससे पहली बार इस क्षुद्रग्रह की संरचना की एक तस्वीर प्राप्त की जा सकी है।
- अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि जिस तरह '16 साइकी' क्षुद्रग्रह से पराबैंगनी प्रकाश परावर्तित हुआ वह उसी प्रकार था जिस तरह से सूर्य का प्रकाश लोहे से परावार्तित होता है, हालाँकि शोधकर्त्ताओं का मत है कि यदि इस क्षुद्रग्रह पर केवल 10 प्रतिशत लोहा भी उपस्थित होगा तो भी पराबैंगनी प्रकाश का परावर्तन ऐसा ही होगा।
- ध्यातव्य है कि धातु के क्षुद्रग्रह आमतौर पर सौरमंडल में नहीं पाए जाते हैं और इसलिये वैज्ञानिकों का मानना है कि '16 साइकी' क्षुद्रग्रह का अध्ययन किसी भी ग्रह के भीतर की वास्तविकता को जानने में काफी मदद कर सकता है।

'16 साइकी' क्षुद्रग्रह का वास्तविक मूल्य

- नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि '16 साइकी' क्षुद्रग्रह तकरीबन पूरी तरह से लोहा, निकेल और कई अन्य दुर्लभ खनिज जैसे- सोना, प्लैटिनम, कोबाल्ट और इरिडियम आदि से मिलकर बना है।

नोट :

- ऐसे में नासा की गणना के अनुसार, यदि '16 साइकी' क्षुद्रग्रह को किसी भी तरह पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसमें मौजूद धातु की कीमत ही अकेले 10000 क्वाड्रिलियन डॉलर से अधिक होगी, जो कि पृथ्वी की संपूर्ण अर्थव्यवस्था से काफी अधिक है।
  - हालाँकि नासा अथवा किसी अन्य अंतरिक्ष एजेंसी के पास अभी तक ऐसी कोई तकनीक नहीं है, जिसके माध्यम से इस विशाल क्षुद्रग्रह को पृथ्वी पर लाया जा सके और न ही कोई अंतरिक्ष एजेंसी ऐसी किसी परियोजना पर कार्य कर रही है।
- प्रभाव: यदि धातु से निर्मित इस विशालकाय क्षुद्रग्रह को किसी तरह पृथ्वी पर लाया जाता है और इस पर मौजूद दुर्लभ संसाधनों का खनन किया जाता है तो इससे पृथ्वी के खनिज बाज़ार का पतन हो जाएगा और सभी धातुएँ तुलनात्मक रूप से कम कीमत पर मिलने लगेंगी, हालाँकि निकट भविष्य में ऐसा संभव नहीं है।

नासा का 'साइकी मिशन'

- नासा ने इस अद्भुत और रहस्यमयी क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिये 'साइकी मिशन' की शुरुआत की है, जिसके तहत नासा द्वारा वर्ष 2022 में एक मानवरहित अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा, जो कि काफी नज़दीक से इस क्षुद्रग्रह का अध्ययन कर इसकी संरचना और इसके उद्गम को जानने का प्रयास करेगा।
- नासा द्वारा लॉन्च किया जाने वाला मानवरहित अंतरिक्षयान वर्ष 2026 में इस '16 साइकी' क्षुद्रग्रह के पास पहुँचेगा और फिर तकरीबन 21 महीनों तक '16 साइकी' क्षुद्रग्रह का चक्कर लगाएगा। 'साइकी मिशन' का प्राथमिक उद्देश्य धातु से निर्मित इस क्षुद्रग्रह की तस्वीर खींचना है, क्योंकि वैज्ञानिकों के पास अभी तक इस क्षुद्रग्रह की कोई वास्तविक तस्वीर उपलब्ध नहीं है।
  - इस मिशन के माध्यम से वैज्ञानिक यह जानने का भी प्रयास करेंगे कि क्या यह क्षुद्रग्रह वास्तव में किसी पूर्व ग्रह का हिस्सा है अथवा नहीं। साथ ही एकत्र किये गए आँकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक इस क्षुद्रग्रह की आयु और उत्पत्ति का भी पता लगाएंगे।

'16 साइकी' क्षुद्रग्रह के अध्ययन का महत्त्व

- '16 साइकी' क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने से पृथ्वी और पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों के कोर की उत्पत्ति के बारे में पता चल सकेगा। इस क्षुद्रग्रह का अध्ययन हमें यह जानने में मदद कर सकता है कि किसी ग्रह के भीतर का हिस्सा वास्तव में किस प्रकार का होता है।
- चूँकि हम पृथ्वी के कोर में नहीं जा सकते, इसलिये '16 साइकी' क्षुद्रग्रह के माध्यम से इसे जानने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है।
  - ज्ञात हो कि पृथ्वी का कोर लगभग 3,000 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है और शोधकर्त्ता केवल 12 किलोमीटर तक ही पहुँच सके हैं। वहीं पृथ्वी के कोर का तापमान लगभग 5,000oC है, इसलिये वहाँ पहुँचना लगभग असंभव है।

विदेशज जानवरों के स्वैच्छिक प्रकटन संबंधी योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा विदेशज जानवरों के आयात तथा स्टॉक पर जारी एडवाइज़री को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय दिया।

प्रमुख बिंदु:

- 'केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' (Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change- MoEF&CC) द्वारा जून 2020 में विदेशज जानवरों के भारत में आयात तथा इस तरह के जीवों के स्टॉक की घोषणा के संबंध में एक एडवाइज़री जारी की गई थी।
- COVID-19 महामारी ने 'वन्यजीवों के माध्यम से ज़ूनोटिक रोगों के प्रसार' को पुन: चर्चा का मुद्दा बना दिया है। अत: वन्यजीवों के व्यापार को विनियमित करने के उद्देश्य से सरकार ने यह एडवाइज़री जारी की थी।

विदेशज प्रजातियाँ (Exotic Species):

- विदेशज प्रजातियों को सामान्यत: गैर-स्थानिक, बाहरी (Alien) प्रजातियों के रूप में जाना जाता है। ये प्रजातियाँ सामान्य तौर पर उनकी प्राकृतिक भौगोलिक सीमा के बाहर के क्षेत्रों में पाई जाती हैं।

- विदेशज प्रजातियों (Exotic Species) की सूची में जानवरों की वे प्रजातियाँ शामिल हैं जो भारत के विभिन्न हिस्सों में पाई जाती हैं तथा जिनको CITES के परिशिष्टों में शामिल किया गया है लेकिन 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972' (Wild Life (Protection) Act, 1972) के तहत शामिल नहीं किया गया है।

एडवाइज़री के प्रमुख बिंदु:

- एडवाइज़री में विदेशज जानवरों के आयात तथा प्रकटीकरण संबंधी प्रावधान शामिल किये गए हैं। ये प्रावधान उन जानवरों पर भी लागू होंगे जिनकी आयातित प्रजातियाँ भारत में पहले से ही मौजूद हैं।
- किसी भी विदेशज जानवर का आयात करने से पूर्व व्यक्ति को 'विदेश व्यापार महानिदेशक' (Director General of Foreign Trade- DGFT) से लाइसेंस प्राप्ति के लिये एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आयातक को आवेदन के साथ संबंधित राज्य के 'मुख्य वन्यजीव वार्डन' का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (No Objection Certificate- NOC) भी संलग्न करना होगा।
- वे लोग जो पहले से ही विदेशी जानवरों का आयात कर चुके हैं, उन्हें 6 माह के भीतर जानवर के मूल आयातित स्थान की जानकारी देनी होगी। अगर आयातक 6 माह में यह जानकारी देने तथा घोषणा करने में असमर्थ रहते हैं तो उन्हें आवश्यक दस्तावेज़ जमा कराने होंगे।

उच्च न्यायालय का स्पष्टीकरण:

- उच्च न्यायालय ने याचिका के तहत उठाए गए दो प्रमुख नियमों पर निर्णय दिया है।
- प्रथम, विदेशी पक्षियों या जानवरों के स्वैच्छिक प्रकटीकरण के बाद भी ऐसे व्यक्तियों की जाँच से संबंधित है, इसमें उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है यदि कोई व्यक्ति ऐसे जानवरों को रखने के बारे स्वैच्छिक रूप से जानकारी देता है, तो उसे स्वामित्व, व्यापार और प्रजनन आदि के संबंध में जाँच से उन्मुक्ति मिलेगी।
- द्वितीय, ऐसे विदेशी जानवर और पक्षी जिन्हें 'वन्यजीवों तथा वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन' (CITES) के तीनों परिशिष्टों के तहत शामिल नहीं किया गया है, उन्हें भी योजना के तहत संरक्षण प्रदान किया जाए। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को एडवाइज़री के तहत सभी विदेशी जीवित प्रजातियों को शामिल करने पर विचार करने को कहा है।

उच्च न्यायालय के निर्णय का महत्त्व:

- भारत में वर्तमान में विदेशज प्रजातियों के घरेलू व्यापार में लगातार वृद्धि हो रही है। अनेक प्रजातियों यथा- 'शुगर ग्लाइडर्स' (Sugar Gliders) मकई सर्प (Corn Snakes) आदि को CITES के तहत सूचीबद्ध नहीं किया गया है। केंद्र सरकार अन्य विदेशज जानवरों को शामिल करते हुए एक व्यापक तथा नवीन एडवाइज़री जारी कर सकती है।
- भारत में विदेशज जानवरों के व्यापार के उचित नियमन का अभाव है। एडवाइज़री देश में मौजूद सभी विदेशज जानवरों की जानकारी जुटाने में मदद करेगी।

निष्कर्ष:

- विदेशज जानवरों के भारत में आयात तथा ऐसे जानवरों को रखने हेतु स्वैच्छिक प्रकटीकरण के मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय से इन प्रजातियों के स्वैच्छिक प्रकटीकरण को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही विदेशज प्रजातियों की सूची में CITES परिशिष्ट में उल्लिखित प्रजातियों के अलावा अन्य को शामिल करने से अन्य सुभेद्य विदेशज प्रजातियों के संरक्षण में मदद मिलेगी।

आकाशगंगा में पृथ्वी जैसे अन्य ग्रह

चर्चा में क्यों ?

'राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन' (NASA) के केपलर अंतरिक्षयान द्वारा भेजे गए डेटा के विश्लेषण में पता चला है कि आकाशगंगा में मौजूद 'वासयोग्य ग्रह' अथवा 'हैबीटेबल एक्सोप्लैनेट' (Habitable Exoplanets) पूर्व में अनुमानित संख्या से अधिक हो सकते हैं।

प्रमुख बिंदु:

- केप्लर मिशन को विशेष रूप से मिल्की वे आकाशगंगा के हमारे क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिये डिज़ाइन किया गया है। यह हमारी आकाशगंगा में पृथ्वी के आकार के सैकड़ों अन्य तथा छोटे ग्रहों एवं उनके आसपास 'वासयोग्य क्षेत्र' के निर्धारण में मदद करता है।
- वर्तमान अध्ययन वर्ष 2013 में केपलर मिशन द्वारा भेजे गए डेटा के आधार पर किये गए प्रथम विश्लेषण द्वारा आकाशगंगा में अनुमानित 'वासयोग्य ग्रहों' की तुलना में कम-से-कम दो गुना अधिक ऐसे ग्रहों की उपस्थिति की संभावना जताई गई है।

हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट (Habitable Exoplanet):

- एक एक्सोप्लैनेट या एक्स्ट्रा सोलर ग्रह सौरमंडल के बाहर का ग्रह होता है, जबकि 'हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट' सौरमंडल के बाहर स्थित संभावित 'रहने योग्य ग्रह क्षेत्र' को इंगित करता है।
  - वासयोग्य क्षेत्र (Habitable Zone) जिसे 'गोल्डीलॉक्स ज़ोन' (Goldilocks Zone) भी कहा जाता है, एक तारे के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहाँ पृथ्वी जैसे किसी ग्रह की सतह न तो बहुत ठंडी और न ही बहुत गर्म हो अर्थात् उस ग्रह पर जीवन की संभावना हो।

वर्तमान डेटा विश्लेषण के निष्कर्ष:

- शोध टीम द्वारा किये गये विश्लेषण के अनुसार, कम-से-कम एक-तिहाई और शायद 90 प्रतिशत तारे द्रव्यमान और चमक में सूर्य के समान हैं तथा 'वासयोग्य क्षेत्रों' में स्थित ग्रहों की चट्टानें पृथ्वी की तरह है।
- आकाशगंगा मंदाकिनी (मिल्की वे) में कम-से-कम 100 बिलियन तारे हैं, जिनमें से लगभग 4 बिलियन सूर्य के समान हैं। इन तारों में से केवल 7 प्रतिशत 'वासयोग्य' ग्रह हैं। केवल 'मिल्की वे' 300 मिलियन संभावित 'वासयोग्य' अर्थ हो सकती है।
- ऐसे निकटतम 'वासयोग्य ग्रह' सूर्य से लगभग 20 प्रकाश-वर्ष दूर हो सकते हैं। अध्ययन के अनुसार, लगभग प्रत्येक पाँचवें सूर्य के समान तारे का अपना वासयोग्य ग्रह है।

चुनौतियाँ:

- खोजे गए वासयोग्य ग्रहों के बारे में अभी तक केवल इतना ज्ञात है कि इनका आकार पृथ्वी की तुलना में आधे से ढेढ़ गुना तक है तथा ये चट्टानों के समान कठोर हैं, परंतु इस संबंध में कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल सकी है।
- केपलर मिशन के तहत केवल एटा-अर्थ अर्थात् सूर्य जैसे तारों से संबंधित है ग्रहों का विश्लेषण किया जाता है। मिशन के तहत आकाशगंगा में स्थित छोटे तथा मंद तारों जैसे 'लाल बौने' (Red Dwarfs) तारों को अध्ययन में शामिल नहीं किया गया है।
  - 'ट्रांज़िटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट' (TESS) मिशन के अनुसार, लाल बौना ग्रह भी जीवन की खोज के लिये बहुत प्रासंगिक है।

आगे की राह:

- इन ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं के लिये आवश्यक परिस्थितियों के संबंध में अभी बहुत अधिक अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है। अब तक हम केवल एक ग्रह को जानते हैं, जिस पर जीवन संभव है तथा वह और कोई दूसरा ग्रह नहीं अपितु हमारी पृथ्वी है।
- एटा-अर्थ वासयोग्य ग्रहों के निर्धारण में प्रयुक्त एक महत्त्वपूर्ण गणितीय समीकरण है। वैज्ञानिकों को 'ड्रेक समीकरण' के माध्यम से इन ग्रहों पर तकनीकी विकास की संभावनाओं के अध्ययन पर बल देने की आवश्यकता है। यह अध्ययन इन ग्रहों पर जीवन की उपस्थिति तथा एलियन आदि के संबंध में हमारी समझ को अधिक व्यापक बनाएगा।
  - 'ड्रेक समीकरण' (Drake Equation) का उपयोग खगोलविदों द्वारा यह अनुमान लगाने के लिये किया जाता है कि आकाशगंगा में तकनीकी विकास की कितनी संभावनाएँ मौजूद हो सकती हैं और क्या इन ग्रहों पर हम रेडियो या अन्य माध्यमों से संपर्क करने में सक्षम हो सकते हैं।

केप्लर मिशन (Kepler Mission):

- 'केप्लर अंतरिक्षयान को मार्च 2009 में हमारी आकाशगंगा 'मिल्की वे' के 150,000 से अधिक तारों की निगरानी के लिये लॉन्च किया गया था।
- इसके बाद मई 2013 में केपलर अंतरिक्ष मिशन- 2 (K2 मिशन) लॉन्च किया गया था।

नोट :

- इस अंतरिक्षयान द्वारा वर्ष 2018 तक ऐसे 4,000 से अधिक तारों तथा ग्रहों का अध्ययन किया गया लेकिन अब तक किसी भी ग्रह पर जीवन या निवास का कोई संकेत नहीं मिला है।
- केपलर मिशन का सबसे प्रमुख लक्ष्य ईटा-अर्थ नामक एक संख्या को मापना था।
  - एटा-अर्थ (जिसे ηE के रूप में भी लिखा गया है) को मेज़बान तारे के संभावित 'वासयोग्य क्षेत्र' अथवा गोल्डीलॉक्स ज़ोन (Goldilocks Zone)(HZ) में स्थित पृथ्वी के आकार के चट्टानी ग्रहों की माध्य संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।
- वर्ष 2018 में केप्लर मिशन के उत्तरवर्ती के रूप में 'ट्रांज़िटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट' (TESS) मिशन को पृथ्वी के कुछ सौ प्रकाश वर्ष की दूरी में स्थित सभी 'एक्सोप्लैनेट' के अध्ययन के लिये लॉन्च किया गया था।

ओवर द टॉप' प्लेटफॉर्म और सरकारी हस्तक्षेप

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने अपने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स और नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम तथा हॉटस्टार जैसे अन्य 'ओवर द टॉप' (Over The Top- OTT) प्लेटफॉर्म अथवा वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाताओं को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाने की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि वर्तमान में भारत में इन प्लेटफॉर्म और पोर्टल्स पर उपलब्ध डिजिटल कंटेंट को नियंत्रित करने वाला कोई कानून या स्वायत्त निकाय नहीं है।
  - अब तक 'ओवर द टॉप' (OTT) प्लेटफॉर्म जैसे- नेटफ्लिक्स, अमेज़न तथा हॉटस्टार और समाचार प्लेटफॉर्म आदि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के कानूनी ढाँचे के दायरे में आते थे, किंतु प्रिंट और प्रसारण मीडिया के विपरीत उन्हें प्रत्यक्ष तौर पर किसी भी मंत्रालय द्वारा विनियमित नहीं किया जाता था।
- सरकार के इस कदम का प्राथमिक उद्देश्य 'डिजिटल/ऑनलाइन मीडिया' को नियंत्रित अथवा विनियमित करना है। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि 'डिजिटल/ऑनलाइन मीडिया' के अंतर्गत 'ऑनलाइन कंटेंट प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गईं फिल्में और ऑडियो-विज़ुअल प्रोग्राम तथा ऑनलाइन प्लेटफार्म पर समाचार और समसामयिक विषय-वस्तु शामिल है।

क्या होते हैं 'ओवर द टॉप' (OTT) प्लेटफॉर्म?

- OTT सेवाओं से आशय ऐसे एप से है, जिनका उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। OTT शब्द का प्रयोग आमतौर पर वीडियो-ऑन-डिमांड प्लेटफॉर्म के संबंध में किया जाता है, लेकिन ऑडियो स्ट्रीमिंग, मैसेज सर्विस या इंटरनेट-आधारित वॉयस कॉलिंग सोल्यूशन के संदर्भ में भी इसका प्रयोग होता है।
- प्राय: ओटीटी (OTT) या ओवर-द-टॉप प्लेटफॉर्म का प्रयोग ऑडियो और वीडियो होस्टिंग तथा स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाता के रूप में किया जाता है, जिनकी शुरुआत तो असल में कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में हुई थी, किंतु वर्तमान में ये स्वयं ही शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म, वृत्तचित्रों और वेब-फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम तथा हॉटस्टार आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
  - ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्त्ताओं को व्यापक कंटेंट प्रदान करने साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कंटेंट के संबंध में सुझाव भी प्रदान करते हैं।
- इन वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाताओं के अलावा कई बार दूरसंचार, एसएमएस या मल्टीमीडिया मैसेज भेजने से संबंधी सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म को भी OTT की परिभाषा में शामिल किया जाता है।

OTT प्लेटफॉर्म को विनियमित करने संबंधित मौजूद कानून

- गौरतलब है कि भारत में अब तक किसी भी 'ओवर द टॉप' (OTT) प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के लिये कोई विशिष्ट कानून या नियम नहीं हैं, क्योंकि यह अन्य मनोरंजन के माध्यमों की तुलना में एक नया माध्यम है।

- टेलीविजन, प्रिंट या रेडियो के विपरीत, जो कि सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं और विनियामक निकायों द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं, 'ओवर द टॉप' (OTT) प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कंटेंट को लेकर कोई भी नियम या कानून नहीं है और इनके किसी नियामक निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
    - भारत में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) द्वारा प्रिंट मीडिया को, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) द्वारा समाचार चैनलों को और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) द्वारा भारतीय विज्ञापन उद्योग को नियंत्रित किया जाता है, साथ ही ये संगठन इन उद्योगों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं।
- यद्यपि 'ओवर द टॉप' (OTT) प्लेटफॉर्म को लेकर भारत में कोई नियम-कानून नहीं है, किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 इन वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाताओं पर लागू होती है।
    - अधिनियम की धारा 79 कुछ मामलों में मध्यस्थों को उत्तरदायित्व से छूट देती है। इसमें कहा गया है कि मध्यस्थ उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा या संचार के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे।

विनियम की आवश्यकता

- एक अनुमान के अनुसार, मार्च 2019 के अंत तक भारत का ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग उद्योग का मूल्य तकरीबन 500 करोड़ रुपए का था, जो कि वर्ष 2025 के अंत तक 4000 करोड़ रुपए हो सकता है।
- वर्ष 2019 के अंत तक भारत में 17 करोड़ ओटीटी प्लेटफॉर्म उपयोगकर्त्ता थे और जैसे-जैसे भारत में मोबाइल एवं इंटरनेट के उपयोगकर्त्ताओ की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है वैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म उपयोगकर्त्ताओं की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
- ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में उपयोगकर्त्ताओं को जो कंटेंट प्रदान किया जा रहा है, उसे विनियमित किया जाना काफी आवश्यक है।
- वर्ष 2019 के बाद से सर्वोच्च न्यायालय और देश के अलग-अलग उच्च न्यायालयों में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद कंटेंट को लेकर कई सारे मामले दर्ज किये गए है। इस तरह सरकार का यह कदम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद आपत्तिजनक कंटेंट को नियंत्रित करने की दिशा में एकदम सही कदम है।

कदम की आलोचना

- भारतीय एंटरटेनमेंट उद्योग से जुड़े तमाम लोगों ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है और इसे पूर्णत: अनुचित बताया है।
- कला को स्वतंत्र रूप से विकसित होने की अनुमति दिये बिना हम किसी भी प्रकार की डिजिटल क्रांति की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। सरकार इस कदम के माध्यम से कला के विकास में बाधा डालने और उसे सीमित करने का प्रयास कर रही है।
- फिल्मों और कहानियों को सेंसर करना अथवा उन्हें नियंत्रित करना एक प्रकार से विचारों को नियंत्रित करने जैसा है, जो कि पूर्णत: लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है।
    - डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करने से भारतीय नागरिकों की रचनात्मक स्वतंत्रता प्रभावित होगी।
- जब किसी उद्योग को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है तो वह विनियमन उसकी सीमा बँध जाता है, और उस उद्योग का विकास पूर्णत: रुक जाता है। इस तरह ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग उद्योग को नियंत्रित करने से उसके विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

आगे की राह

- भारत का ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग उद्योग अभी विकास के चरण में है और भविष्य में यह उद्योग भारत के मनोरंजन उद्योग की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण हो सकता है।
- सरकार के इस कदम को लेकर लोगों के मत काफी बँटे हुए हैं, जहाँ एक ओर कुछ लोगों का मानना है कि सरकार के इस कदम से भारतीय नागरिकों की रचनात्मक/सृजनात्मक स्वतंत्रता प्रभावित होगी, वहीं दूसरे लोग मानते हैं कि तेज़ी से विकसित होते ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग उद्योग को नियंत्रित करना काफी महत्त्वपूर्ण है।
- ऐसे में कई विशेषज्ञ संतुलित मार्ग का सुझाव देते हैं। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) द्वारा ओवर द टॉप' (OTT) प्लेटफॉर्म के लिये एक स्व-नियामक तंत्र प्रस्तावित किया गया है, हालाँकि सरकार ने इस प्रस्तावित तंत्र पर असहमति व्यक्त की थी और इस पर अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
- अत: आवश्यक है कि इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) द्वारा प्रस्तावित संहिता (Code) और स्व-नियामक तंत्र पर पुनर्विचार किया जाए और इसमें आवश्यकता अनुकूल परिवर्तन किया जाए।

नोट :

स्वर्ण जयंती फैलोशिप योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही 21 वैज्ञानिकों का चयन 'स्वर्ण जयंती फैलोशिप' (Swarna Jayanti fellowship) के लिये किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- 'स्वर्ण जयंती फैलोशिप योजना' का उद्देश्य 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी' के प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये वैज्ञानिकों को विशेष सहायता प्रदान करना है।
- 'स्वर्ण जयंती फैलोशिप योजना' को सरकार द्वारा भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था।

योजना संबंधी प्रावधान:

- योजना के तहत चयनित वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा 25,000 रुपए प्रतिमाह की फैलोशिप 5 वर्ष तक प्रदान की जाती है।
- फैलोशिप के अलावा योजना के तहत उपकरणों, कम्प्यूटेशनल सुविधाओं, उपभोग्य सामग्रियों, आकस्मिकताओं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं तथा अन्य विशेष आवश्यकताओं के लिये अनुदान भी मेरिट के आधार पर प्रदान किया जाता है।
- इसके तहत 5 वर्षों के लिये 5 लाख रुपए का अनुसंधान अनुदान भी प्रदान किया जाता है। फैलोशिप उनके मूल संस्थान से मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त प्रदान की जाती है।
- फैलोशिप के लिये चुने गए वैज्ञानिकों को अनुसंधान योजना में अनुमोदित व्यय के संदर्भ में स्वतंत्रता और लचीलेपन के साथ शोध को आगे बढ़ाने की अनुमति है।

अन्य प्रमुख अनुसंधान प्रोत्साहन योजनाएँ:

वज्र (Visiting Advanced Joint Research-VAJRA) योजना:

- यह योजना अनिवासी भारतीयों (NRIs) और विदेशी भारतीय नागरिकों (OCIs) सहित विदेशी वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को भारत के सार्वजनिक वित्तपोषित संस्थानों और विश्वविद्यालयों में एक विशिष्ट अवधि तक काम करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु प्रारंभ की गई है।

रामानुजन फैलोशिप (Ramanujan Fellowship):

- यह अध्येतावृत्ति विदेशों में रह रहे क्षमतावान भारतीय शोधकर्त्ताओं को भारतीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों में काम करने के लिये विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के सभी क्षेत्रों में आकर्षक विकल्प और अवसर प्रदान करती है।

रामालिंगस्वामी पुनः प्रवेश अध्येतावृत्ति/ फैलोशिप:

- यह योजना देश के बाहर काम कर रहे भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिये निर्मित की गई है।

वरिष्ठ अनुसंधान एसोसिएटशिप (SRA)/(वैज्ञानिक पूल योजना):

- यह योजना मुख्य रूप से विदेशों से भारत लौट रहे उच्च योग्यता वाले उन भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रौद्योगिकीविदों और चिकित्सा कार्मिकों को अस्थायी प्लेसमेंट प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित की गई है।

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

रेलवे स्टेशन और प्रदूषण

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board-CPCB) ने ज़ोर देकर कहा है कि रेल मंत्रालय प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये एक आधुनिक पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करे।

प्रमुख बिंदु:

- CPCB ने रेलवे और राज्य सरकार/स्थानीय निकाय के अधिकारियों को मिलाकर एक संयुक्त समिति के गठन का आह्वान किया था ताकि बुनियादी नागरिक सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा सके और क्लास-1 स्टेशनों पर पर्यावरण की स्थिति में सुधार किया जा सके।
- यह कदम CPCB द्वारा रेलवे मंत्रालय (Ministry of Railway) तथा आवास और शहरी विकास मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Development) के शीर्ष अधिकारियों को मिलाकर हाल ही में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक का अनुसरण करता है। रेलवे ने CPCB से अनुरोध किया कि वह रेलवे स्टेशनों की रेटिंग के आधार पर पर्यावरण प्रदर्शन के मसौदे के लिये अलग-अलग घटकों/मापदंडों का वेटेज नियत करे, जो वर्तमान में CPCB द्वारा समीक्षा के अधीन हैं।
- हालाँकि CPCB ने देश भर में मूल्यांकन के लिये चयनित 720 स्टेशनों पर वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिये एक आधुनिक पर्यावरणीय योजना विकसित करने पर ज़ोर दिया है।
- सभी मेट्रो स्टेशनों के पर्यावरण मूल्यांकन और प्रबंधन के लिये एक अलग खाका तैयार किया जाएगा।

प्रदूषण की चिंता:

- पर्यावरण मापदंडों की खराब गुणवत्ता, विशेष रूप से प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर शोर का स्तर चिंता का विषय रहा है।
- पिछले दो वर्षों में चुनिंदा स्टेशनों पर केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किये गए संयुक्त निरीक्षण में पता चला कि उनमें से अधिकांश ने CPCB के विभिन्न वैधानिक नियमों के तहत ग्रीन मानदंडों का अनुपालन नहीं किया।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा इन स्टेशनों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974; वायु (वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत आवश्यक मंज़ूरी नहीं मिली थी।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड: (Central Pollution Control Board):

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया।
- इसके पश्चात् केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गए।
- यह बोर्ड पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत वर्णित किया गया है।

आगे की राह:

CPCB द्वारा उठाए गए इस कदम के साथ-साथ भारत में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण से स्थायी तौर पर राहत प्रदान करने वाले उपायों को अपनाए जाने की आवश्यकता है। प्रदूषण को नियंत्रित करने का काम केवल सरकार पर न छोड़कर इसमें प्रत्येक नागरिक को अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सहयोग देना होगा क्योंकि बिना जन-सहयोग के इसे नियंत्रित कर पाना संभव नहीं है।

नोट :

भविष्य की महामारियाँ और उनकी रोकथाम

चर्चा में क्यों?

जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिये अंतर-सरकारी विज्ञान-नीति मंच (IPBES) द्वारा भविष्य की महामारियों के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि किसी प्रकार का कोई महत्त्वपूर्ण उपाय नहीं किया जाता है, तो भविष्य में होने वाली महामारियाँ और भी खतरनाक हो सकती हैं और इनसे संक्रमित लोगों की संख्या भी काफी अधिक हो सकती है।
- पिछली एक सदी में महामारी की स्थिति
    - उपलब्ध आँकड़ों की मानें तो कोरोना वायरस महामारी, वर्ष 1918 की स्पेनिश इन्फ्लूएंज़ा महामारी के बाद पिछली एक सदी में आने वाली छठवीं महामारी है।
        - विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मार्च 2020 में COVID-19 को महामारी घोषित किया था।
    - पिछली एक सदी में आई कुछ प्रमुख महामारियों के कारण-
        - तीन महामारियाँ इन्फ्लूएंज़ा वायरस के कारण
        - एक महामारी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस (HIV) के कारण
        - एक महामारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (SARS) और
        - एक महामारी कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण
    - रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान महामारी की उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत जानवर है, जबकि अन्य महामारियों की तरह यह भी पूर्णत: मानवीय गतिविधियों से प्रसारित हो रही है।
- कारण
    - रिपोर्ट के अनुसार, अब तक की लगभग सभी महामारियाँ ज़ूनोसिस (Zoonoses) रोग के कारण हुई हैं, यानी ये सभी महामारियाँ ऐसी हैं जो जानवरों में मौजूद रोगाणुओं से उत्पन्न हुई और मनुष्यों में फैल रही हैं।
    - 70 प्रतिशत से अधिक बीमारियाँ जैसे कि इबोला, ज़िका और निपा आदि जानवरों में पाए जाने वाले रोगाणुओं के कारण होती हैं और वन्यजीवों, पशुधन तथा लोगों के संपर्क में आने से फैलती हैं।
        - आँकड़ों की मानें तो वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी तरीके से होने वाले वन्यजीव व्यापार का अनुमानित मूल्य लगभग 107 बिलियन डॉलर था, जिसका अर्थ है कि वर्ष 2005 से अब तक इसमें कुल 500 प्रतिशत और 1980 के दशक से अब तक इसमें कुल 2000 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
    - वहीं दूसरी ओर शेष 30 प्रतिशत बीमारियों के लिये भूमि-उपयोग परिवर्तन, कृषि विस्तार और शहरीकरण जैसे कारकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
- भविष्य की संभावना
    - रिपोर्ट के मुताबिक, वर्तमान में स्तनधारियों और पक्षियों में मौजूद तकरीबन 1.7 मिलियन वायरस ऐसे हैं, जिन्हें अब तक खोजा नहीं जा सका है। इसमें से लगभग 827,000 वायरस ऐसे हैं, जिनमें मनुष्यों को संक्रमित करने की क्षमता हो सकती है।
- उपाय
    - महामारी के जोखिम को कम करने के लिये जैव विविधता के नुकसान को बढ़ावा देने वाली मानवीय गतिविधियों को कम करने, संरक्षित क्षेत्रों (Protected Areas) का अधिक-से-अधिक संरक्षण करने और ऐसे उपाय अपनाने की आवश्यकता है, जिनके माध्यम से उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों के अरक्षणीय दोहन को कम किया जा सके।
    - ये उपाय वन्यजीव-पशुधन और मनुष्यों के बीच संपर्क को कम करने में मदद करेंगे, जिससे नई बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी।

- इसके अलावा विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा कुछ नीतिगत उपाय भी किये जा सकते हैं, जिसमें महामारी की रोकथाम के लिये एक उच्च स्तरीय अंतर-सरकारी परिषद का गठन करना; पर्यावरण, जानवरों और मनुष्यों के संबंध में पारस्परिक रूप से सहमत लक्ष्य स्थापित करना और स्वास्थ्य तथा व्यापार के क्षेत्र में अंतर-सरकारी साझेदारी स्थापित कर अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार को नियंत्रित करना है ताकि ज़ूनोसिस रोग के जोखिम को कम किया जा सके।

आर्कटिक क्षेत्र में मीथेन रिसाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रूस और स्वीडन के साझा नेतृत्त्व में बने वैज्ञानिकों के एक दल ने आर्कटिक क्षेत्र में पूर्वी साइबेरियाई सागर के तट के निकट मीथेन गैस रिसाव के प्रमाण मिलने की पुष्टि की है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि आर्कटिक क्षेत्र की ढलानों की तलछट में बड़ी मात्रा में जमी हुई मीथेन और कुछ अन्य गैसें भी पाई जाती हैं, जिन्हें हाइड्रेट्स (Hydrates) के रूप में जाना जाता है।
- इस शोध में शामिल वैज्ञानिकों के अनुसार, वर्तमान में गैस के अधिकांश बुलबुले पानी में घुले हुए थे, परंतु सतह पर मीथेन का स्तर सामान्य स्थिति की तुलना में 4 से आठ गुना अधिक पाया गया, जो कि धीरे-धीरे वायुमंडल में फैल रहा है।
- वैज्ञानिकों ने रूस के निकट 'लापतेव सागर' (Laptev Sea) में भी 350 मीटर की गहराई में उच्च स्तर पर मीथेन के मिलने की पुष्टि की है।
- इस क्षेत्र में मीथेन की सांद्रता लगभग 1600 नैनोमोल्स प्रति लीटर बताई गई।

मीथन रिसाव के दुष्प्रभाव:

- वैज्ञानिकों के अनुसार, मीथेन में वायुमंडल को गर्म करने की क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत अधिक होती है (20 वर्षों में 80 गुना)।
- इससे पहले 'द यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे'' (The United States Geological Survey) ने अप्रत्याशित जलवायु परिवर्तन के लिये आर्कटिक के हाइड्रेट्स की अस्थिरता को चार सबसे गंभीर स्थितियों में से एक बताया था।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, वर्तमान में इस रिसाव के कारण जलवायु परिवर्तन पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है परंतु पूर्वी साइबेरिया में मीथेन हाइड्रेट्स की अस्थिरता लगातार जारी रहेगी, आगे चलकर जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
- जमी हुई मीथेन की सुभेद्यता के मामलों में आर्कटिक क्षेत्र का मुद्दा सबसे अहम है, इस क्षेत्र को 'स्लीपिंग जायंट्स ऑफ द कार्बन सायकल' (Sleeping Giants of the Carbon Cycle) के नाम से भी जाना जाता है।

अन्य चुनौतियाँ:

- वर्तमान में आर्कटिक क्षेत्र का तापमान में वैश्विक औसत की तुलना में दोगुनी गति से बढ़ रहा है, ऐसे में मीथेन के वायुमंडल में पहुँचने को लेकर चिंताए और भी बढ़ गई हैं।
- इस वर्ष जनवरी से जून के बीच साइबेरिया के तापमान में सामान्य से 5°C की वृद्धि दर्ज की गई, इस क्षेत्र के तापमान में हुई वृद्धि के लिये मानवीय गतिविधियों के कारण मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के अत्यधिक उत्सर्जन को उत्तरदायी बताया गया है।
- पिछले वर्ष सर्दियों में समुद्री बर्फ असामान्य रूप से जल्दी ही पिघल गई और इस वर्ष की सर्दियों में बर्फ जमने की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है, जिसमें पहले से ज्ञात किसी भी समय की तुलना में काफी देरी हो चुकी है।

कारण:

- इस क्षेत्र में उत्पन्न अस्थिरता के लिये सबसे संभावित कारण पूर्वी आर्कटिक में गर्म अटलांटिक धाराओं के प्रवेश को माना जा रहा है।
- इस भौगोलिक घटना के लिये भी मानवीय गतिविधियों को उत्तरदायी बताया गया है।

जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने हेतु प्रयास:

- जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिये विश्व के अधिकांश देशों द्वारा पेरिस समझौते (Paris Agreement) के तहत वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर (Pre-Industrial level) से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखने की प्रतिबद्धता पर सहमति व्यक्त की गई।
- कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये यूरोपीय संघ (European Union) द्वारा ग्रीन डील की अवधारणा के तहत कई महत्त्वपूर्ण योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की गई।

विदेशज जीव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गुवाहाटी में 'असम राज्य चिड़ियाघर-सह-वानस्पतिक उद्यान' (Assam State Zoo-cum-Botanical Garden) में छह नीले या हाइसिंथ मकाव (Hyacinth Macaw) और दो कैपुचिन बंदरों (Capuchin Monkey) को लाया गया।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि इसी क्षेत्र में इससे पहले विदेशी जानवरों की एक बड़ी खेप को राजस्व खुफिया निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence- DRI) द्वारा ज़ब्त कर लिया गया था।
- अवैध वन्यजीव व्यापार से संबंधित प्रावधान: अवैध रूप से व्यापार के लिये ले जाए जा रहे विदेशी जीवों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (Customs Act, 1962) की धारा 111 के तहत ज़ब्त कर लिया जाता है, जो 'वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन' (The Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora- CITES) और भारत में विदेशी व्यापार नीति (आयात-निर्यात नीति) के प्रावधानों से संबंधित है।
- इसके अलावा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 48 व 49 जंगली जानवरों, जानवरों से संबंधित लेखों या ट्राफियों के व्यापार या वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाती है।

चिंताएँ:

- COVID-19 के मद्देनज़र ऐसी विदेशज प्रजातियों की तस्करी के कारण ज़ूनोटिक रोगों के प्रसार की आशंका एक वैश्विक मुद्दा बन रहा है।
- नशीले पदार्थों की तस्करी, नकली सामान और मानव तस्करी के बाद अवैध रूप से वन्यजीव व्यापार को वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा संगठित अपराध घोषित किया गया है।
- बांग्लादेश एवं म्याँमार की सीमाओं और थाईलैंड से निकटता के कारण पश्चिम बंगाल एवं पूर्वोत्तर भारत, सीमा-पार से वन्यजीव तस्करी के हॉटस्पॉट के रूप में प्रसिद्ध है।
- वन्यजीव अपराध में शामिल कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन विदेशी मुद्रा के अवैध संचलन के अलावा कई अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों जैसे- ड्रग्स की तस्करी, वाणिज्यिक सामान और यहाँ तक कि बंदूकों की तस्करी के लिये भारत-बांग्लादेश सीमा का उपयोग करते हैं।

असम राज्य चिड़ियाघर-सह-वानस्पतिक उद्यान (Assam State Zoo-cum-Botanical Garden):

- इसकी स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी।
- यह चिड़ियाघर राजधानी गुवाहाटी के 'हेंग्राबारी रिज़र्व फॉरेस्ट' (Hengrabari Reserve Forest) में अवस्थित है।
- कई जीवों की मौजूदगी के कारण यह चिड़ियाघर लोकप्रिय रूप से गुवाहाटी शहर के 'ग्रीन लंग' (Green Lung) के रूप में जाना जाता है।

ब्लू मकाव (Blue Macaw):

- वैज्ञानिक नाम: एनोडोरिंचुस हाइसिंथिनुस (Anodorhynchus Hyacinthinus)

नोट :

- यह एक तोता है जो मध्य और पूर्वी दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है।
- लगभग एक मीटर की लंबाई के साथ यह तोता की अन्य प्रजातियों की तुलना में लंबा है।
- यह सबसे बड़ा मकाव तोता है और सबसे लंबी दूरी तक उड़ने वाले तोते की एक प्रजाति है।
- खतरा: आवास के नुकसान और पालतू जीवों के व्यापार के लिये अन्य पक्षियों के साथ जाल में फँसने से इनकी आबादी तेज़ी से कम हो रही है।
- इसे IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद्य (Vulnerable) तथा CITES के परिशिष्ट-I (Appendix-I) की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

कैपुचिन बंदर (Capuchin Monkey):

- वैज्ञानिक नाम: सेबस (Cebus)
- कैपुचिन बंदर, जिसे सापाजोउ (Sapajou) भी कहा जाता है, निकारागुआ से पराग्वे तक उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाने वाला एक सामान्य मध्य और दक्षिण अमेरिकी प्राइमेट है।
- इनका नाम (कैपुचिन बंदर) इनके सिर पर बालों से निर्मित 'कैप' के कारण रखा गया है, जो कैपुचिन भिक्षुओं के टोपयुक्त परिधान से संबंधित है।
- इसे IUCN की रेड लिस्ट में संकटमुक्त (Least concerned) श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

गंगा नदी की जैव विविधता

चर्चा में क्यों ?

भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा गंगा नदी पर किये गए सर्वेक्षण में पाया गया है कि नदी के 49 प्रतिशत हिस्से में उच्च जैव विविधता मौजूद है।

प्रमुख बिंदु

- सर्वेक्षण में पाया गया है कि बीते कुछ वर्षों में गंगा नदी की जैव विविधता में वृद्धि हुई है, जो कि गंगा नदी के अच्छे स्वास्थ्य और गिरते प्रदूषण स्तर का प्रमुख घोतक है। इस सर्वेक्षण में गंगा नदी की सहायक नदियों को शामिल नहीं किया गया था।
- ध्यातव्य है कि गंगा और इसकी सहायक नदियाँ भारत के 11 राज्यों से होकर बहती हैं और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 26.3 प्रतिशत हिस्सा कवर करती हैं, किंतु गंगा नदी (जिसमें सहायक नदियाँ शामिल नहीं हैं) मुख्यत: पाँच राज्यों - उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है।
- सर्वेक्षण के मुताबिक, लोगों के बीच यह गलत धारणा है कि गंगा में ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ जैव विविधता नहीं है, जबकि अध्ययन में यह पाया गया है कि संपूर्ण गंगा नदी में जैव विविधता मौजूद है और तकरीबन 49 प्रतिशत हिस्से में जैव विविधता का स्तर काफी उच्च है।
    - उच्च जैव विविधता वाले संपूर्ण क्षेत्र में से तकरीबन 10 प्रतिशत क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों जैसे- उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य और बिहार में विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य आदि के आस-पास स्थित है।
    - उच्च जैव विविधता वाले संपूर्ण क्षेत्र को छ: हिस्सों में विभाजित किया गया है- देवप्रयाग से ऋषिकेश (61 किमी), मखदुमपुर से नरौरा (147 किमी.), भिटौरा से गाजीपुर (454 किमी.), छपरा से कहलगाँव (296 किमी.), साहिबगंज से राजमहल (34 किमी.) और बहरामपुर से बराकपुर (246 किमी.)।
- सर्वेक्षण में पाया गया है कि कई प्रमुख जलीय जीव और उनकी प्रजातियाँ जो कुछ वर्ष पूर्व गायब हो गई थीं,अब पुन: गंगा नदी में पाई जाने लगी हैं।
    - सीबोल्ड (Seibold), जो कि पानी के साँप की एक प्रजाति है, तकरीबन 80 वर्ष पूर्व गायब हो गई थी, किंतु अब इसे गंगा नदी में पुन: देखा जा सकता है।
    - इंडियन स्कीमर (Indian Skimmer), जो कि जलीय पक्षी है, को भी गंगा नदी में कई वर्ष बाद देखा गया है।

- कई अन्य जलीय प्रजातियाँ, गंगा नदी की सहायक नदियों से मुख्य नदी की ओर आ रही हैं, जो कि स्पष्ट तौर पर जल की गुणवत्ता में सुधार का एक संकेत है।

सर्वेक्षण संबंधी मुख्य बिंदु

- यह सर्वेक्षण भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से किया जा रहा है, जो जलशक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। इस सर्वेक्षण का पहला चरण वर्ष 2017-2019 के बीच था।
- इस सर्वेक्षण के दौरान गंगा नदी की जैव विविधता का अध्ययन करने के लिये कुछ प्रमुख जलीय और अर्द्ध-जलीय प्रजातियों जैसे कि गंगेटिक डॉल्फिन, घड़ियाल, ऊदबिलाव, कछुए और विभिन्न प्रजातियों के जल पक्षियों आदि का एक संकेतक के रूप में प्रयोग किया गया है।

गंगा नदी और उसकी जैव विविधता

- गंगा नदी एशिया की सबसे बड़ी और प्रमुख नदियों में से एक है, जो कि उत्तराखंड के गोमुख से लेकर बंगाल की खाड़ी तक लगभग 2,500 किलोमीटर तक बहती है और भारत के तकरीबन 26 प्रतिशत (8,61,404 वर्ग किमी.) भू-भाग को कवर करती है।
- इस नदी की महत्ता को इसी बात से समझा जा सकता है कि यह देश की लगभग 43 प्रतिशत जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार 448.3 मिलियन) को सहायता प्रदान करती है।
- गंगा नदी को विभिन्न प्रकार की दुर्लभ जलीय प्रजातियों का घर माना जाता है, इसमें गंगेटिक डॉल्फिन, ऊदबिलाव, घड़ियाल, दलदली मगरमच्छ, एस्टुरीन मगरमच्छ और कछुए आदि शामिल हैं। इसके अलावा इस नदी में मछलियों की अलग-अलग 143 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

चुनौतियाँ

- तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या, जीवन के निरंतर ऊँचे होते मानकों तथा औद्योगीकरण और शहरीकरण आदि ने भारत समेत विश्व भर के जल संसाधनों विशेष रूप से नदियों को काफी अधिक प्रभावित किया है, गंगा नदी भी इससे अछूती नहीं रह सकी है।
- कई अध्ययनों में सामने आया है कि जल की गुणवत्ता में गिरावट के कारण गंगा नदी का जल कई क्षेत्रों में बुनियादी उपयोग के लिये भी उपयुक्त नहीं रह गया है।
- बाँध और बैराज के निर्माण तथा बालू खनन आदि के कारण गंगा नदी की स्थिति में काफी परिवर्तन आया है, जिससे नदी को जैव विविधता के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)

- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) राष्ट्रीय गंगा परिषद की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है, जिसे अगस्त 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के प्रमुख कार्यों में राष्ट्रीय गंगा परिषद के कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, विश्व बैंक द्वारा समर्थित गंगा नदी घाटी परियोजना का क्रियान्वयन और ऐसे समस्त कार्य करना जो राष्ट्रीय गंगा परिषद के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक हैं।

ESA असंवैधानिक घोषित करने के लिये याचिका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, किसानों के लिये केरल स्थित एक NGO ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के 2018 के मसौदा अधिसूचना (Draft Notification) को चुनौती दी गई है। इसके जरिये छह राज्यों के 56,825 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पश्चिमी घाट पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Areas in Western Ghats) घोषित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इसने केंद्र सरकार से पश्चिमी घाट के संरक्षण पर माधव गाडगिल और कस्तूरीरंगन समितियों की रिपोर्टों को लागू नहीं करने के लिये दिशा-निर्देश मांगा है।

नोट :

पृष्ठभूमि:

- पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (Western Ghats Ecology Expert Panel), जिन्हें गाडगिल समिति और उच्च-स्तरीय कार्य समूह भी कहा जाता है। जिसको कस्तूरीरंगन समिति भी कहा जाता है। जिन्हें क्षेत्र के सतत् और समावेशी विकास की अनुमति देते हुए पश्चिमी घाटों की जैव विविधता के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिये गठित किया गया था।
- उन्होंने सिफारिश की कि छह राज्यों केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में पड़ने वाले भौगोलिक क्षेत्रों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Area) घोषित किया जाना चाहिये।
- ESA में अधिसूचित क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए वर्ष 2018 में एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई थी।

याचिका के मुख्य बिंदु:

- मसौदा अधिसूचना केरल में 123 कृषि क्षेत्रों को ESA घोषित करेगा। यह 22 लाख लोगों को प्रभावित करेगा और केरल की अर्थव्यवस्था को पंगु बना देगा।
- केंद्र ने पश्चिमी घाट क्षेत्र में रहने वाले लोगों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था, जो "जैव विविधता के विध्वंसक और पारिस्थितिक क्षति के एजेंटों" के रूप में था।
- इसके अलावा, यह सुझाव दिया कि केरल में ESA को आरक्षित वनों और संरक्षित क्षेत्रों तक सीमित रखा जाना चाहिये।

गाडगिल समिति:

- इसने प्रस्तावित किया कि इस पूरे क्षेत्र को 'पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र' के रूप में नामित किया जाए।
- साथ ही इस क्षेत्र के भीतर छोटे क्षेत्रों को उनकी मौजूदा स्थिति और खतरे की प्रकृति के आधार पर पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों को I, II या III के रूप में पहचाना जाना था।
- इसने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-3 के तहत पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण के गठन की सिफारिश की।
- अधिक पर्यावरण के अनुकूल होने और जमीनी वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं होने के कारण इसकी आलोचना की गई।

कस्तूरीरंगन समिति:

- इसने गाडगिल रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के विपरीत विकास और पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने की मांग की।
- समिति की प्रमुख सिफारिश:
  - पश्चिमी घाटों के कुल क्षेत्रफल के बजाय, कुल क्षेत्रफल का केवल 37% ESA के तहत लाया जाना है।
  - ESA में खनन, उत्खनन और रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध।
  - किसी नई ताप विद्युत परियोजना की अनुमति न दी जाए किंतु प्रतिबंधों के साथ पनबिजली परियोजनाओं की अनुमति दी जाए।
  - लाल उद्योगों (अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों) को सख्ती से प्रतिबंधित किया जाना चाहिये।
  - रिपोर्ट में ESA के दायरे में बसे क्षेत्रों और खेती को बाहर निकालने की सिफारिश की गई है, जिससे यह किसान समर्थक दृष्टिकोण है।

आगे की राह

- यह मामला 'विकास बनाम संरक्षण' की बहस से संबंधित है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि विकास के नाम पर विनाश को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिये तथा सतत् विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- विभिन्न पक्षों के बीच सहमति से संबंधित चिंताओं का समाधान करके वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित एक उचित विश्लेषण, समय पर ढंग से मतभेदों को हल करने के लिये आवश्यक है।
- कार्यान्वयन में देरी केवल देश के बेशकीमती प्राकृतिक संसाधनों को कम करेगा। इसलिये वन भूमि, उत्पादों और सेवाओं पर खतरों और मांगों के समग्र दृष्टिकोण के साथ, उन्हें संबोधित करने के लिये विकासशील रणनीतियों को विकसित किया जाना चाहिये।

नोट :

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

राष्ट्रीय मानसून मिशन का मूल्यांकन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान' केंद्रीय मंत्री द्वारा 'राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद' (National Council of Applied Economic Research- NCAER) की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई।

प्रमुख बिंदु?

- NCAER नई दिल्ली स्थित एक स्वतंत्र तथा गैर-लाभकारी थिंक टैंक है, जो आर्थिक नीतिगत अनुसंधान की दिशा में कार्य करता है। यह रिपोर्ट, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किये गए एक अध्ययन पर आधारित है।
- NCAER की रिपोर्ट, 'राष्ट्रीय मानसून मिशन' (National Monsoon Mission) और 'उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग' (High Performance Computing- HPC) में निवेश के आर्थिक लाभों का अनुमान लगाने पर केंद्रित है।

रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख निष्कर्ष:

- रिपोर्ट NMM तथा HPC में किये गए निवेश के आर्थिक लाभ का आकलन करती है। जिसमें निम्नलिखित तथ्यों को उजागर किया गया है:

निवेश की तुलना में व्यापक लाभ:

- भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय मानसून मिशन' (NMM) और 'उच्च निष्पादन कम्प्यूटिंग' (HPC) सुविधाओं की स्थापना पर लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जबकि कृषि परिवारों, किसानों और पशुपालकों को कुल 13,331 करोड़ रुपए का वार्षिक आर्थिक लाभ हुआ है। अगले पाँच वर्षों में यह 48,056 करोड़ रुपए तक रहने का अनुमान है।

आर्थिक लाभ का आकलन:

- आर्थिक लाभ का निर्धारण, 'वर्षा आधारित क्षेत्रों' में किसानों की आय, मौसमी पूर्वानुमान से पशुधन मालिकों और मछुआरों को हुए लाभ के आधार पर किया गया है।

प्रमुख लाभार्थी:

- रिपोर्ट के अनुसार, मौसम पूर्वानुमान से संबंध में सटीक एडवाइज़री जारी करने से 98% किसानों को लाभ हुआ है। किसानों को इससे फसल प्रतिरूप में बदलाव, जल प्रबंधन, फसल की कटाई, बुवाई, जुताई के समय में परिवर्तन, कीटनाशकों का प्रयोग तथा सिंचाई आदि के संबंध में सही निर्णय करने में मदद मिली है।
- 'संभाव्य मत्स्यन क्षेत्र' (Potential Fishing Zone- PFZ) के संबंध में सफल एडवाइज़री जारी करने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त मत्स्यन में मदद मिली है। 82% मछुआरों द्वारा समुद्र में मत्स्यन के लिये जाने से पूर्व 'ओशन स्टेट फोरकास्ट' (OSF) की एडवाइज़री का इस्तेमाल किया गया है।
- 76% पशुधन मालिकों द्वारा मौसमी बीमारी के खिलाफ पशुधन के टीकाकरण, चारा प्रबंधन आदि में मौसम संबंधी सूचनाओं का प्रयोग किया गया है।

राष्ट्रीय मानसून मिशन (National Monsoon Mission):

- इसे वर्ष 2012 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
- भारत की अर्थव्यवस्था के लिये मानसून हमेशा महत्त्वपूर्ण रहा है। वर्तमान मानसून पूर्वानुमान की क्षमता पर्याप्त नहीं हैं।

नोट :

- मिशन के तहत मानसून पूर्वानुमान शोध कार्यों में अनुसंधानकर्त्ताओं का समर्थन किया जाएगा तथा 'गतिशील मानसून पूर्वानुमान' (Dynamic Monsoon Forecast) मॉडल के विकास पर बल दिया जा रहा है।
- मिशन जलवायवीय अवलोकन कार्यक्रमों का भी समर्थन करेगा, ताकि जलवायविक प्रक्रियाओं की बेहतर समझ विकसित हो सके।

उद्देश्य:

- मौसमी और अंतर-मौसमी मानसून पूर्वानुमान में सुधार करना।
- मध्यम श्रेणी के मौसमी पूर्वानुमान में सुधार करना।

भागीदार संस्थान:

- भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पुणे।
- राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी के मौसम पूर्वानुमान केंद्र, नोएडा।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली।

'उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग' (High-performance Computing- HPC):

- सुपरकंप्यूटर, उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग (HPC) का भौतिक मूर्त रूप हैं, जो संगठनों को उन समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है, जिन्हें नियमित कंप्यूटर के साथ हल किया जाना असंभव है।
- इस दिशा में भारत सरकार द्वारा मार्च 2015 में सात वर्षों की अवधि के लिये 4,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 'राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन' की घोषणा की गई थी।

शीत लहर

चर्चा में क्यों?

भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department-IMD) के अनुसार, दिल्ली में शीत लहर की स्थिति है।

प्रमुख बिंदु:

- शीत लहर (Cold Wave):
  - 24 घंटे के भीतर तापमान में तेज़ी से गिरावट अर्थात् कृषि, उद्योग, वाणिज्य एवं सामाजिक गतिविधियों के लिये सुरक्षा की आवश्यकता वाले स्तर को दर्शाती है।
- शीत लहर की स्थिति:
  - मैदानी इलाकों के लिये शीत लहर की घोषणा तब की जाती है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे हो और लगातार दो दिनों तक सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान हो।
  - तटीय क्षेत्रों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान की सीमा तक शायद ही कभी पहुँच पाता है। हालाँकि स्थानीय लोगों को 'विंड चिल फैक्टर' (Wind Chill Factor) या वायु शीतलन प्रभाव के कारण असुविधा महसूस होती है जो हवा की गति के आधार पर न्यूनतम तापमान को कुछ डिग्री कम कर देता है।
  - 'विंड चिल फैक्टर' (Wind Chill Factor) के आधार पर किसी भी बॉडी या वस्तु द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित करने की दर की माप की जाती है।
- भारत का मुख्य शीत लहर क्षेत्र:
  - 'मुख्य शीतलहर' क्षेत्र में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना आदि आते हैं।
  - वर्ष 2019 में दिल्ली एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों ने सदी की सबसे सर्द शीत ऋतु का अनुभव किया था।

दिल्ली में शीत लहर की स्थिति:

- 3 नवंबर, 2020 को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम था।
- यदि तापमान एक दिन और इसी तरह रहता है तो IMD 'शीत लहर' की घोषणा करने पर विचार कर सकता है।

न्यूनतम तापमान में गिरावट का कारण:

- इस क्षेत्र में बादलों के आवरण की अनुपस्थिति: बादलों की उपस्थिति से पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरण में से कुछ विकिरणों को रोक दिया जाता है, ये विकिरण वापस पृथ्वी की तरफ आकर पृथ्वी को गर्म करते हैं किंतु बादलों की अनुपस्थिति से इस क्षेत्र का गर्म न हो पाना।
- ऊपरी हिमालय में बर्फबारी से क्षेत्र की ओर ठंडी हवाओं का चलना।
- इस क्षेत्र में ठंडी हवा का अधोगमन (Subsidence)।
  - ठंडी एवं शुष्क हवा का पृथ्वी की सतह के पास नीचे की ओर गति हवाओं का अधोगमन (Subsidence of Air) कहलाता है।
- प्रशांत महासागर में कमज़ोर ला नीना (La Nina) की स्थिति।
  - ला नीना प्रशांत महासागर के ऊपर होने वाली एक जटिल मौसमी घटना है जिसका दुनिया भर के मौसम पर व्यापक असर होता है।
  - ला नीना वर्षों के दौरान ठंड की स्थिति अत्यंत तीव्र हो जाती है और शीत लहर की आवृत्ति एवं क्षेत्र बढ़ जाता है।
- शीत ऋतु 2020: नवंबर 2020 में औसत न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस [वर्ष 1962 के बाद सबसे कम] होने के बाद मौसम वैज्ञानिकों ने नवंबर महीना सामान्य से अधिक ठंडा होने की उम्मीद जताई है।

धारचूला क्षेत्र में भूकंपीय सांद्रता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान (Wadia Institute of Himalayan Geology) के वैज्ञानिकों ने धारचूला (Dharchula) क्षेत्र और कुमाऊँ हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में सूक्ष्म तथा मध्यम तीव्रता के भूकंपों की बड़ी सक्रियता का पता लगाया है।

- WIHG भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology) के तहत स्थित एक स्वायत्त संस्थान है।

मुख्य बिंदु

- स्थान:
  - उत्तराखंड के धारचूला को चीन सीमा पर स्थित लिपुलेख से जोड़ने वाली नई कैलाश मानसरोवर सड़क से करीब 45 किमी. दूर पृथ्वी के निचले हिस्से में बड़ी गतिविधि का पता चला है।
  - हिमालय, देश में सबसे अधिक विवर्तनिक और भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है, फिर भी इस इलाके को केंद्रीय भूकंपीय अंतराल (Central Seismic Gap) क्षेत्र या गैप (Gap) के रूप में जाना जाता है।
    - गैप एक शब्द है जिसका उपयोग विवर्तनिक गतिविधि (Tectonic Activity) वाले क्षेत्र को दर्शाने के लिये किया जाता है।
- कार्यप्रणाली (Methodology):
  - सघन भूकंपों के कारण इस क्षेत्र की सही-सही जाँच और मैपिंग शुरू की गई।
  - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences) के सहयोग से कुमाऊँ हिमालय क्षेत्र में उपसतह विन्यास की जाँच करने के लिये काली नदी घाटी के किनारे 15 ब्रॉडबैंड भूकंपीय स्टेशनों का एक भूकंपीय नेटवर्क स्थापित किया गया है।
- परिणाम:
  - भूगर्भीय तनाव के कारण भूकंपीय गतिविधियाँ रिकॉर्ड की गईं। इसलिये भविष्य में इस क्षेत्र में उच्च तीव्रता के भूकंप की भी संभावना है।
  - वर्षों से यहाँ भूकंप के झटके महसूस किये जा रहे हैं। यहाँ कई छोटे भूकंप आए हैं और भूगर्भीय तनाव बढ़ता जा रहा है।
  - इस क्षेत्र में एक उच्च तीव्रता के भूकंप की संभावना है। हालाँकि भूकंप आने के बारे में सटीक भविष्यवाणी करना संभव नहीं है।

सामाजिक न्याय

चावल के फोर्टिफिकेशन पर केंद्र प्रायोजित योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा चावल के फोर्टिफिकेशन संबंधी योजना का विस्तार 112 आकांक्षी ज़िलों तक करने का निर्णय लिया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- फूड फोर्टिफिकेशन के माध्यम से खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया जाता है।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि चावल की खपत वाले देशों की आबादी में सामान्यत:: विटामिन A की कमी, प्रोटीन तथा ऊर्जा आधारित कुपोषण, जन्म के समय बच्चों का कम वज़न, शिशु मृत्यु दर की प्रबलता देखने को मिलती है।

फोर्टिफाइड चावल:

- चावल के फोर्टिफिकेशन में चावल को पीसकर पाउडर तैयार कर इसमें पोषक तत्त्वों का मिश्रण किया जाता है। इस फोर्टिफाइड चावल के मिश्रण को पुन: चावल के आकार में बदला में जा सकता है, जिसे 'फोर्टिफाइड राइस कर्नेल' (FRK) कहा जाता है।
- इस फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) को सामान्य चावल के साथ 1: 100 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है तथा इसके बाद इसे 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' के तहत बिक्री के लिये जारी कर दिया जाता है।

चावल के फोर्टिफिकेशन पर केंद्र प्रायोजित योजना:

- चावल के फोर्टिफिकेशन पर इस केंद्र प्रायोजित योजना को फरवरी 2019 में मंज़ूरी दी गई थी।
- योजना के तहत तीन वर्ष की अवधि के लिये 174.6 करोड़ रुपए का कुल बजट परिव्यय आवंटित किया गया था।
  - केंद्र प्रायोजित योजनाओं से तात्पर्य ऐसी योजनाओं से है, जिनमें योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्त की व्यवस्था केंद्र तथा राज्य द्वारा मिलकर की जाती है।
- योजना को पंद्रह राज्यों में शुरू किया जाना था, जहाँ प्रत्येक राज्य को कम-से-कम एक ज़िले की पहचान योजना के लाभार्थी के रूप में करनी थी।
  - हालाँकि अभी तक योजना के तहत केवल पाँच राज्यों (आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़) ने योजना के तहत चुने गए ज़िलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण शुरू किया है।
  - शेष 10 राज्यों द्वारा यद्यपि योजना के तहत लाभार्थी ज़िलों की पहचान कर ली गई है लेकिन इन राज्यों द्वारा अभी तक फोर्टिफाइड चावल का वितरण शुरू नहीं किया गया है।

फूड फोर्टिफिकेशन (Food Fortification):

- फूड फोर्टिफिकेशन चावल, दूध, नमक, आटा आदि खाद्य पदार्थों में लौह, आयोडिन, जिंक, विटामिन A एवं D जैसे प्रमुख खनिज पदार्थ एवं विटामिन जोड़ने अथवा वृद्धि करने की प्रक्रिया है।
- 'भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण' (Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI) द्वारा अक्तूबर 2016 में 'खाद्य सुरक्षा और मानक' (खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन) विनियम' {Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Regulations}, 2016 के तहत गेहूँ का आटा और चावल (आयरन, विटामिन बी- 12 और फोलिक एसिड के साथ), दूध और खाद्य तेल (विटामिन ए और डी के साथ), डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट (आयोडिन और आयरन के साथ) के वितरण को मंज़ूरी दी गई थी।
  - बाद में सरकार द्वारा इसके स्थान पर 'खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन) विनियम', 2018 {Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Regulations} को अधिसूचित किया गया।
- फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की पहचान करने के लिये '+ F' लोगो अधिसूचित किया गया है।

नोट :

महत्त्व:

- फोर्टिफाइड चावल का वितरण 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (PDS), 'समेकित बाल विकास सेवा' (ICDS) और 'मिड-डे मील' कार्यक्रमों के तहत किया जाएगा, जिससे देश में कुपोषण की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी।
- 'वैश्विक भुखमरी सूचकांक'- 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर रहा है। योजना के कार्यान्वयन से स्थायी/क्रोनिक कुपोषण को कम करने में मदद मिलेगी।
- क्रोनिक कुपोषण आमतौर पर गरीब, सामाजिक-आर्थिक स्थितियों, कमज़ोर मातृ स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ा होता है।
- भारत ने वर्ष 2022 तक 'कुपोषण मुक्त भारत' के लिये एक कार्य-योजना विकसित की है। योजना के कार्यान्वयन से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

चुनौतियाँ:

- योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) की आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता होगी।
- फोर्टिफाइड राइस कर्नेल की वर्तमान में उपलब्धता मात्र 15,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। जबकि योजना के तहत 112 आकांक्षी ज़िलों को कवर करने के लिये लगभग 1.3 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) की आवश्यकता होगी।
- आज देश में लगभग 28,000 चावल मिलें हैं, जिन्हें फोर्टिफाइड चावल तैयार करने के लिये आवश्यक सम्मिश्रण मशीनों आदि से लैस करने की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष:

- केंद्र सरकार को विभिन्न हितधारकों यथा- राज्य सरकारों, नीति आयोग, FSSAI, भारतीय खाद्य निगम, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों से विचार-विमर्श करते हुए योजना के क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिये ताकि निर्धारित समयावधि तक फोर्टिफाइड चावल की खरीद और आपूर्ति की जा सके।

SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम संबंधी दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक हालिया निर्णय में कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत केवल इस तथ्य के आधार पर कि पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, कोई अपराध तब तक स्थापित नहीं होता, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि पीड़ित को केवल इसलिये अपमानित किया गया, क्योंकि वह किसी जाति विशिष्ट से संबंधित है।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रकार न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव के नेतृत्त्व वाली खंडपीठ ने SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (x) और 3 (1) (e) के तहत आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया, जबकि इससे पूर्व उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने से इनकार कर दिया था।

न्यायालय का निर्णय

- अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत तब तक किसी व्यक्ति के अपमान को अपराध नहीं माना जाएगा, जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि पीड़ित व्यक्ति को अनूसूचित जाति अथवा जनजाति से संबंधित होने के कारण अपमानित किया गया।
- अदालत ने उल्लेख किया कि धारा 3 (1) (r) के तहत किसी भी कृत्य को अपराध घोषित करने हेतु आवश्यक है कि-
  - ऐसा कृत्य अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के किसी सदस्य को अपमानित करने के इरादे से सार्वजनिक रूप से दृश्य किसी भी स्थान पर जान-बूझकर किया गया हो।

- यहाँ न्यायालय ने सार्वजनिक रूप से दृश्य स्थान को भी परिभाषित करने का प्रयास किया है। वर्ष 2008 के स्वर्ण सिंह वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किया था कि 'सार्वजनिक रूप से दृश्य स्थान' किसे माना जाएगा। इस वाद में न्यायालय ने 'सार्वजनिक स्थान' और 'सार्वजनिक रूप से दृश्य स्थान' के बीच अंतर किया था।
  - न्यायालय ने कहा था कि यदि किसी अपराध को घर की इमारत से बाहर जैसे- लॉन आदि में किया गया हो और उस क्षेत्र को घर की सीमा के बाहर से देखा जा सकता हो तो इस स्थिति में लॉन को सार्वजनिक रूप से दृश्य स्थान माना जाएगा।

SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग सदियों से शोषण और अत्याचार का सामना कर रहे हैं और मौजूदा समय में भी ऐसी कई घटनाएँ देखी जा सकती हैं, जहाँ किसी व्यक्ति का उत्पीड़नकेवल इसलिये किया जाता है, क्योंकि वह किसी एक जाति विशिष्ट से संबंधित है।
- इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1989 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम पारित किया था।

प्रावधान

- SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में अलग-अलग तरह के ऐसे 22 कृत्यों को अपराध के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है, जिनके कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित किसी व्यक्ति को अपमान का सामना करना पड़ता हो अथवा उसके स्वाभिमान या सम्मान को ठेस पहुँचती हो।
- इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करना, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग और किसी व्यक्ति के आर्थिक, लोकतांत्रिक एवं सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन करना शामिल है।
- इस तरह SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोगों को सामाजिक विकलांगता जैसे- किसी स्थान पर जाने से रोकना, द्वेषपूर्ण अभियोजन और आर्थिक शोषण आदि से सुरक्षा प्रदान करना है।
- साथ ही ऐसे मामलों के लिये इस कानून के तहत विशेष न्यायालय बनाए जाते हैं जो ऐसे प्रकरण में तुरंत निर्णय लेते हैं।
- इस कानून के तहत महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में पीड़ित को राहत राशि देने और अलग से मेडिकल जाँच की भी व्यवस्था है।

उद्देश्य

- इस अधिनियम को सदियों से अपमान और उत्पीड़न का सामना कर रहे समाज के कमज़ोर एवं संवेदनशील वर्ग की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है और तमाम तरह के कानूनों के बावजूद इन समुदायों के लोगों को कई स्तरों पर शोषण और भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

SC/ST समुदाय से संबंधित अपराध और अधिनियम का दुरुपयोग

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों की मानें तो देश में प्रत्येक 15 मिनट में किसी अनुसूचित जाति समुदाय के व्यक्ति के विरुद्ध अपराध की घटना होती है।
- वर्ष 2007 और वर्ष 2017 के बीच अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में 66 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।
- हालाँकि आँकड़े यह भी बताते हैं कि किस तरह से इस अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के ही आँकड़े बताते हैं कि वर्ष 2016 की पुलिस जाँच में अनुसूचित जाति को प्रताड़ित किये जाने के 5347 झूठे मामले सामने आए, जबकि अनुसूचित जनजाति के कुल 912 मामले झूठे पाए गए।
  - किंतु यहाँ इस बात पर ध्यान देना भी आवश्यक है कि ये झूठे मामले कुल मामलों का क्रमश: 9 प्रतिशत और 10 प्रतिशत ही हैं, यानी अधिनियम के तहत दर्ज किये गए 10 मामलों में से केवल 1 मामला ही झूठा दर्ज होता है।

भारतीयों का न्यूनतम बॉडी मास इंडेक्स

चर्चा में क्यों?

द लांसेट पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, 200 देशों में 19 वर्षीय लड़कियों और लड़कों के 'बॉडी मास इंडेक्स' में भारत क्रमशः नीचे से तीसरे और पाँचवें स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु:

- द लांसेट' एक साप्ताहिक विशिष्ट-समीक्षा करने वाली सामान्य चिकित्सा पत्रिका है। यह दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध सामान्य चिकित्सा पत्रिकाओं में से एक है।
- अध्ययन में 200 देशों के 19 वर्षीय किशोरों के बीएमआई का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है।

बॉडी मास इंडेक्स (BMI)

- बीएमआई या 'बॉडी मास इंडेक्स' की गणना किसी व्यक्ति की ऊँचाई और वज़न के आधार पर की जाती है। इसके लिये व्यक्ति के वज़न को (किग्रा. में), ऊँचाई (मीटर में) के वर्ग से विभाजित किया जाता है।

फार्मूला: वज़न (किग्रा.) / [ऊँचाई (मीटर)]2

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सामान्य बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच रहता है।
- यदि बीएमआई 25 या अधिक हो तो उसे अधिक वज़न (Overweight) के रूप में और यह 30 या उससे अधिक हो तो मोटापे (Obesity) के रूप में जाना जाता है।

भारत में बीएमआई की स्थिति:

- भारत में 19 वर्षीय लड़कों का बीएमआई 20.1 है। भारतीय लड़कियों के लिये भी औसत बीएमआई लड़कों के समान 20.1 है।
- भारत में 19 वर्षीय लड़कों की औसत ऊँचाई 166.5 सेमी. है, वहीं यह लड़कियों के लिये 155.2 सेमी. है।
- भारत में औसत बीएमआई जहाँ 'कुक आइलैंड्स' (29.6) की तुलना में बहुत कम है, वहीं यह इथियोपिया (19.2) से कुछ ही अधिक है।

भारत में कम बीएमआई के कारण:

- भारत जैसे विकासशील देशों में पोषण संबंधी दोहरा बोझ देखने को मिलता है, अर्थात् जहाँ एक तरफ अतिपोषण की स्थिति पाई जाती है, वहीं दूसरी ओर कुपोषण की समस्या भी देखने को मिलती है।
- भारत में विकसित देशों की तुलना में मोटापे तथा अधिक वज़न की समस्या कम देखने को मिलती है।
- इसके अनेक कारण हो सकते हैं जैसे- एपीजेनेटिक (बिना गुणसूत्रों में परिवर्तन के आनुवंशिकी में बदलाव), डाइटरी इनटेक में बदलाव, पारिवारिक पृष्ठभूमि, मानसिकता, पैतृक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, व्यवसाय, आय का स्तर आदि।

आगे की राह:

- बच्चों और किशोरों में अधिक वज़न और मोटापे की वृद्धि को रोकने के लिये भारत में नियमित आहार प्रदान करने और पोषण आधारित सर्वेक्षण किये जाने की आवश्यकता है।
- अधिक वज़न और मोटापा आगे जाकर इंसुलिन प्रतिरोध, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, सीवीडी (Cardiovascular Disease) स्ट्रोक और कुछ कैंसर जैसे कई चयापचय विकारों में वृद्धि का कारण बनता है। इन जोखिमयुक्त कारकों में बढ़ोतरी होने पर स्वास्थ्य स्थिति के संदर्भ में गंभीरता से विचार किये जाने की आवश्यकता है, ताकि समय रहते समस्या का समाधान किया जा सके।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की कवरेज

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिये नए कवरेज अनुपात का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- नीति आयोग ने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) को देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिये नए कवरेज अनुपात का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
- आवश्यकता
  - वर्तमान आँकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत ग्रामीण क्षेत्र की 75 प्रतिशत आबादी और शहरी क्षेत्र की 50 प्रतिशत आबादी कवर की जाती है।
  - इसी तरह पूर्ववर्ती योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग) ने वर्ष 2011-12 के घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आँकड़ों का उपयोग कर ग्रामीण और शहरी आबादी के राज्यवार आँकड़ों की गणना की थी।
  - तब से राज्यवार कवर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जबकि परिस्थितियाँ और लोगों का जीवन स्तर लगातार बदल रहा है।

वर्तमान राज्यवार आँकड़े

- वर्तमान में मणिपुर का देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक कवरेज (88.56 प्रतिशत) है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम (24.94 प्रतिशत) कवरेज है।
- मणिपुर के बाद दूसरे स्थान पर झारखंड (86.48 प्रतिशत) तथा तीसरे एवं चौथे स्थान पर क्रमशः बिहार (85.12 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (84.25 प्रतिशत) हैं।
- वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में भी स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों के ही समान है। शहरी क्षेत्रों के मामले में भी मणिपुर का अधिक कवरेज अनुपात (85.75 प्रतिशत) है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम (1.70 प्रतिशत) कवरेज अनुपात है। शहरी क्षेत्रों के मामले में मणिपुर के बाद बिहार (74.53 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (64.43 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (62.61 प्रतिशत) का स्थान है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

- उद्देश्य: 10 सितंबर, 2013 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित इस अधिनियम का उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये देश के आम लोगों को वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।
- कवरेज: अधिनियम के तहत गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिये देश के ग्रामीण क्षेत्र की 75 प्रतिशत आबादी और शहरी क्षेत्र की 50 प्रतिशत आबादी को कवर करने की बात की गई है।
- लाभार्थी: इसके तहत पात्र व्यक्तियों को चावल, गेंहूँ और मोटे अनाज क्रमशः 3, 2 और 1 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
  - इस मूल्य पर प्रत्येक लाभार्थी प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है।
  - साथ ही वर्तमान में अंत्योदय अन्न योजना में शामिल परिवार प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
  - इस अधिनियम के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम-से-कम 6000 रुपए का मातृत्त्व लाभ प्रदान करने का प्रावधान है।
- महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला को ही घर का मुखिया माना जाएगा और राशन कार्ड भी उसी महिला के नाम पर जारी किया जाएगा।

नोट :

अंत्योदय अन्न योजना

- 'अंत्योदय अन्न योजना' की शुरुआत दिसंबर 2000 में की गई थी।
- इस योजना का उद्देश्य 'गरीबी रेखा' से नीचे रह रही आबादी की खाद्यान्न की कमी को पूरा करना था।
- शुरुआत में इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को प्रतिमाह 25 किग्रा. खाद्यान्न दिये जाने का प्रावधान था जिसे अप्रैल 2002 में बढ़ाकर 35 किग्रा. कर दिया गया।

चुनौतियाँ

- पात्र लाभार्थियों तक खाद्यान्न का न पहुँचना इस व्यवस्था के समक्ष एक बड़ी चुनौती रही है, अक्सर यह देखा जाता है कि स्थानीय स्तर पर राशन वितरित करने वाले व्यापारी कालाबाज़ारी करते हैं और उन लोगों को राशन बेच देते हैं जो इस अधिनियम के तहत पात्र नहीं हैं, जिसके कारण पात्र लाभार्थियों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है।
- वर्ष 2016 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) ने अपनी जाँच में पाया था कि देश भर के कई राज्यों ने लाभार्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की और तकरीबन 49 प्रतिशत लाभार्थियों की पहचान अब तक नहीं की जा सकी थी।
- इसके अलावा प्राय: 'आँगनवाड़ी' में प्रदान किये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं।

आंतरिक सुरक्षा

राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय (The Ministry of Home Affairs- MHA) ने सभी राज्यों को 'राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल' (National Cybercrime Reporting Portal)- www.cybercrime.gov.in पर प्राप्त शिकायतों की जाँच करने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के रूप में उनका पंजीकरण करने के लिये कहा है।

प्रमुख बिंदु:

- मंत्रालय के पास उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, 'राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल' पर पंजीकृत कुल शिकायतों में से केवल 2.5% को ही एफआईआर के रूप में बदला जाता है।
- MHA के इस निर्देश का उद्देश्य 'राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल' के माध्यम से इंटरनेट पर "गैर-कानूनी सामग्री" के निषेध के लिये 'साइबर क्राइम वॉलंटियर्स' (Cybercrime Volunteers) के समूह को प्रोत्साहित करना है।
- वेबसाइट के अनुसार, अवैध/गैर-कानूनी ऑनलाइन सामग्री की पहचान, रिपोर्टिंग और उसे हटाने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सुविधा के लिये गैर-कानूनी सामग्री को चिह्नित करने हेतु 'साइबर क्राइम वॉलंटियर्स' के रूप में पंजीकरण के लिये अच्छे नागरिकों का स्वागत किया जाएगा।
- गैर-कानूनी सामग्री को ऐसी सामग्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्यों की सुरक्षा तथा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के विरुद्ध कार्य करती है तथा यह सांप्रदायिक स्वभाव को बिगाड़ने, सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी, बाल उत्पीड़न से संबंधित होती है।
- 'साइबर क्राइम वॉलंटियर्स' के रूप में सूचीबद्ध होने के लिये इच्छुक नागरिक को अपना फोटोग्राफ, नाम और पते का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

पंजीकृत शिकायतों का एफआईआर के रूप में पंजीकृत न होना:

- वर्ष 2019 में 'राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल' की शुरुआत के बाद से इस पर 2 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं, लेकिन एफआईआर केवल 5,000 मामलों की दर्ज की गई है।
- एफआईआर में शिकायतों के रूपांतरण की दर बहुत कम है। उदाहरणस्वरूप जुलाई में 30,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं परंतु इनमें से केवल 273 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई।
- वर्ष 2020 में जनवरी-सितंबर तक बाल पोर्नोग्राफी, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या 13,244 थी।
- 4 फरवरी, 2020 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा राज्यसभा में दी गई सूचना के अनुसार, 30 अगस्त, 2019 से 30 जनवरी, 2020 तक पोर्टल पर 33,152 साइबर क्राइम की घटनाएँ दर्ज की गईं, जहाँ संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 790 एफआईआर दर्ज की गई थीं।

साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या:

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Record Bureau-NCRB) द्वारा संकलित आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में पंजीकृत साइबर अपराधों की संख्या में 63.5% की वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2019 में वर्ष 2018 के 27,248 मामलों की तुलना में साइबर अपराध के तहत कुल 44,546 मामले दर्ज किये गए।
- वर्ष 2019 में साइबर अपराध के 60.4% मामले (44,546 मामलों में से 26,891) धोखाधड़ी से संबंधित, 5.1% (2,266 मामले) यौन शोषण और 4.2% (1,874 मामले) विवादों से संबंधित दर्ज किये गए।

- इस पोर्टल के माध्यम से केवल दिल्ली में वित्तीय साइबर अपराध के शिकार लोगों के लिये एक हेल्पलाइन शुरू की गई है, जो 155260 नंबर पर या www.cybercrime.gov.in पर घटना की रिपोर्ट कर सकते हैं।
- गृह मंत्रालय के अनुसार, शिकायत प्राप्त होने पर नामित पुलिस अधिकारी इस मामले की पुष्टि करने के बाद संबंधित बैंक और वित्तीय मध्यस्थ या भुगतान वॉलेट इत्यादि को साइबर धोखाधड़ी में शामिल धन को अवरुद्ध करने के लिये रिपोर्ट करेगा।
- इस सुविधा के उपयोग से वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के शिकार लोगों को अपना धन प्राप्त करने में और पुलिस को साइबर अपराधी की पहचान करने में मदद मिलेगी तथा उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकेगी।

'राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल' (National Cybercrime Reporting Portal):

- 'राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल' को 30 अगस्त, 2019 को लोगों को एक केंद्रीकृत मंच पर सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने में मदद के लिये लॉन्च किया गया था।
- सर्वोच्च न्यायलय के निर्देश पर सितंबर, 2018 में शुरू किये गए पोर्टल का एक पूर्व संस्करण, केवल बाल पोर्नोग्राफी, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न से संबंधित अपराधों की शिकायत के लिये प्रारंभ किया गया था।

गोरखा राइफल्स में गैर-गोरखाओं की भर्ती

चर्चा में क्यों?

अपने एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय में सेना मुख्यालय ने गोरखा राइफल्स (Gorkha Rifles-GR) में उत्तराखंड के गैर-गोरखाओं की भर्ती को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- मौजूदा व्यवस्था
  - वर्तमान में भारतीय सेना के पास लगभग 40 गोरखा राइफल्स (GR) बटालियन हैं, जिसमें केवल नेपाल-अधिवासित गोरखाओं (NDG) और भारतीय-अधिवासित गोरखाओं (IDG) को ही क्रमशः 60 और 40 के अनुपात में भर्ती किया जाता है।
  - हालाँकि कुछ वर्ष पूर्व एक पूर्णतः भारतीय-अधिवासित गोरखाओं (IDG) की बटालियन भी बनाई गई थी। अब गोरखा राइफल्स (GR) की सात में 3 रेजिमेंटों में उत्तराखंड के गैर-गोरखाओं की भर्ती को भी मंज़ूरी दे दी गई है।
- कारण:
  - यद्यपि एक ओर अलग-अलग गोरखा राइफल्स (GR) बटालियन में नेपाल से होने वाली भर्तियों में कोई कमी नहीं है, किंतु कुछ इकाइयों में भारतीय गोरखाओं की कमी देखी जा रही थी, जिसे पूरा करने के लिये यह कदम उठाया गया है।
  - वर्तमान में गोरखा राइफल्स (GR) बटालियन में गैर-गोरखाओं की भर्ती करने का निर्णय केवल दो वर्ष के लिये लिया गया है।
- प्रभाव
  - ध्यातव्य है कि भारतीय सेना के इस महत्त्वपूर्ण निर्णय से उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊँ के युवा गोरखा राइफल्स (GR) में भर्ती होने के लिये योग्य माने जाएंगे, जिससे इस क्षेत्र के युवाओं के लिये रोज़गार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी।
  - हालाँकि गोरखा राइफल्स (GR) के कई पूर्व सैनिकों ने इस कदम को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुए कहा है कि गोरखा राइफल्स (GR) में केवल गोरखा लोगों की ही भर्ती की जानी चाहिये।
- पृष्ठभूमि
  - नेपाल, भारत और ब्रिटेन के बीच वर्ष 1947 में हुए एक त्रिपक्षीय समझौते के मुताबिक, भारत और ब्रिटेन को अपनी सेनाओं में नेपाल के गोरखा सैनिकों की भर्ती करने की अनुमति दी गई है।

- इस समझौते के तहत तत्कालीन दस गोरखा राइफल्स (GR) रेजिमेंटों में से छह भारत के तथा चार ब्रिटेन के हिस्से में आई थीं। समझौते के तहत भारतीय सेना के हिस्से में नंबर 1, 3, 4, 5, 8 और 9 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट आईं और ब्रिटिश सेना के हिस्से में नंबर 2, 6, 7 और 10 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट आईं।
  - बाद में भारत ने 11 नंबर गोरखा राइफल्स रेजिमेंट भी बनाई और इस तरह भारत के पास कुल 7 रेजिमेंट हैं।
- 'आंग्ल-नेपाल युद्ध' (वर्ष 1814-16) जिसे 'गोरखा युद्ध' भी कहा जाता है, के दौरान जब अंग्रेज़ सेना को अधिक क्षति हुई थी तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार अपनी सेना में गोरखाओं को भर्ती किया था। यह युद्ध वर्ष 1816 की सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था।
  - 'आंग्ल-नेपाल युद्ध' के समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे।

चर्चा में

श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती 150th birth anniversary of Sri Aurobindo

हाल ही में 'भारतीय संस्कृति के लिये श्री अरबिंदो फाउंडेशन' (Sri Aurobindo Foundation for Indian Culture-SAFIC) द्वारा श्री अरबिंदों (अरबिंदो घोष) की 150वीं जयंती मनाने के लिये 'श्री अरबिंदों- द कवि' (Sri Aurobindo—The Kavi) नामक एक वेबिनार का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि 15 अगस्त, 2022 को श्री अरबिंदो के जन्म के 150 वर्ष पूरे हो जाएंगे और उनकी 150वीं जयंती को मनाने के लिये SAFIC द्वारा दो वर्ष तक चलने वाले समारोह का आयोजन किया जा रहा है।

श्री अरबिंदों (अरबिंदो घोष):

- अरबिंदों घोष का जन्म 15 अगस्त, 1872 को कलकत्ता (वर्तमान कोलकाता) में हुआ था।
- वे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कवि और राष्ट्रवादी नेता थे तथा आगे चलकर वे महान आध्यात्मिक सुधारक और दार्शनिक के रूप में भी जाने गए।
- 7 वर्ष की आयु में उन्हें अपने दो भाइयों के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया जहाँ उन्होंने पहले लंदन के सेंट पॉल स्कूल और उसके बाद किंग्स कॉलेज (कैम्ब्रिज) में अपनी पढ़ाई पूरी की।
- वर्ष 1890 में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की किंतु वर्ष 1893 में वे भारत वापस आ गए।
- श्री अरबिंदो ने वर्ष 1893 से वर्ष 1906 तक बड़ौदा के गायकवाड़ के यहाँ सेवा के रूप में पहले राजस्व विभाग में, फिर महाराजा के सचिवालय में, इसके बाद अंग्रेज़ी के प्रोफेसर के तौर पर और आखिर में बड़ौदा कॉलेज में वाइस-प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया।
- वर्ष 1906 में उन्होंने बड़ौदा छोड़ दिया और नव-स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज (Bengal National College) के प्रधानाचार्य के रूप में कलकत्ता चले गए।

अलीपुर बम केस:

- वर्ष 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने का असफल प्रयास किया। इसके मद्देनज़र अरबिंदो को भी हमले की योजना बनाने और अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और अलीपुर जेल भेज दिया गया।
  - अलीपुर बम मामले की सुनवाई एक वर्ष तक चली आखिरकार 6 मई, 1909 को उन्हें बरी कर दिया गया। उनके बचाव पक्ष के वकील चितरंजन दास थे।
  - इस अवधि के दौरान जेल में आध्यात्मिक अनुभव एवं वास्तविकताओं के कारण जीवन के बारे में उनका दृष्टिकोण मौलिक रूप से बदल गया, परिणामत: उनका उद्देश्य देश की सेवा एवं मुक्ति से बहुत आगे निकल गया।

आध्यात्मिक यात्रा:

- वर्ष 1910 में जब कर्मयोगिन (Karmayogin) में प्रकाशित 'टू माई कंट्रीमेन' (To My Countrymen) शीर्षक वाले हस्ताक्षरित लेख के आधार पर अंग्रेज़ सरकार उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की कोशिश कर रही थी तब अरबिंदो ने सभी राजनीतिक गतिविधियों से खुद को अलग कर लिया और छिपकर चंदन नगर (पश्चिम बंगाल) में मोतीलाल रॉय के घर रहने लगे।
- वर्ष 1910 में अरबिंदो बंगाल छोड़कर पुदुचेरी चले गए जहाँ उन्होंने आध्यात्मिक और दार्शनिक गतिविधियों के लिये खुद को समर्पित कर दिया। वर्ष 1914 में चार वर्ष की एकांत योग प्रक्रिया के बाद उन्होंने 'आर्य' (Arya) नामक एक मासिक दार्शनिक पत्रिका शुरू की।
- पांडिचेरी में उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने के कारण 1926 में श्री अरबिंदो आश्रम (Sri Aurobindo Ashram) का निर्माण हुआ।

नोट :

- उनकी सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि 'सावित्री' (Savitri) थी जो लगभग 24,000 पंक्तियों की एक आध्यात्मिक कविता थी।
- 15 अगस्त, 1947 को श्री अरबिंदो ने भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया था।
- 5 दिसंबर, 1950 को श्री अरबिंदो की मृत्यु हो गई। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने योग दर्शन और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के लिये उनकी प्रशंसा की।

दर्शन एवं अध्यात्मिक दृष्टिकोण:

- श्री अरबिंदो की एकीकृत योग प्रणाली की अवधारणा उनकी किताबों 'द सिंथेसिस ऑफ योगा' (The Synthesis of Yoga) और 'द लाइफ डिवाइन' (The Life Divine) में वर्णित है।
  - उनकी 'द लाइफ डिवाइन' पुस्तक आर्य (Arya) पत्रिका में क्रमिक रूप से प्रकाशित निबंधों का संकलन है।
- अरबिंदो का तर्क है कि ' 'जैसे मानव प्रजाति जानवरों की प्रजातियों के बाद विकसित हुई है, उसी प्रकार मानव प्रजातियों से आगे बढ़कर दुनिया विकसित हो सकती है और नई प्रजातियों के साथ एक नई दुनिया का निर्माण हो सकता है।''
- श्री अरबिंदो का मानना था कि ' 'डार्विनवाद (Darwinism) केवल जीवन में पदार्थ के क्रमिक विकास की एक घटना का वर्णन करता है किंतु इसके पीछे का कारण नहीं बताता है, जबकि वह जीवन को पहले से ही पदार्थ में मौजूद पाता है क्योंकि सभी अस्तित्व ब्रह्म की अभिव्यक्ति है।''

काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिज़र्व
Kaziranga National Park and Tiger Reserve

COVID-19 महामारी के मद्देनज़र हाल ही में काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिज़र्व (Kaziranga National Park and Tiger Reserve- KNPTR) में हाथी सफारी (Elephant Safari) की पुन: शुरुआत होने पर भी घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों की मौजूदगी में कमी देखी गई।

काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिज़र्व:

- काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है।
- इस उद्यान में लगभग 250 से अधिक मौसमी जल निकाय (Water Bodies) हैं, इसके अलावा डिपहोलू नदी (Diphlu River) इसके मध्य से बहती है।
- विश्व के दो-तिहाई एक सींग वाले गैंडे काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं।
- काज़ीरंगा में संरक्षण प्रयासों का अधिकांश ध्यान 'बड़ी चार' प्रजातियों- राइनो (Rhino), हाथी (Elephant), रॉयल बंगाल टाइगर (Royal Bengal Tiger) और एशियाई जल भैंस (Asiatic Water Buffalo) पर केंद्रित है।
- काज़ीरंगा नेशनल पार्क को वर्ष 1985 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल में किया गया था।
- उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत में धारीदार बिल्लियों की तीसरी सबसे ज़्यादा संख्या काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है।

राष्ट्रीय उद्यान (National पार्क):

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 राज्यों को किसी समृद्ध जैव विविधता वाले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति देता है।
- जो क्षेत्र पारिस्थितिकी जीव-जंतुओं, वनस्पतियों, भू-आकृतिक एवं जलीय महत्त्व के हैं और जिनका संरक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक है, उन्हें राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है।
  - राष्ट्रीय उद्यान घोषित क्षेत्र में जंतुओं का शिकार प्रतिबंधित होता है।
  - राष्ट्रीय उद्यान घोषित क्षेत्र में वन्य जीवों के अलावा अन्य जीवों के चारण पर प्रतिबंध होता है।

- किसी भी वन्य जीव-जंतु के आवास के अतिक्रमण पर रोक होती है।
- कोई भी संरक्षित क्षेत्रों का अतिक्रमण नहीं कर सकता है।
- पौधों को संगृहीत करने और उनको हानि पहुँचाने पर प्रतिबंध है।
- हथियारों का प्रयोग इन क्षेत्रों में वर्जित है।

टाइफून गोनी Typhoon Goni

1 नवंबर, 2020 को टाइफून रोली (Rolly) या गोनी (Goni), पूर्वी फिलीपींस के तट से टकराया। इस वर्ष फिलीपींस के तट से टकराने वाला यह 18वाँ टाइफून है।

प्रमुख बिंदु:

- इस सुपर टाइफून की गति 215-295 किमी. प्रति घंटा थी। हवा की गति के आधार पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की पाँच श्रेणियाँ हैं।
  - जब घूर्णन प्रणालियों में हवाएँ 39 मील प्रति घंटे तक पहुँचती हैं तो तूफान को उष्णकटिबंधीय तूफान (Tropical Storm) कहा जाता है और जब वे 74 मील प्रति घंटे तक पहुँचती हैं तो उष्णकटिबंधीय तूफान को उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical Cyclone) या हरिकेन (Hurricane) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और इसे एक नाम भी दिया जाता है।
- प्रशांत महासागर में स्थित फिलीपींस ऐसा पहला बड़ा भू-क्षेत्र है जो प्रशांत महासागरीय चक्रवात बेल्ट (Pacific Cyclone Belt) से उठने वाले चक्रवातों का सामना करता है।

टाइफून के बारे में

- ऊष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चीन सागर क्षेत्र में टाइफून कहते हैं।
- ज़्यादातर टाइफून जून से नवंबर के बीच आते हैं जो जापान, फिलीपींस और चीन आदि देशों को प्रभावित करते हैं। दिसंबर से मई के बीच आने वाले टाइफूनों की संख्या कम होती है।
- उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवातों को 'हरिकेन', दक्षिण-पूर्व एशिया और चीन में 'टाइफून' तथा दक्षिण-पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में 'उष्णकटिबंधीय चक्रवात' कहा जाता है।

हरिकेन और टाइफून में क्या अंतर है?

- इसमें कोई अंतर नही है।
- जहाँ इनकी उत्पत्ति होती हैं उसके आधार पर हरिकेन को टाइफून या चक्रवात कहा जा सकता है।
- नासा के अनुसार, इन सभी प्रकार के तूफानों का वैज्ञानिक नाम उष्णकटिबंधीय चक्रवात है।
- अटलांटिक महासागर या पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है और जो उत्तर पश्चिमी प्रशांत में बनता है, उसे टाइफून कहा जाता है।

गंगा उत्सव-2020 Ganga Utsav-2020

2 नवंबर, 2020 से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (National Mission for Clean Ganga- NMCG) ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर तीन दिवसीय बहुप्रतीक्षित गंगा उत्सव-2020 (Ganga Utsav-2020) का आयोजन शुरू किया।

प्रमुख बिंदु:

- गंगा उत्सव-2020 पवित्र गंगा नदी की महिमा का जश्न मनाने के लिये एक सांस्कृतिक एवं शैक्षिक त्योहार है।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य गंगा नदी के कायाकल्प हेतु जनसहभागिता बढ़ाना है और वार्ताओं एवं मनोरंजन के माध्यम से पारिस्थितिकीय मुद्दों के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाना है।
- यह महोत्सव 4 नवंबर तक जारी रहेगा।

- 4 नवंबर, 2008 को गंगा को 'राष्ट्रीय नदी' (National River) घोषित किया गया था।
    - यह उत्सव गंगा नदी को 'राष्ट्रीय नदी' घोषित करने की 12वीं वर्षगाँठ मनाने के लिये आयोजित किया जा रहा है।
    - इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और 'नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा' (NMCG) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
- हितधारकों को जुड़ाव को बढ़ावा देने और गंगा ज्ञान केंद्र (Ganga Knowledge Center) के तत्त्वावधान में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 2016 से 'नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा' (National Mission for Clean Ganga-NMCG) के तहत प्रत्येक वर्ष 4 नवंबर को गंगा उत्सव का आयोजन किया जाता है।
- इस अवसर पर गंगा टास्क फोर्स (Ganga Task Force) ने परियोजना क्षेत्र में एनसीसी कैडेट और युवाओं के साथ मिलकर वनीकरण अभियान भी चलाया।

गंगा नदी:

- सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और 'गोमुख' के निकट गंगोत्री हिमनद से निकली भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलने के बाद संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है।
- अलकनंदा की सहायक नदियाँ, जैसे-पिंडार नदी बाएँ तट से कर्णप्रयाग में तथा मंदाकिनी नदी दाएँ तट से रुद्रप्रयाग में इसमें मिलती हैं।
- धौलीगंगा व विष्णुगंगा अलकनंदा की अन्य सहायक नदियाँ हैं। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है।
- गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का (गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु) तक बहती है, जहाँ यह दो धाराओं में बँट जाती है- एक धारा हुगली (पश्चिम बंगाल) के नाम से जानी जाती है तथा दूसरी धारा भागीरथी के रूप में प्रवाहित होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद यह 'पद्मा' और अंततः मेघना नाम से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
- गंगा की सहायक नदियाँ:
    - बाएँ तट से मिलने वाली नदियाँ- रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बाघमती, कोसी एवं महानंदा (बाएँ तट से मिलने वाली अंतिम नदी महानंदा है)
    - दाएँ तट से मिलने वाली नदियाँ- यमुना, सोन, टोंस, कर्मनाशा
- गंगा नदी पर ही 'राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1' (प्रयागराज से हल्दिया तक) स्थित है।
- गंगा के दाएँ एवं बाएँ तटों से अनेक सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं जिनमें यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है जो बंदरपूँछ चोटी के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है तथा प्रयागराज में गंगा के दाएँ तट पर मिलती है।
    - यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कुल 19 ज़िलों से होकर बहती है।
- वर्ष 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदी को 'जीवित मानव' का दर्जा दिया।
- गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 ज़िलों से होकर बहती है। यह बिजनौर ज़िले से प्रवेश कर बलिया ज़िले से बाहर हो जाती है।

एयरो इंडिया 2021 Aero India 2021

एयरो इंडिया 2021 (Aero India 2021) के 13वें सत्र का आयोजन बंगलूरू (कर्नाटक) स्थित येलहंका (Yelahanka) के वायु सेना स्टेशन पर 03-07 फरवरी, 2021 तक किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

- पाँच दिवसीय कार्यक्रम में एयरोस्पेस एवं रक्षा उद्योगों की एक प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।
- एयरोस्पेस उद्योग के ग्लोबल लीडरशिप और बड़े निवेशकों के अलावा इस प्रदर्शनी में दुनिया भर के थिंक-टैंकों की भागीदारी भी देखने को मिलेगी।
- एयरो इंडिया उड्डयन उद्योग में सूचना, विचारों और नई तकनीकी के आदान-प्रदान के लिये एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा।

- घरेलू विमानन उद्योग को प्रोत्साहन देने के अलावा यह मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा।
- एयरो इंडिया-2021 में लगभग 500 भारतीय एवं विदेशी कंपनियों के भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है।

सेना विमानन कोर (Army Aviation Corps):

- भारतीय सेना की सबसे युवा वाहिनी 'सेना विमानन कोर' (Army Aviation Corps- AAC) ने 1 नवंबर को अपना 35वाँ वाहिनी दिवस मनाया।
    - सेना विमानन कोर भारतीय सेना का एक घटक है जिसका गठन 1 नवंबर, 1986 को किया गया था इसका नेतृत्त्व नई दिल्ली से महानिदेशक पद के लेफ्टिनेंट जनरल द्वारा किया जाता है।
- भूमिका एवं कार्य:
    - AAC चॉपर्स द्वारा निभाई जाने वाली मुख्य भूमिकाएँ सैन्य परीक्षण, निगरानी, हताहत लोगों की निकासी, आवश्यक वस्तुएँ पहुँचाना, युद्ध के दौरान खोज एवं बचाव कार्य है।
    - AAC हेलीकॉप्टर शांतिकाल में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (Humanitarian Aid and Disaster Relief-HADR) अभियानों में भी भाग लेते हैं।
    - कुछ स्थितियों में सेना के हेलीकॉप्टर भी 'एयरबोर्न कमांड पोस्ट' (Airborne Command Posts) के रूप में कार्य कर सकते हैं यदि आवश्यक हो तो वे 'ग्राउंड कमांड पोस्ट' (Ground Command Posts) की जगह ले सकते हैं।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2020 Vigilance Awareness Week-2020

केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) 27 अक्तूबर से 2 नवंबर, 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह (Vigilance Awareness Week) का अनुपालन कर रहा है।

- थीम: वर्ष 2020 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम 'सतर्क भारत-समृद्ध भारत' (Satark Bharat- Samriddh Bharat) है।

प्रमुख बिंदु:

- सतर्कता जागरूकता सप्ताह प्रत्येक वर्ष उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है जिसमें सरदार वल्लभभाई पटेल (31 अक्तूबर) का जन्मदिन आता है।
- यह जागरूकता सप्ताह नागरिक भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक जीवन मे ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिये मनाया जाता है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission):

- केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission-CVC) एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। साथ ही केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने एवं सुधार करने के संबंध में सलाह देता है।
- CVC को सरकार द्वारा फरवरी 1964 में के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति (Committee on Prevention of Corruption) की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था। संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 द्वारा इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया।
- CVC किसी भी मंत्रालय/विभाग के अधीन नहीं है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है।
- इस बहु-सदस्यीय आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त (सदस्य) शामिल होते हैं।
- केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) और सतर्कता आयुक्तों (सदस्य) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), गृह मंत्री (सदस्य) और लोकसभा में विपक्ष का नेता (सदस्य) शामिल होते हैं।

नोट :

- केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) और सतर्कता आयुक्तों (सदस्य) का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) होता है।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना
Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana

03 नवंबर, 2020 को केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana- PMBJP) की सविस्तार समीक्षा बैठक की।

प्रमुख बिंदु:

- इस समीक्षा बैठक में कहा गया है कि PMBJP ने चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों (31 अक्तूबर तक) में 6600 जन-औषधि दुकानों के माध्यम से 358 करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2019 में 433 करोड़ रुपए की बिक्री की तुलना में) के फार्मा उत्पादों की बिक्री की है और पूरे वित्त वर्ष में 600 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री होने की उम्मीद जताई गई है।
- गौरतलब है कि 'भारतीय फार्मा पीएसयू ब्यूरो' (Bureau of Pharma PSUs of India- BPPI), नागरिकों विशेष रूप से समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों की दवाओं पर होने वाले खर्च में कमी लाने के लिये प्रयासरत है। इसके साथ ही BPPI अभिनव उपायों को अपनाने का प्रयास भी कर रहा है ताकि आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत कर स्थिति को और बेहतर बनाया जा सके।

'भारतीय फार्मा पीएसयू ब्यूरो' (Bureau of Pharma PSUs of India- BPPI):

- BPPI, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी है।
- BPPI का गठन दिसंबर 2008 में भारत सरकार के औषधि विभाग के अंतर्गत किया गया था।
- अप्रैल 2010 में BPPI को एक अलग कानूनी इकाई के रूप में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (Societies Registration Act, 1860) के तहत स्वतंत्र संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP):

- भारत सरकार द्वारा नागरिकों को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराने की योजना को वर्ष 2015-16 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) के रूप में परिवर्तित किया गया था।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक नागरिक को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएँ उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम करना है।
- सस्ती दवाओं की बिक्री करने वाली जन औषधि दुकानों की संख्या वर्ष 2014-15 के 99 से बढ़कर वर्तमान में लगभग 6600 तक पहुँच गई है। बिक्री का आँकड़ा भी वर्ष 2014-15 के 7.29 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 433 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।

COVID-19 श्री शक्ति चैलेंज COVID-19 Shri Shakti Challenge

महिलाओं के नेतृत्व वाले 6 स्टार्ट अप्स ने यू.एन. वीमेन (UN Women) के सहयोग से MyGov द्वारा आयोजित COVID-19 श्री शक्ति चैलेंज (Shri Shakti Challenge) प्रतियोगिता में जीत दर्ज की है।

प्रमुख बिंदु:

- MyGov ने यू.एन. वीमेन (UN Women) के साथ मिलकर 'COVID-19 श्री शक्ति चैलेंज' को अप्रैल 2020 में शुरू किया था।
- उद्देश्य: महिलाओं को स्टार्टअप समाधान के लिये प्रोत्साहन एवं शामिल करने का उद्देश्य उन अभिनव समाधान की खोज करना है जो COVID-19 से निपटने में मदद कर सकता है।

- इस प्रतियोगिता में देश भर से कुल 1265 प्रविष्टियाँ भेजी गईं। पूरी तरह स्क्रीनिंग के बाद निर्णायक समिति (Jury) को प्रस्तुतियों के लिये 25 स्टार्टअप को शॉर्टलिस्ट किया गया।
    - सभी 25 चयनित स्टार्टअप्स ने निर्णायक समिति को अपने समाधान प्रस्तुत किये और इसके बाद उसने स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित समाधानों का मूल्यांकन किया जिसमें नवाचार, उपयोगिता, प्रासंगिकता तथा समाज पर उनके विचार के प्रभाव को शामिल किया गया था।
- अगले चरण के लिये 11 फाइनलिस्ट चुने गए जिनमें से प्रत्येक को अपने विचारों को और विकसित करने के लिये 75 हजार रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।
- अंतिम चरण में निर्णायक समिति ने विजेताओं के रूप में शीर्ष 3 प्रविष्टियों का चयन किया और प्रस्तुत समाधानों की उच्च गुणवत्ता को देखते हुए 3 अतिरिक्त प्रविष्टियों को 'प्रॉमिसिंग सॉल्यूशंस' (Promising Solutions) के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया।
- शीर्ष 3 विजेताओं के लिये पहले घोषित 5 लाख रुपए के पुरस्कार के अलावा यू.एन. वीमेन (UN Women) ने 'प्रॉमिसिंग सॉल्यूशंस' (Promising Solutions) के लिये चुने गए 3 स्टार्टअप्स को 2-2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की।
- शीर्ष 3 विजेता: डॉ. पी. गायत्री हेला (Dr P Gayatri Hela), रोमिता घोष (Romita Ghosh), डॉ. अंजना रामकुमार (Dr Anjana Ramkumar) एवं डॉ. अनुष्का अशोकन (Dr Anushka Ashokan) [संयुक्त रूप से]।
- 'प्रॉमिसिंग सॉल्यूशंस' (Promising Solutions) की श्रेणी में शीर्ष 3 विजेता: वसंती पलनीवेल (Vasanthi Palanivel), शिवी कपिल (Shivi Kapil), जया पाराशर (Jaya Parashar) एवं अंकिता पाराशर (Ankita Parashar)।

हरिकेन एटा Hurricane Eta

1 नवंबर, 2020 को तूफान की श्रेणी 2 (Category 2) के अंतर्गत आने वाला हरिकेन एटा (Hurricane Eta) भारी बारिश के साथ मध्य अमेरिका से टकराया।

प्रमुख बिंदु:

- 'यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर' (US National Hurricane Center) के अनुसार, 1 नवंबर, 2020 को हरिकेन एटा (Hurricane Eta) की अधिकतम गति 110 किलोमीटर प्रति घंटे थी, किंतु 3 नवंबर, 2020 को इसकी गति 175 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई।
- यह निकारागुआ-होंडुरास सीमा (Nicaragua-Honduras Border) से लगभग 245 मील (390 किलोमीटर) पूर्व में केंद्रित था।
- अटलांटिक हरिकेन मौसम (Atlantic Hurricane Season) में आने वाले तूफानों में हरिकेन एटा (Hurricane Eta) 28वाँ है।
    - हालाँकि यह पहली बार है जब ग्रीक अक्षर एटा (Eta) का उपयोग एक तूफान के नाम में किया गया।
- इस सीज़न में अटलांटिक तूफान का अभी भी एक महीना बाकी है जो 30 नवंबर को समाप्त हो रहा है।

अटलांटिक हरिकेन मौसम (Atlantic Hurricane Season):

- अटलांटिक हरिकेन मौसम की अवधि 1 जून से 30 नवंबर के मध्य होती है और 'नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फियरिक एडमिनिस्ट्रेशन' (National Oceanic and Atmospheric Administration- NOAA) के अनुसार, एक औसत हरिकेन मौसम में लगभग 12 हरिकेन आते हैं जिनमें से तीन प्रमुख हरिकेन के साथ छह सामान्य हरिकेन बन जाते हैं।
- जबकि पूर्वी प्रशांत तट पर हरिकेन मौसम की अवधि 15 मई से 30 नवंबर के मध्य होती है।

हरिकेन का वर्गीकरण:

- हरिकेन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical cyclone) को सैफिर-सिंपसन विंड स्केल (Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale) के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसमें हवा की गति के आधार पर 1 से 5 तक की रेटिंग दी जाती है।

नोट :

लुहरी जल विद्युत परियोजना Luhri Hydro Electric Project

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू एवं शिमला ज़िलों में सतलज नदी (Satluj River) पर स्थित 210 मेगावाट क्षमता वाली लुहरी जल विद्युत परियोजना (Luhri Hydro Electric Project) के प्रथम चरण के लिये 1810.56 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।

लुहरी जल विद्युत परियोजना:

- इस जल विद्युत परियोजना से प्रतिवर्ष 758.20 मिलियन विद्युत यूनिट का उत्पादन होगा।
- इस परियोजना में भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी है।
- इस परियोजना को बिल्ड–ओन–ऑपरेट–मेंटेन (Build-Own-Operate-Maintain- BOOM) आधार पर सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड (Satluj Jal Vidyut Nigam Limited- SJVNL) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड (SJVNL):

- SJVN लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन शेड्यूल–'ए' मिनी रत्न श्रेणी-। के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जिसकी स्थापना 24 मई, 1988 को भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में की गई थी।
- SJVN अब एक सूचीबद्ध कंपनी है जिसमें उसके शेयरहोल्डर पैटर्न के तहत भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार एवं जनता का क्रमश: 59.92%, 26.85% एवं 13.23% का इक्विटी अंशदान शामिल है।
- इस परियोजना से संबंधित समझौता ज्ञापन पर नवंबर, 2019 में आयोजित 'राइजिंग हिमाचल, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट' (Rising Himachal, Global Investor Meet) के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ हस्ताक्षर किये गए थे और इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री ने 7 नवंबर, 2019 को किया था।
- भारत सरकार इस परियोजना में आधारभूत ढाँचे के विकास के लिये 66.19 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान कर रही है जिससे बिजली की दरों में कमी लाने में मदद मिलेगी।

लुहरी जल विद्युत परियोजना से लाभ:

- लुहरी जल विद्युत परियोजना का प्रथम चरण 62 महीनों में शुरू हो जाएगा और इस परियोजना से उत्पन्न होने वाली विद्युत से ग्रिड स्थायित्व में मदद मिलेगी तथा विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा।
- विद्युत ग्रिड को महत्त्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराने के अलावा वातावरण में प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाली 6.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भी इस परियोजना से कमी आएगी और वायु गुणवत्ता में सुधार होगा।
- इस परियोजना की निर्माणात्मक गतिविधियों से लगभग 2000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिलेगा।
- इस परियोजना की समयावधि 40 वर्ष है और इससे हिमाचल प्रदेश को 1140 करोड़ रुपए मूल्य की नि:शुल्क बिजली मिलेगी।
- इस परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों को अगले 10 वर्ष तक प्रतिमाह 100 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

सतलज नदी (Satluj River):

- सतलज नदी उन पाँच नदियों में सबसे लंबी नदी है जो उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान में पंजाब के ऐतिहासिक क्षेत्र से होकर बहती हैं।
- सतलज नदी को 'सतद्री' के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है।
- इसका उद्गम सिंधु नदी के स्रोत से 80 किमी. दूर पश्चिमी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राकसताल झील से होता है।
- सिंधु की तरह यह तिब्बत-हिमाचल प्रदेश सीमा पर शिपकी-ला दर्रे तक एक उत्तर-पश्चिमी मार्ग को अपनाती है। यह शिवालिक श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है।
- पंजाब के मैदान में प्रवेश करने से पहले यह 'नैना देवी धार' में एक गॉर्ज का निर्माण करती है जहाँ प्रसिद्ध भाखड़ा बाँध का निर्माण किया गया है।
- रूपनगर (रोपड़) क्षेत्र में मैदान में प्रवेश करने के बाद यह पश्चिम की ओर मुड़ती है और हरिके नामक स्थान पर ब्यास नदी में मिल जाती है।

नोट :

- फिरोज़पुर के पास से लेकर फाज़िल्का तक यह भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 120 किलोमीटर तक सीमा बनाती है।
- अपनी आगे की यात्रा के दौरान यह रावी, चिनाब और झेलम नदियों के साथ सामूहिक जलधारा के रूप में मिठानकोट से कुछ किलोमीटर ऊपर सिंधु नदी में मिल जाती है।

पिनाका रॉकेट प्रणाली PINAKA Rocket System

हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation-DRDO) ने पिनाका रॉकेट प्रणाली (PINAKA Rocket System) के अत्याधुनिक रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

प्रमुख बिंदु:

- यह परीक्षण ओडिशा स्थित चांदीपुर एकीकृत परीक्षण केंद्र से 4 नवंबर, 2020 को किया गया।
- इस अत्याधुनिक रॉकेट को पुणे स्थित DRDO प्रयोगशालाओं, ARDE और HEMRL द्वारा डिज़ाइन एवं विकसित किया गया है।
- यह अत्याधुनिक रॉकेट मौजूदा पिनाका-एमके-1 (Pinaka-Mk-1) रॉकेटों का स्थान लेगा जिनका उत्पादन अभी भी जारी है।

पिनाका (PINAKA):

- यह ऑल-वेदर, इनडायरेक्ट फायर, फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है।
- यह अद्वितीय क्षमता प्रदान करता है जो एक लीथल एंड रिस्पांसिव फायर (Lethal and Responsive Fire) को सटीक रूप से वितरित करने में मदद करता है।
- इस हथियार प्रणाली में रॉकेट, बैटरी कमांड पोस्ट (Battery Command Post), लोडर कम रिप्लेसमेंट व्हीकल (Loader cum Replenishment Vehicle), रिप्लेसमेंट व्हीकल (Replenishment Vehicle) और डिजीकोरा मेट रडार (Digicora MET Radar) और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर (Multi Barrel Rocket launcher) शामिल हैं।
- मेड-इन-इंडिया प्रणाली एक नए निर्देशित रॉकेट का उपयोग कर रही है जिसमें इज़रायल द्वारा डिज़ाइन किया गया 'ट्रैजेक्टरी कंट्रोल सिस्टम' (Trajectory Control System- TCS) है। इसका परीक्षण वर्ष 2013 में किया गया था और उस समय इसकी रेंज 65 किमी. थी।
- DRDO पिनाका रॉकेट प्रणाली की रेंज 120 किलोमीटर तक करने के लिये प्रयासरत है। वर्ष 2019 में कई परीक्षणों के बाद 90 किमी. तक की रेंज हासिल कर ली गई थी।

नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज Nurturing Neighborhoods Challenge

4 नवंबर, 2020 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (Union Housing and Urban Affairs Ministry) ने छोटे बच्चों, देखभाल करने वालों और परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु शहरों के लिये 'नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज' (Nurturing Neighborhoods Challenge) की शुरुआत की।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य बच्चों एवं परिवारों के लिये शहरी बुनियादी ढाँचे में सुधार हेतु मदद करना है।

प्रमुख बिंदु:

- 'नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज' (Nurturing Neighborhoods Challenge) की शुरुआत देशभर के 100 स्मार्ट शहरों, 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के लिये की गई है।
- तीन वर्ष की अवधि के दौरान 'नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज' के तहत शहरों की निम्नलिखित तरीके से मदद की जाएगी:
  - पार्क एवं खुले स्थानों की पुनर्स्थापना करना।
  - बचपन की शुरुआती सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करना।

- बचपन उन्मुख सुविधाओं के साथ सार्वजनिक स्थानों को अनुकूलित करना।
- छोटे बच्चों एवं परिवारों के लिये सुलभ, सुरक्षित, टहलने योग्य सड़कों का निर्माण करना।

- शहरों में परिवारों के सम्मुख अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन के साथ-साथ भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और बच्चों की देखभाल से संबंधित कई चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियों का सामना करने और बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करने के लिये शहरी नियोजन एवं डिज़ाइन प्रमुख भूमिका निभा सकता है।
- यह कार्यक्रम 'डब्ल्यूआरआई इंडिया' (WRI India) से मिली तकनीकी सहायता के साथ नीदरलैंड के 'बर्नार्ड वॉन लीर फाउंडेशन' (Bernard van Leer Foundation) के सहयोग से आयोजित किया गया।
- इसके अतिरिक्त केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों मंत्रालय ने दो अन्य पहलों की भी शुरुआत की है।
  - डेटा परिपक्वता मूल्यांकन फ्रेमवर्क चक्र-2 (Data Maturity Assessment Framework Cycle-2)
  - शहरी डेटा अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training Programme for City Data Officers)

डेटा परिपक्वता मूल्यांकन फ्रेमवर्क चक्र-2 (Data Maturity Assessment Framework Cycle-2):

- यह 'स्मार्ट सिटी मिशन' की 'डेटा स्मार्ट सिटी (Data Smart Cities) पहल' के तहत 'डेटा की संस्कृति' (Culture of Data) के निर्माण में शहरों का समर्थन करेगा।
- उद्देश्य:
  - इस ढाँचे का मुख्य उद्देश्य शहर स्तर पर सक्षम नीतियों, शासन संरचनाओं, डेटा प्रबंधन, क्षमता निर्माण और हितधारक जुड़ाव के पहलुओं को कवर करने वाले मानकीकृत ढाँचे के संबंध में शहरों को अपनी स्वयं की डेटा परिपक्वता का आकलन करने में सक्षम बनाना है।
- इससे नवोन्मेष, सहयोग, सह-निर्माण और अकादमिक अनुसंधान के लिये डेटा संस्कृति के लोकतंत्रीकरण में सक्षम भूमिका निभाने की उम्मीद जताई गई है।

उल्लेखनीय है कि स्मार्ट शहरों के अलावा अन्य शहरों को शामिल करने के लिये इस चक्र के मूल्यांकन का विस्तार किया गया है।

शहरी डेटा अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training Programme for City Data Officers):

- शहरी देता अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने टाटा ट्रस्ट्स (Tata Trusts) के साथ 6 सप्ताह का निर्देशित ई-लर्निंग कोर्स शुरू करने के लिये साझेदारी की है जिसे 'शहरी स्थानीय निकायों में डेटा आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाना' (Enabling Data Driven Decision Making in Urban Local Bodies) कहा जाता है।
- 100 स्मार्ट शहरों में नियुक्त सिटी डेटा ऑफिसर्स (CDO) के लिये विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया यह अभ्यास-आधारित डिजिटल कोर्स डेटा संग्रह, विश्लेषण एवं रूपरेखा के लिये बुनियादी तथा उन्नत प्रकृति के CDO तैयार करेगा।
- CDO को प्रभावी डेटा-संचालित शासन के सिद्धांतों को समझने के लिये सक्षम बनाया जाएगा।

गौरतलब है कि 'टाटा ट्रस्ट्स' ने वर्ष 2016 से अपने डेटा आधारित प्रशासन (Data Driven Governance- DDG) पोर्टफोलियो के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय सरकारों के लिये डेटा आधारित निर्णय लेने की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता स्थापित करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य किया है।

प्रो. ए. एन. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड-2020
Prof. A N Bhaduri Memorial Lecture Award-2020

हाल ही में 'काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च- सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट (CSIR-CDRI), लखनऊ के डॉ. सुशांत कर (Dr. Susanta Kar) को सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्स, इंडिया द्वारा 'प्रो. ए. एन. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड' (Prof. A N Bhaduri Memorial Lecture Award) से सम्मानित किया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- यह पुरस्कार लीशमैनिया डोनोवानी (Leishmania Donovani) की उत्तरजीवी रणनीति को परिभाषित करने हेतु महत्त्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के लिये प्रदान किया गया है।
    - लीशमैनिया डोनोवानी (Leishmania Donovani) एक प्रोटोजोआ परजीवी है जो मैक्रोफेजेज़ (Macrophages) कोशिकाओं को संक्रमित करता है और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करने वाले एक घातक संक्रामक रोग कालाज़ार (Kala Azar) का एक प्रेरक एजेंट है।
- डॉ. सुशांत कर की रिसर्च टीम ने मैक्रोफेजेज़, डेंड्राइटिक कोशिकाओं (Dendritic Cells) और टी-कोशिकाओं जैसी विभिन्न प्रतिरक्षा कोशिकाओं के साथ लीशमैनिया परजीवी के पारस्परिक संबंधों तथा प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया/संक्रमण प्रगति पर इन पारस्परिक संबंधों के प्रभाव का अध्ययन किया।
- यह पुरस्कार प्रत्येक दो वर्ष में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के प्राप्तकर्त्ता 50 वर्ष से कम आयु के होना चाहिये। यह पुरस्कार जैविक रसायन विज्ञान और संबद्ध विज्ञानों (Biological Chemistry and Allied Sciences) विशेषकर परजीवी संक्रमण से संबंधित विषय के लिये प्रदान किया जाता है।
- सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्स, इंडिया की स्थापना वर्ष 1930 में हुई थी और इसका मुख्यालय भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु के परिसर में है।
- लखनऊ स्थित 'काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च- सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट (CSIR-CDRI), भारत का एक प्रमुख औषधि अनुसंधान संस्थान है।

लीशमैनियासिस (Leishmaniasis):

- यह भारत सहित लगभग 100 देशों को प्रभावित करने वाली एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी (Neglected Tropical Disease) है।
    - उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियाँ संचारी रोगों का एक विविध समूह होती हैं जो 149 देशों के उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में व्याप्त है।
- यह लीशमैनिया (Leishmania) नामक एक परजीवी के कारण होता है जो सैंड फ्लाई (Sand Flies) के काटने से फैलता है।
- लीशमैनियासिस के निम्नलिखित तीन मुख्य रूप हैं:
    - आँत का (Visceral) लीशमैनियासिस: यह शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है और यह रोग का सबसे गंभीर रूप है।
    - त्वचीय (Cutaneous) लीशमैनियासिस: इस बीमारी से त्वचा में घाव हो जाते हैं और यह बीमारी का आम रूप है।
    - श्लेष्मत्वचीय (Mucocutaneous) लीशमैनियासिस: इस बीमारी में त्वचा एवं श्लैष्मिक घाव होते हैं।

उल्लेखनीय है कि मानव शरीर में आँत की लीशमैनियासिस को आमतौर पर भारत में कालाज़ार (Kala-azar) के रूप में जाना जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय 'सतावधानम' International 'Satavadhanam'

5 नवंबर, 2020 को भारत के उपराष्ट्रपति ने वर्चुअल तरीके से अंतर्राष्ट्रीय 'सतावधानम' (International 'Satavadhanam') कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु:

- इस कार्यक्रम का आयोजन डॉ. मेदासनी मोहन (Dr. Medasani Mohan) द्वारा तिरुपति में श्री कृष्णदेवराय सत्संग के तत्त्वावधान में किया गया।

अवधानम (Avadhanam):

- 'अवधानम' भारत में प्राचीन समय से लोकप्रिय एक साहित्यिक प्रदर्शन है। 'अवधानम' की उत्पत्ति एक संस्कृत साहित्यिक प्रक्रिया के रूप में हुई थी किंतु यह आधुनिक समय में तेलुगू एवं कन्नड़ भाषा के कवियों के कारण पुनर्जीवित है।

- 'अवधानम' (Avadhanam) एक रोचक साहित्यिक गतिविधि है जिसमें मुश्किल साहित्यिक पहेलियों को हल करना, कविताओं को सुधारना और ऐसे कई कार्यों को एक साथ करने की एक व्यक्ति की क्षमता का परीक्षण करना शामिल है।
- अवधानी (Avadhani) का अर्थ उस व्यक्ति से है जो 'अवधानम' करता है अर्थात् प्रश्न पूछने वाले कई व्यक्तियों में से एक प्रच्चाका (Prcchaka)/ प्रश्नकर्त्ता है।
    - प्रच्चाकों (Prcchakas) की संख्या 8 (अष्टावधानम), 100 (सतावधानम), 1000 (सहस्त्रावधानम) भी हो सकती है।

गांधीवादी युवा तकनीकी पुरस्कार Gandhian Young Technological Awards

5 नवंबर, 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'स्टूडेंट्स इनोवेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एक्सप्लोरेशन-गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार' (Students Innovations for Advancement of Research Explorations - Gandhian Young Technological Innovation: SITARE-GYTI) और 'सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी-गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार' (Society for Research and Initiatives for Sustainable Technological Innovations-Gandhian Young Technological Innovation: SRISTI-GYTI) पुरस्कार प्रदान किये।

प्रमुख बिंदु:

- गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार को दो श्रेणियों (SITARE-GYTI एवं SRISTI-GYTI) में विभाजित किया गया है।
    - SITARE-GYTI को 'बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल' (Biotechnology Industry Research Assistance Council- BIRAC) और SRISTI-GYTI को 'सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी' (SRISTI) के तहत शामिल किया गया है।
    - इन दो श्रेणियों में पुरस्कार देने का उद्देश्य छात्रों में तकनीकी विचारों को बढ़ावा देना तथा उन्हें बायोटेक एवं स्टार्टअप स्थापित करने की दिशा में प्रोत्साहित करना है।
- SITARE-GYTI श्रेणी में 14 प्रमुख पुरस्कार एवं 11 प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किये गए, जबकि SRISTI-GYTI श्रेणी में 7 प्रमुख पुरस्कार एवं 16 प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किये गए हैं।
- SITARE-GYTI श्रेणी के विजेताओं ने 89 पब्लिकेशन, 39 पेटेंट सहित 10 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और दूसरे पुरस्कार हासिल किये हैं।
- SITARE-GYTI पुरस्कार प्रत्येक वर्ष जैविक विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, कृषि, मेडिकल उपकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले युवा छात्रों को प्रदान किया जाता है। इसी तरह SRISTI-GYTI पुरस्कार इंजीनियरिंग के अलावा दूसरे विषयों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले छात्रों को प्रदान किया जाता है।

तीव्र रेडियो प्रस्फोट Fast Radio Burst

28 अप्रैल, 2020 को नासा (NASA) ने आकाशगंगा (मिल्की वे) में एक्स-रे और रेडियो संकेतों का मिश्रण (एक तरह का प्रस्फोट) देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। गौरतलब है कि इस प्रस्फोट में आकाशगंगा के भीतर देखी जाने वाली पहली घटना तीव्र रेडियो प्रस्फोट (Fast Radio Burst- FRB) भी शामिल है।

प्रमुख बिंदु:

- नासा के 'विंड मिशन' के साथ कई उपग्रहों ने एक ही समय में प्रस्फोट वाले एक्स-रे भाग का पता लगाया था और रेडियो घटक की खोज 'कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट' (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment-CHIME) द्वारा की गई थी।

- CHIME, ब्रिटिश कोलंबिया में 'डोमिनियन रेडियो एस्ट्रोफिजिकल ऑब्ज़र्वेटरी' (Dominion Radio Astrophysical Observatory) में स्थित एक रेडियो दूरबीन है। जिसका संचालन-नेतृत्त्व मॉन्ट्रियल में मैकगिल विश्वविद्यालय (McGill University), ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय और टोरंटो विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है।

- इसके अलावा नासा द्वारा वित्तपोषित परियोजना जिसे 'सर्वे फॉर ट्रांसिएंट एस्ट्रोनॉमिकल रेडियो एमिशन 2' (Survey for Transient Astronomical Radio Emission 2- STARE2) कहा जाता है, ने CHIME द्वारा देखे गए रेडियो प्रस्फोट का भी पता लगाया है।
  - STARE2 दक्षिणी कैलिफोर्निया में कालटेक (Caltech) और नासा की 'जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी' (Jet Propulsion Laboratory) द्वारा संचालित है और इसकी टीम ने निर्धारित किया कि प्रस्फोट ऊर्जा FRBs के बराबर थी।

तीव्र रेडियो प्रस्फोट (Fast Radio Burst- FRB):

- वैज्ञानिकों द्वारा पहला FRB वर्ष 2007 में खोजा गया था।
- FRB रेडियो तरंगों के उज्ज्वल प्रस्फोट हैं जिनकी अवधि मिली-सेकंड में होती है, परिणामत: उनका पता लगाना और आकाश में उनकी स्थिति निर्धारित करना मुश्किल है।
  - चुंबकीय क्षेत्रों में बदलाव के साथ रेडियो तरंगों की उत्पत्ति खगोलीय पिंडों द्वारा की जा सकती है।

FRB का उद्भव स्रोत:

- अप्रैल 2020 में मिल्की वे में खोजा गया FRB का स्रोत एक बहुत शक्तिशाली 'मैग्नेटिक न्यूट्रॉन स्टार' (Magnetic Neutron Star) है जिसे एक मैग्नेटार (Magnetar) के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसे SGR 1935+2154 या SGR 1935 कहा जाता है जो नक्षत्र-मंडल वल्पेकुला (Vulpecula) में अवस्थित है और यह पृथ्वी से लगभग 14000- 41,000 प्रकाश वर्ष दूर है।
- FRB, मैग्नेटार के सबसे बड़े प्रस्फोटों में से एक का हिस्सा था जिसमें एक्स-रे विस्फोट की दर एक सेकंड से भी कम थी। दूसरी ओर 'रेडियो प्रस्फोट' एक सेकंड के हज़ारवें भाग में था और पहले मिल्की वे में देखे गए मैग्नेटर्स से किसी भी अन्य रेडियो उत्सर्जन की तुलना में हज़ारों गुना तेज़ था।

मैग्नेटार (Magnetar):

- नासा के अनुसार, एक मैग्नेटार एक न्यूट्रॉन स्टार है, ऐसे तारे का चुंबकीय क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होता है, जो एक रेफ्रिजरेटर मैग्नेट (Refrigerator Magnet) से 10 ट्रिलियन गुना अधिक मज़बूत हो सकता है और एक विशिष्ट न्यूट्रॉन स्टार की तुलना में हज़ार गुना अधिक मज़बूत होता है।
  - न्यूट्रॉन तारे का निर्माण तब होता है जब किसी विशाल तारे का कोर गुरुत्वाकर्षण की पतनावस्था से गुज़रता है और अपने जीवन के अंत तक पहुँचता है।

असम के मियास Miyas of Assam

हाल ही में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक प्रस्तावित 'मिया संग्रहालय' (Miya Museum) जो 'चार-चापोरी' (Char-Chapori) में रहने वाले लोगों की संस्कृति एवं विरासत' को दर्शाता है, ने असम में एक नए विवाद को जन्म दिया है।

प्रमुख बिंदु:

मियास (Miyas):

- 'मिया' समुदाय में पूर्वी बंगाल (अब बांग्लादेश) से असम आने वाले मुस्लिम प्रवासियों के वंशज शामिल हैं। इन्हें अक्सर एक अपमानजनक तरीके से 'मियास' (Miyas) के रूप में संदर्भित किया जाता था।
- इस समुदाय का पूर्वी बंगाल (अब बांग्लादेश) से असम में प्रवास वर्ष 1826 में असम पर अंग्रेज़ों के अधिकार के साथ शुरू हुआ और वर्ष 1947 में भारत-पाकिस्तान विभाजन तथा वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम तक जारी रहा।

- इससे असम क्षेत्र की जनसांख्यिकीय संरचना में परिवर्तन आया है। परिणामत: असम में 6 वर्ष (1979-85) तक अवैध-आप्रवासी मुद्दे को लेकर आंदोलन हुआ।

चार-चापोरी (Char-Chapori):

- चार (Char) एक तैरता हुआ द्वीप है, जबकि चापोरी (Chapori) निम्न तटीय बाढ़ग्रस्त नदी किनारे हैं।
- ये (चार) आकृतियाँ बदलते रहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी में जलस्तर के घटने एवं बढ़ने के साथ इनका परिवर्तन चापोरी में भी हो जाता है।
- चार क्षेत्रों के विकास निदेशालय (Directorate of Char Areas Development) की वेबसाइट में दिये गए आँकड़ों में बताया गया है कि वर्ष 2002-03 में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, इनकी जनसंख्या 24.90 लाख थी।
    - क्षेत्र में बाढ़ एवं मिट्टी के कटाव के कारण यह क्षेत्र कम विकसित है। यहाँ की 80% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे निवास करती है।
- वर्ष 2014 की 'UNDP असम मानव विकास रिपोर्ट' में इस क्षेत्र की निम्नलिखित समस्याओं का वर्णन किया गया था:
    - संचार की कमी
    - प्राथमिक शिक्षा से परे पर्याप्त स्कूली शिक्षा सुविधाओं की कमी
    - बाल विवाह
    - गरीबी और अशिक्षा

भारत-इटली वर्चुअल शिखर सम्मेलन India-Italy Virtual Summit

6 नवंबर, 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री प्रोफेसर ग्यूसेप कोंटे (Prof. Giuseppe Conte) के बीच एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि भारत-इटली संबंधों को नई दिशा देने के लिये वर्ष 2018 में इटली के प्रधानमंत्री प्रोफेसर ग्यूसेप कोंटे (Prof. Giuseppe Conte) भारत यात्रा पर आए थे।
- इस शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
- दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि वे G-20 समूह में एक-दूसरे के साथ मिलकर मज़बूती के साथ कार्य करेंगे।
    - गौरतलब है कि इटली को दिसंबर 2021 में G-20 देशों की अध्यक्षता मिलेगी, जबकि वर्ष 2022 में भारत G-20 की अध्यक्षता करेगा।
        - किसी एक देश को प्रतिवर्ष G-20 समूह के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, जिसे 'G-20 प्रेसीडेंसी' के रूप में जाना जाता है। अर्जेंटीना द्वारा वर्ष 2018 में तथा जापान द्वारा वर्ष 2019 में G-20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी, जबकि वर्ष 2020 में इसके अध्यक्ष के रूप में सऊदी अरब को चुना गया है।
- इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में ज़रूरी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद इटली के इसमें शामिल होने के निर्णय का भी भारत ने स्वागत किया है।
- इस मौके पर दोनों देशों ने ऊर्जा, मत्स्यन, जहाज़ निर्माण एवं डिज़ाइन आदि क्षेत्रों में 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।
- इस शिखर सम्मेलन में 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने के लिये निवेश, रक्षा सहयोग एवं विनिर्माण की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।
- दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र ढाँचे के तहत शांति व्यवस्था की प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से रक्षा संबंधों को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया। साथ ही वर्ष 2020-2025 की अवधि के लिये द्विपक्षीय साझेदारी की प्राथमिकताओं, रणनीतिक लक्ष्यों एवं तंत्र स्थापित करने के लिये इस कार्ययोजना को अपनाने का निर्णय लिया।

पक्के टाइगर रिज़र्व Pakke Tiger Reserve

अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिज़र्व (Pakke Tiger Reserve-PTR) 'ग्रीन सोल्जर्स' (Green Soldiers) को COVID-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला टाइगर रिज़र्व बन गया है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि भारत के फ्रंटलाइन वन कर्मचारी अपर्याप्त स्वास्थ्य कवरेज के साथ सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करते हैं। इसलिये इन्हें 'ग्रीन सोल्जर' (Green Soldier) कहा जाता है।
- COVID-19 के संक्रमण के कारण टाइगर रिज़र्व के 57 फ्रंटलाइन कर्मचारियों का नौ महीने के लिये स्वास्थ्य बीमा कराया गया था।
  - प्रत्येक का बीमा कवरेज ₹ 1 लाख का है किंतु कुछ कर्मचारी जो जल्द ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उन्हें ₹ 50,000 का बीमा प्रदान किया गया है।
- भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट (Wildlife Trust of India- WTI) नामक एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) ने फाउंडेशन सर्ज (Foundation Serge) की सहायता से बीमा राशि का भुगतान किया।

पक्के टाइगर रिज़र्व (Pakke Tiger Reserve-PTR):

- पक्के टाइगर रिज़र्व, जिसे 'पखुई टाइगर रिज़र्व' के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्वी कामेंग ज़िले में स्थित एक टाइगर रिज़र्व है।
- यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामदफा रिज़र्व के पश्चिम भाग में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 862 वर्ग किमी. है।
- इस टाइगर रिज़र्व ने 'संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण' की श्रेणी में 'हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम' के लिये भारत जैव विविधता पुरस्कार (India Biodiversity Award-IBA) जीता था।
- यह उत्तर-पश्चिम में भारेली या कामेंग नदी और पूर्व में पक्के नदी से घिरा है।
- पक्के टाइगर रिज़र्व नवंबर से मार्च तक ठंडे मौसम वाली उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है।
- यहाँ बिल्ली परिवार की तीन बड़ी प्रजातियाँ- बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड और क्लाउडेड तेंदुआ पाई जाती हैं।
- यहाँ विश्व स्तर पर लुप्तप्राय सफेद पंखों वाला 'व्हाइट विंग्ड वुड डक' (White-winged Wood Duck), अनोखा आईबिसबिल (Ibisbill) और दुर्लभ ओरिएंटल बे उल्लू (Oriental Bay Owl) तथा हॉर्नबिल आदि पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

हिमालय के वातावरण में 'टारबॉल' 'Tarball' in Himalayan Atmosphere

हाल ही में हिमालय-तिब्बत पठार (Himalaya-Tibetan Plateau) के एक अनुसंधान स्टेशन द्वारा एकत्र किये गए हवा के नमूनों के अध्ययन में पाया गया है कि हवा में मौजूद कणों में लगभग 28% कण 'टारबॉल' (Tarball) हैं।

हिमालय-तिब्बत पठार (Himalaya-Tibetan Plateau):

- कुछ लोग हिमालय-तिब्बत पठार को 'तीसरा ध्रुव' (Third Pole) मानते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों के बाहर हिमनद एवं हिम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है।
  - उल्लेखनीय है कि जलवायु परिवर्तन एवं मानव प्रभाव के प्रति बेहद संवेदनशील ये ग्लेशियर पिछले एक दशक में सिकुड़ते जा रहे हैं।

'टारबॉल' (Tarball):

- 'टारबॉल' प्रकाश-अवशोषित करने वाले छोटे कार्बोनेसिअस कण (Carbonaceous Particles) हैं जो बायोमास या जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण निर्मित होते हैं और बर्फ की चादर पर जमा होते रहते हैं।

अध्ययन से संबंधित प्रमुख बिंदु:

- अध्ययन में बताया गया है कि टारबॉल का प्रतिशत प्रदूषण के उच्च स्तर के दिनों में बढ़ जाता है जिससे ग्लेशियर के पिघलने एवं वैश्विक तापन का अनुमान लगाया जा सकता है।

- पूर्व के शोधों में बताया गया था कि 'ब्लैक कार्बन' (Black Carbon) नामक कण हवा के माध्यम से लंबी दूरी तय करके हिमालय के वायुमंडल तक पहुँचते हैं।
    - किंतु तब शोधकर्त्ताओं के पास हिमालयी वातावरण में 'प्राथमिक ब्राउन कार्बन' (Primary Brown Carbon- BrC) जो जीवाश्म ईंधन के जलने के दौरान उत्सर्जित होते हैं, की उपस्थिति के पर्याप्त प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं थे।
    - 'ब्राउन कार्बन' एक ऐसा कण है जो टारबॉल (कार्बन, ऑक्सीजन से मिलकर बने छोटे, चिपचिपे गोल कण जिनमें नाइट्रोजन, सल्फर एवं पोटैशियम की कम मात्रा होती है) का निर्माण करता है।
    - बायोमास जलने से ब्लैक कार्बन (BC) के साथ उत्सर्जित होने वाले प्राथमिक ब्राउन कार्बन (BrC) एक महत्त्वपूर्ण प्रकाश-अवशोषित करने वाला कार्बोनेसिअस एरोसोल (Carbonaceous Aerosol) है।
- इसमें बताया गया है कि सिंधु-गंगा के मैदान में गेहूँ की फसल के अवशेषों को जलाने से वातावरण में कार्बन क्लस्टर का निर्माण होता है जिसे हिमालयी वातावरण तक पहुँचाने में वायु राशियाँ अहम भूमिका निभाती हैं।
- अध्ययन में कहा गया है कि बाहरी मिश्रित टारबॉल और आंतरिक रूप से मिश्रित टारबॉल का आकार क्रमश: 213 व 348 नैनोमीटर था।
- शोधकर्त्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि लंबी दूरी के परिवहन से टारबॉल जलवायु प्रभाव का एक महत्त्वपूर्ण कारक हो सकता है और यह हिमालय क्षेत्र में हिमनद पिघलने का संभवत: एक कारण हो सकता है।

यह शोध 4 नवंबर, 2020 को ACS के पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पत्र (ACS' Environmental Science & Technology Letters) में प्रकाशित हुआ था। झेजियांग विश्वविद्यालय (Zhejiang University) के शोधकर्त्ताओं की एक टीम ने अनुसंधान स्टेशन से हवा के पैटर्न एवं उपग्रह डेटा का विश्लेषण किया।

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस National Legal Services Day

प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (National Legal Services Day-NLSD) मनाया जाता है।

उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में कानूनी जागरूकता फैलाना है, साथ ही समाज के गरीब एवं कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता एवं सलाह प्रदान करना है, ताकि सभी के लिये न्याय सुनिश्चित हो सके।

प्रमुख बिंदु:

- राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (NLSD) की शुरुआत पहली बार वर्ष 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब एवं कमज़ोर वर्गों को सहायता एवं समर्थन प्रदान करने के लिये की गई थी।
- भारतीय संसद द्वारा भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (Indian Legal Services Authorities Act 1987) को 9 नवंबर, 1995 को लागू किया गया। इसलिये 9 नवंबर को 'राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस' के रूप में चिह्नित किया गया है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority-NALSA):

- नालसा (NALSA) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत समाज के कमज़ोर वर्गों को नि:शुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिये और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिये लोक अदालतों का आयोजन करने के उद्देश्य से किया गया है।
- भारत का मुख्य न्यायाधीश नालसा (NALSA) का मुख्य संरक्षक होता है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है।
- संविधान के अनुच्छेद 39 A, अवसर की समानता के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिये समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22 (1), विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिये राज्य को बाध्य करते हैं।

मुफ्त विधिक सेवाएँ:

- किसी कानूनी कार्यवाही में कोर्ट फीस और अन्य सभी प्रभार अदा करना।
- कानूनी कार्यवाही में वकील उपलब्ध कराना।

- कानूनी कार्यवाही में आदेशों आदि की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना।
- कानूनी कार्यवाही में अपील और दस्तावेज़ का अनुवाद और छपाई सहित पेपर बुक तैयार करना।

डोबरा चांठी पुल Dobra Chanthi Bridge

8 नवंबर, 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा टिहरी-गढ़वाल ज़िले में टिहरी झील (Tehri lake) पर लंबे समय से प्रतीक्षित डोबरा-चांठी पुल (Dobra Chanthi Bridge) का उद्घाटन किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- यह देश का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंसन ब्रिज (Motorable Suspension Bridge) है।
- 725 मीटर लंबे इस पुल को सार्वजनिक उपयोग के लिये खोल दिया गया है।
- यह टिहरी और प्रताप नगर के बीच यात्रा के समय में 1.5-5 घंटे की कटौती करेगा।
- 2.96 करोड़ रुपए की लागत से टिहरी झील के ऊपर बने इस सस्पेंशन ब्रिज से टिहरी ज़िले के प्रताप नगर और थौलधार (Thauldhar) के लगभग 2.50 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है।
- टिहरी बाँध के निर्माण के साथ प्रताप नगर को ज़िला मुख्यालय से जोड़ने वाला पुल टिहरी झील में जलमग्न हो गया था और क्षेत्र के स्थानीय लोगों को 100 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करने के लिये मजबूर होना पड़ रहा था।
    - टिहरी बाँध भारत का सबसे ऊँचा और दुनिया के सबसे ऊँचे बाँधों में से एक है। यह उत्तराखंड में टिहरी के पास भागीरथी नदी पर बनाया गया है।
- इसके उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डोबरा-चांठी पुल क्षेत्र में विकास का एक प्रवेश द्वार होगा। भविष्य में यह स्थान एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगा जिससे स्थानीय लोगों के लिये रोज़गार भी उत्पन्न होंगे।

  उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में अवस्थित टिहरी झील (Tehri lake) एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है।

मार्सुपियल्स की दो नई प्रजातियाँ Two new species of Marsupials

हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्त्ताओं ने मार्सुपियल्स की दो नई प्रजातियों की पहचान की है, ये दोनों प्रजातियाँ 'डो-आइड फ्लाइंग मार्सुपियल्स' (Doe-eyed Flying Marsupials) परिवार से संबंधित हैं जिन्हें ग्रेटर ग्लाइडर्स (Greater Gliders) के रूप में जाना जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- 'नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स' जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, उत्तरी एवं मध्य ऑस्ट्रेलिया में ग्लाइडर की दो नई विशिष्ट एवं छोटी प्रजातियाँ खोजी गई हैं जो देश के दक्षिणी छोर में स्थित मार्सुपियल के ज्ञात आवास के बाहर हैं।
    - पहले से ही ज्ञात दक्षिणी ग्लाइडर (Southern Glider) जो कि एक सामान्य पोसम (Possum) के आकार का होता है, दिन के समय विक्टोरिया एवं न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में खोखले पेड़ों में सोता है और यूकेलिप्टस के पत्तों की तलाश में रात में बाहर निकलता है।
        - हाल के वर्षों में इसे एक जोखिम वाली प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ग्लोबल वार्मिंग एवं शहरी विकास के अतिक्रमण के कारण इसकी आबादी में पिछले दो दशकों में 80% से अधिक की गिरावट आई है।

नई प्रजातियाँ:

- नई खोजी गई ग्लाइडर की उत्तरी प्रजाति जो क्वींसलैंड में मैके (Mackay) एवं केर्न्स (Cairns) के बीच यूकेलिप्टस के जंगलों में रहती है, ग्लाइडर परिवार में सबसे छोटी है, जो छोटे रिंगटेल पोसम (Little Ringtail Possum) के आकार तक बढ़ती है, यह लगभग एक फुट लंबा होता है।
    - जबकि दक्षिणी ग्लाइडर आकार में लगभग 2 फीट तक लंबा होता है।

- नई पाई जाने वाली ग्लाइडर की केंद्रीय प्रजाति (Central Species) दक्षिणी क्वींसलैंड में मैके (Mackay) तक के क्षेत्रों में पाई जाती हैं और आकार में दो अन्य प्रजातियों से भिन्न है।

एच1एन2 वायरस H1N2 Virus

हाल ही में कनाडा ने एच1एन2 वायरस (H1N2 Virus) से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी जो स्वाइन फ्लू (Swine Flu) का एक दुर्लभ लक्षण है।

प्रमुख बिंदु:

- स्वाइन फ्लू (Swine Flu), H1N1 नामक फ्लू वायरस के कारण होता है।
- H1N1 एक प्रकार का संक्रामक वायरस है, यह सूअर, पक्षी और मानव जीन का एक संयोजन है, जो सूअरों में एक साथ मिश्रित होते हैं और मनुष्यों में फैल जाते हैं।
- H1N1 एक प्रकार से श्वसन संबंधी बीमारी का कारण बनता है जो कि बहुत संक्रामक होता है।
- H1N1 संक्रमण को स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अतीत में यह उन्हीं लोगों को होता था जो सूअरों के सीधे संपर्क में आते थे।
- H1N1 की तीन श्रेणियाँ हैं - A, B और C
    - A और B श्रेणियों को घरेलू देखभाल की आवश्यकता होती है, जबकि श्रेणी C में तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने और चिकित्सा की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके लक्षण और परिणाम बेहद गंभीर होते हैं और इससे मृत्यु भी हो सकती है।
- स्वाइन फ्लू इन्फ्लूएंज़ा टाइप ए वायरस का ही दूसरा नाम है जो सूअरों (स्वाइन) को प्रभावित करता है। हालाँकि स्वाइन फ्लू आमतौर पर मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन वर्ष 2009-2010 में इसने एक वैश्विक प्रकोप (महामारी) का रूप धारण कर लिया था, तब 40 वर्षों से अधिक समय के बाद फ्लू के रूप में कोई महामारी पूरी दुनिया में फैली थी।

दक्षिण जॉर्जिया की ओर खिसकता विशाल हिमखंड A68a

Giant Antarctic iceberg on collision course with British territory of South Georgia

वैज्ञानिकों के अनुसार, A68a नामक हिमखंड (Iceberg) सुदूर दक्षिण अटलांटिक द्वीप से विखंडित होकर ब्रिटिश आधिपत्य दक्षिण जॉर्जिया से टकराने की कगार पर है।

प्रमुख बिंदु:

- यह हिमखंड आकार में लगभग 150 किलोमीटर लंबा तथा 48 किलोमीटर चौड़ा है।
- वर्तमान में यह 'हिमखंड एले' (Iceberg Alley) नामक किनारे के साथ दक्षिण जॉर्जिया की ओर खिसक रहा है जो वर्ष 2017 में अंटार्कटिका के लार्सन सी शेल्फ (Larsen C Shelf) से विखंडित हुआ था।
    - शुरुआत में यह A-68 के रूप में जाना जाता था, दक्षिण जॉर्जिया की ओर खिसकने से यह विखंडित हो गया जिसे बाद में A-68a नाम दिया गया।
- वर्तमान में यह दक्षिण जॉर्जिया के दक्षिण-पश्चिमी किनारे से कुछ सौ किलोमीटर दूर है।

प्रभाव:

- नकारात्मक-
    - वैज्ञानिकों के अनुसार, यदि टकराने के बाद यह स्थिति दस वर्षों तक बनी रहती है तो यह न केवल जॉर्जिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा बल्कि वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है।
    - यह हिमखंड दक्षिण जॉर्जिया क्षेत्र में हज़ारों पेंगुइन और सीलों के निवास स्थान के साथ उनके लिये उपलब्ध खाद्य पदार्थों को भी क्षति पहुँचा सकता है।
    - यह वहाँ के मछली उत्पादन को बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकता है।

- सकारात्मक-
  - वैज्ञानिकों के अनुसार, हिमखंड अपने साथ भारी मात्रा में धूल (Dust) ले जाते हैं जो महासागर के प्लवकों (Plankton) को पोषित करती है, परिणामस्वरूप वहाँ की खाद्य श्रृंखला लाभान्वित होगी।

बिंगो और बोगोरिया झील Kenya's lakes are flooding

हाल में देखा गया है कि केन्या की रिफ्ट घाटी में अवस्थित बिंगो और बोगोरिया झीलों में अधिक वर्षा के कारण जल का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- रिफ्ट घाटी में मानसून के दौरान लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है।
- इन झीलों का जलस्तर बढ़ने से आसपास के घरों, स्कूलों, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीवों एवं आजीविका को नुकसान पहुँच रहा है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, अधिक वर्षा और बाढ़ की बढ़ती बारंबारता का कारण जलवायु परिवर्तन तथा वनों का कटाव है।
- रिफ्ट घाटी में स्थित बिंगो और बोगोरिया झील पहले एक-दूसरे से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर थी, वर्तमान में जलस्तर बढ़ने के कारण ये एक-दूसरे के समीप आ गई हैं जिससे इनके दूषित होने की संभावना बढ़ गई है।

बिंगो और बोगोरिया झील के संदर्भ में:

- ये दोनों झीलें स्थानीय नागरिकों के स्थायित्व को बनाए रखने, पर्यटकों को आकर्षित करने और कई वन्यजीव प्रजातियों के लिये निवास स्थान उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- बिंगो झील स्थानीय नागरिकों को सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध कराती है, साथ ही यह नील (Nile) मगरमच्छों का निवास स्थान भी है।
- बोगोरिया झील एक विश्व धरोहर स्थल है और फ्लेमिंगो सहित सैकड़ों पक्षियों की प्रजातियों का निवास स्थान है।

पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01
ISRO launches earth observation satellite EOS-01

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO) ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 (Earth Observation Satellite EOS-01) का सफल परीक्षण किया।

प्रमुख बिंदु:

- पृथ्वी अवलोकन EOS-01 उपग्रह को PSLV- C49 से प्रक्षेपित किया गया। यह PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) का 51वाँ मिशन था।
- इस मिशन के अंतर्गत 9 विदेशी उपग्रहों को भी प्रक्षेपित किया गया है।
- इन उपग्रहों को अंतरिक्ष विभाग के न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NewSpace India Limited- NSIL) के साथ एक वाणिज्यिक समझौते के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया।
- इनमें चार उपग्रह अमेरिका के, 4 लक्ज़मबर्ग के तथा 1 लिथुआनिया का है।
- इसरो द्वारा शुरू किये गए अन्य पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों में RESOURCESAT- 2, 2A; CARTOSAT-1, 2, 2A, 2B; RISAT-1 और 2; OCEANSAT-2, मेघा-ट्रॉपिक, SARAL तथा SCATSAT-1, INSAT-3DR, 3D शामिल हैं।

EOS-01 के संदर्भ में:

- ISRO के अनुसार, EOS-01 उपग्रह कृषि प्रबंधन, वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता जैसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है।

नोट :

- पृथ्वी अवलोकन का अर्थ है पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रणालियों के बारे में जानकारी एकत्र करना।
- पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, रिमोट सेंसिंग तकनीक से लैस होते हैं।

द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2nd National water Awards

हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 के लिये राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- यह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाने वाला द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार है।
- पुरस्कार वितरण वर्चुअल तरीके से किया जाएगा।
- यह पुरस्कार जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों/संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिये दिया जाता है।
- साथ ही इसके माध्यम से लोगों में जल के महत्त्व के संबंध में जागरूकता पैदा करने और उन्हें जल के इस्तेमाल के बेहतरीन तरीके अपनाने के लिये प्रेरित करने का प्रयास किया जाता है।
- विभिन्न श्रेणियों में दिये जाने वाले इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नकद राशि प्रदान की जाती है।

उद्देश्य:

- राष्ट्रीय जल पुरस्कार का उद्देश्य जल संरक्षण के क्षेत्र में देश भर में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किये जा रहे अच्छे कार्यों तथा प्रयासों के साथ भारत सरकार के जल समृद्ध दृष्टिकोण पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना है।
- इसके अलावा पुरस्कार समारोह जल क्षेत्र से जुड़े विषयों पर स्टार्टअप के साथ-साथ अग्रणी संगठनों को जुड़ने और विचार व्यक्त करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है।
- यह आयोजन सभी लोगों और संगठनों की एक मज़बूत साझेदारी को आगे बढ़ाने तथा जल संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन गतिविधियों में हितधारकों को जोड़ने के लिये एक बेहतर मौका देता है।

थर्टी मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट Thirty Meter Telescope Project

ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का पता लगाने के उद्देश्य से हवाई द्वीप के मौना किया (Mauna Kea) में थर्टी मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट (TMT) की स्थापना की जा रही है।

प्रमुख बिंदु:

- इस अंतर्राष्ट्रीय परियोजना में दूरबीन से जुड़े उपकरणों के संबंध में भौतिक विज्ञान के 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर एंड्रिया घेज़ ने भारतीय खगोलविदों के साथ काफी सक्रियता से कार्य किया है।
  - हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित एक विशालकाय ठोस वस्तु का पता लगाने के लिये प्रोफेसर घेज़ को प्रोफेसर रोजर पेनरोस और प्रोफेसर रिनहार्ड गेंजेल के साथ संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है।
- प्रोफेसर घेज़ ने दूरबीन परियोजना में इस्तेमाल किये जाने वाले बैक एंड उपकरणों और परियोजना की वैज्ञानिक संभावनाओं से जुड़े तकनीकी पहलुओं के विकास में अहम भूमिका निभाई है।

TMT परियोजना के संबंध में:

- TMT परियोजना एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी वाली परियोजना है जिसमें कैल टेक, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कनाडा, जापान, चीन और भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं।
- इसमें हमारे सौरमंडल से संबंधित डेटा सिम्युलेटर, ऊर्जावान क्षणिक वस्तुओं, आकाशगंगाओं की सक्रिय नाभिक और गुरुत्वाकर्षण-लेंस वाली आकाशगंगाओं का अध्ययन किया गया।

नोट :

- इसके अलावा इसमें हमारी आकाशगंगा के केंद्र में सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की प्रकृति तथा इससे संबंधित अज्ञात चीज़ों की खोज करने के लिये कई और नए पहलुओं को समझने हेतु निकट भविष्य में आईआरआईएस/टीएमटी (Infrared Imaging Spectrograph-IRIS/ TMT) की क्षमता को दिखाया गया है।
- वैज्ञानिकों ने एक उन्नत डेटा प्रबंधन प्रणाली और डेटा कटौती की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है।

मौना की (Mauna Kea):

- मौना की (Mauna Kea) हवाई द्वीप समूह का एक निष्क्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जिसकी सागर तल (Sea Level) तथा सागर आधार तल (Sea Base) से ऊँचाई क्रमशः 4,207.3 मीटर और 10,200 मीटर है।
- सागर तल के आधार यह हवाई राज्य का सबसे ऊँचा स्थान है जबकि सागर आधार तल के आधार पर दुनिया का सबसे ऊँचा पर्वत है।

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कार्यक्रम National Education Day programme

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कार्यक्रम (ऑनलाइन) का शुभारंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- IIT बॉम्बे ने 11 नवंबर को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसे प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
- राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कार्यक्रम का उद्देश्य "भारत में अध्ययन, भारत में रहें ('Study in India, Stay in India) और शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण 'के माध्यम से भारत को शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
- शिक्षा की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये भी यह आवश्यक है कि विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग, समन्वय और समझौते के साथ आगे बढ़ें।
- इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान IIT के R&D प्रयासों को मान्यता देने के लिये स्थापित IIT बॉम्बे रिसर्च एक्सीलेंस अवाड्र्स 2019 भी प्रदान किये गए।
- इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 1,00,000 रुपए का नकद प्रोत्साहन राशि शामिल है।
- पुरस्कार की श्रेणियों में शामिल हैं-
  - रिसर्च पब्लिकेशन पुरस्कार- सहकर्मी समीक्षा प्रकाशनों में मूल शोध परिणामों को पहचानने और/ या अन्य रूपों जैसे- प्रदर्शनी (डिज़ाइन, फिल्म) के लिये।
  - अनुसंधान प्रसार पुरस्कार- मोनोग्राफ/पुस्तकों/समीक्षा अध्यायों/समीक्षा पत्रों के माध्यम से अनुसंधान के प्रसार के लिये उत्कृष्ट प्रयासों को पहचानने के लिये।
  - युवा शोधकर्त्ताओं के लिये प्रारंभिक अनुसंधान उपलब्धि पुरस्कार जो पहले से ही उत्कृष्ट कार्य करने के लिये अपनी क्षमता दिखा चुके हो।

समुद्री क्लस्टर परियोजना maritime cluster Project

हाल ही में घोघा-हज़ीरा फेरी का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के GIFT सिटी में आगामी समुद्री क्लस्टर के बारे में चर्चा की।

समुद्री क्लस्टर परियोजना क्या है ?

- भारत के लिये समुद्री क्लस्टर की अवधारणा नई है, परंतु ये क्लस्टर विश्व के सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी बंदरगाहों जैसे रॉटरडैम, सिंगापुर, हांगकांग, ओस्लो, शंघाई और लंदन में क्रियान्वित हैं।
- समुद्री क्लस्टर किसी क्षेत्र में फर्मों, संस्थानों और व्यवसायों का एक समूह है, जो भौगोलिक रूप से एक दूसरे के करीब स्थित होते हैं।

- गुजरात सरकार की नोडल एजेंसी गुजरात मैरीटाइम बोर्ड (GMB), अपनी सहायक कंपनी गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (GPIDCL) के माध्यम से राज्य की राजधानी गांधीनगर में GIFT सिटी में इस तरह के क्लस्टर को विकसित करने की कोशिश कर रही है।
- शुरुआत में इस क्लस्टर में गुजरात आधारित शिपिंग लाइन, फ्रेट फॉरवर्डर, शिपिंग एजेंट, बंकर सप्लायर, स्टीवेयोरेस और शिप ब्रोकर चार्टरिंग की आवश्यकताओं को शामिल किया जाएगा।
- दूसरे चरण में, क्लस्टर भारतीय जहाज़ मालिकों, जहाज़ ऑपरेटरों, भारतीय चार्टर्स और तकनीकी सलाहकारों को मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसे शहरों में लाने की कोशिश करेगा।
- इसके बाद यह समुद्री क्षेत्र में वैश्विक स्तर को आकर्षित करने का लक्ष्य रखेगा।

समुद्री क्लस्टर परियोजना की आवश्यकता क्यों है?

- यह परियोजना देश में उन व्यवसायों को वापस लाने की कोशिश करेगी जो सही पारिस्थितिकी तंत्र की अनुपस्थिति के कारण वर्षों से विदेशी स्थानों पर चले गए हैं।
- स्विट्ज़रलैंड और लक्ज़मबर्ग जैसे स्थलरुद्ध देशों ने ऐसी कई तरह की समुद्री सेवाओं का विकास किया है जो वर्तमान में भारत में उपलब्ध नहीं हैं।
- गुजरात में बहुत सारे बंदरगाह हैं जो देश के लगभग 40 प्रतिशत माल/भाड़े की आवाजाही को संभालते हैं, इसके बावजूद भी ये बंदरगाह मूल्य-श्रृंखला को लक्षित नहीं कर पाए हैं।

अन्य प्रमुख बिंदु:

- गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के तत्त्वाधान में एक वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो समुद्री क्लस्टर के अंतर्गत आएगा।
  - वर्तमान में भारत में इस तरह का केंद्र मौजूद नहीं है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है जो बंकर विवादों, जहाज़ की बिक्री, जहाज़ निर्माण और मरम्मत, वस्तुओं आदि से संबंधित मामलों में मध्यस्थता हेतु एक मंच है।

PLI योजना को मंज़ूरी PLI Scheme

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण और निर्यात को एक बड़ी गति प्रदान करते हुए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (Production-Linked Incentive- PLI) योजना शुरू करने के नीति आयोग के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु:

- PLI योजना संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा लागू की जाएगी और यह निर्धारित समग्र वित्तीय सीमाओं के दायरे में होगी।
- विभिन्न क्षेत्रों के लिये PLI के अंतिम प्रस्तावों का मूल्यांकन व्यय वित्त समिति (EFC) द्वारा किया जाएगा और इसे मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- किसी अनुमोदित क्षेत्र की एक PLI योजना से बचत (यदि कोई हो) का उपयोग अधिकार प्राप्त सचिवों के समूह द्वारा दूसरे अनुमोदित क्षेत्र के वित्तपोषण के लिये किया जा सकता है।
  - PLI के लिये किसी भी नए क्षेत्र को मंत्रिमंडल की नए सिरे से मंज़ूरी लेने की आवश्यकता होगी।

महत्त्व:

- विशिष्ट क्षेत्रों में PLI योजना भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाएगी।
- महत्त्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करेगी।
- इसके अलावा बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करेगी। निर्यात बढ़ाएगी और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न अंग बनाएगी।

- भारत में वर्ष 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, भारत में डेटा स्थानीयकरण, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बाज़ार, स्मार्ट सिटी और डिजिटल इंडिया जैसी परियोजनाओं के लिये सरकार की ओर से होने वाले प्रयास से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है।
  - PLI योजना से भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
- ऑटोमोटिव उद्योग भारत में एक प्रमुख आर्थिक योगदानकर्ता है। PLI योजना भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को और अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाएगी तथा भारतीय ऑटोमोटिव क्षेत्र के वैश्वीकरण को बढ़ाएगा।
- भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग परिमाण की दृष्टि से विश्व में तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य की दृष्टि से 14वाँ सबसे बड़ा उद्योग है।
  - यह वैश्विक स्तर पर निर्यात की जाने वाली कुल ड्रग्स और दवाओं में 3.5% का योगदान करता है।
  - भारत में फार्मास्यूटिकल्स के विकास और विनिर्माण के लिये पूरा इकोसिस्टम है और संबद्ध उद्योगों का एक मज़बूत इकोसिस्टम भी है।
  - PLI योजना वैश्विक और घरेलू हितधारकों को उच्च मूल्य उत्पादन में शामिल होने के लिये प्रोत्साहित करेगी।
- दूरसंचार उपकरण एक सुरक्षित दूरसंचार अवसंरचना के निर्माण के लिये महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक तत्त्व है तथा भारत दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पादों का एक प्रमुख मूल उपकरण निर्माता बनने की आकांक्षा रखता है।
  - PLI योजना से वैश्विक भागीदारों से बड़े निवेश आकर्षित होने और घरेलू कंपनियों को उभरते अवसरों का फायदा उठाने तथा निर्यात बाज़ार में बड़े व्यापारी बनने में मदद मिलने की उम्मीद है।
- भारतीय वस्त्र उद्योग दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में एक है और वस्त्र तथा परिधान के वैश्विक निर्यात के 5% की हिस्सेदारी है। परंतु मानव निर्मित फाइबर उद्योग क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी वैश्विक खपत पैटर्न, जो इस क्षेत्र में अधिक है, की तुलना में कम है।
  - PLI योजना घरेलू विनिर्माण को और बढ़ावा देने के लिये इस क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करेगी, खासकर मानव निर्मित फाइबर तथा तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास से किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और बड़े पैमाने पर अपव्यय कम होगा।
  - PLI योजना के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिये मध्यम से बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन के लिये उच्च विकास क्षमता और संभावनाओं वाली विशिष्ट उत्पाद लाइनों की पहचान की गई है।
- सौर पीवी पैनलों का अधिक आयात मूल्य श्रृंखला की इलेक्ट्रॉनिक (हैक करने योग्य) प्रकृति पर विचार करते हुए आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन और रणनीतिक सुरक्षा चुनौतियों में जोखिम पैदा करता है।
  - सौर पीवी मॉड्यूल के लिये एक केंद्रित PLI योजना भारत में बड़े पैमाने पर सौर पीवी क्षमता का निर्माण करने के लिये घरेलू और वैश्विक भागीदारों को प्रोत्साहित करेगी और सौर पीवी विनिर्माण के लिये वैश्विक मूल्य शृंखलाओं पर कब्जा करने के लिये भारत को तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद करेगी।
- वाइट गुड्स (एयर कंडीशनर और एलईडी) में घरेलू मूल्यवर्द्धन की और इन उत्पादों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाने की अत्यधिक संभावना है।
  - इस क्षेत्र के लिये PLI योजना से अधिक घरेलू विनिर्माण, नौकरियों का सृजन और निर्यात बढ़ेगा।
- स्टील रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण उद्योग है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है।
  - भारत तैयार स्टील का असल निर्यातक है और स्टील के कुछ श्रेणियों में चैंपियन बनने की क्षमता रखता है।
  - विशिष्ट स्टील में PLI योजना से मूल्यवर्द्धित स्टील के लिये विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी जिससे कुल निर्यात में वृद्धि होगी।

निष्कर्ष:

- प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान पर देश में कुशल, न्यायसंगत और लचीले विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये नीतियों की परिकल्पना की गई है।
- औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि से भारतीय उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्द्धा और विचारों को जानने का काफी अवसर मिलेगा, जिससे आगे कुछ नया करने की अपनी क्षमताओं में सुधार करने में मदद मिलेगी।

- विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और एक अनुकूल विनिर्माण इकोसिस्टम के निर्माण से न केवल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण हो सकेगा बल्कि देश में एमएसएमई क्षेत्र के साथ बैकवर्ड लिंकेज भी स्थापित होंगे। इससे अर्थव्यवस्था में समग्र विकास होगा और रोज़गार के अत्यधिक अवसर पैदा होंगे।

महाबली/ मावेली मेंढक Mahabali/ Maveli frog

केरल राज्य सरकार के अनुसार पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले बैंगनी रंग के दुर्लभ 'महाबली/ मावेली मेंढक' (Mahabali/ Maveli frog) को जल्द ही केरल का आधिकारिक उभयचर (official amphibian) घोषित किया जा सकता है।

प्रमुख बिंदु:

- 'महाबली/ मावेली' (Mahabali frog) मुख्यत: पश्चिमी घाट में पाया जाता है।
- इस मेंढक की खोज कुछ वर्ष पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस.डी. बीजू (S.D. Biju) द्वारा इडुक्की (Idukki) ज़िले में की गई थी।
- मेंढक की दुर्लभ प्रजाति में शामिल महाबली/ मावेली विश्व के अनोखे उभयचरों में से एक है।
- महाबली/ मावेली, एक पौराणिक राजा थे जिन्होंने केरल के क्षेत्र पर शासन किया था।
- इसका वैज्ञानिक नाम नासिकबत्रेचस सहाड्रेन्सिस(Nasikabatrachus Sahyadrensis) है।
- यह मेंढक, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature- IUCN) की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड (Endangered) सूची में शामिल है।
- इसका निवास स्थान मुख्यत: केरल की इलायची पहाड़ियों में है।
  - विगत कई वर्षों से इनके आवास स्थल में भारी क्षति देखने को मिल रही है।
- वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (World Wide Fund for Nature- WWF) के अनुसार, महाबली मेंढक को जैव-भूगोलविदों के द्वारा विश्व में सबसे दुर्लभ जीवों में से एक माना जाता है।

पन्ना बायोस्फियर रिज़र्व Panna Biosphere Reserve

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) ने अपने 'वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिज़र्व' (WNBR) में पन्ना बायोस्फीयर रिज़र्व (PBR) को शामिल किया है।

प्रमुख बिंदु:

- PBR पचमढ़ी और अमरकंटक के बाद बायोस्फीयर रिज़र्व सूची में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का तीसरा रिज़र्व है।
- वर्ष 1981 में स्थापित, PBR मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर ज़िलों में लगभग 540 वर्ग किमी के क्षेत्र में स्थित है।
- यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है।
- केन नदी (यमुना नदी की सबसे कम प्रदूषित सहायक नदियों में से एक) रिज़र्व के मध्य से बहती है तथा केन-बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना भी इसमें स्थित है।
- यह क्षेत्र पन्ना, हीरा खनन के लिये भी प्रसिद्ध है।
- PBR के साथ-साथ, मालदीव में फवहमुलाहंद अडू अटोल (Fuvahmulahand Addu Atoll) को भी WNBR में शामिल किया गया है।

संरक्षण और मान्यता:

- पन्ना नेशनल पार्क को वर्ष 1994 में भारत के 22वें बाघ अभयारण्य के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर रिज़र्व का दर्जा मिला।
- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा इसे वर्ष 2011 में बायोस्फीयर रिज़र्व के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- वर्ष 2020 में यूनेस्को द्वारा इसे मैन एंड बायोस्फियर प्रोग्राम (MAB) में शामिल किया गया।

नोट :

आईएनएस वागीर INS Vagir

हाल ही में प्रोजेक्ट -75 के तहत निर्मित पाँचवी स्कॉर्पीन पनडुब्बी 'आईएनएस वागीर' (INS Vagir) को मुंबई के मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) में लॉन्च किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- भारत के पनडुब्बी कार्यक्रम को बढ़ावा देते हुए पोत निर्माण इकाई MDL ने इन पनडुब्बियों का निर्माण पूरी तरह से 'मेक इन इंडिया' के तहत किया है।
- इसे बेहतर स्टील्थ फीचर्स (जैसे कि उन्नत ध्वनिक अवशोषण तकनीक, कम विकिरण वाले शोर स्तर, हाइड्रो-डायनामिक रूप से अनुकूलित आकार आदि) और सटीक-निर्देशित हथियारों के साथ पुन: निर्मित किया गया है।
- यह पानी के नीचे या सतह पर टारपीडो और ट्यूब-लॉन्च एंटी-शिप मिसाइलों के साथ हमला करने में सक्षम है।
- वागीर-I, पूर्व में रूस से प्राप्त की गई सबमरीन, जिसका नाम सैंड फिश के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर का एक समुद्री शिकारी था, को 3 दिसंबर, 1973 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और 7 जून, 2001 को सेवामुक्त किया गया था।

स्ट्रिप्ड बबल-नेस्ट फ्रॉग Striped Bubble-Nest Frog

हाल ही में वैज्ञानिकों के एक समूह ने स्ट्रिप्ड बबल-नेस्ट फ्रॉग (Striped Bubble-Nest Frog) नामक अंडमान द्वीप में ट्री फ्रॉग (Tree Frog) की एक नए जीनस की खोज की है।

प्रमुख बिंदु:

- जैविक नाम- रोहनीक्सालस विट्टैटस (Rohanixalus vittatus)
  - नए जीनस 'रोहनीक्सालस 'का नामकरण श्रीलंकाई करदाता रोहन पेठियागोड़ा के नाम पर रखा गया है।
- स्ट्रिप्ड बबल-नेस्ट फ्रॉग अतीत में पाए जाने वाले ट्रीफ्रॉग परिवार 'राकोफोराइडे' (Rhacophoridae) के जीनस से संबंधित है।
- यह पहली बार है जब अंडमान द्वीप में ट्री फ्रॉग की पहली प्रजाति की उपस्थिति दर्ज की गई है।
- शारीरिक विशेषताएँ-
  - छोटा और पतला शरीर (2-3 सेमी लंबा)।
  - शरीर के दोनों ओर विषम रंगीन पार्श्व रेखाएँ हैं तथा पूरे शरीर पर भूरे रंग के धब्बे हैं।
  - ये वृक्षों पर बने (Arboreal) घोसलों में हल्के हरे रंग के अंडे देते हैं।
  - इन्हें एशियन ग्लास फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है

फ्लाई ऐश से जियो-पॉलिमर एग्रीगेट का निर्माण (Geo-polymer aggregate from fly ash)

हाल ही में भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक और बिजली मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रम एनटीपीसी लिमिटेड ने फ्लाई ऐश से जियो-पॉलिमर एग्रीगेट को सफलतापूर्वक विकसित किया है।

प्रमुख बिंदु:

- फ्लाई ऐश से जियो-पॉलिमर एग्रीगेट के उत्पादन की एनटीपीसी की अनुसंधान परियोजना, भारतीय मानकों के वैधानिक मापदंडों के अनुरूप है और इसकी पुष्टि राष्ट्रीय सीमेंट और निर्माण सामग्री परिषद (NCCBM) ने भी की है।
- एनटीपीसी ने प्राकृतिक एग्रीगेट के प्रतिस्थापन के रूप में जियो-पॉलिमर एग्रीगेट को विकसित किया है। कंक्रीट कार्यों में उपयोग की उपयुक्तता के लिये भारतीय मानकों के आधार पर NCCBM, हैदराबाद ने तकनीकी मानकों का परीक्षण किया और परिणाम स्वीकार्य सीमा में हैं।

एग्रीगेट

- किसी भू-भाग या क्षेत्र को स्थिर करने के लिये सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं में एग्रीगेट का उपयोग किया जाता है।
  - प्राकृतिक एग्रीगेट प्राप्त करने के लिये पत्थर के उत्खनन की आवश्यकता होती है।
  - जियो-पॉलिमर एग्रीगेट का निर्माण उद्योग में व्यापक उपयोग किया जाता है।

लाभ

- प्राकृतिक एग्रीगेट के स्थान पर इसका उपयोग किया जाएगा, जिससे पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी।
- भारत में इन एग्रीगेट की कुल मांग लगभग 2000 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। फ्लाई ऐश, एनटीपीसी द्वारा विकसित एग्रीगेट की मांग को काफी हद तक पूरा करने में मदद करेगा और प्राकृतिक एग्रीगेट से होने वाले पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को भी कम करेगा।
- भारत में कोयले से चलने वाले बिजली कारखानों द्वारा हर साल लगभग 258 मीट्रिक टन राख (फ्लाई ऐश) का उत्पादन किया जाता है। इसमें से लगभग 78 प्रतिशत राख का उपयोग किया जाता है और शेष राख डाइक में जमा रहती है। इस अनुसंधान परियोजना में 90 प्रतिशत से अधिक राख का उपयोग करके एग्रीगेट का उत्पादन किया जाता है।
- फ्लाई ऐश पर्यावरण अनुकूल सामग्री है। ये एग्रीगेट पर्यावरण के अत्यंत अनुकूल हैं और इसमें कंक्रीट में मिश्रण के लिये किसी भी सीमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि फ्लाई ऐश आधारित जियो-पॉलिमर मोर्टार (बांधने वाली सामग्री) के रूप में कार्य करता है। जियो-पॉलिमर एग्रीगेट कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेंगे और इनके उपयोग से पानी की खपत में भी कमी आएगी।

विविध

इंदिरा गांधी

31 अक्तूबर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु की पुत्री इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर, 1917 को प्रयागराज (इलाहाबाद) में हुआ था। इंदिरा गांधी एकमात्र महिला हैं, जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। ध्यातव्य है कि इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल के बाद सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली देश की दूसरी प्रधानमंत्री थीं। वर्ष 1959 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और वर्ष 1964 में प्रधानमंत्री नेहरु की मृत्यु के बाद उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्त्व में एक कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया, किंतु लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु के बाद वर्ष 1966 में वे देश की 5वीं प्रधानमंत्री बनीं। वर्ष 1975 में उनके कार्यकाल के दौरान भारत में आपातकाल लागू किया गया, जो कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक 'काला अध्याय' माना जाता है। आपातकाल की समाप्ति के बाद हुए चुनावों में वे हार गईं, जिसके बाद वर्ष 1980 में हुए चुनावों में एक बार फिर सत्ता में आईं। प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी के दूसरे कार्यकाल के दौरान अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' को अंजाम दिया गया। 31 अक्तूबर, 1984 को उनके दो सिख अंगरक्षकों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी को उनके मज़बूत व्यक्तित्त्व के लिये जाना जाता था और उन्होंने बांग्लादेश के गठन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो

आयुष मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया (Invest India) आयुष क्षेत्र की योजनाबद्ध और व्यवस्थित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिये 'रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो' (SPFB) नामक एक रणनीतिक नीति इकाई स्थापित करने के लिये सहयोग करेंगे। 'रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो' (SPFB) की स्थापना एक अग्रगामी कदम है जो कि आयुष प्रणालियों (Ayush Systems) को भविष्य के लिये तैयार करेगा। यह ब्यूरो रणनीतिक और नीतिगत पहल करने में आयुष मंत्रालय की सहायता करेगा और इस क्षेत्र की पूर्ण क्षमता तक पहुँचने तथा इसमें विकास और निवेश को प्रोत्साहित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐसे समय में जब कोरोना वायरस महामारी विश्व भर के तमाम लोगों को प्रभावित कर रही है और लोग अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं, तो इस तरह की रणनीतिक इकाई आयुष क्षेत्र के हितधारकों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण हो सकती है। इस परियोजना में एक भागीदार के रूप में इन्वेस्ट इंडिया, आयुष मंत्रालय के साथ बड़े पैमाने पर सहयोग करेगा ताकि ब्यूरो की कार्य योजना तैयार की जा सके और इसके अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को परिभाषित किया जा सके। साथ ही इन्वेस्ट इंडिया, ब्यूरो की कार्य योजना को लागू करने और कार्यान्वित करने के लिये प्रशिक्षित और विशेषज्ञ लोगों की भी नियुक्ति करेगा।

राजस्थान में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध

राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न हुए खतरे के मद्देनज़र राज्य में त्योहार के सीज़न के दौरान पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने कहा कि 'इस चुनौतीपूर्ण समय में राज्य सरकार के लिये लोगों की जीवन रक्षा करना और उन्हें वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचाना सर्वोपरि है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों और आम जनता को ज़हरीली हवा से बचाने के लिये राजस्थान सरकार ने राज्य में पटाखों की बिक्री करने वाले लोगों और प्रदूषण से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कई अध्ययनों में यह सामने आया है कि वायु प्रदूषण के कारण कोरोना संक्रमण और उसके कारण होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि राजस्थान सरकार के इस निर्णय का अनुसरण करते हुए देश के अन्य राज्य भी अपने क्षेत्राधिकार में प्रदूषण के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे।

एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

वर्ष 2005 में हुए एक उपग्रह सौदे को रद्द करने के लिये एक अमेरिका की एक अदालत ने इसरो (ISRO) की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बंगलुरू स्थित स्टार्टअप, देवास मल्टीमीडिया को 1.2 बिलियन डॉलर का मुआवजा देने को कहा है। वर्ष 2005 में एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दो उपग्रहों के निर्माण, लॉन्च और संचालन के लिये देवास मल्टीमीडिया के साथ समझौता किया था, जिसे वर्ष 2011 में

एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन द्वारा रद्द कर दिया गया। बंगलुरू स्थित एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यरत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी है, जिसे सितंबर 1992 में अंतरिक्ष उत्पादों, तकनीकी परामर्श सेवाओं और इसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिक दोहन व प्रचार प्रसार के लिये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था।

वायु गुणवत्ता के लिये केंद्र सरकार का अनुदान

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने देश भर में 15 राज्यों के ऐसे शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिये 2,200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है, जिनकी आबादी दस लाख से अधिक है। इस संबंध में घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस अनुदान से लाभार्थी राज्यों को वायु गुणवत्ता से संबंधित आवश्यक उपाय करने में मदद मिलेगी, जिसमें उन राज्यों के स्थानीय निकायों की क्षमता का निर्माण करना भी शामिल है। राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि प्राप्त करने के पश्चात् 10 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों को बिना किसी कटौती के हस्तांतरण करना होगा। यदि राज्य सरकारें 10 कार्य दिवसों के भीतर राशि हस्तांतरित करने में विफल रहती हैं तो उन्हें स्थानीय निकायों को ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। इस संबंध में 15 राज्यों के उन शहरों की सूची भी जारी की गई है, जिन्हें इस अनुदान का लाभ प्राप्त होगा, इसमें लखनऊ, विशाखापत्तनम और कोलकाता जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। इन शहरों के किसी एक स्थानीय निकाय को अनुदान प्राप्त करने के लिये नोडल इकाई घोषित किया जाएगा। इस अनुदान का उपयोग वायु गुणवत्ता की निगरानी में स्थानीय निकायों की सहायता हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भी किया जाएगा।

शेन वॉटसन

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के सलामी बल्लेबाज शेन वॉटसन (Shane Watson) ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की औपचारिक घोषणा कर दी है। शेन वॉटसन ने अपना पहला एकदिवसीय मैच वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेलते हुए अपने अंतर्राष्ट्रीय कॅरियर की शुरुआत की थी। ऑस्ट्रेलिया के लिये ऑलराउंडर के तौर पर खेलने वाले शेन वॉटसन ने वर्ष 2016 में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। शेन वॉटसन, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 59 टेस्ट, 190 वनडे और 58 टी-20 मैच खेले हैं, वर्ष 2007 और वर्ष 2015 में दो बार ICC विश्व कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। शेन वॉटसन ने टेस्ट क्रिकेट में 3731 रन और एकदिवसीय क्रिकेट में 5757 रन बनाते हुए अपने दौर के प्रमुख ऑलराउंडर के तौर पर अपने कॅरियर की समाप्ति की।

टी. एन. कृष्णन

02 नवंबर, 2020 को विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक और पद्म पुरस्कार से सम्मानित टी. एन. कृष्णन का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। टी. एन. कृष्णन का जन्म 06 अक्तूबर, 1928 को केरल के एर्नाकुलम (Ernakulam) ज़िले में हुआ था। उन्होंने एक वायलिन वादक के रूप में अपने कॅरियर की शुरुआत काफी छोटी उम्र में की और आगे कई पीढ़ियों के दिग्गज संगीतकारों के साथ कार्य किया। वर्ष वह 1942 में वे चेन्नई गए और तब से वे उसी शहर में रह रहे थे। विभिन्न संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करने के अलावा, टी. एन. कृष्णन ने चेन्नई म्यूज़िक कॉलेज में भी पढ़ाया है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत एवं ललित कला स्कूल में डीन के तौर पर भी कार्य किया। टी. एन. कृष्णन को संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए संगीत कलानिधि, पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

मिशन सागर-II

'मिशन सागर-II' के एक हिस्से के रूप में आईएनएस ऐरावत ने 02 नवंबर 2020 को पोर्ट सूडान (Port Sudan) में प्रवेश किया है। भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं और कोरोना वायरस महामारी से उबरने में मित्र देशों की सहायता करने हेतु 'मिशन सागर–II' का संचालन कर रही है। ज्ञात हो कि मिशन सागर-II, मई-जून 2020 में संपन्न किये गए 'मिशन सागर' का ही एक अगला चरण है। मई-जून 2020 में संचालित किये गए 'मिशन सागर' के तहत भारत ने मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को खाद्य सहायता और दवाइयाँ प्रदान की थीं। वहीं अब मिशन सागर-II के एक हिस्से के रूप में, आईएनएस ऐरावत सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्यान्न सहायता पहुँचाएगा। यह मिशन भारत द्वारा अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ संबंधों के महत्त्व को रेखांकित करता है और मौजूदा संबंधों को और अधिक मज़बूत करता है।

ड्यूआर्टे पचेको

पुर्तगाल के संसद ड्यूआर्टे पचेको (Duarte Pacheco) को तीन वर्ष के कार्यकाल के लिये अंतर-संसदीय संघ (Inter-Parliamentary Union-IPU) का नया अध्यक्ष चुना गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ड्यूआर्टे पचेको को उनके चुनाव के लिये बधाई

देते हुए उम्मीद जताई कि वे अंतर-संसदीय संघ (IPU) में कानून के शासन, आम सहमति निर्माण और बहुपक्षवाद को मज़बूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। अंतर-संसदीय संघ (IPU) अलग-अलग देशों की संसदों का एक वैश्विक संगठन है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1889 में सांसदों के एक छोटे समूह के रूप में हुई थी और वर्तमान में यह अलग-अलग देशों की संसदों के एक वैश्विक संगठन के रूप में विकसित हुआ है। वर्तमान में कुल 179 देशों की संसद इस संगठन में सदस्य के रूप में शामिल हैं, जिसमें भारत, चीन तथा इंडोनेशिया जैसे बड़े देश और सैन मारिनो तथा पलाउ जैसे छोटे देश भी शामिल हैं। इसके अलावा इस संगठन में 13 एसोसिएट सदस्य भी हैं, जिसमें अधिकतर देशों के समूहों, या इसी तरह के निकाय जैसे- अरब संसद और यूरोपीय संसद आदि शामिल हैं। इस संगठन का उद्देश्य एक ऐसे विश्व का निर्माण करना है जहाँ लोकतंत्र और संसद द्वारा शांति तथा विकास के लिये लोगों की सेवा की जाए।

पन्ना टाइगर रिज़र्व

मध्यप्रदेश स्थित पन्ना टाइगर रिज़र्व (PTR) को यूनेस्को (UNESCO) ने अपनी 'वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिज़र्व' की सूची में शामिल किया है। वर्तमान में यूनेस्को की इस सूची में 129 देशों के 714 बायोस्फीयर रिज़र्व शामिल हैं। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में पन्ना और छतरपुर ज़िलों में फैला हुआ पन्ना टाइगर रिज़र्व, भारत का 22वाँ और और मध्यप्रदेश का 5वाँ बाघ अभयारण्य है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1981 में बनाया गया था। पन्ना टाइगर रिज़र्व (PTR) में वर्ष 1975 में बनाए गए पूर्ववर्ती गंगऊ वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र भी शामिल है। पन्ना टाइगर रिज़र्व में व्यापक खुले वुडलैंड्स के साथ-साथ सूखी और छोटी घास पाई जाती है। यहाँ पठारों की सूखी खड़ी ढलानों पर बबूल के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। भारत के केंद्र में स्थित पन्ना ज़िले को मुख्यत: वनों और दलदली वनस्पतियों के लिये जाना जाता है, जिनमें दुर्लभ औषधीय पौधों के साथ-साथ कत्था, गोंद और राल जैसे वन उत्पादों की बहुतायत है।

प्रियंका राधाकृष्णन

भारतीय मूल की प्रियंक राधाकृष्णन (Priyanca Radhakrishnan) ने न्यूज़ीलैंड में मंत्री पद की शपथ ली है। 41 वर्ष की प्रियंका राधाकृष्णन का जन्म चेन्नई में और पालन पोषण सिंगापुर में हुआ था। प्रियंका राधाकृष्णन के दादा कोच्चि में एक चिकित्सा पेशेवर और कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक थे, जिन्होंने केरल के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिये न्यूज़ीलैंड गईं और वर्ष 2004 से लेबर पार्टी के साथ सक्रिय राजनीति में हैं। प्रियंका राधाकृष्णन दो बार ऑकलैंड से सांसद रह चुकी हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं और शोषण के प्रति संवेदनशील प्रवासी मज़दूरों के प्रति आवाज़ बुलंद की है।

'प्लास्टिक लाओ, मास्क ले जाओ' पहल

देहरादून नगर निगम ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने और प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिये एक नई पहल शुरू की है। 'प्लास्टिक लाओ, मास्क ले जाओ' पहल के तहत देहरादून नगर निगम द्वारा अब तक प्लास्टिक कचरे के बदले में कुल 5000 मास्क वितरित किये गए हैं। इस पहल से लोगों में प्लास्टिक कचरे के विरुद्ध जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को मास्क के उपयोग हेतु भी जागरूक किया जा सकेगा। इस पहल के तहत देहरादून नगर निगम के कार्यालय के बाहर एक स्टॉल स्थापित किया है जहाँ से प्लास्टिक के कचरे के बदले मास्क प्राप्त किया जा सकता है। भविष्य में इस प्रकार के स्टॉल देहरादून के अन्य स्थानों पर भी स्थापित किये जाएंगे।

प्रसार भारती

प्रसार भारती (Prasar Bharati) ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ शिक्षा संबंधी 51 टीवी चैनलों को लॉन्च करने के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जिओ-इन्फॉर्मेटिक्स और प्रसार भारती के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए हैं, जिसका उद्देश्य ग्रामीण व दूरदराज़ के क्षेत्रों सहित हर घर में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करना है। इस समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत 51 DTH शिक्षा टीवी चैनल शामिल हैं जो सभी डीडी फ्रीडिश दर्शकों के लिये उपलब्ध होंगे। देश के अंतिम व्यक्ति को कौशल विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिये सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, ये सभी चैनल दर्शकों के लिये चौबीसों घंटे मुफ्त उपलब्ध होंगे। प्रसार भारती, प्रसार भारती अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है, जो कि वर्ष 1997 में अस्तित्त्व में आया। यह देश का एक प्रमुख लोक सेवा प्रसारक निकाय है।

राजीव जलोटा

वर्ष 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस (IAS) अधिकारी राजीव जलोटा को केंद्रीय पोत परिवहन मंत्रालय के तहत मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (MBPT) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजीव जलोटा को अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा लिया गया है। ध्यातव्य है कि राजीव जलोटा महाराष्ट्र के पहले वस्तु एवं सेवा कर (GST) आयुक्त हैं और वर्तमान में वे महाराष्ट्र सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। राजीव जलोटा ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के अतिरिक्त नगर आयुक्त के रूप में कार्य करने के अलावा राज्य सरकार के विभिन्न निकायों में अलग-अलग पदों पर कार्य किया है। मुंबई पोर्ट भारत के पश्चिमी तट के लगभग मध्य में स्थित है और लंबे समय से भारत का एक प्रमुख प्रवेश द्वार रहा है, जिसने भारत विशेष रूप से मुंबई शहर की अर्थव्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

राफेल लड़ाकू विमान

भारतीय वायु सेना के लिये राफेल लड़ाकू विमान (Rafale Fighter Jets) की दूसरी खेप भारत पहुँच गई है, जिसे जल्द ही हरियाणा स्थित अंबाला एयर बेस पहुँचाया जाएगा। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व जुलाई माह में पाँच राफेल लड़ाकू विमानों का एक खेप अंबाला एयर बेस पहुँचा था। सितंबर 2016 में भारत सरकार ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिये फ्राँस के साथ एक अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किये थे और समझौते के अनुसार, सभी 36 राफेल लड़ाकू विमान वर्ष 2021 तक भारत पहुँच जाएंगे। इन विमानों के आने से भारतीय वायु सेना की युद्धक क्षमता में अतुलनीय बढ़ोतरी हुई है। राफेल (Rafale) फ्राँस का डबल इंजन वाला और मल्टीरोल लड़ाकू विमान है, जिसे फ्राँस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा डिज़ाइन किया गया है। तमाम तरह के आधुनिक हथियारों से लैस राफेल लड़ाकू विमान में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है और यह एक 4.5 जेनरेशन (4.5 Generation) वाला लड़ाकू विमान है।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर छूट

राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2022 के अंत तक मोटर वाहन कर से बैटरी चालित वाहनों को छूट देने की घोषणा की है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने 31 दिसंबर, 2022 तक परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के रूप में सभी बैटरी चालित वाहनों (इलेक्ट्रिक वाहनों) के लिये 100 प्रतिशत कर छूट देने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार का इलेक्ट्रिक वाहनों पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान करने का निर्णय बीते वर्ष जारी की गई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुरूप है। राज्य सरकार के इस निर्णय से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

द्रुज़बा-5 युद्धाभ्यास

रूस की सेना की एक टुकड़ी दो सप्ताह के लंबे सैन्य अभ्यास के लिये पाकिस्तान पहुँच गई है। द्रुज़बा-5 (Druzhba-5) नामक इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद के क्षेत्र में दोनों सेनाओं के अनुभवों को साझा करना है। ध्यातव्य है कि पाकिस्तान और रूस की सेना के बीच पहला संयुक्त द्रुज़बा (Druzhba) अभ्यास वर्ष 2016 में आयोजित किया गया था, जिसके बाद से यह अभ्यास अब तक कुल पाँच बार आयोजित किया जा चुका है। इससे पूर्व सितंबर माह में पाकिस्तान के सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने दक्षिणी रूस के अस्त्राखान प्रांत (Astra-khan Province) में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास काकेशस- 2020 (Caucasus-2020) में भी हिस्सा लिया था। ज्ञात हो कि भारत ने कोरोना वायरस महामारी के चलते रूस में होने वाले इस युद्धाभ्यास से अपनी भागीदारी को वापस ले लिया था। भारत और रूस के बीच भी इंद्र (Indra) नाम से एक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2003 में की गई थी।

जॉन पोम्बे मागुफुली

हाल ही में जॉन पोम्बे मागुफुली (John Pombe Magufuli) ने तंज़ानिया के राष्ट्रपति के रूप में पुन: पदभार संभाला है। जॉन पोम्बे मागुफुली का जन्म 29 अक्तूबर, 1959 को तंज़ानिया के एक किसान परिवार में हुआ था। तंज़ानिया हिंद महासागर के तट पर स्थित पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। इसकी औपचारिक राजधानी डोडोमा है, जबकि वास्तविक (de facto) राजधानी दार-ए-सलाम (Dar es Sa-laam) है, जहाँ अधिकांश सरकारी प्रशासनिक कार्यालय स्थापित हैं। तंज़ानिया के उत्तर में युगांडा, विक्टोरिया झील और केन्या; पूर्व में हिंद महासागर; पश्चिम में बुरुंडी एवं रवांडा तथा दक्षिण-पश्चिम में मोज़ाम्बिक, न्यासा झील, मलावी व ज़ाम्बिया स्थित हैं। अफ्रीका का सबसे ऊँचा पर्वत, माउंट किलिमंज़ारो (5,895 मीटर) भी तंज़ानिया में ही अवस्थित है। इसके अलावा हिंद महासागर में स्थित माफिया (Mafiya), ज़ंज़ीबार और पेम्बा द्वीप तंज़ानिया शासित हैं।

नोट :

एम. एम. नरवणे

भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे (Gen M M Naravane) को नेपाल की सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की गई है। जनरल एम. एम. नरवणे को यह सम्मान काठमांडू में राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास 'शीतल निवास' में आयोजित एक विशेष समारोह में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर उन्हें तलवार और सूचीपत्र (Scroll) प्रदान किया गया। इससे पूर्व नेपाल सेना के प्रमुख जनरल पूर्ण चंद्र थापा को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इसी प्रकार की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। ज्ञात हो कि दोनों देशों के बीच सेना अध्यक्ष को मानद उपाधि प्रदान करने की यह परंपरा सात दशकों से भी अधिक पुरानी है। कमांडर-इन-चीफ जनरल के.एम. करियप्पा पहले भारतीय सेना प्रमुख थे, जिन्हें वर्ष 1950 में इस उपाधि से अलंकृत किया गया था।

इंडो-इज़राइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और भारत में इज़राइल के राजदूत ने असम के कामरूप ज़िले के खेत्री (Khetri) में इंडो-इज़राइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन (Indo-Israel Centre of Excellence for Vegetables Protected Cultivation) की आधारशिला रखी है। 8 हेक्टेयर क्षेत्र में बनने वाले इस केंद्र को 10.33 करोड़ रुपए की लागत से भारत-इज़राइल कृषि परियोजना के तहत बनाया जाएगा, जिसमें एक हाई-टेक ग्रीनहाउस, स्वचालित सिंचाई प्रणाली और कीट-रोधी हाउस जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। साथ ही इस केंद्र में राज्य के किसानों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

विश्व सुनामी जागरूकता दिवस

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस (World Tsunami Awareness Day) का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य आम लोगों को सुनामी जैसी घातक आपदा के बारे में जागरूक करना है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस घातक आपदा के कारण पिछली एक सदी में लाखों लोगों की मृत्यु हुई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 'सुनामी' (Tsunami) शब्द की उत्पत्ति जापान से हुई है, जहाँ 'सु' (Tsu) शब्द का अर्थ है 'बंदरगाह' (Harbour) और 'नामी' (Nami) का अर्थ है 'लहर' (Waves)। प्रायः तीव्र भूकंप के दौरान समुद्री प्लेट कई मीटर तक खिसक जाती है, फलस्वरूप समुद्री सतह पर ज़बरदस्त उथल-पुथल मचती है और इस कारण सागर की सतह पर जल बड़ी-बड़ी लहरों के रूप में उठता है। यद्यपि महासागरों में ये बहुत कम ऊँचाई की होती हैं, किंतु जैसे-जैसे ये किनारों की ओर बढ़ती हैं तो इनकी ऊँचाई और तीव्रता बढ़ती जाती है। यही तीव्र और ऊँची लहरें धरातल पर सुनामी कहलाती हैं। वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आई सबसे घातक सुनामी के बाद, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था।

यशवर्द्धन कुमार सिन्हा

भारतीय विदेश सेवा (IFS) के सेवानिवृत्त अधिकारी यशवर्द्धन कुमार ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) के रूप में शपथ ली है। यशवर्द्धन कुमार सिन्हा ने पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) बिमल जुल्का का स्थान लिया है, जिन्होंने 26 अगस्त, 2020 को अपना कार्यकाल पूरा किया और तभी से यह पद खाली है। 4 अक्तूबर, 1958 को जन्मे यशवर्द्धन कुमार सिन्हा 1 जनवरी, 2019 को सूचना आयुक्त के तौर पर केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में शामिल हुए और इससे पूर्व वे यूनाइटेड किंगडम (UK) तथा श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के मुताबिक, केंद्र सरकार केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के रूप में एक निकाय का गठन करेगी। नियम के अनुसार, केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और कुछ सूचना आयुक्त होंगे, जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होगी।

रो-पैक्स टर्मिनल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के हज़ीरा में रो-पैक्स टर्मिनल का शुभारंभ करेंगे और साथ ही हज़ीरा (Hazira) एवं घोघा के बीच रो-पैक्स सेवा की भी शुरुआत की जाएगी। ध्यातव्य है कि रो-पैक्स टर्मिनल और रो-पैक्स सेवा की शुरुआत जलमार्गों के उपयोग और उन्हें भारत के आर्थिक विकास के साथ एकीकृत करने के प्रधानमंत्री के विज़न की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। हज़ीरा में शुरू किये जा रहे रो-पैक्स टर्मिनल की लंबाई 100 मीटर, जबकि इसकी चौड़ाई 40 मीटर है, जिस पर अनुमानित रूप से 25 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस टर्मिनल में प्रशासनिक कार्यालय इमारत, पार्किंग क्षेत्र, सबस्टेशन और वाटर टॉवर आदि कई सुविधाएँ मौजूद हैं। वहीं हज़ीरा-घोघा रो-पैक्स फेरी सेवा के भी कई फायदे होंगे। यह दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के द्वार के रूप में कार्य करेगा। इससे घोघा और

हज़ीरा के बीच की दूरी 370 किमी. से घटकर 90 किमी. रह जाएगी। इसके अलावा कार्गो ढुलाई की अवधि भी 10-12 घंटे से घटकर लगभग 4 घंटे ही रह जाएगी, जिससे ईंधन (लगभग 9,000 लीटर प्रतिदिन) की भारी बचत होगी और वाहनों के रख-रखाव की लागत में खासी कमी आएगी।

जहाज़रानी मंत्रालय का नाम परिवर्तित

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहाज़रानी मंत्रालय (Ministry of Shipping) का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज़ (Ministry of Ports, Shipping and Waterways) करने की घोषणा की है। इस संबंध में घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में जहाज़रानी मंत्रालय द्वारा कई महत्त्वपूर्ण कार्य किये जाते हैं, जिनमें बंदरगाहों और जलमार्गों की देखरेख करना भी शामिल है। जबकि मंत्रालय के नाम से इसके कार्यों की स्पष्टता दिखाई नहीं देती है, इसलिये इसके नाम में परिवर्तन करके इसे और अधिक समावेशी बनाना आवश्यक है। ध्यातव्य है कि समुद्री परिवहन किसी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये काफी महत्त्वपूर्ण होता है और यह किसी देश के विकास की गति, संरचना और पैटर्न को प्रभावित करता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए जहाज़रानी मंत्रालय को भारत के समुद्री परिवहन ढाँचे से संबंधित महत्त्वपूर्ण विषयों पर नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

विदिशा मैत्रा

भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्नों से संबद्ध सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव के रूप मंर कार्यरत विदिशा मैत्रा को एशिया-प्रशांत देशों के समूह में कुल 126 मत प्राप्त हुए हैं। गौरतलब है कि 193 सदस्यीय महासभा सलाहकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति करती है और इन सदस्यों का चयन व्यापक भौगोलिक प्रतिनिधित्व, व्यक्तिगत योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाता है। इस समिति में सदस्य के तौर पर विदिशा मैत्रा का चुनाव कुल तीन वर्ष के लिये किया गया है और उनके कार्यकाल की शुरुआत 1 जनवरी, 2021 से होगी। प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्नों से संबद्ध सलाहकार समिति, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पाँचवीं समिति है, जो कि महासभा के प्रशासनिक और बजटीय मुद्दों पर निर्णय लेती है। सलाहकार समिति का प्रमुख कार्य महासचिव द्वारा महासभा को सौंपे गए बजट की जाँच करना और किसी भी प्रशासनिक तथा बजटीय मामले में महासभा को सलाह देना है। इसके अलावा यह समिति महासभा की ओर से संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों के प्रशासनिक बजट की भी जाँच करती है।

वाराणसी में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कृषि, पर्यटन और बुनियादी ढाँचे से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत तकरीबन 614 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई परियोजनाओं में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल (रामनगर) का उन्नयन, सीवेज संबंधित कार्य, गायों के संरक्षण के लिये बुनियादी सुविधाएँ, संपूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिये एक आवास परिसर, बहुउद्देशीय बीज भंडार गृह और सारनाथ लाइट एंड साउंड शो शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी, जो इस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण हैं।

उत्तराखंड स्थापना दिवस

09 नवंबर, 2020 को उत्तराखंड का 20वाँ स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किये गए। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर, 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। वर्तमान उत्तराखंड राज्य पहले आगरा और अवध संयुक्त प्रांत का हिस्सा था। यह प्रांत 1902 में अस्तित्त्व में आया था और बाद में वर्ष 1935 में इसे संक्षेप में केवल संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम 'उत्तर प्रदेश' रखा गया गया और वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया। हिमालय की तलहटी में स्थित उत्तराखंड राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ उत्तर में चीन (तिब्बत) और पूर्व में नेपाल से मिलती हैं। इसके उत्तर-पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश है। यह प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। उत्तराखंड की 90 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। उत्तराखंड में कुल 13 ज़िले हैं और देहरादून यहाँ की राजधानी है। यहाँ मुख्य तौर पर हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि गढ़वाली और कुमाऊँनी यहाँ की स्थानीय बोलियाँ हैं।

शांति और विकास के लिये विश्व विज्ञान दिवस

हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्त्व और प्रासंगिकता को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को शांति और विकास के लिये विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस समाज में विज्ञान की महत्त्वपूर्ण भूमिका और वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस में आम जनता को संलग्न करने

की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को विज्ञान के विकास से अवगत किया जाए। साथ ही यह दिवस पृथ्वी को लेकर हमारी समझ को व्यापक बनाने में विज्ञान की भूमिका को भी रेखांकित करता है। शांति और विकास के लिये विश्व विज्ञान दिवस सर्वप्रथम 10 नवंबर, 2002 को यूनेस्को (UNESCO) के तत्त्वावधान में दुनिया भर में मनाया गया था। शांति और विकास के लिये विश्व विज्ञान दिवस, आम जनता को उनके जीवन में विज्ञान की प्रासंगिकता दर्शाने और इसे वार्ता में शामिल करने का अवसर प्रदान करता है। वर्ष 2020 के लिये इस दिवस की थीम 'साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी इन डीलिंग विथ कोविड-19' रखी गई है।

ज्ञानेंद्रो निंगोबम

मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोबम को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुन लिया गया है। इसी के साथ ज्ञानेंद्रो निंगोबम पूर्वोत्तर भारत से हॉकी इंडिया के पहले अध्यक्ष बन गए हैं और आगामी दो वर्ष तक हॉकी इंडिया के प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे। ध्यातव्य है कि इसी वर्ष जुलाई के महीने में हॉकी इंडिया के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ज्ञानेंद्रो निंगोबम हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। इससे पूर्व उन्होंने हॉकी इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मणिपुर हॉकी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मणिपुर हॉकी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में भी कार्य किया है। हॉकी इंडिया भारत में हॉकी के खेल का आधिकारिक निकाय है जो देश में हॉकी को बढ़ावा देने और संबंधित प्रतियोगितओं को आयोजित करने जैसे कार्य करता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और भारतीय ओलंपिक संघ की मान्यता भी प्राप्त है।

पंजाब और झारखंड ने CBI से आम सहमति वापस ली

पंजाब और झारखंड सरकार ने राज्य में मामलों की जाँच के लिये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को दी गई 'सामान्य सहमति' (General Consent) वापस ले ली है। आम सहमति को वापस लेने का अर्थ है कि अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) बिना किसी पूर्व अनुमति के दोनों राज्यों में किसी भी प्रकार की जाँच नहीं कर सकता है। इस निर्णय के साथ पंजाब और झारखंड उन आठ राज्यों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने CBI को जाँच के लिये दी गई अपनी आम सहमति वापस लेने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी CBI को दी गई अपनी आम सहमति वापस ले चुके हैं। दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम (DSPEA) की धारा 6 के मुताबिक, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का कोई भी सदस्य किसी भी राज्य सरकार की सहमति के बिना उस राज्य में अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं करेगा।

ऑस्ट्रेलिया में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति

ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्त्ताओं ने 'ग्रेट बैरियर रीफ' में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति (Coral Reef) की खोज की है। इस प्रवाल भित्ति की संरचना एक ब्लेड जैसी है, जिसका निचला हिस्सा तकरीबन 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, विगत 30 वर्षों में ग्रेट बैरियर रीफ ने अपनी प्रवाल भित्तियों का 50 प्रतिशत हिस्सा खो दिया है। ध्यातव्य है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित 'ग्रेट बैरियर रीफ' में विश्व की सबसे अधिक प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। प्रवाल (Coral) एक सूक्ष्म जीव होता है। चूना पत्थर (कैल्शियम कार्बोनेट) से निर्मित इसका निचला हिस्सा काफी कठोर होता है, जो कि प्रवाल भित्तियों की संरचना का निर्माण करता है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण तब शुरू होता है जब प्रवाल स्वयं को समुद्र तल पर मौजूद चट्टानों से जोड़ते हैं, फिर हज़ारों की संख्या में विभाजित हो जाते हैं। धीरे-धीरे कई सारे प्रवाल पॉलिप्स एक-दूसरे से जुड़ते हैं और एक कॉलोनी बनाते हैं। फिर जैसे-जैसे ये कॉलोनियाँ अन्य कॉलोनियों के साथ जुड़ती हैं तो प्रवाल भित्तियों (Coral Reefs) का रूप ले लेती हैं। इस प्रक्रिया में कई हज़ार वर्षों का समय लगता है।

ओवर द टॉप' प्लेटफॉर्म पर सरकार का नियंत्रण

केंद्र सरकार ने अपने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और अन्य 'ओवर द टॉप' (Over The Top- OTT) प्लेटफॉर्म अथवा वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाताओं को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाने की घोषणा की है। ध्यातव्य है कि वर्तमान में भारत में इन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध डिजिटल कंटेंट को नियंत्रित करने वाला कोई कानून या स्वायत्त निकाय नहीं है। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक, अब ऑनलाइन फिल्में, डिजिटल समाचार और करेंट अफेयर्स से संबंधित सामग्री पूर्णत: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आएगी। ध्यातव्य है कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से अब तक पूर्णत: अनियमित 'ओवर द टॉप' (OTT) प्लेटफॉर्म को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्यातव्य है कि केंद्र सरकार बीते कई वर्षों से इस प्रकार के वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाताओं को नियंत्रित करने की मांग कर रही है, साथ ही सरकार इन सेवा प्रदाताओं से न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड अथॉरिटी की तर्ज पर स्व-नियामक निकाय बनाने की भी बात करती रही है। हालाँकि

अभी तक इन प्लेटफॉर्म के लिये ऐसा कुछ नहीं बन पाया है। वर्तमान में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रिंट मीडिया को न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) समाचार चैनलों को और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद द्वारा भारतीय विज्ञापन उद्योग को नियंत्रित किया जाता है, साथ ही ये संगठन इन उद्योगों का प्रतिनिधित्त्व भी करते हैं।

अजीम प्रेमजी

भारत में आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी विप्रो (Wipro) के पूर्व चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने भारत में दान देने के मामले में सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में जारी किये गए एडलिव हुरुन इंडिया फिलैन्थ्रॉपी लिस्ट 2020 के सांतवें संस्करण के अनुसार, अजीम प्रेमजी ने वर्ष 2020 में कुल 7,904 करोड़ रुपए यानी प्रतिदिन लगभग 22 करोड़ रुपए दान दिये हैं, इसलिये वे इस सूची में पहले स्थान पर हैं। 1 अप्रैल, 2020 को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, विप्रो और विप्रो एंटरप्राइज़ेज़ ने कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से निपटने के लिये 1,125 करोड़ रुपए दान करने की घोषणा की थी। यह विप्रो की वार्षिक CSR गतिविधियों और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सामान्य खर्च से अलग था। HCL के संस्थापक और चेयरमैन शिव नादर को इस सूची में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जिन्होंने वर्ष 2020 में कुल 795 करोड़ रुपए दान किये हैं। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के चेयरमैन और एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी को इस सूची में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और उन्होंने वर्ष 2020 में कुल 458 करोड़ रुपए दान किये हैं। हुरुन इंडिया और एडलिव फाउंडेशन द्वारा तैयार की जाने वाली इस सूची के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने वाले लोगों को रेखांकित करने का प्रयास किया जाता है।

90 प्रतिशत प्रभावी COVID-19 टीका

अपने टीके के तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों के अंतरिम विश्लेषण के आधार पर अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइज़र (Pfizer) ने घोषणा की है कि कंपनी द्वारा विकसित टीका पहली बार कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में संक्रमण को रोकने में 90 प्रतिशत से अधिक प्रभावी है। अमेरिकी कंपनी फाइज़र (Pfizer) और उसकी जर्मन साझीदार कंपनी बायोएनटेक (BioNTech) ने घोषणा की है कि कंपनी द्वारा बनाई गई एम-आरएनए वैक्सीन (m-RNA Vaccine) के अंतरिम विश्लेषण के मुताबिक, इस टीके के कारण किसी भी व्यक्ति पर कोई गंभीर सुरक्षा खतरा नहीं देखा गया है। हालाँकि टीके की जाँच करने वाली विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि 'इस टीके से संबंधित और अधिक डेटा एकत्र किया जाए, ताकि विश्लेषण के आधार पर और सटीक जानकारी प्राप्त की जा सके।

मुंबई इंडियंस

मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को पाँच विकेट से हराकर एक बार फिर IPL का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अब तक के इतिहास में कुल पाँच बार खिताब जीतकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा IPL फाइनल में दो या दो से अधिक अर्द्धशतक बनाने वाले पहले कप्तान बन गए हैं, इससे पूर्व उन्होंने वर्ष 2015 में चेन्नई सुपर किंग (CSK) के विरुद्ध खेलते हुए 26 गेंदों में 50 रन बनाए थे। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) भारत में आयोजित की जाने वाली T20 क्रिकेट लीग है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का पहला खिताब राजस्थान रॉयल्स ने जीता था।

स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण

12 नवंबर, 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी विवेकानंद की एक आदम-कद प्रतिमा का अनावरण किया जाना है । विवेकानंद जी युवाओं के लिये प्रेरणा के स्रोत हैं क्योंकि उन्होंने भारत के सौहार्द, शांति, स्वतंत्रता और विकास के संदेश के साथ युवाओं को हमेशा उत्साहित किया। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा भारतीय नागरिकों को भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इसकी औद्योगिक भावना पर गर्व करने के लिये प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद के आदर्श वर्तमान समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने स्वामी विवेकानंद के जीवनकाल में थे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार, जनता की सेवा करने के साथ-साथ राष्ट्र के युवाओं को सशक्त बनाने से देश मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मज़बूत होगा और राष्ट्र की वैश्विक छवि को बढ़ाएगा।

रस्किन बॉन्ड टाटा लिटरेचर लाइव लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित

रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी भाषा के एक विश्वप्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। इन्हें 21 नवंबर को 2020 को "टाटा लिटरेचर लाइव लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड" से सम्मानित किया जाएगा। अपने सभी लेखनों के माध्यम से प्रकृति प्रेम दर्शाने वाले रस्किन बॉन्ड को भारत का पहला साहित्यिक 'इको-वारियर्स' कहा जाता है। उनकी कहानियाँ भारत और प्रकृति दोनों के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाती हैं। रस्किन बॉन्ड अब तक लगभग 100

नोट :

किताबें लिख चुके हैं । उनकी कहानियों में बच्चों के सपने, उनकी इच्छाओं का ज़िक्र तो होता ही हैं, बच्चों के संघर्ष की कहानियाँ भी होती हैं। रस्किन बॉन्ड का जन्म ब्रिटिश भारत के कसौली में 19 मई 1934 को हुआ था और वह ब्रिटिश मूल के हैं किंतु स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने भारत में रहना तय किया। वर्ष 1999 में भारत सरकार ने उन्हें साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदानों के लिये पद्म श्री से तथा वर्ष 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया।

प्रसिद्ध पुस्तकें

- द नाइट ट्रेन एट देवली'(The Night Train at Deoli)
- 'टाइम स्टॉप्स इन शामली'(Time Stops At Shamli),
- 'एक चेहरा अंधेरे में और अन्य अड्डा' (A Face in the Dark and other Hauntings')
- 'एक मौसम का भूत' (A Season of Ghosts),
- 'राज से भूत की कहानियां' (Ghost Stories from the Raj)

टाटा लिटरेचर लाइव लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के पिछले प्राप्तकर्त्ता:

- शांता गोखले
- सर मार्क टली
- गिरीश कर्नाड
- अमिताव घोष
- किरण नागरकर
- एमटी वासुदेवन नायर
- खुशवंत सिंह
- सर वीएस नायपॉल
- महाश्वेता देवी

चीन द्वारा 6G उपग्रह की लॉन्चिंग

चीन ने प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिये अंतरिक्ष की दुनिया में पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया है जो कि 5G से लगभग 100 गुना अधिक तेज़ हो सकता है। चीन के शांक्सी प्रांत में स्थित ताइयूआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च 12 अन्य उपग्रहों के साथ इसने कक्षा में प्रवेश किया है। इस उपग्रह के सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद इंटरनेट की स्पीड 5जी की तुलना में कई गुना अधिक तेज़ी से डेटा-ट्रांसमिशन प्राप्त करने के लिये उच्च आवृत्ति वालें तरंगों को शामिल किया गया है। चीनी मीडिया के अनुसार यह उपग्रह में प्रौद्योगिकी आधारित भी है जो फसल आपदा निगरानी और जंगल की आग की रोकथाम के लिये खासा उपयोगी सिद्ध होगा।